

107

P

02

213



भारत के
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष

(वणिज्यिक)

हरियाणा सरकार

05-03-2010

भारत के
नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष

वाणिज्यिक
हरियाणा सरकार

www.cag.gov.in



विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii से xi
अध्याय 1		
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विहंगावलोकन	1	
प्रस्तावना	1.1 से 1.3	1
लेखापरीक्षा आदेश	1.4 से 1.6	1-2
राज्य सा.क्षे.उ. (ओं) में निवेश	1.7 से 1.9	2-3
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण	1.10 से 1.12	4
वित्त लेखाओं का मिलान	1.13 से 1.14	5
पी.एस.यूज का निष्पादन	1.15 से 1.34	5-10
लेखाओं के अन्तिमकरण में बकाया	1.35 से 1.40	10-11
अकार्यरत पी.एस.यूज का बन्द करना	1.41 से 1.43	11-12
लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.44 से 1.50	12-15
लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियां	1.51	15
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.52	15
पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन	1.53	15
विद्युत क्षेत्र में सुधार	1.54 से 1.55	16
कोपु द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	1.56 से 1.57	16
अध्याय 2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं	2	
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
दीनबन्धु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र यमुनानगर के यूनिट I एवं II का निर्माण एवं परिचालन	2.1	
कार्यकारी सार		17
प्रस्तावना	2.1.1	18
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	2.1.2	18
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.1.3	19
लेखापरीक्षा मापदण्ड	2.1.4	19
लेखापरीक्षा प्रणाली	2.1.5	19-20
लेखापरीक्षा परिणाम	2.1.6	20
परियोजना आयोजना	2.1.7 से 2.1.8	20-21
संविदा देना	2.1.9 से 2.1.11	22-23
परियोजना का निष्पादन	2.1.12 से 2.1.23	23-31

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
चालूकरण और निष्पादन	2.1.24 से 2.1.30	31-34
पर्यावरण सुरक्षा	2.1.31 से 2.1.32	34-35
निष्कर्ष		35-36
अनुशंसाएं		36
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड		
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का कार्यचालन	2.2	
कार्यकारी सार		37
प्रस्तावना	2.2.1	38
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	2.2.2	38
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2.3	38-39
लेखापरीक्षा मापदण्ड	2.2.4	39
लेखापरीक्षा पद्धति	2.2.5	39-40
लेखापरीक्षा परिणाम	2.2.6 से 2.2.8	40-42
पर्यटन के योजनाबद्ध विकास हेतु गतिविधियां	2.2.9	42-43
कार्य योजना तथा इसका कार्यान्वयन	2.2.10	43
कम्पनी के परिचालन	2.2.11 से 2.2.25	43-51
सेवाओं की गुणवत्ता	2.2.26 से 2.2.33	51-55
वित्तीय प्रबंध	2.2.34	55-56
शीर्ष प्रबंध द्वारा मानीटरिंग	2.2.35 से 2.2.38	56-58
निष्कर्ष		59
अनुशंसाएं		59-60
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
हारट्रान द्वारा यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) एवं गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) की कम्प्यूटरीकृत बिलिंग	2.3	
कार्यकारी सार		61
प्रस्तावना	2.3.1	62
संगठनात्मक ढांचा	2.3.2	63
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.3.3	63
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति	2.3.4	64
लेखापरीक्षा परिणाम	2.3.5	64-65
इनपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण	2.3.6 से 2.3.16	65-70
आऊटपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण	2.3.17 से 2.3.22	70-74
सामान्य नियंत्रण	2.3.23 से 2.3.24	74-75
निष्कर्ष		75
अनुशंसाएं		76

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय 3		
सरकारी कम्पनियों से संबंधित सम्पादन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	3	
सरकारी कम्पनियां		
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	3.1	77-78
प्राप्य राशि की अवसूली	3.2	78-80
बोनस/निष्पादन पुरस्कार का अधिक भुगतान	3.3	80-81
अपात्र प्रस्तावकर्ता को भूमि का आबंटन	3.4	81-82
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
अतिरिक्त व्यय	3.5	82-83
मासिक समान्तर प्रचालन प्रभार की अवसूली	3.6	83-84
अतिरिक्त व्यय	3.7	84-85
राजस्व की हानि	3.8	85-86
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
निष्फल व्यय	3.9	86-87
राजस्व की हानि	3.10	87-89
परिहार्य व्यय	3.11	89-90
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	3.12	90-91
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड		
अधिक व्यय	3.13	91
राजस्व की हानि	3.14	92-93
राजस्व की हानि	3.15	93-94
राजस्व की हानि	3.16	94-95
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
अतिरिक्त व्यय	3.17	95-96
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		
अनुचित लाभ	3.18	96-97
हरियाणा रोड़वेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड		
अतिरिक्त व्यय	3.19	97-98
हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड		
राजस्व की हानि	3.20	98-99
सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.21	99-101

विवरण		संदर्भ
अनुलग्नक		पृष्ठ
1	साविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों के संबंध में 31 मार्च 2009 को अद्यतन प्रदत्त - पूंजी, बकाया ऋणों तथा मानव शक्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	103-106
2	अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखे अन्तिम किए गए थे, हेतु सरकारी कम्पनियों तथा साविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम	107-109
3	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदानों एवं परिदानों, प्राप्त गारंटियों, देयों का अधित्याग, बट्टे खाते डाले गए ऋणों तथा साम्या में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2009 के समापन पर दी गई गारंटियों को दर्शाने वाली विवरणी	110-111
4	सा.क्षे.उ. जिनके लेखे बकाया में हैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों को दर्शाने वाली विवरणी	112-113
5	साविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	114-115
6	साविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी	116
7	लम्बित कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	117
8	पी.जी. टैस्ट के लम्बित अन्तिमकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	118
9	लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए काम्पलैक्सों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	119
10	2007-08 तक चार वर्षों हेतु हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड के कार्यचालन परिणाम तथा वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली विवरणी	120
11	समीक्षाएं/अनुच्छेद, जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, को दर्शाने वाली विवरणी	121
12	30 सितम्बर 2009 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विश्लेषण दर्शाने वाली विवरणी	122
13	विभागवार प्रारूप अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, की संख्या दर्शाने वाली विवरणी	123

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक उद्यम, जिनके लेखे भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधीन हैं, निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

- सरकारी कम्पनियां,
- साविधिक निगम, तथा
- विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम।


2. यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और साविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संव्यवहार करता है और यह भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क, जैसा कि समय-समय पर संशोधित की गई है, के अन्तर्गत हरियाणा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा के परिणाम भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) हरियाणा सरकार में शामिल हैं।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

4. हरियाणा भाण्डागार निगम के सम्बन्ध में सी.ए.जी. के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार सी.ए.जी. के पास है। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000, के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों की नामसूची में से निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त हरियाणा वित्तीय निगम के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार सी.ए.जी. को है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के सम्बन्ध में सी.ए.जी. एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन सभी निगमों/आयोग के वार्षिक लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथकतः अग्रेषित किए जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण वे हैं जो वर्ष 2008-09 के दौरान लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए थे, परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में संव्यवहारित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2008-09 के बाद की अवधि से सम्बन्धित विषय, जहां आवश्यक समझे गए, भी सम्मिलित कर लिए गए हैं।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि सी.ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की पुष्टि में लेखापरीक्षाएं की गई हैं।



विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों तथा साविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त किए गए साविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। ये लेखे सी.ए.जी. द्वारा संचालित पूरक लेखापरीक्षा के अध्वधीन भी हैं। साविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। 31 मार्च 2009 को हरियाणा राज्य में 22 कार्यचालन पी.एस.यू.ज (20 कम्पनियां तथा 2 साविधिक निगम) तथा 6 गैर-कार्यचालन पी.एस.यू.ज (सभी कम्पनियां) थे जिनमें 0.38 लाख कर्मचारी नियुक्त थे। कार्यचालन पी.एस.यू.ज ने अपने नवीनतम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार 2008-09 हेतु 18,424.04 करोड़ रूपए का आवर्त दर्ज किया। यह आवर्त, अर्थव्यवस्था में राज्य पी.एस.यू.ज द्वारा निर्भाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करते हुए राज्य जी.डी.पी. का 10.21 प्रतिशत के बराबर था। तथापि, पी.एस.यू.ज ने 2008-09 हेतु 1,279.61 करोड़ रूपए की हानि उठाई तथा 4,543.71 करोड़ रूपए की हानियां संचित की।

पी.एस.यू.ज में निवेश

31 मार्च 2009 को 28 पी.एस.यू.ज में निवेश (पूजीगत तथा लम्बी अवधि ऋण) 20,408.28 करोड़ रूपए था। यह 2003-04 में 9,441.42 करोड़ रूपए से 116.16 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया। विद्युत क्षेत्र ने 2008-09 में कुल निवेश का लगभग 94 प्रतिशत लेखाकित किया। सरकार ने 2008-09 के दौरान साम्या, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों की ओर 3,927.33 करोड़ रूपए का अंशदान दिया।

पी.एस.यू.ज का निष्पादन

वर्ष 2008-09 के दौरान 22 कार्यचालन पी.एस.यू.ज में से 15 पी.एस.यू.ज ने 152.48 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया तथा छः पी.एस.यू.ज ने 1,399.87 करोड़ रूपए की हानि उठाई। लाभ के प्रमुख अंशदाता हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (60.70 करोड़ रूपए) तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (60.51 करोड़ रूपए) थे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (1,107.54 करोड़ रूपए) तथा

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (265.69 करोड़ रूपए) द्वारा भारी हानियां उठाई गई थीं।

हानियां, पी.एस.यू.ज के कार्यचालनों में विभिन्न त्रुटियों को आरोपित की गई हैं। सी.ए.जी. के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य पी.एस.यू.ज की 635.84 करोड़ रूपए की हानियां तथा 132.68 करोड़ रूपए के निष्फल निवेश कुशल प्रबंध से नियन्त्रणीय थे। इस प्रकार, कार्यचालन में सुधार करने तथा हानियों को न्यूनतम/विलुप्त करने के लिए व्यापक क्षेत्र है। पी.एस.यू.ज प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका तभी निभा सकते हैं जब वे विनीय रूप से आत्म-निर्भर हों। पी.एस.यू.ज के कार्यचालन में व्यावसायिकता एवं उत्तरदायित्व की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता

पी.एस.यू.ज के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2008 से सितम्बर 2009 के दौरान अन्तिमकृत सभी 23 लेखाओं ने अर्द्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए। लेखांकन मानकों की अनुपालना के 39 प्रकरण थे। कम्पनियों के आन्तरिक नियंत्रण पर साविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों ने कई कमजोर क्षेत्रों को इंगित किया।

लेखाओं में बकाया तथा परिसमापन

सितम्बर 2009 को बारह कार्यचालन पी.एस.यू.ज के 27 लेखे बकाया थे। पी.एस.यू.ज हेतु लक्ष्य निर्धारित करके तथा लेखाओं को तैयार करने से संबंधित कार्य को बाहरी स्रोत से करवाकर बकायों को पूरा किए जाने की आवश्यकता है। छः गैर-कार्यचालन कम्पनियां थीं। चूंकि इन पी.एस.यू.ज की विद्यमानता से कोई प्रयोजन हल नहीं होता अतः इन्हें तुरंत बन्द कर दिया जाना चाहिए।

कोपु द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श

कोपु द्वारा 2005-06 हेतु तथा आगे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अभी पूरी तरह विचार-विमर्श किया जाना है। इन तीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 10 समीक्षाएं तथा 64 अनुच्छेद समाविष्ट हैं जिनमें से 2 समीक्षाओं तथा 6 अनुच्छेदों पर विचार-विमर्श किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 'दीनबन्धु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के यूनिट I एवं II का निर्माण एवं परिचालन', 'हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का कार्यचालन' तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में हार्ट्रॉन द्वारा यू.एच.बी.वी.एन.एल. एवं डी.एच.बी.वी.एन.एल. के घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) एवं गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) उपभोक्ताओं की कम्प्यूटरीकृत बिलिंग' से संबंधित निष्पादन समीक्षाएं संचालित की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों का कार्यकारी सार नीचे दिया गया है:

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के दीनबन्धु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र यमुनानगर के यूनिट I एवं II का निर्माण एवं परिचालन

16वें भारत विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार, हरियाणा में अधिकतम बिजली मांग की वृद्धि 3077 मै.वा. (2000-01) से 4,203 मै.वा. (2004-05) तक प्रक्षेपित की गई थी। इसके विरुद्ध कम्पनी की 2001-02 में उत्पादन क्षमता 1,040.50 मै.वा. थी। कम्पनी ने 600 मै.वा. दीनबन्धु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र यमुनानगर में और 500 मै.वा. पानीपत ताप बिजली स्टेशन पानीपत में स्थापित की और अपनी उत्पादन क्षमता 2,140.50 मै.वा. तक बढ़ाई। दीनबन्धु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र, यमुनानगर की यूनिट I और II (प्रत्येक 300 मै.वा.) के निर्माण और परिचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, परियोजना आयोजना में मितव्ययिता और दक्षता और चालू की गई यूनिटों के कार्यान्वयन और निष्पादन को विचारित मानकों के विरुद्ध निर्धारित करने के लिए संचालित की।

परियोजना आयोजना और सविदा

राज्य सरकार ने जुलाई 2002 में परियोजना अनुमोदित की। आरम्भ में डी.एच.ई.एल. से प्रस्तावित मूल्य को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया। परन्तु बाद में परियोजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली लगाकर के (आई.सी.बी.) भारत सरकार द्वारा जनवरी 2004 में अनुमोदित किया गया। इस आधार के बदलने से परियोजना के प्रारम्भ करने में देरी हुई जिससे बचा जा सकता था यदि आई.सी.बी. मार्ग आरम्भ में ही अपनाया जाता। परियोजना सितम्बर 2004 में रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड (आर.ई.एल.) को दे दी गई जबकि यह नियमित टर्नकी प्रबंधन और सविदा एजेंसी नहीं थी।

परियोजना का निष्पादन

लागत और समय अत्यधिक बढ़ गया था। परियोजना पर व्यय 2,338 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत के विरुद्ध मार्च 2009 को 2,501.80 करोड़ रुपए हुआ। 163.8 करोड़ रुपए की अत्यधिक लागत मुख्यतः भूमि की लागत में वृद्धि, उच्चतर ब्याज और चालू करने पर ईंधन की अधिक खपत के कारण थी। सविदा में उचित क्लॉज के अभाव में आर.ई.एल. से चालू परीक्षण के दौरान

48.90 करोड़ रुपए को ईंधन की निवल अधिक खपत की वसूली नहीं की जा सकी। मार्च 2007 और जून 2007 में चालू करनी नियत की गई यूनिटों ने वास्तव में क्रमशः अप्रैल 2008 और जून 2008 से वार्षिक परिचालन आरम्भ किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के अच्छे प्रबंध से कम्पनी 21.62 करोड़ रुपए और बचा सकती थी। निष्पादन में अन्य वृद्धियां थी जैसे मिल अस्वीकार कोयला संचालन पद्धति की अपर्याप्त क्षमता, नुरवी उड़ी राख संग्रहण पद्धति के ढेरों से चालू करने और कम्प्यूटरीकृत अनुरक्षण के समापन में और माल सूची प्रबंध पद्धति में देरी थी। परियोजना की मानीटरिंग में भी कमी पाई गई थी।

यूनिटों का निष्पादन

एच.ई.आर.सी. अनुमोदित (अनन्तित) 2.91 रुपए प्रति यूनिट की शुल्क दर के विरुद्ध उत्पादन की लागत यूनिट-I के लिए 3.19 रुपए प्रति यूनिट और यूनिट-II के लिए 3.07 रुपए प्रति यूनिट थी। आर.ई.एल. द्वारा गारंटीड प्राइसों की तुलना में उत्पादन की उच्च लागत निवेशों (कोयला, ईंधन, तेल, पूरक खपत) की अधिक खपत के कारण थी और 80 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध, निम्न संयंत्र भार घटक लगभग 69 प्रतिशत था। उच्च उत्पादन लागत के परिणामस्वरूप अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान 67.46 करोड़ रुपए की हानि हुई।

निष्कर्ष और अनुशंसाएं

समय पर चालू करने से, कम्पनी 4,280 मै.यू.ज और उत्पन्न करने योग्य हो सकती थी। 80 प्रतिशत पी.एल.एफ. प्राप्त करने से भी 499 मै.यू.ज अतिरिक्त उत्पादन हो सकता। यह उच्च लागत बिजली क्रय पर राज्य की निर्भरता को घटा सकता था। समीक्षा में छः अनुशंसाएं अन्तर्विष्ट हैं जिसमें पी.एल.एफ. को बढ़ाना और निवेशों की खपत को घटाना सम्मिलित है।

(अध्याय 2.1)

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का कार्यचालन

राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना की। इसके उद्देश्यों के निष्पादन में कम्पनी ने कोटरिंग, बार एवं आवास सुविधाओं सहित पर्यटक काम्पलेक्सों के परिचालन, ट्रेड फेयर्स एवं मेलों के आयोजन, पेट्रोल पम्पों के परिचालन की गतिविधियों तथा निर्माण एवं परामर्श सेवाओं का व्यवसाय प्रारंभ किया है। 31 मार्च 2009 को कम्पनी के पास 43 पर्यटक काम्पलेक्स, 14 पेट्रोल पम्प तथा 2025 कर्मचारी थे। राज्य में पर्यटन के विकास तथा काम्पलेक्सों के परिचालन की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

वित्त एवं निष्पादन

2007-08 तक के अनन्तितम लेखा आंकड़े उपलब्ध हैं। 2004-08 के दौरान कम्पनी के आय एवं व्यय क्रमशः 615.61 करोड़ रूपए तथा 603.57 करोड़ रूपए थे। 12.04 करोड़ रूपए के निवल लाभ में सावधि जमाओं से 10.92 करोड़ रूपए का ब्याज सम्मिलित था। इस प्रकार, कम्पनी बहुत कम मार्जिन पर परिचालन कर रही है।

पर्यटक आगमन

2004-09 के दौरान पर्यटक आगमन लगभग 60 लाख तक स्थिर हो गया। तथापि, पर्यटक आगमनों का पता लगाने के लिए समुचित यंत्रावली के अभाव में आंकड़े को विश्वसनीय नहीं माना गया है। इस प्रकार, पर्यटन के विकास पर कम्पनी की गतिविधियों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका। कम्पनी ने पर्यटन के विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की।

परिचालन

2004-08 के दौरान 615.61 करोड़ रूपए का राजस्व मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री (438.42 करोड़ रूपए), भोजन एवं शराब की बिक्री (104.11 करोड़ रूपए)

तथा कमरों का किराया (35.17 करोड़ रूपए) द्वारा अंशदत्त था। 2004-09 के दौरान 0.66 से 1.27 प्रतिशत के कम मार्जिन पर पेट्रोलियम व्यापार परिचालित किया गया जो इस व्यापार की निकट से निगरानी करने की आवश्यकता को इंगित करता है।

कम्पनी, इसके अधिभोग में 2004-05 में 65 प्रतिशत से 2008-09 में 77 प्रतिशत तक सुधार करने में सफल हुई जो 60 प्रतिशत के वांछित स्तर से बहुत ऊपर था। तथापि, इसने अतिरिक्त लागतों में वृद्धि के कारण लाभदायिकता में अधिक बढ़ोतरी नहीं की। कम्पनी भोजन, ईंधन एवं बिजली लागतों को मानकों के भीतर नहीं रख सकी परिणामतः 8.01 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसी प्रकार, मानव शक्ति लागत 2004-08 के दौरान मानकों से ऊपर 9.48 करोड़ रूपए तक उच्चतर थी। कम्पनी को परिचालनों की उच्च लागत हेतु कारणों का विश्लेषण करने तथा उपयुक्त उपचारी उपाय करने की आवश्यकता है।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने 2004-09 के दौरान 213 परियोजनाओं के लिए 111.97 करोड़ रूपए संस्वीकृत किए तथा 78.70 करोड़ रूपए जारी किए। कम्पनी ने मार्च 2009 तक 48.44 करोड़ रूपए का व्यय किया। बहुतायत संख्या में परियोजनाएं विलम्बित थीं। यह ऐसा क्षेत्र है जिसे प्रबंधन के अधिक ध्यान की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

कम्पनी के कार्यों में कमियां नियंत्रणीय हैं तथा बेहतर पबंध के माध्यम से इसके परिचालनों के निष्पादन में सुधार की गुंजाइश है। इस समीक्षा में पांच अनुशंसाएं समाविष्ट हैं जिनमें उच्च लागतों के कारणों का विश्लेषण करना, लागतों की कम करने के उपाए ढूंढना तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का सुधार करना सम्मिलित है।

(अध्याय 2.2)

हारट्रॉन द्वारा यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) एवं गैर - घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) की कम्प्यूटरीकृत बिलिंग

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रॉन) द्वारा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) के अम्बाला (पंचकूला मण्डल को छोड़कर), पानीपत तथा सोनीपत तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के फरीदाबाद तथा गुडगांव नामक पांच परिचालन परिमण्डलों के कम्प्यूटरीकृत बिलिंग की निष्पादन आई.टी. समीक्षा कम्प्यूटरीकृत संरचना के अनुप्रयोग तथा सामान्य नियंत्रण के मूल्यांकन हेतु की गई थी।

इनपुट नियंत्रण

इनपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण था परिणामतः मीटर किराया की कम वसूली, विविध प्रभारों की अप्रविष्टि एवं अवसूली, उपभोक्ताओं को अधिक भत्ते संयोजन की तिथि की अनुपलब्धता जिसके अभाव में प्रथम बिल के समयपूर्व निर्गम को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा प्रतिभूति जमा की राशि की अनुपलब्धता हुई परिणामतः विद्युत आपूर्ति सहिता के प्रावधान की अनुपालना नहीं हुई।

आउटपुट नियंत्रण

आउटपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण था। या तो विभिन्न प्रबन्धन सूचना प्रणाली रिपोर्टें (एम.आई.एस.) प्राप्त नहीं की गई थी या वे वितरण कम्पनी स्टाफ (डिस्कामस) द्वारा, चूककर्ता उपभोक्ताओं तथा

राजस्व की हानि सम्बोधित करने हेतु विश्लेषित तथा अनुपालित नहीं किए गए थे। राजस्व की वृहद् राशि से आवेष्टित उपभोक्ताओं की वृहद् संख्या के प्रकरण में बिलों के निर्गम में असाधारण विलम्ब था। अनेक प्रकरणों में चूककर्ता उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति वियोजित नहीं की गई जिसने चूक के कारण ब्याज की हानि के अतिरिक्त डिस्कॉमस की अर्थोपाय स्थिति बुरी तरह प्रभावित की।

उपभोक्ताओं के वृहद् संख्या के प्रकरण में बिजली की खपत, अधिकतम इकाइयों, जो वे उनके संस्वीकृत भार के आधार पर उपयोग कर सकते थे, से बहुत अधिक थी जिसने भार के अप्राधिकृत प्रयोग को इंगित किया परिणामतः औसत प्रभारों के कारण आवर्ती हानि, खपत प्रतिभूति इत्यादि का कम उद्ग्रहण हुआ।

सामान्य नियंत्रण

सामान्य नियंत्रण वृहदतः अपर्याप्त थे क्योंकि कोई विलेखित प्रयोक्ता आवश्यकता विनिर्देशन (यू.आर.एस.), सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशन (एस.आर.एस.) तथा अन्य प्रणाली डिजाइन दस्तावेज विद्यमान नहीं पाए गए थे। परिवर्तन प्रबन्ध नीति, व्यवसाय निरन्तरता, विनाश वसूली तथा प्रतिभूति नीति परिवर्तन का कोई विलेख नहीं था।

(अध्याय 2.3)

3. सम्पादन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित सम्पादन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां सा.क्षे.उ. के प्रबन्धन में त्रुटियां प्रकट करती हैं जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय उलझनें हुईं। इंगित की गई अनियमितताएं मौटे तौर पर निम्न प्रकृति की हैं:

अनुबंधों के नियमों, मार्गदर्शनों, प्रक्रियाओं, निबंधनों एवं शर्तों की अननुपालना के कारण छः प्रकरणों में 7.85 करोड़ रुपए की हानि।

(अनुच्छेद 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.15 तथा 3.19)

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा न करने के कारण आठ प्रकरणों में 11.80 करोड़ रुपए की हानि।

(अनुच्छेद 3.2, 3.8, 3.10, 3.12, 3.14, 3.16, 3.17 तथा 3.18)

त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण योजना के कारण दो प्रकरणों में 0.45 करोड़ रुपए की हानि।

(अनुच्छेद 3.11 तथा 3.13)

परिचालनों में औचित्य/पारदर्शिता तथा प्रतियोगिता की कमी के कारण दो प्रकरणों में 1.02 करोड़ रुपए की हानि।

(अनुच्छेद 3.4 तथा 3.5)

अपर्याप्त/अपूर्ण मानीटरिंग के कारण 0.17 करोड़ रुपए की हानि।

(अनुच्छेद 3.20)

उद्देश्यों की अप्राप्ति/आंशिक प्राप्ति के कारण 9.98 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय।

(अनुच्छेद 3.9)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सारांश नीचे दिया गया है:

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मासिक समानान्तर परिचालन प्रभारों की अवसूली के परिणामस्वरूप 3.81 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.6)

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड द्वारा नई निविदाएं मांगने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 66.55 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.12)

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने समझौता जापन का अंत न करने के कारण 3.84 करोड़ रुपए की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.10)

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्राथमिक प्रतिभूति के अनिपटान ने 5.66 करोड़ रुपए की वसूली को जोखिम में डाला।

(अनुच्छेद 3.2)

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अग्नि-शमन प्रणाली, जो पूर्णतया परिचालन में नहीं है, पर 9.98 करोड़ रुपए का निष्फल व्यय किया।

(अनुच्छेद 3.9)

अध्याय 1

1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य सरकार कम्पनियों एवं साविधिक निगमों से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ./पी.एस.यू.ज) बनते हैं। लोक कल्याण को मध्यनजर रखते हुए वाणिज्यिक किस्म की कार्यविधियों के पालन हेतु राज्य सा.क्षे.उ. बनाये जाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में, हरियाणा में, राज्य सा.क्षे.उ. का मुख्य स्थान है। सितम्बर 2009 तक के उनके अन्ततः अन्तिमकृत लेखों के अनुसार कार्यचालन राज्य सा.क्षे.उ. ने 18,424.04 करोड़ रूपए का वारा न्यारा (टर्नओवर) पंजीबद्ध किया। यह टर्न ओवर 2008-09 के राज्य के कुल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 10.21 प्रतिशत के बराबर था। हरियाणा राज्य के सा.क्षे.उ. की मुख्य कार्यविधियां विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित है। राज्य के सा.क्षे.उ.ओ ने उनके अन्ततः अन्तिमकृत लेखों के अनुसार 2008-09 में 1,279.61 करोड़ रूपए का कुल नुकसान उठाया। उन्होंने 31 मार्च 2009 तक 0.38 लाख* कर्मचारियों को नियुक्त किया। राज्य के सा.क्षे.उ. में पाँच मुख्य विभागीय उपक्रम (डी.यू.ज) शामिल नहीं हैं जो वाणिज्यिक प्रचालन करते हैं परन्तु सरकारी विभागों के हिस्सा है। इन डी.यू.ज की लेखापरीक्षा उपलब्धियां राज्य की सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की जाती है।

1.2 31 मार्च 2009 को 28 सा.क्षे.उ. थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

सा.क्षे.उ. की किस्म	कार्यरत सा.क्षे.उ.	अकार्यरत सा.क्षे.उ. [†]	योग
सरकारी कम्पनियाँ*	20	6	26
साविधिक निगम	2	-	2
योग	22	6	28

1.3 वर्ष के अन्दर एक सा.क्षे.उ. अर्थात् यमुना कोयला कम्पनी प्रा.लि. की स्थापना की गई। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ब के अन्तर्गत कम्पनी का पंजीकरण किया गया है।

लेखापरीक्षा आदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित है। धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार/सरकारों द्वारा कम से कम 51 प्रतिशत दत्त पूंजी रखी जाती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की

* 28 सा.क्षे.उ. द्वारा प्रदत्त विवरणानुसार।

† अकार्यरत सा.क्षे.उ. हैं जिनका प्रचालन बंद हो गया है।

* 619-ब कम्पनियाँ शामिल हैं।

नियन्त्रित कम्पनी शामिल है। तदन्तर कम्पनी अधिनियम की धारा 619-ब के अनुसार सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों एवं सरकार/सरकारों द्वारा नियन्त्रित निगमों द्वारा किसी भी समुच्चय में एक कम्पनी जिसमें 51 प्रतिशत की दत्त पूंजी रखी जाती है वह सरकारी कम्पनी के तुल्य (मानक सरकारी कम्पनी) समझी जाती है।

1.5 राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखे (जैसे 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 617 में परिभाषित है) सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कि 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, द्वारा लेखापरीक्षित किये जाते हैं। ये लेखे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अन्तर्गत आते हैं।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके अपने-अपने विधान द्वारा शासित की जाती है। राज्य भाण्डागार निगम एवं राज्य वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों एवं पूरक परीक्षा सी.ए.जी. द्वारा की जाती है।

राज्य सा.क्षे.उ.(ओं) में निवेश

1.7 निम्न विवरणानुसार 28 सा.क्षे.उ. (619-ब कम्पनियों को सम्मिलित करके) में 31 मार्च 2009, को निवेश (पूंजी एवं दीर्घवधि ऋण) 20,408.28 करोड़ रूपए था।

(राशि : रूपए करोड़ में)


सा.क्षे.उ.(ओं) की किस्म	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगमों			कुल जोड़
	पूंजी	दीर्घवधि ऋण	जोड़	पूंजी	दीर्घवधि ऋण	जोड़	
कार्यरत सा.क्षे.उ.	5,746.81	14,174.77	19,921.58	191.39	255.18	446.57	20,368.15
गैर-कार्यरत सा.क्षे.उ.	23.95	16.18	40.13	-	-	-	40.13
जोड़	5,770.76	14,190.95	19,961.71	191.39	255.18	446.57	20,408.28

राज्य सा.क्षे.उ.(ओं) में सरकारी निवेश की सार-स्थिति *अनुलग्नक I* में विवरणित है।

1.8 31 मार्च 2009 को, राज्य (सा.क्षे.उ./पी.एस.यूज) में कुल निवेश का 99.80 प्रतिशत कार्यरत पी.एस.यूज में एवं बाकी 0.20 प्रतिशत गैर-कार्यरत पी.एस.यूज में था। कुल निवेश; 29.21 प्रतिशत पूंजी एवं 70.79 प्रतिशत दीर्घवधि ऋणों से बना था। जैसाकि निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है, निवेश 2003-04 में 9,441.42 करोड़ रूपए से 2008-09 में 20,408.28 करोड़ रूपए होकर 116.16 प्रतिशत बढ़ गया था।



1.9 31 मार्च 2004 और 31 मार्च 2009 के अन्त में विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में निवेश एवं उसके प्रतिशत निम्न बार चार्ट में दर्शित है।



(कोष्ठों में अंक कुल निवेश के प्रतिशत को दर्शाते हैं)

जैसा कि उपरि चार्ट से देखा जा सकता है, राज्य सरकार की पी.एस.यू.ज में मुख्य निवेश में विद्युत क्षेत्र था जो 2003-04 में 8,030.25 करोड़ रूपए से बढ़कर 2008-09 में 19,182.36 करोड़ रूपए हो गया था।


बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/परिदान, गारंटियां एवं ऋण

1.10 राज्य सरकार द्वारा राज्य पी.एस.यू.ज साम्या, ऋणों, अनुदानों/परिदानों, गारंटियों के जारी किये जाने, ऋणों के बट्टे खाते डालने, ऋणों के साम्या में परिवर्तन एवं ऋण माफी के लिये बजटीय बहिर्गमन का विवरण **अनुलग्नक 3** में दिया गया है। 2008-09 को समाप्त तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि: रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2006-07		2007-08		2008-09	
		पी.एस. यू.ज की संख्या	राशि	पी.एस. यू.ज की संख्या	राशि	पी.एस. यू.ज की संख्या	राशि
1.	बजट से साम्या पूंजी बहिर्गमन	10	789.96	11	920.97	11	951.64
2.	बजट से दिए गए ऋण	2	202.68	2	2.51	-	-
3.	अनुदानों/परिदानों की प्राप्ति	12	3,781.31	11	2,643.20	13	2,975.69
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)		4,773.95		3,566.68		3,927.33
5.	ऋणों का साम्या में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
6.	ऋण/बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-	-	-
7.	व्यय/दण्डात्मक व्यय	-	-	-	-	-	-
8.	कुल माफी (6+7)	-	-	-	-	-	-
9.	गारंटिया दी	6	342.04	4	187.10	4	524.51
10.	गारंटी वचनबद्धता	12	3,396.66	12	2,656.43	13	2,779.36

1.11 साम्या, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों की तरफ बजट बहिर्गमन का पिछले पांच वर्षों का विवरण नीचे दिये ग्राफ में दिया गया है।



राज्य सरकार द्वारा साम्या, ऋण एवं अनुदान/परिदान की ओर बजटीय बहिर्गमन 2003-04 में 1,222.29 करोड़ रूपए से 2008-09 में 3,927.33 करोड़ रूपए होकर 221.31 प्रतिशत बढ़ा।

1.12 2008-09 में प्राप्त की गई गारंटी 524.51 करोड़ रूपए थी एवं 31 मार्च 2009 को बकाया 2,779.36 करोड़ रूपए थी। 1 अगस्त 2001 से पी.एस.यू.ज द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर लिये गये सभी उधारों पर राज्य सरकार ने 2 प्रतिशत की दर से गारंटी फीस लगा दी। राज्य पी.एस.यू.ज द्वारा 2008-09 में दत्त/देय गारंटी फीस 12.41 करोड़ रूपए थी।

वित्त लेखाओं का मिलान

1.13 राज्य पी.एस.यूज के रिकार्ड अनुसार साम्या, ऋणों एवं बकाया गारंटियों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दर्शित आंकड़ों से मिलने चाहिए। आंकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित पी.एस.यूज एवं वित्त विभाग को अन्तर्गत का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2009 को इस विषय में स्थिति नीचे बताई गई है।

(रूपए करोड़ में)

से सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पी.एस.यूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
साम्या	4,783.87	4,795.56	11.70
ऋण	327.42	141.39	186.03
गारंटियां	2,779.36	2,779.36	-

1.14 लेखापरीक्षा में देखा गया कि 15 पी.एस.यूज में अन्तर घटित था और कुछ अन्तर्गत का मिलान 2003-04 से पहले से लम्बित था। अन्तर्गत का शीघ्र मिलान करने के बारे में राज्य सरकार को पत्र/विस्मारक जारी किये जा चुके हैं। एक समय सीमा-बद्ध ढंग से अन्तर्गत के मिलान के लिये सरकार एवं पी.एस.यूज को सख्त कदम उठाने चाहिए।

पी.एस.यूज का निष्पादन

1.15 पी.एस.यूज के वित्तीय परिणाम, वित्तीय स्थिति एवं परिचालन सांविधिक निगमों के परिचालन परिणाम क्रमशः *अनुलग्नक 2, 5 और 6* में निर्दिष्ट हैं। राज्य जी.डी.पी. में पी.एस.यूज टर्नओवर का प्रतिशत राज्य की अर्थव्यवस्था में पी.एस.यूज की कार्यविधियों को प्रदर्शित करता है। निम्न तालिका 2003-04 से 2008-09 तक की समयवधि के लिये कार्यचालन पी.एस.यूज टर्नओवर एवं राज्य जी.डी.पी. के विवरण को दर्शित करती है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
टर्नओवर [∞]	9,719.01	11,727.66	7,629.44	8,251.11	14,668.00	18,424.04
राज्य जी.डी.पी. [*]	82,885.00	93,804.00	1,06,732.00	1,30,033.00	1,53,087.00	1,80,494.00
टर्नओवर का राज्य जी.डी.पी. से प्रतिशत	11.73	12.50	7.15	6.35	9.58	10.21

2004-05 में मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के टर्नओवर में गिरावट के कारण पी.एस.यूज का टर्नओवर 11,727.66 करोड़ रूपए से घटकर 2005-06 में 7,629.44 करोड़ रूपए रह गया और 2004-06 में विद्युत क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के जुड़ने से 2008-09 तक 18,424.04 करोड़ रूपए तक बढ़ गया।

[∞] 2003-04 से 2008-09 का टर्नओवर 30 सितम्बर को अन्तिमकृत नवीनतम लेखाओं के अनुसार है।

^{*} 2005-06 से 2006-07 की संख्याएँ परन्तुक अनुमान, 2007-08 की संख्याएँ तीव्र अनुमान एवं 2008-09 की अग्रिम अनुमान हैं।

1.18 सी.ए.जी. के प्रतिवेदनों में इंगित की गई उपरि दलिया पी.एस.यू.ज के अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित है। वास्तविक नियन्त्रीय दलिया और अधिक होगी। उपरि तालिका दर्शाती है कि अच्छे प्रबन्धन से, नुकसानों को कम/रूँ किया जा सकता है। यदि वित्तीय रूप में स्वनिर्भर हो तो पी.एस.यू.ज अपना काम अच्छे ढंग से कर सकती है। उपरि स्थिति पी.एस.यू.ज के कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता एवं जवाबदेही को इंगित करती है।


विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	वर्ष
कार्यन पी.एस.यू.ज के निवल	(-)/260.95	(-)/486.24	(-)/1,247.39	(-)/1,994.58
लाभ/हानि (-)				
सी.ए.जी. के प्रतिवेदन के अनुसार	327.21	203.02	105.61	635.84
नियन्त्रीय दलिया				
निष्कल निवेश	113.81	6.30	12.57	132.68

(रूप करोड़ में)

1.17 कार्यन पी.एस.यू.ज की दलिया मुख्यतः वित्तीय प्रबन्धन में कमीयों, योजना, परियोजना के लागू करने उनके परिचालन एवं मानिटर करने के कारण थी। सी.ए.जी. के सबसे बाद की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि कार्यन राज्य पी.एस.यू.ज ने 635.84 करोड़ रूपए के नुकसान उठाए और 132.68 करोड़ रूपए के निष्कल निवेश किए जो अच्छे प्रबन्धन द्वारा नियंत्रित किए जा सकते थे।

वर्ष 2008-09 के दौरान, 22 कार्यन पी.एस.यू.ज में से 15 पी.एस.यू.ज ने 152.48 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया एवं छः पी.एस.यू.ज ने 1,399.87 करोड़ रूपए की हानि उठाई। 15 जनवरी 2009 की नियमित एक कम्पनी ने अपने प्रथम खाते के अन्तिमकरण नहीं किया था। हरियाणा राज्य उद्योग एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (60.70 करोड़ रूपए) और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (60.51 करोड़ रूपए) लाभ में मुख्य अंशदाता थे। मुख्य नुकसान उत्तर हरियाणा बिजल विनरग निगम लिमिटेड (1,107.54 करोड़ रूपए) एवं दक्षिण उत्तर हरियाणा बिजली विनरग निगम लिमिटेड (265.69 करोड़ रूपए) द्वारा उठाए गए।

(बोर्डों में संख्याएँ संलग्न वर्षों में कार्यन पी.एस.यू.ज की दर्शाती है)



1.16 2003-04 से 2008-09 की अवधि में राज्य कार्यन पी.एस.यू.ज द्वारा अर्जित लाभ/उठाए घाटों की नीचे एक छड़-घाटों में दिया गया है।

1.19 राज्य पी.एस.यूज से सम्बन्धी कुछ अन्य मुख्य पैरामीटर नीचे दिए गए हैं।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
पूँजी लागत पर वापसी (प्रतिशत)	9.95	9.35	1.59	2.53	2.44	-
ऋण	6,955.30	7,195.64	7,770.87	8,449.84	10,651.62	14,446.13
टर्नओवर ¹	9,719.01	11,727.66	7,629.44	8,251.11	14,668.00	18,424.04
ऋण/टर्नओवर अनुपात	0.72:1	0.61:1	1.02:1	1.02:1	0.73:1	0.78:1
ब्याज अदायगियाँ	689.51	699.48	540.48	590.94	837.23	1,200.19
संचित लाभ (हानियाँ)	(-)1,211.37	(-)1,027.67	(-)1,583.67	(-)2,022.95	(-)2,678.33	(-)4,543.71

(उपरि संख्यायें कार्यरत पी.एस.यूज के वारा-न्यारा के इलावा सभी पी.एस.यूज से सम्बन्ध रखती हैं)।

1.20 2003-04 में 6,955.30 करोड़ रूपए से बढ़कर कर्जे 2008-09 में 14,446.13 करोड़ रूपए होकर 107.70 प्रतिशत बढ़ चुके हैं। संगत समय में वारा-न्यारा भी 9,719.01 करोड़ रूपए से बढ़कर 18,424.04 करोड़ रूपए हो गया। वारे-न्यारे की 2003-04 से 2008-09 तक की बढ़ोतरी का प्रतिशत 89.57 था। वारे-न्यारे की बढ़ोतरी की तुलना में ऋणों की बढ़ोतरी अधिक तीव्रता से हुई जिसके परिणामस्वरूप लाभ पर ब्याज की अदायगियों का दबाव बढ़ा।

1.21 राज्य सरकार ने एक लाभांश पोलिसी निर्मित की थी (अक्टूबर 2003) जिसके अधीन सभी पी.एस.यूज ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई दत्त शेयर-पूँजी पर कम से कम चार प्रतिशत वापसी अदा करनी है। अन्ततः अन्तिमकृत उनके लेखों के अनुसार, 15 पी.एस.यूज ने 152.48 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित किया और किसी भी पी.एस.यूज ने लाभांश घोषित नहीं किया।

मुख्य पी.एस.यूज का निष्पादन

1.22 2008-09 के दौरान कार्यरत पी.एस.यूज में निवेश और उनके वारे-न्यारे का समेकित कुल जोड़ 38,792.19 करोड़ रूपए था। कार्यरत 22 पी.एस.यूज में से निम्न चार पी.एस.यूज ने कुल निवेश जमा वारे-न्यारे की पांच प्रतिशत से अधिक वारे-न्यारे एवं निजी निवेश का हिसाब-किताब दिया। ये चार पी.एस.यूज कुल निवेश एवं वारे-न्यारे का 93.56 प्रतिशत हिसाब-किताब वाली थी।

(रूपए करोड़ में)

पी.एस.यू का नाम	निवेश	वारा-न्यारा	योग (2) + (3)	कुल निवेश जमा वारे-न्यारे का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	7,009.14	7,040.04	14,049.18	36.22
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3,712.42	867.48	4,579.90	11.81
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	5,332.55	4,779.09	10,111.64	26.07
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	3,128.15	4,513.13	7,641.28	19.70

उपर्युक्त पी.एस.यूज के गत पांच वर्षों के कुछ मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में बताए गए हैं।

¹ 2003-04 से 2008-09 तक का टर्नओवर 30 सितम्बर तक अन्ततः अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार है।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1.23 2005-06 में कम्पनी नुकसान में थी (0.80 करोड़ रूपए) तदन्तर, 2007-08 में इसने 5.70 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया। उसी प्रकार 2005-06 में कम्पनी का वारा-न्यारा 5,161.55 करोड़ रूपए से 2007-08 में बढ़कर 7,040.04 करोड़ रूपए (36.39 प्रतिशत) हो गया। तथापि, लगाई पूंजी पर आय प्रतिशत 2005-06 में सात प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 5.93 प्रतिशत रह गया।

1.24 योजना में कमियां

- कम्पनी ने दण्ड की कड़ी शर्तों के साथ विद्युत क्रय समझौता किया और 101.48 करोड़ रूपए का अधिक व्यय किया। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007-08 का अनुच्छेद 2.3.18)

1.25 लागू करने में कमियां

- भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के वैकल्पिक प्रस्ताव का गलत मूल्यांकन करने से कम्पनी ने, ठेके के अर्थदण्ड में, 52.47 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय किया। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2005-06 का अनुच्छेद 2.1.14)
- इकाई 7 और 8 के निर्माण के लिये कम्पनी ने अधिक समय की इजाजत दे दी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण के दौरान मूल्यवृद्धि और ब्याज का 12.27 करोड़ रूपए का अधिक भार पड़ा (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2005-06 का अनुच्छेद 2.1.15)

1.26 उद्देश्यों का प्राप्त न करना

- कम्पनी द्वारा पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की इकाई 1 और 6 को प्रयोग के वास्तविक घंटों में पूर्ण पी.एल.एफ. पर न चलाने से 227.64 करोड़ रूपए के कीमत की 2,896.49 एम.यूज कम पैदा हुई। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2007-08 का अनुच्छेद 2.1.9)

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कम्पनी का वारा-न्यारा जो 2005-06 को 447.55 करोड़ रूपए था 2008-09 में 867.48 करोड़ रूपए (93.83 प्रतिशत) बढ़कर हो गया। 2005-06 के दौरान 109.92 करोड़ रूपए की हानि 2008-09 के दौरान 60.51 करोड़ रूपए के लाभ में बदल गई।

1.27 लागू करने में कमियां

- एक निजी उत्पादक से कम्पनी ने निविदा की क्षमता से अधिक उच्चतर दर पर विद्युत खरीदी जिसके परिणामस्वरूप 55.89 लाख रूपए का फालतू व्यय हुआ (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2004-05 का अनुच्छेद 3.10)

1.28 उद्देश्यों को प्राप्त न करना

- लक्ष्य तिथि के अन्दर कम्पनी 23 संचारण योजनाओं में से 12 को ही पूर्ण कर सकी और लक्षित 2,446 एम.वी.ए. की जगह 1800 एम.वी.ए. की अतिरिक्त रूपान्तर क्षमता पैदा की जा सकी। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2003-04 का अनुच्छेद 2.2.8)

1.29 वित्तीय प्रबन्ध में कमियां

- कम्पनी द्वारा जारी बाण्डों में पुट/काल विकल्प का परन्तुक न डालने से 16.41 करोड़ रूपए की परिहार्य हानि हुई। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2005-06 का अनुच्छेद 4.15)

उत्तर हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड

यद्यपि कम्पनी का वारा-न्यारा 2005-06 में 2,522.58 करोड़ रूपए से 2008-09 में बढ़कर 4,779.09 करोड़ रूपए (89.45 प्रतिशत) हो गया कम्पनी के नुकसान उसी अवधि में 285.37 करोड़ रूपए से बढ़कर 1,107.54 करोड़ रूपए हो गए।

1.30 लागू करने में कमियां

- बिजली चोरी के लिए दण्ड लगाने का परन्तुक न लागू करने से कम्पनी को 4.66 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हुई। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2005-06 का अनुच्छेद 4.13)

1.31 मॉनिटर करने में कमियां

- ट्रांसफारमरों की अधिक क्षतिग्रस्त दर के कारण, कम्पनी को 2005-06 और 2006-07 में 10.25 करोड़ रूपए की हानि हुई। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 का अनुच्छेद 2.4.36)
- नए एवं पुराने उपभोक्ताओं से कम सुरक्षाराशि वसूल करने के कारण कम्पनी ने 5.45 करोड़ रूपए के ब्याज का नुकसान उठाया। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 का अनुच्छेद 3.6)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

यद्यपि कम्पनी का वारा-न्यारा 2005-06 में 2,560.53 करोड़ रूपए से 2008-09 में 4,513.13 करोड़ रूपए (76.26 प्रतिशत) बढ़ गया फिरभी कम्पनी का 2005-06 में 18.43 करोड़ रूपए का लाभ 2008-09 में 265.69 करोड़ रूपए की हानि में बदल गया।

1.32 मॉनिटरिंग में कमियां

- हरियाणा विद्युत रैगुलेटरी आयोग के साथ शुल्क पुनावृति के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रार्थना पत्र फाईल/फाईल न करने में देरी के कारण कम्पनी 214.19 करोड़ रूपए के राजस्व अन्तर की पूर्ति नहीं कर सकी। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 का अनुच्छेद 2.3.12)
- कनेक्शनों की जांच की कमी से 149.92 करोड़ रूपए के संभाव्य राजस्व की हानि हुई। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 का अनुच्छेद 2.3.27)

1.3.3 वित्तीय प्रबन्ध में कमियां

- विलम्ब से/कम्पनी के संग्रह खाते में माफियों को जमाबद्ध न करने से कम्पनी को 1.68 करोड़ रूपए की हानि हुई। (लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2006-07 का अनुच्छेद 2.3.34)

निष्कर्ष

1.3.4 उपरि विवरण दर्शाते हैं कि इन राज्य पी.एस.यूज में से कुछेक प्रभावी रूपेण कार्य नहीं कर रही है और उनकी कुल निष्पादन में जबददस्त सुधार की गुंजाईश है। अपने उत्पादों एवं सेवाओं के कुशलता तथा लाभपूर्ण वितरण के लिए उच्चतर अंश के व्यावसायिकता धारण करने की जरूरत है। राज्य सरकार को जी.एस.यूज के लिए जवाबदेही का निष्पादन आधारित तरीका लागू करना चाहिए।

लेखाओं के अन्तिमकरण में बकाया

1.3.5 कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-ब के अधीन सम्बन्ध वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर कम्पनियों के हर साल के खाते अन्तिम हो जाने चाहिए। उसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके खाते उनके क्रमशः एक्टों के परन्तुकों के अनुसार अन्तिम, लेखापरीक्षित हैं एवं विधानसभा को प्रस्तुत किए जाते हैं। कार्यरत पी.एस.यूज के द्वारा सितम्बर 2009 तक लेखों के अन्तिमकरण के लिए की गई प्रगति का विवरण निम्न तालिका प्रदान करती है।

क्र.सं.	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	कार्यरत पी.एस.यूज की संख्या	21	21	21	21	22
2.	वर्ष में अन्तिमकृत लेखों की संख्या	20	27	22	22	23
3.	बकाया लेखों की संख्या	37	31	30	29	27
4.	प्रत्येक पी.एस.यू. अनुसार औसत बकाया (3/1)	1.76	1.48	1.43	1.38	1.27
5.	कार्यरत पी.एस.यूज जिनके लेखे बकाया हैं	19	13	14	15	12
6.	बकाया की मात्रा	1 से 7 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 6 वर्ष	1 से 5 वर्ष	1 से 5 वर्ष

1.3.6 उपरि तालिका से यह देखा गया कि कम्पनियां यद्यपि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक लेखा अन्तिम करती रही है फिर भी बकाया को पूर्णतः साफ करने के दृढ़ कदम नहीं उठाये गये। लेखों के अन्तिमकरण की देरी के लिए कम्पनियों द्वारा बताये गए मुख्य कारण हैं:

- प्रशिक्षित स्टाफ की कमी; और
- लेखा क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण नहीं होना ;

1.3.7 उपरि के अतिरिक्त, अकार्यरत पी.एस.यूज द्वारा भी लेखों के अन्तिमकरण में देरी थी। छः अकार्यरत पी.एस.यूज में से, दो परिसमापन प्रक्रिया में थी। बाकी चार अकार्यरत कम्पनियों में से, तीन पी.एस.यूज के लेखे एक से दो साल के लिये बकाया थे।

1.3.8 जैसा कि अनुलग्न 4 में विवरण दिया गया है, राज्य सरकार वर्ष के अन्दर 10 पी.एस.यूज जिनके लेखाओं का अन्तिमकरण नहीं हुआ है में 561.23 करोड़ रूपए लगा चुकी

थी (साम्या: 496.07 करोड़ रूपए, अनुदान 37.16 करोड़ रूपए और अन्य 28.00 करोड़ रूपए)। लेखों की एवं उनके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति में यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि क्या निवेश एवं किया गया खर्चा ठीक ढंग से लेखाबद्ध कर लिया गया था, पी.एस.यूज में सरकार का निवेश राज्य विधायिका की संवीक्षा से बाहर है। तदन्तर, कम्पनी एक्ट 1956 के परन्तुकों की उल्लंघना के अतिरिक्त लेखों के अन्तिमकरण में देरी, लोक धन के धोखा धड़ी एवं रिसाव के खतरे में भी परिणित हो सकती है।

1.39 प्रशासनिक विभाग इन सत्ताओं की कार्यविधि के निरीक्षण एवं यह तसल्ली करने कि इन पी.एस.यूज के लेखा निर्धारित अवधि में अन्तिम एवं स्वीकृत किए जाते हैं की जिम्मेवारी रखता है। यद्यपि सम्बद्ध प्रशासकीय विभागों एवं सरकार के कर्मचारियों को लेखों के अन्तिमकरण के बकाया के बारे प्रत्येक तिमाही में लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किया गया फिरभी कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप इन पी.एस.यूज का निविल महत्व लेखापरीक्षा के समय नहीं आंका जा सका। लेखा में पुराने बकाया को एक समयबद्ध ढंग से शीघ्र निपटाने के लिए बकाया का मामला मुख्य सचिव के साथ भी उठाया गया (जुलाई 2009)। लेखों की निकासी के लिए प्रबन्धन एवं साविधिक लेखापरीक्षकों के साथ भी मीटिंग की गई (अगस्त 2009)।

1.40 बकाया की उपरि स्थिति को मध्यनजर रखते हुए, यह सिफारिश की जाती है कि:

- बकाया की निकासी के लिए सरकार एक सैल बना सकती है और प्रत्येक कम्पनी के लिए ध्येय निश्चित कर सकती है, जिसकी मॉनिटरिंग सैल द्वारा की जायेगी।
- जहां स्टाफ कम है अथवा निपुण नहीं है वहां सरकार लेखों की तैयारी सम्बन्धी काम को बाह्य स्रोत से कराने का सोच सकती है।

अकार्यरत पी.एस.यूज का बन्द करना

1.41 31 मार्च 2009 को छः अकार्यरत पी.एस.यूज (सभी कम्पनियां) थी। इन में से दो पी.एस.यूज* परिसमापन/बन्द होने के अधीन है। पिछले पांच वर्ष में, प्रत्येक वर्ष के अन्त में बन्द होने वाली अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है।

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	7	7	7	6	6
योग	7	7	7	6	6

आकार्यरत पी.एस.यूज को बन्द कर देने की जरूरत है क्योंकि उनके रहने से कोई फायदा नहीं। 2008-09 के दौरान, तीन अकार्यरत पी.एस.यूज का स्थापना पर 0.62 करोड़ रूपए खर्च हुआ। इन पी.एस.यूज की परिसम्पति के विक्रय (0.42 करोड़ रूपए) और अन्य स्रोतों से (0.20 करोड़ रूपए) से खर्चा वित्तपोषित हुआ।

* हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड और हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड।

1.42 अकार्यरत पी.एस.यूज के बन्द होने की अवस्थाएं नीचे दी गई हैं।

क्र.सं.	विवरण	कम्पनियां	सांविधिक निगमों	योग
1.	कुल अकार्यरत पी.एस.यूज	6	-	6
2.	उपरि (1), में से निम्न संख्या			
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापनकर्ता नियुक्त)	-	-	-
(ब)	स्वयं से बन्द करना (परिसमापनकर्ता नियुक्त)	-	-	-
(स)	बन्द करना अर्थात् बन्द करने के आदेश/निर्देश जारी परन्तु बन्द करने की प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं हुई	2	-	2

1.43 कम्पनी एक्ट के अधीन स्वयं बन्द करने की प्रक्रियाएं बहुत तीव्र है और जोरदार ढंग से अपनाए जाने की जरूरत है। चार अकार्यरत पी.एस.यूज, जिनके अकार्यरत होने के बाद उनको जारी रखने अथवा अन्यथा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, को बन्द करने का सरकार निर्णय ले सकती है। सरकार अपनी अकार्यरत पी.एस.यूज को बन्द करने के लिए एक सैल बनाने के बारे में विचार कर सकती है।

लेखा टिप्पणियां और आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.44 वर्ष 2008-09 के दौरान 18 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 21 लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार, हरियाणा (पी.ए.जी.) को अग्रेषित किए। इन में से 20 को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सी.ए.जी. की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखों के रखरखाव की गुणवत्ता को काफी सुधारने की जरूरत है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सी.ए.जी. टिप्पणियों के कुल धन कीमत के विवरण नीचे दिए गए हैं।

(राशि: रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2006-07		2007-08		2008-09	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	17.05	8	91.85	7	133.25
2.	हानि का बढ़ना	4	18.24	5	781.46	3	441.69
3.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	2	2.28	4	129.43	4	30.05
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	4	339.49	5	414.29	1	41.42
	योग		377.06		1,417.03		646.41

टिप्पणियों के धनमहत्त्व का लेखापरीक्षित लेखों की संख्या के साथ विश्लेषण करने से पता चला कि अन्तिमकृत प्रत्येक लेखा की टिप्पणियों का धनमहत्त्व, 17.95 करोड़ रूपए (2006-07) से बढ़कर 28.10 करोड़ रूपए (2008-09) हो गया।

1.45 वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 21 लेखों के साक्षेप प्रमाणपत्र प्रदान किये। कम्पनियों की लेखा मानकों (ए.एस.) की अनुपालना हल्की रही क्योंकि वर्ष के दौरान 21 लेखों में ए.एस. से अनुपालना न करने के 30 उद्घाहरण थे।

1.46 कम्पनियों के लेखों के बारे में मुख्य टिप्पणियों में से कुछेक को नीचे दिया गया है।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2008-09)

- सरचार्ज से प्राप्त आय की लेखा पॉलिसी को बदलने के कारण हानि को 336.11 करोड़ रूपए कम बताया गया।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2007-08)

- उपभोक्ताओं की सुरक्षा राशि पर कम ब्याज के परन्तुक के कारण हानि को 20.56 करोड़ रूपए कम बताया गया।
- स्थगित परिदान को वसूल न करने से हानि को 15.05 करोड़ रूपए कम बताया गया क्योंकि राज्य सरकार ने परिदान को जारी करने के लिये कोई वादा नहीं किया।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (2007-08)

- लाभ हानि खाते में ग्रामीण विद्युतीकरण परिदान पर उपार्जित अकरयूड ब्याज के न डालने से हानि को 83.77 करोड़ रूपए कम बताया गया।
- लेखाधारी इकाईयों द्वारा परिव्यक्त परिसम्पत्तियों को कम्पनी के भण्डार संगठन को स्थानान्तरण करने से उनकी वास्तविक बिक्री के बिना लाभ को उनके खाते में लेखाबद्ध करने से हानि को 10.01 करोड़ रूपए कम बताया गया।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2007-08)

- वर्ष के दौरान किये 52.43 करोड़ रूपए के परिवर्धनों पर मूल्यहास की पूर्वयोजना न करने के परिणामस्वरूप उस मात्रा तक अधिक लाभ बताया गया।
- वेतन संशोधन के कारण बढ़ी देनदारियों को पूर्वयोजित न करने से लाभ को 35.63 करोड़ रूपए अधिक बताया गया।
- 2004-05 तक उत्पन्न मिल-परित्यक्त कोयले के मूल्यांकन से, जो कम्पनी की लेखापॉलिसी एवं लेखा मानक से असंगत था, 4.30 करोड़ रूपए की एकत्र हानि को कम बताया गया।
- ईंधन सप्लाई समझौते की समाप्ति के बाद दावे को मान्य करने से लाभ को 1.62 करोड़ रूपए अधिक बताया गया।

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2007-08)

- बन्द सहायक कम्पनी* की तरफ से की गई अदायगी का पूर्व आयोजन न करने से लाभ को 10.40 करोड़ रूपए अधिक दिखाया गया।
- 3.92 करोड़ रूपए के सदेहास्पद निवेश का पूर्वयोजन न करने के परिणामस्वरूप लाभ एवं निवेश को उस हद तक अधिक बताया गया।

हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड (2008-09)

- वेतन संशोधन के कारण बकायों का पूर्वयोजन न करने के कारण लाभ को 2.16 करोड़ रूपए अधिक बताया गया।

* हरियाणा कन्कास्ट लिमिटेड।

**हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड
(2003 - 04)**

- दण्डित ब्याज (2.30 करोड़ रूपए), चक्रवर्ती ब्याज (0.10 करोड़ रूपए) और सदेहपूर्ण ऋण (0.39 करोड़ रूपए) का पूर्वयोजन न करने के कारण हानि को 2.79 करोड़ रूपए कम बताया गया।

1.47 उसी प्रकार, वर्ष 2008-09 में दो कार्यरत साविधिक निगमों ने अपने (दो) लेखे पी.ए.जी. को भेजे। उनके लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिये चुन लिये गये। साविधिक लेखापरीक्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सी.ए.जी. की पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखा रख-रखाव की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने की जरूरत थी।

(राशि: रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2006-07		2007-08		2008-09	
		लेखे की संख्या	राशि	लेखे की संख्या	राशि	लेखे की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	4.82	2	41.37	1	2.77
2.	आर्थिक तथ्यों का खुलासा न करना	-	-	2	70.36	1	2.60
3.	वर्गीकरण की गलतियां	1	15.00	-	-	-	-
	योग		19.82		111.73		5.37

1.48 अक्टूबर 2008 से सितम्बर 2009 के वर्ष में, साविधिक लेखापरीक्षाओं ने दो लेखाओं पर अर्हता प्रमाण-पत्र दिये। दो लेखों में ए.एस. के साथ अवमानना के नौ उदाहरण थे।

1.49 साविधिक निगमों के लेखाओं की आवश्यक टिप्पणियों में से कुछेक नीचे दी गई हैं।

हरियाणा वित्त निगम (2007 - 08)

- आमदनी में पिछले वर्ष के छोड़े गए कर बकायों को सम्मिलित करने से कर के बाद लाभ को 15 करोड़ रूपए अधिक बताया गया।
- हानि परिसम्पत्तियां एवं सदेहपूर्ण परिसंपत्तियों में 0.53 करोड़ रूपए के कम पूर्वयोजन के कारण ऋण एवं अग्रिमों तथा उस मात्रा तक लाभ को अधिक बताया गया।

हरियाणा भाण्डागार निगम (2008 - 09)

- मूल्यह्रास की दर में परिवर्तन के कारण लाभ को 2.77 करोड़ रूपए अधिक बताया गया।

1.50 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(अ) के अन्तर्गत उनको, सी.ए.जी. द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित कम्पनियों में साविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को आन्तरिक नियंत्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां सुधार की जरूरत है। 2004-05 वर्ष के लिए एक कम्पनी*, 2006-07 वर्ष के लिए एक कम्पनी[†] और वर्ष 2007-08 के लिए तीन कम्पनियों[‡] और 2008-09 के लिए

* क्रमांक ए-4 अनुलग्नक-2 में।

† क्रमांक ए-11 अनुलग्नक-2 में।

‡ क्रमांक ए-11, 12 और 14 अनुलग्नक-2 में।

दो कम्पनियों⁷ के विषय में आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पद्धति में संभव सुधार के साविधिक लेखापरीक्षकों की मुख्य टिप्पणियों का एक उदाहरणात्मक सार नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	साविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी टिप्पणियों की प्रकार	कम्पनियों की संख्या जहां सिफारिशें की गईं	अनुलग्नक-2 के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	स्टोर एवं स्पेयरज की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	2	ए11, ए14
2.	कम्पनी की प्रकृति व्यापार के आकार अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अभाव	3	ए11, ए12, ए14
3.	लागत अभिलेखों का न बनाना	1	ए14
4.	मात्रा विवरण, पहचान संख्या, प्राप्ति की तिथि, परिसम्पत्तियों की मूल्य द्वारा के बाद कीमत एवं उनकी स्थान आदि को शामिल करते हुए उनके पूरे विवरण को दिखाने वाले रिकार्ड	2	ए4, A11
5.	माल के क्रय पर आन्तरिक नियंत्रण की कमी	1	ए14
6.	आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति का विद्यमान न होना	1	ए11
7.	ठेकेदारों को दिए गए अधिमों के समायोजन एवं मानिट्रिंग के लिए तत्पर पद्धति का अभाव	1	ए11

लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियां

1.51 2008-09 में लेखापरीक्षा के दौरान 0.18 करोड़ रूपए की वसूलियां विभिन्न पी.एस.यूज के प्रबन्धन को बताई गईं, जिन्हें पी.एस.यूज द्वारा स्वीकार कर लिया गया एवं वर्ष 2008-09 में वसूल कर लिया गया।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

1.52 निम्नलिखित तालिका सरकार द्वारा विधानसभा में सी.ए.जी. द्वारा साविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एस.ए.आर.ज) के प्रस्तुतिकरण की स्थिति को दर्शाती है:

क्र.सं.	साविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक एस.ए. आर विधान सभा में प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके लिए एस.ए.आर.ज विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किए गए		
			एस.ए.आर का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधानसभा में प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के कारण
1.	हरियाणा विन्तीय निगम	2007-08	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	हरियाणा भाण्डागार निगम	2006-07	2007-08	प्रक्रियाधीन	-

पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

1.53 राज्य सरकार ने 2008-09 के दौरान अपने किसी भी पी.एस.यूज के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन का कार्य नहीं किया।

⁷ क्रमांक ए-12 और ए-14 अनुलग्नक-2 में।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1.54 राज्य में हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम, 1997 (अधिनियम) के अन्तर्गत 17 अगस्त 1998 को निर्मित हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) विद्यमान है जिसका ध्येय बिजली दर सूची को तर्कसंगत बनाना, राज्य में इली उत्पादन, संचारण एवं वितरण से सम्बन्धित मामलों में परामर्श देना तथा लाईसेंस जारी करना है। 2008-09 के दौरान, एच.ई.आर.सी. ने 11 आदेश (वार्षिक राजस्व अपेक्षाओं पर 5 और अन्य पर तीन) जारी किये।

1.55 समझौते के ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर 13 फरवरी 2001 विद्युत के केन्द्रीय मन्त्रालय तथा राज्य सरकार के बीच विद्युत क्षेत्र में मीलपत्थरों के साथ सुक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त वचनबद्धता के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे। व्य मीलपत्थरों के विषय में अभी तक प्राप्त प्रगति को नीचे बताया गया है।

क्र.सं.	मीलपत्थर	लक्षित पूर्ण सारणी	स्थिति (31 मार्च 2009 को)
	राज्य सरकार द्वारा की वचनबद्धता		
1.	संचारण एवं वितरण हानियों में 2007-08 तक 15.50 प्रतिशत की कमी	-	2008-09 के लिए टी.डी. हानियां 28.06 प्रतिशत थी
2.	सभी वितरण दायकों का शत प्रतिशत मीटरीकरण	31 मार्च 2001	वितरण दायकों का मीटरीकरण पूरा हो है।
3.	सभी उपभोक्ताओं का 100 प्रतिशत मीटरीकरण	31 दिसम्बर 2001	उपभोक्ताओं का मीटरीकरण पूरा हो चुका है।
4.	हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.)		
(अ)	एच.ई.आर.सी. की स्थापना	-	17 अगस्त 1998 में स्थापित हो चुका है।
(ब)	2005-06 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा जारी शुल्क आदेशों को लागू करना	-	किया गया
	सामान्य		
5	एम.ओ.यू. की मानीटरिंग	त्रैमासिक	तार मॉनीटरिंग की जा रही है।

कोपु द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.56 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में प्रकट समीक्षा तथा अनुच्छेदों तथा जिन पर लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा चर्चा की गई थी, की सितम्बर 2009 को स्थिति निम्नानुसार है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षाओं/अनुच्छेदों वर्य्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	समीक्षाएं	अनुच्छेद	क्षमाएं	अनुच्छेद
2005-06	2	22	2	6
2006-07	4	20	-	-
2007-08	4	22	-	-
योग	10	64	2	6

1.57 अप्रैल 2009 में समीक्षाओं/अनुच्छेदों के पुराने बव के निपटान सम्बन्धी मामला वित्त सचिव एवं कोपु के अध्यक्ष के साथ भी चर्चित किया गया।

अध्याय II

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन समीक्षाएं

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

2.1 दीनबन्धु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र यमुनानगर के यूनिट I एवं II का निर्माण एवं परिचालन

कार्यकारी सार

16वें भारत विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार, हरियाणा में अधिकतम बिजली मांग की वृद्धि 3077 मै.वा. (2000-01) से 4,203 मै.वा. (2004-05) तक पक्षर्पित की गई थी। इसके विरुद्ध कम्पनी की 2001-02 में उत्पादन क्षमता 1,040.50 मै.वा. थी। कम्पनी ने 600 मै.वा. दीनबन्धु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र यमुनानगर में और 500 मै.वा. पानीपत ताप बिजली स्टेशन पानीपत में स्थापित की और अपनी उत्पादन क्षमता 2,140.50 मै.वा. तक बढ़ाई। दीनबन्धु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र, यमुनानगर की यूनिट I और II (प्रत्येक 300 मै.वा.) के निर्माण और परिचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, परियोजना आयोजना में मितव्ययिता और दक्षता और चालू की गई यूनिटों के कार्यान्वयन और निष्पादन को विचारित मानकों के विरुद्ध निर्धारित करने के लिए संचालित की।

परियोजना आयोजना और सविदा

राज्य सरकार ने जुलाई 2002 में परियोजना अनुमोदित की। आरम्भ में बी.एच.ई.एल. से प्रस्तावित मूल्य को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया गया। परन्तु बाद में परियोजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली लगाकर के (आई.सी.बी.) भारत सरकार द्वारा जनवरी 2004 में अनुमोदित किया गया। इस आधार के बदलने से परियोजना के प्रारम्भ करने में देरी हुई जिससे बचा जा सकता था यदि आई.सी.बी. मार्ग आरम्भ में ही अपनाया जाता। परियोजना सितम्बर 2004 में रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड (आर.ई.एल.) को दे दी गई जबकि यह नियमित टर्नकी प्रबंधन और सविदा एजेंसी नहीं थी।

परियोजना का निष्पादन

लागत और समय अत्यधिक बढ़ गया था। परियोजना पर व्यय 2,338 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत के विरुद्ध मार्च 2009 को 2,501.80 करोड़ रूपए हुआ। 163.8 करोड़ रूपए की अत्यधिक लागत मुख्यतः भूमि की लागत में वृद्धि, उच्चतर ब्याज और चालू करने पर ईंधन की अधिक खपत के कारण थी। सविदा में उचित क्लॉज

के अभाव में आर.ई.एल. से चालू परीक्षण के दौरान 48.90 करोड़ रूपए के ईंधन की निवल अधिक खपत की वसूली नहीं की जा सकी। मार्च 2007 और जून 2007 में चालू करनी नियत की गई यूनिटों ने वास्तव में क्रमशः अप्रैल 2008 और जून 2008 से वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के अच्छे प्रबन्ध से कम्पनी 21.62 करोड़ रूपए और बचा सकती थी। निष्पादन में अन्य त्रुटियां थी जैसे मिल अस्वीकार कोयला संचालन पद्धति की अपर्याप्त क्षमता, सूखी उड़ी राख संग्रहण पद्धति के देरी से चालू करने और कम्प्यूटरीकृत अनुरक्षण के समापन में और माल सूची प्रबन्ध पद्धति में देरी थी। परियोजना की मानीटरिंग में भी कमी पाई गई थी।

यूनिटों का निष्पादन

एच.ई.आर.सी. अनुमोदित (अनन्तिम) 2.91 रूपए प्रति यूनिट की शुल्क दर के विरुद्ध उत्पादन की लागत यूनिट-I के लिए 3.19 रूपए प्रति यूनिट और यूनिट-II के लिए 3.07 रूपए प्रति यूनिट थी। आर.ई.एल. द्वारा गारंटीड प्राचलों की तुलना में उत्पादन की उच्च लागत निवेशों (कोयला, ईंधन, तेल, पूरक खपत) की अधिक खपत के कारण थी और 80 प्रतिशत के मानक के विरुद्ध, निम्न संयंत्र भार घटक लगभग 69 प्रतिशत था। उच्च उत्पादन लागत के परिणामस्वरूप अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान 67.46 करोड़ रूपए की हानि हुई।

निष्कर्ष और अनुशंसाएं

समय पर चालू करने से, कम्पनी 4,280 मै.यूज और उत्पन्न करने योग्य हो सकती थी। 80 प्रतिशत पी.एल.एफ. प्राप्त करने से भी 499 मै.यूज अतिरिक्त उत्पादन हो सकता था। यह उच्च लागत बिजली क्रय पर राज्य की निर्भरता को घटा सकता था। समीक्षा में छः अनुशंसाएं अन्तर्विष्ट हैं जिसमें पी.एल.एफ. को बढ़ाना और निवेशों की खपत को घटाना सम्मिलित है।

प्रस्तावना

2.1.1 हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने दो ताप बिजली यूनिटें प्रत्येक 300 मे.वा. की यमुनानगर में प्रतिष्ठापित की जिसने क्रमशः 14 अप्रैल और 24 जून 2008 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया था। परियोजना का नाम डी.सी.आर.टी.पी.पी.* रखा गया था।

परियोजना के निर्माण और परिचालन से संबंधित संगठनात्मक ढांचा नीचे दिया गया है:



सातवीं पंच वर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र के भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन की गत समीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)-हरियाणा सरकार में की गई थी। लोक उपक्रम समिति की यमुनानगर में ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने से संबंधित अनुशंसाएं विधान सभा को फरवरी 2004 में प्रस्तुत की गई 51 रिपोर्ट में सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.1.2 जनवरी-मार्च 2009 के दौरान, की गई समीक्षा, परियोजना आयोजना, सविदाओं को देना, परियोजना का निष्पादन, यूनिटों के चालूकरण तथा परिचालन को आवृत्त करती है। मुख्य अभियन्ता (आयोजना), मुख्य अभियन्ता (परियोजनाएं) के कार्यालय के रिकार्ड की मुख्यालय पर और मुख्य अभियन्ता (डी.सी.आर.टी.पी.पी.) की परियोजना स्थल पर 2004-09 की अवधि के लिये जांच की गई थी।

* दीनबन्धु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 समीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- दक्षता और मितव्ययिता को ध्यान में रखकर परियोजना आयोजना और संविदा दी गई थी;
- परियोजना का निष्पादन इतना व्यवस्थित था कि समय सारणी के भीतर शुरू हो सके;
- उत्पादन इकाइयों का निष्पादन संविदा में विचारित मानक के अनुकूल था;
- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा शुल्कदर नियत करते समय अनुमोदित प्रतिमानकों के अनुसार उत्पादन की वास्तविक लागत थी; और
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.1.4 निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदण्ड उठाए गए थे:

- संविदा देने हेतु मितव्ययिता, दक्षता, और प्रभावित के सिद्धान्तों के संदर्भ में मान पद्धति अपनाई गई थी;
- परियोजना के आयोजना और कार्यान्वयन से संबंधित भारत सरकार/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.)/राज्य सरकार के प्रतिमानकों/दिशानिर्देश;
- संविदा के निबन्धन और शर्तों और कम्पनी के वित्तीय हित की सुरक्षा करना;
- संविदा में विचारित और एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत यूनिटों के निष्पादन हेतु प्रतिमान; और
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियम एवं विनियम।

लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली

2.1.5 लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कार्य प्रणालियों का अनुसरण किया:

- परियोजना प्रतिवेदन, ऋण दस्तावेज, निदेशक बोर्ड की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त का विश्लेषण;
- कार्य देने हेतु निविदाओं/बोली दस्तावेजों की और ठेकेदार को किए गए भुगतान की संवीक्षा;
- विद्युत उत्पादन हेतु विभिन्न निवेशों की खपत से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण;

- प्रदूषण नियंत्रण उपायों का मूल्यांकन; और
- कम्पनी के कार्मिकों के साथ चर्चा और अन्योन्यक्रिया।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.6 लेखापरीक्षा परिणाम सरकार/प्रबन्धन को जून 2009 में प्रतिवेदित किए गए थे तथा 04 सितम्बर 2009 को हुए अंतिम संभाषण में चर्चित किए गए थे, जिसमें कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक उपस्थित थे। समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय प्रबन्धन के विचार ध्यान में रखे गये थे। लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

परियोजना आयोजना

2.1.7 मार्च 2007 को समाप्त दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य में बिजली की आवश्यकता 3007 मै.वा. की उपलब्धता के विरुद्ध 4899 मै.वा. थी। कम्पनी को राज्य में बिजली की बढ़ती मांग से कदम मिलाने के लिए नये उत्पादन स्टेशन को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कम्पनी ने 2008-09 में यमुनानगर में 600 मे.वा. ताप संयंत्र स्थापित करके 2140.50 मै.वा. (2008-09) तक उत्पादन क्षमता बढ़ाई। 500 मै.वा. हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (अक्टूबर 2002) के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 1910.73 करोड़ रूपए (कीमत 3.82 करोड़ रूपए प्रति मे.वा.) थी। 600 मै.वा. हेतु सविदा देते समय (सितम्बर 2004) यह 2,338 करोड़ रूपए (कीमत 3.90 करोड़ रूपए प्रति मै. वा.) थी, जिसमें रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड (आर.ई.एल.) का कार्य क्षेत्र 2,097 करोड़ रूपए और कम्पनी का 241 करोड़ रूपए निर्माण (आई.डी.सी) के दौरान ब्याज सम्मिलित करके था। मार्च 2009 तक परियोजना पर वास्तविक व्यय 2501 करोड़ रूपए (कीमत 4.17 करोड़ रूपए प्रति मै.वा.) था।

परियोजना के अनुमोदन और निविदा के अन्तिमीकरण में अनुचित देरी

2.1.8 ताप परियोजना यमुनानगर में प्रत्येक 210 मै.वा. की दो यूनिटों सहित को सितम्बर 1984 के दौरान आयोजना आयोग द्वारा प्रारम्भ में संस्वीकृत किया गया था जिसे 1988-89 के अन्त तक पूरा करना था। उस समय हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (बोर्ड) से एन.टी.पी.सी. को परियोजना के निष्पादन में कार्यनीति बदलने और निष्पादन हेतु उस समय गलत निजी पार्टी का चयन करने के कारण परियोजना आरम्भ नहीं हो सकी थी जिस पर बोर्ड ने 38.57 करोड़ रूपए का व्यय भूमि के क्रय पर और कालोनी के अनुरक्षण पर किया था। कोपू (51 प्रतिवेदन) की टिप्पणी पर, राज्य सरकार ने बताया कि स्टाफ कालोनी, परियोजना के रुके होने के कारण उपयोग में नहीं लाई जा सकी, बाद में उपयोग में लाई जाएगी। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने तथापि, कम्पनी द्वारा संकेत करने पर कालोनी घरों के पुनःस्थापना हेतु न जाने की अनुशंसा की (मई 2007) क्योंकि इससे नए निर्माण की तुलना में पुनःस्थापना कार्य की भारी लागत और कम सुरक्षा शामिल होगी। ये घर उनकी अनुपयुक्तता के कारण अनाधिकृत रहे परिणामतः कालोनी के निर्माण पर व्ययित 4.59 करोड़ रूपए व्यर्थ हो गये।

कम्पनी ने राज्य सरकार को 500-600 मै.वा. की अन्य द्वारा प्रत्येक 250/300 मै.वा. की दो यूनिटें (यूनिट I और II) यमुनानगर में प्रतिष्ठापित करके राज्य सैक्टर यूनिटों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित (अगस्त 2001) किया। परियोजना दसवीं योजना अवधि (2002-07) में

कार्यान्वित करनी प्रस्तावित की गई थी। राज्य सरकार ने जुलाई 2002 में 500 मै.वा. (प्रत्येक 250 मै.वा. की दो यूनिटें) कोयला आधारित संयंत्र स्थापित करने का अनुमोदन दिया और इक्विटी के रूप में परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अंशदान देने की सहमति दी (अक्टूबर 2002)। शेष 80 प्रतिशत विद्युत वित्त निगम (पी.एफ.सी.) द्वारा निधिबद्ध होना था। भारत सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली मार्ग (आई.सी.बी.) अपनाने के दिशानिर्देश जारी किए (1995)। चूंकि आई.सी.बी. मार्ग के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में लगभग एक वर्ष लगता है, निदेशक बोर्ड (बोर्ड) ने परियोजना को शीघ्र लागू करने के विचार से राज्य सरकार के अनुमोदन से भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) से टर्नकी कार्यक्षेत्र के साथ-साथ उनके मालिकाना पैकेजिज (भाप जनरेटर एवं टर्बो जनरेटर और उनके पूरक पैकेजिज) के लिये प्रस्तावित मूल्य सुरक्षित रखने को अनुमोदित किया (नवम्बर 2002)। तदनुसार, बी.एच.ई.एल. को टर्नकी कार्यक्षेत्र के साथ-साथ उनके मालिकाना पैकेज के लिए दो पृथक स्वतः पूर्ण स्वतन्त्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (नवम्बर 2002)। बी.एच.ई.एल. ने मई 2003 में अपना तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब बी.एच.ई.एल. का तकनीकी प्रस्ताव मूल्यांकनाधीन था, तो कुछ कम्पनियों* ने मुख्य मंत्री को इस परियोजना हेतु बोली प्रस्तुत करने के लिए अपनी रुचि दिखाई। तदनुसार, कम्पनी ने आई.सी.बी. मार्ग के माध्यम से परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिये प्रस्ताव प्रारम्भ किया (दिसम्बर 2003) और राज्य सरकार द्वारा 250 मै.वा. से 250+20 प्रतिशत मै.वा. तक की प्रत्येक दो यूनिटों को संरूपण करने के साथ प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था (जनवरी 2004)। नोटिस आमत्रित निविदा (एन.आई.टी.) 20 मई 2004 को शुरू की गई थी और बी.एच.ई.एल. और आर.ई.एल. से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। निविदा, टर्नकी आधार पर आर.ई.एल. को एक इंजीनियरी, प्रापण और निर्माण (ई.पी.सी.) ठेकेदार सबसे निम्नतम मूल्यांकित बोलीदाता होने पर सितम्बर 2004 में दे दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबद्धवार्त्ता भी समय लेता है और यह आई.सी.बी. मार्ग जो लगभग एक वर्ष लेता है, की तुलना में अधिक समय की बचत नहीं करता। तथापि, अनुबद्धवार्त्ता मार्ग 'प्रतियोगी' पहलू पर समझौता करता है और सही मूल्य और उत्पादन प्राप्त नहीं किये जा सकते। निविदा करने का ढंग बदलने के कारण 14 महीनों (नवम्बर 2002 से दिसम्बर 2003) की समग्र देरी के परिणामस्वरूप इन यूनिटों से विद्युत की उपलब्धता में देरी हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि कम्पनी ने निविदा करने के दोनों मार्गों यथा अनुबन्धवार्त्ता और आई.सी.बी. मार्ग द्वारा ताप संयंत्र को न्यूनतम समय में स्थापित करने के बेहतर प्रयत्न खोजे थे और इस अवधि के दौरान कम्पनी, विभिन्न एजेंसियों से विभिन्न सांविधिक अनापत्तियां प्राप्त कर रही थी। उत्तर युक्ति संगत नहीं है क्योंकि कम्पनी को प्रारम्भ से ही आई.सी.बी. मार्ग हेतु जाना चाहिए था जो कि भारत सरकार की दिशानिर्देशों के अनुसार और साथ-साथ निविदा का व्यापक स्वीकार्य ढंग था।

* रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड, नोएडा, शंघाई इलैक्ट्रीकल कम्पनी, चीन, स्कोडा निर्यात कंपनी लिमिटेड, चैक रिपब्लिक।

सविदा देना

2.1.9 कम्पनी ने आर.ई.एल. को 2,097 करोड़ रूपए (1,572 करोड़ रूपए मशीनरी एवं उपस्करों की आपूर्ति हेतु और 525 करोड़ रूपए सिविल कार्यों और स्थापन, परीक्षण और चालू करने के लिए) के फर्म[#] सविदा मूल्य पर टर्न की आधार पर यूनिट-I और II के लिए क्रमशः 30 और 33 महीनों के चालूकरण समय के साथ आशय पत्र दिया (30 सितम्बर 2004)। उपरोक्त आशय पत्र के विरुद्ध नवम्बर 2005 में नियमित क्रय आदेश और कार्य आदेश दे दिया था और सविदाएं मार्च 2006 में हस्ताक्षरित की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा सविदा को देने में पाई गई त्रुटियों को अनुवर्ती पैरों में चर्चित किया गया है।

आर.ई.एल. को अनुचित पक्षपात

2.1.10 कम्पनी ने ई.पी.सी. आधार पर संयंत्र की स्थापना करने हेतु आई.सी.बी. आधार पर बोलियां आमंत्रित की (मई 2004)। बोलीदाता, जो नियमित टर्नकी प्रबन्धक और सविदा एजेंसी हो जिसने 210 मे.वा. या उच्चतर श्रेणी की कम से कम दो यूनिटों के लिए ई.पी.सी. आधार पर कोयला प्रज्वलित ताप बिजली संयंत्र निष्पादित किया हो, बोली करने का पात्र होगा। ऐसे मामले में बोलीदाता को 250 मे.वा. या उच्चतर श्रेणी के कम से कम दो सैटों के स्टीम जनरेटर (एस.जी.) और स्टीम टर्बो जनरेटर (एस.टी.जी.) के विनिर्माता से सहयुक्त/सहयोग रखना चाहिए और इस परियोजना हेतु उसके और एस.जी. और एस.टी.जी. के विनिर्माता द्वारा ताप बिजली संयंत्र सहित एस.जी.एस.टी.जी. और सहयोगी पूरक उपस्करों के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए संयुक्तरूप से निष्पादित अनुबन्ध की प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए थी। बोलीदाता को इन यूनिटों के चालू होने से वार्षिक संयंत्र उपलब्धता और प्राप्त संयंत्र भार घटक भी प्रस्तुत करने चाहिए थे।

कम्पनी ने इस परियोजना हेतु दो बोलियां, बी.एच.ई.एल. और अन्य आर.ई.एल. से प्राप्त की और आर.ई.एल. को निम्नतम मूल्यांकित बोलीदाता होने पर सविदा दे दिया। आर.ई.एल. ने ई.पी.सी. ठेकेदार के रूप में, परियोजना के निष्पादन हेतु एस.जी. और एस.टी. जी के विनिर्माता डोगफेंग इलैक्ट्रिक कारपोरेशन, चाइना (डी.ई.सी.) के साथ अनुबन्ध करने के बाद बोली प्रस्तुत की (जुलाई 2004)। ई.पी.सी. ठेकेदार के रूप में दावे के समर्थन में, आर.ई.एल. ने बताया कि उन्होंने 1991-95 में महाराष्ट्र में 2 x 250 मे.वा. धानू ताप विद्युत परियोजना (डी.टी.पी.पी.) निष्पादित की थी, और तब यह बी.एस.ई.एस. लिमिटेड के रूप में जानी जाती थी और संयंत्र उपलब्धता और पी.एल.एफ. के लिए प्रमाण पत्र 1995-96 में इसके चालू होने से 2003-04 तक प्रस्तुत किया। कम्पनी ने बोलीदाओं की तकनीकी योग्यताओं की पड़ताल करते समय आर.ई.एल. को तकनीकी रूप से योग्य ई.पी.सी. ठेकेदार के रूप में माना।

मूल्य जो सविदा के निष्पादन के दौरान निश्चित रहेंगे।

कम्पनी ने आर.ई.एल. को इसे तकनीकी रूप से योग्य ई.पी.सी. ठेकेदार स्वीकार कर के अनुचित पक्षपात को बढ़ाया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आर.ई.एल. (पहले बी.एस.ई.एस. लिमिटेड के रूप में जानी जाती, एक विद्युत वितरण कम्पनी) ने विद्युत वितरण हेतु इसके मालिक के रूप में 1991-95 में बहुत पहले डी.टी.पी.पी. निष्पादित की थी। परियोजना, वास्तव में कम्पनी के उत्पादन मण्डल द्वारा प्रतियोगी बोली आधार पर विखंडित पैकेज मार्ग को अपनाकर निष्पादित की गई थी और बी.एच.ई.एल. ने मुख्य संयंत्र पैकेज आपूरित किए थे और उसके बाद कोई कोयला आधारित विद्युत परियोजना निष्पादित नहीं की गई थी। आर.ई.एल. द्वारा संयंत्र उपलब्धता और भार घटक के लिए अन्तिम उपभोक्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया और संयंत्र का मालिक होने के नाते कार्य के निष्पादन के हस्ताक्षर आर.ई.एल. द्वारा किए गए थे क्योंकि तीसरी पार्टी हेतु कोई संयंत्र निष्पादित नहीं किया गया था। इसलिए, एन.आई.टी. की शर्तों में आर.ई.एल. नियमित टर्नकी प्रबन्धन और सविदा एजेंसी के रूप में पात्र नहीं मानी जाती थी।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि आर.ई.एल. (पहले बी.एस.ई.एस.) के घरेलू अनुभव को पात्रता के उद्देश्य हेतु काफी माना गया था क्योंकि पूर्णतया स्वामित्व सहायक कम्पनी के अनुभव को मूल कम्पनी के अनुभव के रूप में माना जा सकता था जिसे परियोजना परामर्शदाता एवं समीक्षा परामर्शदाताओं द्वारा सहमति दी गई थी। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि आर.ई.एल. नियमित टर्नकी प्रबन्धक और सविदा एजेंसी नहीं थी।

सहयोगी बदलना

2.1.11 कार्य देने के बाद, आर.ई.एल. को सहयोगी से उसके द्वारा आपूरित माल के 5 प्रतिशत के समतुल्य अशर्त बैंक गारण्टी संयुक्त विलेख के वफादार निष्पादन के प्रति प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। उपरोक्त की अनुपालना करने की बजाय, आर.ई.एल. ने विद्युत संयंत्र की उन्नत विश्वसनीयता, लचक और उपलब्धता प्राप्त करने के लिए सहयोगी को डी.ई.सी. चीन से शंघाई इलैक्ट्रिक (ग्रुप) कारपोरेशन को बदलने की प्रार्थना की (15 दिसम्बर 2004)।

राज्य सरकार/कम्पनी ने अवलोकित किया (मई 2005) कि यह स्पष्ट था कि आर.ई.एल. ने न तो समझदारी से अपने सहयोगी का चयन किया न ही उनसे स्पष्टता से शर्तें तय की गई थी और निर्णय लिया गया कि आर.ई.एल. के सहयोगी बदलने हेतु प्रार्थना नकार दी जाए। आर.ई.एल. को सरकार का निर्णय सूचित कर दिया गया था (13 जून 2005) जो एस.ई.सी. के संशोधित प्राचलों पर बैंक गारण्टी प्रसंग आधार के रूप में रखने को सहमत हो गया (13/15 जून 2005)। सरकार/कम्पनी सहयोगी के बदलने हेतु मान गई (अगस्त 2005) और परियोजना की जीरो दिनांक को 20 अगस्त 2005 तक 27/30 महीनों की समापन अवधि के साथ बढ़ा दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बोली प्रलेख में सहयोगी को बदलना अनुमत करने या रोकने हेतु किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, कम्पनी ने सहयोगी को उन्हें कार्य प्रदान करने के बाद बदल दिया। इससे अन्ततः परिणामस्वरूप परियोजना के समापन में देरी हुई।

परियोजना का निष्पादन

2.1.12 कम्पनी को परिष्कृत जल अर्न्तग्रहण पद्धति और कालोनी एवं नगर क्षेत्र का निर्माण निष्पादित करना था। आर.ई.एल. को मुख्य संयंत्र (बायलर टर्बो जनरेटर पैकेजिंग) और संयंत्र के शेष (कोयला संचालन संयंत्र, राख संचालन पद्धति, राख बांध, रेलवे साईडिंग और विन्वास

यार्ड और अन्य सिविल कार्य जैसे चिमनी, शीतलन मीनार, भवन एवं सड़कें, भू-दृश्य निर्माण आदि) से संबंधित निर्माण कार्यों का निष्पादन करना था। इसके विरुद्ध कम्पनी ने परिष्कृत जल अन्तग्रहण पद्धति सिंचाई विभाग से निक्षेप आधार पर और आवासीय कालोनी, हरियाणा सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड से निष्पादित करवाये। कालोनी का कार्य प्रगति अधीन था (अगस्त 2009)। परियोजना के निष्पादन के दौरान ध्यान में आई त्रुटियां आगामी अनुच्छेदों में चर्चित की गई हैं।

समय अतिक्रमण

2.1.13 आर.ई.एल. द्वारा यूनितों के वाणिज्यिक परिचालन में देरी के कारण 4,279.68 मै.यूज उत्पादन हानि हुई, जैसे कि नीचे तालिका बद्ध किया गया:

क्र.सं.	विवरण	यूनिट-I	यूनिट-II
1.	चालू करने की निर्धारित तिथि	29 मार्च 2007	29 जून 2007
2.	चालू करने की संशोधित निर्धारित तिथि	19 नवम्बर 2007	19 फरवरी 2008
3.	वाणिज्यिक परिचालन की तिथि	14 अप्रैल 2008	24 जून 2008
4.	दिनों में देरी	382	361
5.	उत्पादन हानि* (मै.यूज.)	2200.32	2079.36
		4,279.68	

यूनितों के वाणिज्यिक परिचालन में देरी के परिणामस्वरूप 4279.68 मै.यूज उत्पादन हानि हुई और 498.48 करोड़ रूपए की अतिरिक्त लागत पर बिजली क्रय करनी पड़ी।

राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र कम्पनियों को 706.70 करोड़ रूपए मूल्य की 1135.81 मै.यूज बिजली 6.22 रूपये प्रति यूनिट के भारित औसत मूल्य पर अल्प अवधि बिजली क्रय के माध्यम से और 957.10 करोड़ रूपए मूल्य की 25,63.63 मै.यूज बिजली 3.73 प्रति यूनिट के भारित औसत मूल्य पर अननुसूचित अदला बदली के माध्यम से प्राप्त करनी पड़ी थी, जो कि परियोजना में 3.15 रूपए प्रति यूनिट की उत्पादन लागत की तुलना में उच्चतर थी। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2007 से जून 2008 तक की अवधि के दौरान राज्य हेतु 3699.44 मै.यूज बिजली के क्रय पर 498.48 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लागत अतिक्रमण

2.1.14 प्रत्येक 300 मै.वा. की दो यूनितों के निर्माण हेतु टर्नकी सविदा देते समय (सितम्बर 2004) अनुमानित लागत 2,338 करोड़ रूपए थी। चालू करने की अवधि के पुननिर्धारण करने के परिणामस्वरूप सितम्बर 2004 में अनुमानित परियोजना लागत 2,338 करोड़ रूपए से बढ़कर अगस्त 2005 में 2,400.23 करोड़ रूपए हो गई। यह निर्माण के दौरान भूमि की लागत (30 करोड़ रूपए) में और ब्याज (32.23 करोड़ रूपए) में वृद्धि के कारण थी।

यूनितों को देरी से चालू करने के कारण 163.80 करोड़ रूपए की अत्यधिक लागत हुई।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन में देरी के कारण और परीक्षण परिचालन के दौरान ईंधन की अधिक खपत के कारण 163.80[#] करोड़ रूपए की अत्यधिक

* एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित 80 प्रतिशत पर पी.एल.एफ.

2,501.80 करोड़ रूपए में से 2,338.00 करोड़ रूपए घटाकर। दीर्घ परीक्षण चालू रखने के दौरान बिजली उत्पादन पर अर्जित किये 59.96 करोड़ रूपए के राजस्व को ध्यान में रखे बिना अत्यधिक लागत है।

लागत आई थी जैसे कि नीचे विवरणित किया गया:

(रूप करोड़ में)

विवरण	सितम्बर 2004 में मूल अनुमान	अगस्त 2005 में संशोधित	31.03.2009 को वास्तविक
(क) टर्नकी कार्य क्षेत्र	2,097.00	2,097.00	-
किये गए कार्य का कुल मूल्य और आर.ई.एल. को प्रदत्त	-	-	1,971.63
टर्नकी क्षेत्र का लम्बित कार्य	-	-	125.37
जोड़ (क)	-	-	2,097.00
(ख) कंपनी का कार्यक्षेत्र	-	-	-
प्रारम्भिक जांच	0.55	0.55	
कर्मचारी लागत	15.51	15.51	
आकस्मिकता	10.81	10.81	57.13
भूमि	40.00	70.00	68.21
परामर्शदाता के माध्यम से समीक्षा इंजीनियरी	2.00	2.00	1.90
परिष्कृत जल अर्न्तग्रहण पद्धति	4.00	4.00	8.96
आवासीय कालोनी	20.00	20.00	30.00
चालू ईंधन लागत	4.00	4.00	108.86
प्रशिक्षण लागत	2.00	2.00	0.25
जोड़ (ख)	98.87	128.87	275.31
आई.डी.सी. के बिना परियोजना लागत(क+ख)	2,195.87	2,225.87	2,372.31
निर्माण (आई.डी.सी.) के दौरान ब्याज, 7.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर. अनुमानित त्रैमासिक देय. (वार्षिकी 7.45 प्रतिशत)	142.13	174.36	129.49
आई.डी.सी. सहित परियोजना लागत	2,338.00	2,400.23	2,501.80

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि वास्तविक भुगतान करते समय भूमि की लागत 40 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत की तुलना में बढ़कर 70 करोड़ रूपये हो गई और आई.डी.सी. में वृद्धि पी.एफ.सी. की प्रचलित दरों में वृद्धि के कारण थी। उत्तर में अन्य घटकों विशेषकर चालू करने पर ईंधन लागत और आवासीय कालोनी की लागत में वृद्धि हेतु कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी परियोजना के बेहतर प्रबन्धन से 21.62 करोड़ रूपए बचा सकती थी, जैसे कि अनुवर्ती अनुच्छेदों 2.1.16 से 2.1.18 में स्पष्ट किया गया है।

करों एवं शुल्कों पर अग्रिम का अनियमित भुगतान

2.1.15 क्रय आदेश के निबन्धन एवं शर्तों और आर.ई.एल. को रखे कार्य आदेश (नवम्बर 2005) के अनुसार, आपूर्ति अंश हेतु 10 प्रतिशत निःशुल्क ब्याज अग्रिम पुराने निर्माण कार्यो/लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर और सेवा अंश हेतु कार्यो के सविदा मूल्य पर, सेवाकर/मूल्य जमा कर (वैट) शामिल करते हुए देय था। कम्पनी ने 91.85 करोड़ रूपये की पांच प्रतिशत अग्रिम राशि (1837.09 करोड़ रूपए का) आयातित आपूर्तियों पर सीमा शुल्क, भारतीय आपूर्तियों पर उत्पादन शुल्क और केन्द्रीय विक्रय कर निकालकर निर्मुक्त की (नवम्बर 2005)। 91.86 करोड़ रूपए का दूसरा अग्रिम बाद में मार्च 2006 में दिया गया था।

संविदा की शर्तों में असंगति होने के कारण 2.57 करोड़ रूपये के अग्रिम का अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (मार्च 2009) कि संविदा के आपूर्ति और सेवा अंश के प्रावधान के बीच असंगति होने के कारण, कम्पनी ने संस्थापन, निरीक्षण और चालू करने (ई.टी.सी.) और सिविल निर्माण कार्यों पर सेवाकर ठेकेदार मूल्य से नहीं काटा था, जिससे 2.18 करोड़ रूपए के अग्रिम का अधिक भुगतान हुआ। आगे कम्पनी ने संरचनात्मक कार्यों के लिए अग्रिम का भुगतान करते समय 3.94 करोड़ रूपए के वैट को नहीं घटाया था जिसके परिणामस्वरूप 39.41 लाख रूपए का अग्रिम भी अधिक दिया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) की संविदा के अनुसार, ठेकेदार को अग्रिम, चरणों में निर्मुक्त किया गया था। उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि आपूर्ति और सेवा संविदा की शर्तों में असंगति थी।

संविदा की शर्तों की उल्लंघना में तदर्थ अग्रिम को निर्मुक्त करना

2.1.16 10 प्रतिशत निःशुल्क ब्याज अग्रिम के अतिरिक्त, जैसे कि उपरोक्त 2.1.15 पैरा में संदर्भित किया गया, कम्पनी ने 65.98 करोड़ रूपए (सितम्बर 2007 में 44 करोड़ रूपए और जनवरी 2008 में 21.98 करोड़ रूपए) तदर्थ अग्रिम के रूप में स्थल पर प्राप्त सामग्री के विरुद्ध निर्मुक्त किए, जिसके लिए प्रेषित अनुदेशों और बिल का ब्यौरा कम्पनी ने कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता हेतु और आर.ई.एल. द्वारा कम्पनी को उपस्कर परीक्षण प्रमाणपत्र/निरीक्षण प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में देरी के कारण अनुमोदित नहीं किये। यद्यपि आर.ई.एल. द्वारा औपचारिकताओं के पूर्ण न करने के कारण प्रगामी भुगतान करने में देरी हुई, कम्पनी ने 65.98 करोड़ रूपए के तदर्थ अग्रिम को संविदा में कोई प्रावधान के बिना निर्मुक्त किये। 44 करोड़ रूपए का प्रथम तदर्थ अग्रिम एक बार के लिए इस शर्त के साथ कि यह बिलों के भुगतान के विरुद्ध समायोजित कर लिया जाएगा, स्वीकृत किया गया था (सितम्बर 2007)। 21.98 करोड़ रूपये का तदर्थ अग्रिम भी बिना किसी समायोजन के, 22 और 28 जनवरी 2008 को निर्मुक्त कर दिया था। आर.ई.एल. द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के बाद 31 जनवरी 2008 से 30 अक्टूबर 2008 तक, 65.98 करोड़ रूपये का तदर्थ अग्रिम समायोजित कर दिया गया था। इस प्रकार, संविदा में बिना किसी प्रावधान के तदर्थ अग्रिम निर्मुक्त करने के परिणामस्वरूप कंपनी को 4.66* करोड़ रूपये के ब्याज की हानि हुई।

संविदा में बिना किसी प्रावधान के तदर्थ अग्रिम निर्मुक्त करने पर 4.66 करोड़ रूपए के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि ठेकेदार ने अगले योजना लेखे प्राप्त करने के लिये, प्रेषित अनुदेशों का इन्तजार किये बिना कार्यस्थल पर कई बार सामग्री की आपूर्ति की। आगे, पी.ओ./डब्ल्यू.ओ. के अनुसार बिल की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सभी भुगतान निर्मुक्त करने थे बशर्ते उपयुक्त दस्तावेज पूर्ण हों और चालूकरण समयसारणी को किसी बाधा से बचाने के लिये तदर्थ अग्रिम निर्मुक्त करना था। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि तदर्थ अग्रिम को संविदा में किसी प्रावधान के बिना निर्मुक्त किया था और तथ्य तथापि, यही रहे कि तदर्थ अग्रिम की निर्मुक्त के बाद भी, चालूकरण समय सारणी को प्राप्त नहीं किया जा सका।

परिशोधित क्षतियों की अवसूली

2.1.17 संविदा की विशेष शर्तों के अनुसार (क्लॉज 4.1.0) यूनिट को चालू करने का समय यथा संविदा की प्रभावी तिथि (20 अगस्त 2005) से मालिक द्वारा यूनिट को अन्तिम अधिकार में लेने की (पी.टी.ओ.) तिथि यूनिट I और यूनिट II हेतु क्रमशः 27 और 30 महीने की थी।

* एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष नकद जमा दर पर परिकलित।

समय सविदा का सत्व था और परियोजना के समापन में देरी को निराकरण करने के लिए सविदा ने मध्यस्थ मील पत्थरों के समापन में देरी के लिए यूनिट सविदा मूल्य प्रति सप्ताह या चार चार सप्ताह की अवधि हेतु उसके अंश के 0.25 प्रतिशत की दर पर और बाद में 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह या उसके अंश की दर पर बशर्ते सविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिशोधित क्षतियों (एल.डी.) की उगाही करने हेतु प्रावधानित किया।

कंपनी 55.86 करोड़ रुपये की परिशोधित क्षतियों की वसूली नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (मार्च 2009) कि 19 नवम्बर 2007 और 19 फरवरी 2008 की निर्धारित चालू करने की तिथियों के विरुद्ध यद्यपि यूनिट I और II का वाणिज्यिक परिचालन क्रमशः 14 अप्रैल 2008 और 24 जून 2008 को शुरू हुआ था, यूनिटें 31 अगस्त 2009 को अनन्तिम अधिकार में ली गई थी। उपरोक्त संदर्भित क्लोज के अनुसार, ठेकेदार के बिलों से 204.47* करोड़ रुपये की अधिकतम परिशोधन क्षतियां यथा सविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक काटनी अपेक्षित थी। कम्पनी ने वास्तव में जुलाई 2009 तक केवल 148.61 करोड़ रुपये राशि की 55.86 करोड़ रुपये का शेष छोड़ते हुए वसूली की। कम्पनी द्वारा परिशोधन क्षतियों की चरणवार वसूली न करने के भी परिणामस्वरूप जुलाई 2009 तक 16.15** करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि क्रियाविधिक अपेक्षाओं जैसे प्रेषण अनुदेशों, बिल ब्यौरे अनुसूची के अनुमोदन आदि बिलों के प्राप्त न होने के कारण शेष वसूली लम्बित थी। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एल.डी. की वसूली के बिना बिलों का भुगतान किया गया। उदाहरणार्थ, 73.05 करोड़ रुपये की राशि का बिल कंपनी के पास 30 नवम्बर 2007 से 28 जनवरी 2008 तक की अवधि के दौरान पड़ा था, जबकि 46.01 करोड़ रुपये की एल.डी. की वसूलनीय राशि के विरुद्ध 5.86 करोड़ रुपये की एल.डी. की प्रथम किश्त की 31 जनवरी 2008 को भुगतान करते समय वसूली की गई थी।

ब्याज छूट की हानि

2.1.18 कम्पनी ने पी.एफ.सी. को संयंत्र की स्थापना करने के लिए 2,400.23 करोड़ रुपये की कुल लागत सम्मिलित करते हुए 1,920 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावित किया (अगस्त 2005)। पी.एफ.सी. इस ऋण के लिए मान गई (अक्टूबर 2005)। अनुबन्ध का ज्ञापन (एम.ओ.ए.) बाद में, फरवरी 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था। एम.ओ.ए. की निबन्धन एवं शर्तों ने अन्य बातों के साथ प्रावधान किया कि ऋण पर ब्याज, वितरण की तिथि पर प्रचलित ब्याज की दर पर देय था और यूनिट I के चालू होने के बाद कंपनी आहरित/आहरण होने वाली राशि पर ब्याज के 0.25 प्रतिशत की छूट की पात्र थी और यह केवल चालू होने के पांच दिन के भीतर पी.एफ.सी. द्वारा सूचना प्राप्त हुई हो या पी.एफ.सी. द्वारा सूचना की प्राप्ति की तिथि से जो भी बाद में हो से देय थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया एम.ओ. की शर्तों के अनुसार ब्याज छूट के दावे के लिए पी.एफ.सी. से कोई सम्प्रेषण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कंपनी जुलाई 2008 तक आहरित ऋण (1,300.95 करोड़ रुपये) के लिए 0.81 करोड़ रुपये के ब्याज छूट (15 अप्रैल से 14 जुलाई 2009) को प्राप्त नहीं कर सकी।

पी.एफ.सी. को सम्प्रेषण न करने के कारण 0.81 करोड़ रुपये के ब्याज छूट की हानि हुई

* 2,044.70 करोड़ रुपये (2,097 करोड़ रुपये में 52.30 करोड़ रुपये घटाकर आवश्यक स्पेयरस की कीमत होने पर) के 10 प्रतिशत।

** एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमत 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष नकद जमा दर पर परिकलित।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि ऋण को यूनिटवाईज द्विशाखित नहीं किया गया था परन्तु केवल एक परियोजना हेतु सम्पूर्ण रूप में था। तदनुसार, यूनिट II का सी.ओ.डी. (जून 2008) परियोजना का सी.ओ.डी. बन जाता है और ब्याज की छूट 15 जुलाई 2008 (मानक तिथि) से प्राप्त होनी थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि पी.एफ.सी. के दिनांक 12 मार्च 2007 के परिपत्र के अनुसार प्रथम यूनिट के सी.ओ.डी. की तिथि के बाद (15 अप्रैल 2008) की तिथि से स्वयं समस्त ऋण पर ब्याज की छूट प्राप्य थी।

कोयला संचालन संयंत्र में त्रुटि

2.1.19 आर.ई.एल. के साथ सविदा की शर्तों के अनुसार, 22.01 करोड़ रूपए मूल्य के कोयला संचालन संयंत्र (सी.एच.पी.) को 5 अक्टूबर 2007 तक चालू करना था। संयंत्र का, तथापि, दिसम्बर 2007 तक आंशिक रूप से परिचालन हो सका, जब कंपनी ने कोयला रैक प्राप्त करने शुरू किए और जून 2008 तक अधिकतर अन्य कार्य समाप्त हो गये थे। सी.एच.पी. अभी तक चालू नहीं किया गया था (अगस्त 2009), कोयला प्रतिचयक के रूप में पूरा नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप कोयले का प्रतिचयन हाथ से किया जा रहा था।

कंपनी ने अवलोकित किया (अगस्त 2008) कि संयंत्र में रोलर स्क्रीन का परिचालनात्मक निष्पादन बहुत घटिया था और बार-बार खराबी हो रही थी। तदनुसार, मामला आर.ई.एल. को निर्दिष्ट किया गया (अक्टूबर 2008) जिसने सूचित किया (अक्टूबर 2008) कि प्रतिष्ठापित रोलर स्क्रीन एन.आई.टी. और अनुमोदित डिजाइन आधारित प्रतिवेदन (डी.बी.आर.) के अनुसार थे और ये 15 प्रतिशत नमी की मात्रा के साथ 300 मि.मी. कोयले लम्प सभालने में समर्थ थे। आर. ई.एल. ने, तथापि, संयंत्र में रोलर स्क्रीन को गिजली फीडर के साथ बदलने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवम्बर 2008) जिसे कंपनी ने स्वीकार कर लिया और आर.ई.एल. को मानसून आगमन से पहले एक रोलर स्क्रीन बदलने की प्रार्थना की। कोयला प्रवाह में रूकावट आने के कारण, कोयला बंकर में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने में समस्या आ गई थी जिसके परिणामस्वरूप जून 2008-मार्च 2009 के दौरान, यूनिट I को 17:10 घण्टों के लिए और यूनिट II को, 18:19 घण्टों के लिए बंद करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 8.515 मै.यूज उत्पादन की हानि हुई। लेखापरीक्षा संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि सी.एच.पी. की डी.बी.आर. को अनुमोदित करते समय, कंपनी ने पानीपत में यूनिट 7 और यूनिट 8 के लिए प्रतिष्ठापित इस प्रकार के रोलर स्क्रीन के निष्पादन को अनदेखा कर दिया जो कि संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे थे।

कोयला संचालन संयंत्र में त्रुटि के कारण, कम्पनी को 8.515 मै.यूज की उत्पादन हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि चालू करने के वर्ष के दौरान रोलर स्क्रीनों का अनुचित कार्य करना कोयले की विकृत गुणवत्ता और दन्तोद्भवन गड़बड़ी के कारण थी। उत्तर युक्तिसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी, संयंत्र पर प्राप्त हो रहे कोयले की गुणवत्ता से अच्छी तरह अवगत थी और प्रारम्भिक चरण से ही गिजली स्क्रीन प्रतिष्ठापित कराना चाहिए था।

मिल अस्वीकार कोयला संचालन पद्धति की अपर्याप्त क्षमता

2.1.20 टर्नकी कार्यक्षेत्र के अनुसार, मिल अस्वीकार कोयला संचालन पद्धति संयंत्र में प्रतिष्ठापित करनी अपेक्षित थी। आर.ई.एल. ने मिल कोयला क्षमता के एक प्रतिशत के लिए मिल अस्वीकार पद्धति पर विचार करने वाली प्रारूप डिजाइन आधार रिपोर्ट (डी.बी.आर.) प्रस्तुत की (जुलाई 2005)। परियोजना परामर्शदाताओं (डेजिन प्राइवेट लिमिटेड) और समीक्षा परामर्शदाताओं ने प्रारूप डी.बी.आर. की समीक्षा की (दिसम्बर 2005) और आर.ई.एल. को

संचालित किए जाने वाले कोयले की अधिकतम मात्रा के तीन प्रतिशत अस्वीकार कोयले की मात्रा लेने की मिल अस्वीकार पद्धति डिजाइन करने का आवेदन किया। आर.ई.एल. ने इस आधार पर कि बायलर आपूर्तिकर्ता के अनुसार बदतरिन कोयला जलाने पर अधिकतम मिल अस्वीकार 140.352 कि.ग्रा./घण्टा/मिल होगा, एक प्रतिशत अस्वीकार कोयले (480 कि.ग्रा./घण्टा/मिल) के लिए अस्वीकार पद्धति डिजाइन करने के लिये पुनरावृत्ति करके डी.बी.आर. पुनः प्रस्तुत की (जनवरी 2006)। तदनुसार, कंपनी ने मिल अस्वीकार कोयला संचालन पद्धति बिना किसी टिप्पणी के अनुमोदित कर दी (जुलाई 2006)। जून 2008 में मिल अस्वीकार संचालन पद्धति, संयंत्र में 4.42 करोड़ रूपए की लागत पर प्रतिष्ठापित कर दी गई थी। पद्धति के चालू होने के बाद, मुख्य अभियंता, डी.सी.आर.टी.पी.पी., यमुनानगर ने सूचित किया (जून 2008) कि मिल अस्वीकार की अपर्याप्त क्षमता (1.42 प्रतिशत और 5.42 प्रतिशत के बीच) के परिणामस्वरूप मिल के बारंबार बंद होने, मिल के आन्तरिकों के क्षतिग्रस्त होने, बारंबार एवं लम्बी मिल निष्क्रियताएं और सभी घुमाव और मिल अस्वीकार वाहक पाइपों की घिसावट हुई थी जिसे तुरन्त बदलने की आवश्यकता थी। आर.ई.एल. को मिल अस्वीकार संचालन पद्धति को विद्यमान एक से तीन प्रतिशत तक रूपान्तरित करने को कहा था (31 जुलाई 2008)। न बदलने के कारण प्रबन्धन ने आर.ई.एल. को 30 दिनों का नोटिस समस्या को सम्प्रेषित करने के लिए जारी किया। (30 सितम्बर 2008)। आर.ई.एल. ने बताया (6/18 अक्टूबर 2008) कि डी.बी.आर. अनुमोदित अनुसार पद्धति प्रतिष्ठापित कर दी गई थी और अगर कंपनी अब भी मिल अस्वीकार पद्धति को कोयले की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखे बिना बढ़ाना चाहती हो, तो अपने आप इसको रूपान्तरित करवा सकती थी या इन पर अतिरिक्त कार्य के लिए आदेश दे सकती थी। निदेशक बोर्ड ने आर.ई.एल. की जोखिम एवं लागत पर मिल अस्वीकार संचालन पद्धति के संवर्धन हेतु प्रतियोगी बोली आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया (27 नवम्बर 2008)। कार्य अभी तक आबटित नहीं किया गया था (मार्च 2009)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी द्वारा अपने आप अनुमोदित डी.बी.आर. के आधार पर अपर्याप्त क्षमता हेतु मिल अस्वीकार संचालन पद्धति प्रतिष्ठापित कर दी गई थी। उत्तर में प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि मिल अस्वीकार कोयला संचालन पद्धति अपर्याप्त थी और यह ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर बढ़ाई जा रही थी।

सूखी उड़ी राख संग्रहण पद्धति के चालूकरण में देरी

2.1.21 टर्नकी कार्यक्षेत्र के अनुसार, दोनों यूनिटों के लिए सामूहिक, राख संचालन संयंत्र को भी 19 सितम्बर 2007 तक प्रतिष्ठापित करना था। संयंत्र की दो पद्धतियां थी-एक सूखी उड़ी राख हेतु (80 प्रतिशत) दोनों साइलोज सहित, जिसे सीमेंट निर्माता को आबटित करनी थी और दूसरी गारा रूप में तह राख (20 प्रतिशत) हेतु राख तालाब में ढेर लगानी थी। कार्य सौंपने के बाद, यमुनानगर में प्रस्तावित तीसरी यूनिट के विचार से राख साइलों को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया (अप्रैल 2007)। राख साइलों को पुनः स्थापित करने को कहने पर (अप्रैल 2007), आर.ई.एल. ने सूचित किया (मई 2007) कि पुनस्थापन के कारण सभी सिविल और सरचनात्मक कार्य बंद करने होंगे और कोई भी देरी कंपनी के खाते में जाएगी। आर.ई.एल. ने आगे, राख साइलों के स्थान में परिवर्तन के लिए 1.85 करोड़ रूपए की लागत आलिप्त होने को सूचित किया (जुलाई 2007)। लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2009) राख साइलों के पुनःस्थापन हेतु विलम्बित निर्णय से, जबकि ढेर लगाने और प्रारम्भिक इंजीनियरी से

सूखी उड़ी राख के चालूकरण में देरी के परिणामस्वरूप 17.82 करोड़ रूपए की संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

संबंधित कार्य पूर्ण हो गये थे, सूखी उड़ी राख संचालन पद्धति अभी तक चालू नहीं हुई थी (मार्च 2009)। सूखी उड़ी राख पद्धति के चालूकरण में देरी के कारण, 14 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 के दौरान यूनिट 1 और 11 से विक्रय आशयार्थ उत्पादित 5.71* लाख मी.ट. सूखी उड़ी राख को, राख तालाब में ढेर लगा दिया गया था। सूखी उड़ी राख के ढेर लगाने से 17.82 करोड़ रूपए के संभावित राजस्व (सूखी उड़ी राख के लिए 312/मी.ट. के प्रशासनिक प्रभारों की दर पर परिकलित, जून 2007 के दौरान सीमेंट निर्माताओं को जारी विक्रय आदेश के अनुसार) हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि जी.ओ.आई. के दिशानिर्देशोंनुसार (सितम्बर 1999) उड़ी राख को विभिन्न सीमेंट निर्माताओं, ईट भट्टे निर्माताओं को मुफ्त देनी थी। इस प्रकार, कंपनी को कोई हानि नहीं हुई। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि कंपनी ने जून 2007 के दौरान प्रशासनिक प्रभारों की वसूली करने के लिए विक्रय आदेश जारी किए थे।

कम्प्यूटरीकृत अनुरक्षण एवं माल सूची प्रबन्धन पद्धति के समापन में देरी

2.1.22 टर्नकी कार्यक्षेत्र के अनुसार, कम्प्यूटरीकृत अनुरक्षण और मालसूची प्रबन्धन पद्धति (सी.एम.आई.एम.एस.) परियोजना हेतु प्रतिष्ठापित करनी थी। सी.एम.आई.एम.एस. कार्य आदेश तैयार करने, निवारक अनुरक्षण अनुसूची, मालसूची नियंत्रण, उपस्कर सूचना को संग्रहण करने, कार्य आयोजना और प्रतिवेदन तैयार करने जैसी विशिष्टताओं के साथ 17 सितम्बर 2007 तक उपलब्ध कराना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2009) कि 87 लाख रूपये मूल्य की सी.एम.आई.एम.एस. की आपूर्ति 22 फरवरी 2008 तक पूरी हो गई थी। तथापि, सी.एम.आई.एम.एस. की स्थापना एवं चालूकरण अभी प्रगति में थी (मार्च 2009)। इस प्रकार सी.एम.आई.एम.एस. के चालू न होने के कारण इसके माध्यम से किया जाने वाला विचारित कार्य हाथ से करना पड़ा। इस प्रकार, इस पर किया गया 87 लाख रूपये का व्यय अनुपयोजित रहा।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि सी.एम.आई.एम.एस. पद्धति के समापन में देरी ने संयंत्र के कार्यचालन पर प्रभाव नहीं डाला था और किया गया व्यय पूर्णतया न्यायसंगत था। तथ्य तथापि, यही रहे कि कार्य जो पद्धति के माध्यम से किए जाने अपेक्षित थे, हाथ से किये जा रहे थे।

परियोजना की अकारगर मानीटरिंग

2.1.23 परियोजना के निष्पादन एवं विभिन्न कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु एक "परियोजना प्रबन्धन समिति" तकनीकी समन्वय समिति के नाम से, कंपनी, आर.ई.एल. के प्रतिनिधियों, परामर्शदाताओं और समीक्षा परामर्शदाताओं (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण-सी.ई.ए) से मिलकर संगठित की गई थी। अगस्त 2005 से दिसम्बर 2007 के दौरान, कंपनी ने एक से तीन माहों के अन्तराल की श्रेणी में, 17 बैठकें, परियोजना की जांच करने हेतु कराई थी। उनके बाद, 13 अगस्त 2008 को आठ माह के अंतर के बाद अगली बैठक हुई थी। यूनिट I (14 अप्रैल 2008) और यूनिट II (24 जून 2008) के वाणिज्यिक चालू होने की घोषणा के दौरान कोई बैठक नहीं हुई थी।

* 21,00,189 मी.ट. कोयला खपत मात्रा x कोयले में राख का अंश 0.34 x कुल राख उत्पादन में सूखी उड़ी राख तत्व 0.80.

अकारगर परियोजना मानीटरिंग ने परियोजना के समापन और अन्तिम अधिकार में लेने को विलम्बित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समिति मामलों के निर्णय और अन्तिमीकरण करने में अकारगर थी क्योंकि 20 मार्च 2009 तक कई आनुसंगिक कार्य थे, जिनका समय पर निपटान नहीं हो सका और लम्बित रहे (अनुलग्नक-7 के अनुसार ब्यौरे)। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यकलापों के पी.जी. परीक्षण (ब्यौरे अनुलग्नक-8 के अनुसार) सविदात्मक निर्धारित तिथियों यथा यूनिट I और यूनिट II के लिए क्रमशः 19 नवम्बर 2007 और 19 फरवरी 2008 से पहले समाप्त होने चाहिए थे, लम्बित थे जिसके कारण परियोजना को औपचारिक अधिकार में लेना रूक गया था।

चालूकरण और निष्पादन

परीक्षण परिचालन और अनन्तिम अधिकार में लेने में देरी

2.1.24 आर.ई.एल. के साथ सविदा ने प्रावधान किया कि यूनिटें, वाणिज्यिक परिचालन हेतु 14 दिनों के लिए निरन्तर संतोषजनक परीक्षण परिचालन और निष्पादन गारंटी (पी.जी.), परीक्षण की समाप्ति पर स्वीकार्य होगी। उपस्कर की प्रत्येक मद की तत्परता, चालूकरण की अनुसूचित तिथि तक, परीक्षण परिचालन और पी.जी. परीक्षण हेतु पूर्वपिहित थी। यूनिट I के 13 नवम्बर 2007 और यूनिट II के 29 मार्च 2008 को समकालिक होने के पश्चात् कंपनी ने परीक्षण को अनुमत किया जबकि संयंत्र[♥] के शेष (बी.ओ.पी.) से संबंधित विभिन्न कार्य जो कि दोनों यूनिटों के सामूहिक थे, पूर्ण नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों यूनिटों के परीक्षण परिचालन के दौरान तेल रिसाव, उच्च रोटार कम्पन, टयूब रिसाव, लौ हास आदि के कारण निरन्तर विफलताएं/ चूकें हुई थी। 14 दिनों के बजाय यूनिट I के संबंध में 154 दिनों के लिए और यूनिट II के संबंध में 88 दिनों के लिए परीक्षण परिचालन किया गया था। दीर्घ परीक्षण चलने के कारण, अनुमान में प्रावधान किए गए चार करोड़ रुपये के विरुद्ध 108.86 करोड़ रुपये मूल्य के ईंधन की खपत हुई थी। उत्पादित विद्युत पर अर्जित परवर्ती लागत[#] के लिए राजस्व, परीक्षण करने के दौरान केवल 59.96 करोड़ रुपये था। परीक्षण करने के दौरान सविदा में मानक खपत आश्वासित करने वाले किसी क्लोज के अभाव में आर.ई.एल. से 48.90 करोड़ रुपये की हानि की वसूली नहीं की जा सकी थी।

दीर्घ परीक्षण करने के परिणामस्वरूप 104.86 करोड़ रुपये मूल्य के ईंधन की अधिक खपत हुई।

आगे, लम्बित कार्यों के समापन और पी.जी. परीक्षण करने के लिए कंपनी को अप्रैल 2008 से जनवरी 2009 के दौरान, विभिन्न बंद 1959:33 घण्टों के लिए करने पड़े थे। यूनिटों के वाणिज्यिक परिचालन (14 अप्रैल 2008/24 जून 2008) शुरू होने के तुरन्त बाद लम्बित कार्यों के समापन हेतु, बंद करने के परिणामस्वरूप 470.292 मै.यूज^{*} उत्पादन की हानि हुई।

उत्तर में और साथ-साथ अन्तिम संभाषण के दौरान, प्रबन्धन ने दीर्घ परीक्षण करने हेतु कोई कारण स्पष्ट नहीं किए (सितम्बर 2009) जिससे ईंधन की अत्यधिक खपत और लम्बित कार्य पूरे नहीं हुए थे। प्रबन्धन ने अन्तिम संभाषण के दौरान बताया कि 31 अगस्त 2009 को अनन्तिम अधिभार ले लिया गया है।

[♥] पैकेजिज में राख संचालन संयंत्र, कोयला संचालन संयंत्र, रेलवे साइडिंग और समाहर यार्ड आदि बी.टी.जी.पैकेजिज को छोड़कर, समाविष्ट है।

[#] एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित 1.68 रुपये प्रति यूनिट की अनन्तिम शुल्कदर।

^{*} एच.ई.आर. द्वारा, 2008-09 हेतु अनुमोदित संयंत्र लोड घटक पर 80 प्रतिशत।

उत्पादन की अत्यधिक लागत

2.1.25 हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) ने कंपनी द्वारा 2008-09 के दौरान विद्युत की बिक्री हेतु उत्पादन शुल्क दर नियत करते समय दोनों यूनिटों से उत्पादित विद्युत हेतु अन्य बातों के साथ-साथ 14 प्रतिशत की दर से इक्विटी पर प्रतिफल सम्मिलित करते हुए अनंतिम रूप में 2.91 रुपये प्रति यूनिट अनुमोदित की। यूनिट I (14 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 तक) और यूनिट II (24 जून 2008 से 31 मार्च 2009) के संबंध में उत्पादन की वास्तविक लागत क्रमशः 3.19 रुपये और 3.07 रुपये प्रति यूनिट थी। उच्चतर लागत मुख्यतः परवर्ती लागत में वृद्धि के कारण थी जो कि एच.ई.आर.सी. द्वारा दोनों यूनिटों के लिए अनुमोदित 1.68 रुपये प्रति यूनिट के मानक के विरुद्ध यूनिट I और यूनिट II के लिए क्रमशः 1.88 रुपये और 1.84 रुपये प्रति यूनिट थी। इस अवधि के दौरान, 827.59 करोड़ रुपये की राजस्व उगाही के विरुद्ध 3146.97 मै.यू.ज विद्युत उत्पादन करने हेतु कुल लागत 895.05 करोड़ रुपये थी जिसके परिणामस्वरूप 67.46 करोड़ रुपये की हानि हुई। लेखापरीक्षा में विश्लेषित अनुसार उच्च उत्पादन लागत, आर.ई.एल. द्वारा आशवासित प्राचलों और एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित मानकों की तुलना में निवेशों की अत्यधिक खपत और निम्न पी.एल.एफ. के कारण थी। इनकी अनुवर्ती अनुच्छेदों 2.1.26 - 2.1.30 में चर्चा की गई है।

ठेकेदार के आशवासित प्राचलों की तुलना में निवेशों की अत्यधिक खपत के कारण कंपनी को 67.46 करोड़ रुपये की हानि हुई।

कोयले की अत्यधिक खपत

2.1.26 दोनों यूनिटों के लिए अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान, कोयले की वास्तविक खपत आर.ई.एल. द्वारा यथा आशवासित तकनीकी प्राचलों से 2.06 लाख मी.ट. उच्चतर थी। इसके परिणामस्वरूप 45.22 करोड़ रुपये की अधिक खपत और परिणामी उच्चतर पर्यावरण निम्नीकरण हुआ है।

ठेकेदार के आशवासित प्राचलों की तुलना में 45.22 करोड़ रुपये मूल्य के कोयले की अत्यधिक खपत हुई।

प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2009) कि यूनिटों के बायलर 4,000 कि. केल./कि.ग्रा. कुल ऊष्मीय मूल्य (जी.सी.वी.) के लिए अभिकल्पित किए गए थे। संबद्ध कोयला खान से कोयले की उपलब्धता, कोयले के जी.वी.सी. डिजाइन से कम थी। कंपनी के पास सम्बद्ध कोयले खान से कोयला लेने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि कोयले की अत्यधिक खपत के कारण हुई हानि को संयंत्र में खपत हुए वास्तविक कोयले की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर परिकल्पित किया गया है।

ईंधन तेल की अत्यधिक खपत

2.1.27 ईंधन तेल का चालू करने और निम्नलोड पर स्थिरीकरण प्रज्वलन करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। एच.ई.आर.सी. ने 2008-09 के दौरान, संयंत्र हेतु ईंधन के प्रयोग को 2 मि.ली./कि.वा.घ. के मानक को अनुमोदित किया था। इस मानक की तुलना करने पर, 14 अप्रैल 2008 (यूनिट I) और 24 जून 2008 (यूनिट II) से 31 मार्च 2009 तक, ईंधन तेल की वास्तविक खपत क्रमशः 6.81 और 5.71 मि.ली./कि.वा.घ. थी और इस प्रकार यूनिटों ने 47.99 करोड़ रुपये मूल्य का 13,589.44 कि.ली. अधिक तेल प्रयुक्त किया।

एच.ई.आर.सी. मानक के संदर्भ में 47.99 करोड़ रुपये मूल्य के ईंधन तेल की अधिक खपत

प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2009) कि तेल गनज की चूकदर अधिक होने के कारण, गनज की अनियमितता और अस्थिरता हुई और जिसके कारण अत्यधिक तेल खपत हुई। तथापि, यह

पहलू उनकी स्थापना के समय ध्यान रखने चाहिये। कंपनी द्वारा तेल की अधिक खपत रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

पूरक खपत

2.1.28 पूरक खपत, संयंत्र एवं उपस्करों द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु उपयुक्त बिजली को सूचित करती है। उत्पादित बिजली का एक भाग पूरक खपत हेतु उपयुक्त होता है। यह पाया गया कि इस अवधि के दौरान यूनिट I और II के संबंध में पूरक खपत 9.34 और 9.32 प्रतिशत थी, जो कि एच.ई.आर.सी. के 9 प्रतिशत के मानक से और आर.ई.एल. के 8.37 प्रतिशत के आशवासित मानक से अधिक थी। इस प्रकार, एच.ई.आर.सी. और आर.ई.एल. के आशवासित मानकों के संदर्भ में क्रमशः 3.27 करोड़ रुपये और 9.50 करोड़ रुपये मूल्य की 10.376 मै.यूज और 30.202 मै.यूज अधिक पूरक खपत हुई थी।

ठेकेदार के आशवासित प्राचलों की तुलना में 9.50 करोड़ रुपये मूल्य की 30.202 मै.यूज पूरक खपत हुई।

प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2009) कि बायलर की अभिकल्पना के अनुसार चार की तुलना में पांच कोयला मिलों की सेवाएं लेने के कारण अधिक पूरक खपत हुई इस प्रकार डिजाइन गुणवत्ता के कोयले की उपलब्धता न होने के कारण, चार मिल पद्धति से पूर्ण लोड प्राप्त नहीं किया जा सकता था। तथापि, संयंत्र पर प्रतिष्ठापित कोयला मिलें, कंपनी द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार थी।

निम्न संयंत्र लोड घटक

2.1.29 संयंत्र लोड घटक (पी.एल.एफ.) उत्पादन क्षमता से वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता को सूचित करते हैं। विद्युत उत्पादन हेतु उपलब्ध कुल घण्टे, परिचालन के वास्तविक घण्टे और एच.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित मानक के विरुद्ध प्राप्त पी.एल.एफ. वाणिज्यिक परिचालन से शुरू करते हुए मार्च 2009 तक निम्नलिखित थे:

क्रम,संख्या	विवरण	यूनिट-I	यूनिट -II
1.	उत्पादन हेतु उपलब्ध दिन	352	281
2.	उत्पादन हेतु उपलब्ध कुल घण्टे (1 x 24 घण्टे)	8,448	6,744
3.	उत्पादन क्षमता (मै.यूज.) (क्र.सं.2 x 300मे.वा)	2,534.40	2,023.20
4.	निष्क्रियताये (घण्टों में)	1955:27	1508:15
5.	परिचालित वास्तविक घण्टे (क्र.सं. 2 - 4)	6492:33	5235:45
6.	एच ई.आर.सी. अनुमोदित पी.एल.एफ. अनुसार प्रत्याशित उत्पादन (क्र.सं. 3 का 80 प्रतिशत)	2,027.520	1,618.560
7.	वास्तविक उत्पादन (मै.यूज.)	1,740.165	1,406.806
8.	उत्पादन में कमी (मै.यूज.) (क्र.सं.6 - क्र.सं 7)	287.355	211.754
		499.109	
9.	पी.एल.एफ.(प्रतिशत)	68.66	69.53
10.	राजस्व की हानि (करोड़ रुपये में) (ईंधन लागत का निवल)	35.34	26.05
		61.39*	

एच.ई.आर.सी. ने संयंत्र हेतु मानक अनुमोदित करते समय अभिलिखित किया कि यूनिटें जबकि उच्चतर पी.एल.एफ. प्राप्त करने के योग्य थी परन्तु राष्ट्रीय मानकों के साथ पंक्तिबद्ध रहने के लिए 80 प्रतिशत की पी.एल.एफ. निर्धारित की। संयंत्र इस मानक को भी पूरा न कर सके

* 1.23 रूप (2.91-1.68) की दर पर 499.129 एम.यूज = 61.39 करोड़ रूप।

क्योंकि यूनिट I एवं II की पी.एल.एफ. क्रमशः 68.66 और 69.53 प्रतिशत थी। इनके परिणामस्वरूप 499.109 मै.यूज उत्पादन में कमी हुई। प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2009) कि प्रारम्भ में यूनिटों, बायलर और टरवाइन में अभिकल्पित समस्याओं, अपर्याप्त मिल अस्वीकार संचालन पद्धति, कोयला संचालन पद्धति और स्थिर विद्युत अवक्षेपकों (ई.एस.पी.) के कारण निर्विरोध कार्य नहीं कर सकी। इन उपस्करों के निष्पादन सुव्यस्थित करने के लिए आर.ई.एल. ने यूनिटों को बार-बार बंद करने को कहा। तथ्य, तथापि, यही रहे कि यदि कंपनी ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने से पहले सभी लम्बित कार्यों के समापन सुनिश्चित किए होते तो इस स्थिति से बचा जा सकता था।

बलकृत निष्क्रियताएं

सफलतापूर्वक परीक्षण चालू करने के बाद बलकृत निष्क्रियताओं के परिणामस्वरूप 360.996 एम.यूज उत्पादन की हानि हुई।

2.1.30 वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से (14 अप्रैल 2008/24 जून 2008) से मार्च 2009 तक की अवधि के दौरान, 1504 घण्टों की बलकृत निष्क्रियताएं, यूनिट II में बायलर ट्यूब में निरन्तर खराबी (325 घण्टे), यूनिट-I में टर्बो जनरेटर में दोष (371 घण्टे) लौ की क्षति (462 घण्टे) बंकरों में कोयले के प्रवाह में बाधा (35 घण्टे), ग्रिड खराबी (34 घण्टे), ड्रम खराबी (128 घण्टे) और विविध कारणों (149 घण्टे) से मुख्यतः हुई। सफलतापूर्वक परीक्षण चालू करने के बाद बलकृत निष्क्रियताओं के परिणामस्वरूप 360.996 मै.यूज उत्पादन हानि हुई। इनमें से कुछ मामले, जहां मुख्य निष्क्रियताएं हुई, नीचे तालिका में दिए गए हैं:

यूनिट	चूक की अवधि (तिथियां)	चूक की कालअवधि (घण्टे)	चूक के कारण	उत्पादन हानि (मै.यूज.)
यूनिट-I	6 सितम्बर 2008 (16:12 घण्टे) से 21 सितम्बर 2008 (22:47 घण्टे) तक	366:35	लौ की खराबी	87.98
यूनिट-I	19 जनवरी 2009 (9:18 घण्टे) से 4 फरवरी 2009 (4:10 घण्टे) तक	371:00	टरवाइन में लौ की खराबी और उच्च कंपन	89.04
यूनिट-II	29 अगस्त 2008 (19:08 घण्टे) से 3 सितम्बर 2008 (5:38 घण्टे) तक	107:00	बायलर ट्यूब की खराबी	78.00
यूनिट-II	12 सितम्बर 2008 (18:36 घण्टे) से 16 सितम्बर 2008 (7:45 घण्टे) तक और 21 फरवरी 2009 को 6:30 घण्टे से 26 फरवरी 2009 तक (20:11 घण्टे तक)	218:00	बायलर ट्यूब की खराबी	

पर्यावरण सुरक्षा

कंपनी पर्यावरण सुरक्षा की अनुपालना करने में विफल रही।

बिना सहमति संयंत्र का परिचालन

2.1.31 हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.पी.सी.बी.) ने ताप बिजली संयंत्र की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहमति इस शर्त के साथ जारी की (जुलाई 2004) कि जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अनुभाग 25 और 26 के अधीन और वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अनुभाग 21 और 22 के अधीन, अब तक संशोधित अनुसार, परीक्षण परिचालन शुरू करने से पहले सहमति प्राप्त करनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि जबकि यूनिट I और यूनिट II क्रमशः नवम्बर 2007 और मार्च 2008 में समकालिक हो गई थी, तत्रैव अधिनियमों के अधीन संयंत्र परिचालन करने की सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन एच.पी.सी.बी. को केवल 10 अप्रैल 2008 को प्रस्तुत किया गया था। ई.एस.पी. की और बहिःस्राव उपचार संयंत्र की उपयुक्तता प्रतिवेदन को प्रस्तुत न करने, पानी आपूर्ति के मुख्य स्रोत पर चुंबकीय प्रवाह मीटर और मलजल उपचार के अन्तिम निर्गम मार्ग पर इलैक्ट्रॉनिक

मीटर संस्थापित न करने के कारण अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था (मार्च 2009)। जिसके परिणामतः ताप बिजली संयंत्र का परिचालन सांविधिक अपेक्षाओं की अनुपालना किए बिना किया जा रहा था।

उत्तर में प्रबन्धन ने तथ्य स्वीकार किये (सितम्बर 2009) और बताया कि विभिन्न स्तर पर अनुपालना करने के लिए सभी बाहरी प्रयत्न किए गए थे। तथ्य, तथापि, यही रहे कि सांविधिक अपेक्षाओं की अनुपालना किए बिना संयंत्र को परिचालित किया जा रहा था।

स्थिर वैद्युत अवक्षेपकों का अनुचित कार्य करना

2.1.32 ई.एस.पी. एक बड़ा डिब्बा होता है जिसमें इलैक्ट्रोड की दो श्रृंखला होती हैं, जो ताप बिजली संयंत्रों में प्रज्वलित कोयला बायलरों से फ्लू गैसों में एस.पी.एम. में समाहित धूल सान्द्रता को कम करता है। ताप बिजली संयंत्र द्वारा उत्पादित उड़ी राख (धूल) का नियंत्रण, ई.एस.पी. के प्रभावी और दक्ष कार्य करने पर निर्भर करता है। ई.एस.पी. दोनों उत्पादन यूनिटों में स्थापित कर दिया गया था। पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई. एवं एफ.) ने ताप बिजली संयंत्रों के लिए ढेर उत्सर्जन हेतु एस.पी.एम. स्तर 150 एम.जी./एन.एम³ और परिवेशी वायु उत्सर्जन के लिए 500 एम.जी./एन.एम³ निर्धारित किया है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2009) कि ई.एस.पी. की निरन्तर निष्क्रियताओं के कारण ढेर उत्सर्जन निर्धारित सीमा से अधिक था। फरवरी 2008 से मार्च 2009 के दौरान सप्ताह में दो बार अभिलिखित परिवेशी वायु में एस.पी.एम. स्तर कुल 114 दिनों में से 63 दिनों के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक था (510 एम.जी./एन.एम³ से 633 एम.जी./एन.एम³), ढेर उत्सर्जन स्तर को नियमित रूप से अभिलिखित नहीं किया जा रहा था।

फरवरी 2008 से मार्च 2009 के दौरान, यूनिट I के संबंध में 14 दिनों तक अभिलिखित किए गए ढेर उत्सर्जन में से छः दिनों तक ढेर उत्सर्जन स्तर निर्धारित सीमा से अधिक था और यूनिट II के संबंध में केवल 8 दिनों तक अभिलिखित ढेर उत्सर्जन में से दो दिनों तक उत्सर्जन निर्धारित स्तर से अधिक था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2009) कि ठेकेदार पर स्थायी हल देने के लिए जोर डाला गया था और अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा थी।

उपरोक्त मामले सरकार को जून 2009 में भेजे गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2009)।

निष्कर्ष

यूनिट I और यूनिट II के निर्माण और परिचालन के संबंध में कंपनी का निष्पादन निम्नलिखित था:

- राज्य सरकार द्वारा देरी से परियोजना का अनुमोदन करने के कारण ठेके को देने में देरी हुई जो कि नियंत्रणीय थी;

- आर.ई.एल., जबकि यह एक नियमित टर्नकी प्रबंधक और संविदा एजेंसी नहीं थी, को एक तकनीकी योगता प्राप्त ई.पी.सी. ठेकेदार के रूप में स्वीकार करना;
- अकारगर परियोजना मानीटरिंग के परिणामस्वरूप लम्बित मामलों के समय पर निपटान न करने और परियोजना के समापन में देरी हुई;
- निवेशों की खपत, आर.ई.एल. के आश्वसित प्राचलों से और साथ-साथ एच. ई.आर.सी. के मानकों से अधिक होने के कारण उत्पादन की लागत बढ़ी;
- यूनिटों को वाणिज्यिक परिचालन के तुरन्त बाद बलकृत और आयोजित बंद करने के कारण विद्युत उत्पादन की भारी हानि हुई; और
- पर्यावरण सुरक्षा की अनुपालना न करना।

अनुशंसाएं

कंपनी विचार करे:

- बोलियों के मूल्यांकन हेतु नोटिस आमंत्रित निविदाओं के प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करना;
- परियोजना के निष्पादन की प्रभाविकता से मानीटरिंग करना ताकि समय और लागत अतिक्रमण से बचा जाए;
- संयंत्र भार घटक बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाना;
- निवेश की खपत कम करते हुए उत्पादन लागत कम करने के लिए कदम उठाना;
- प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न प्राचलों को निर्धारित सीमा के भीतर लाकर पर्यावरण सुरक्षा लागू करना; और
- उत्पादन यूनिटों को अनिवार्य बंद करने से बचाने के लिए निवारक अनुरक्षण और संयंत्र उपस्करों को सुरक्षित रखने को सुनिश्चित करना।

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

2.2 हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का कार्यचालन

कार्यकारी सार

राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य से हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना की। इसके उद्देश्यों के निष्पादन में कम्पनी ने कोटरिंग, बार एवं आवास सुविधाओं सहित पर्यटक काम्पलेक्सों के परिचालन, ट्रेड फेयर्स एवं मेलों के आयोजन, पेट्रोल पम्पों के परिचालन की गतिविधियों तथा निर्माण एवं परामर्श सेवाओं का व्यवसाय प्रारंभ किया है। 31 मार्च 2009 को कम्पनी के पास 43 पर्यटक काम्पलेक्स, 14 पेट्रोल पम्प तथा 2025 कर्मचारी थे। राज्य में पर्यटन के विकास तथा काम्पलेक्सों के परिचालन की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी।

वित्त एवं निष्पादन

2007-08 तक के अनन्तिम लेखा आंकड़े उपलब्ध हैं। 2004-08 के दौरान कम्पनी के आय एवं व्यय क्रमशः 615.61 करोड़ रूपए तथा 603.57 करोड़ रूपए थे। 12.04 करोड़ रूपए के निवल लाभ में सावधि जमाओं से 10.92 करोड़ रूपए का ब्याज सम्मिलित था। इस प्रकार, कम्पनी बहुत कम मार्जिन पर परिचालन कर रही है।

पर्यटक आगमन

2004-09 के दौरान पर्यटक आगमन लगभग 60 लाख तक स्थिर हो गया। तथापि, पर्यटक आगमनों का पता लगाने के लिए समुचित यंत्रावली के अभाव में आंकड़े को विश्वसनीय नहीं माना गया है। इस प्रकार, पर्यटन के विकास पर कम्पनी की गतिविधियों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका। कम्पनी ने पर्यटन के विकास हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की।

परिचालन

2004-08 के दौरान 615.61 करोड़ रूपए का राजस्व मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री (438.42 करोड़ रूपए), भोजन एवं शराब की बिक्री (104.11 करोड़

रूपए) तथा कमरों का किराया (35.17 करोड़ रूपए) द्वारा अंशदत्त था। 2004-09 के दौरान 0.66 से 1.27 प्रतिशत के कम मार्जिन पर पेट्रोलियम व्यापार परिचालित किया गया जो इस व्यापार की निकट से निगरानी करने की आवश्यकता को इंगित करता है। कम्पनी, इसके अधिभोग में 2004-05 में 65 प्रतिशत से 2008-09 में 77 प्रतिशत तक सुधार करने में सफल हुई जो 60 प्रतिशत के वांछित स्तर से बहुत ऊपर था। तथापि, इसने अतिरिक्त लागतों में वृद्धि के कारण लाभदायिकता में अधिक बढ़ोतरी नहीं की। कम्पनी भोजन, ईंधन एवं बिजली लागतों को मानकों के भीतर नहीं रख सकी परिणामतः 8.01 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसी प्रकार, मानव शक्ति लागत 2004-08 के दौरान मानकों से ऊपर 9.48 करोड़ रूपए तक उच्चतर थी। कम्पनी को परिचालनों की उच्च लागत हेतु कारणों का विश्लेषण करने तथा उपयुक्त उपचारी उपाय करने की आवश्यकता है।

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने 2004-09 के दौरान 213 परियोजनाओं के लिए 111.97 करोड़ रूपए संस्वीकृत किए तथा 78.70 करोड़ रूपए जारी किए। कम्पनी ने मार्च 2009 तक 48.44 करोड़ रूपए का व्यय किया। बहुतायत संख्या में परियोजनाएं विलम्बित थी। यह ऐसा क्षेत्र है जिसे प्रबंधन के अधिक ध्यान की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

कम्पनी के कार्यों में कमियां नियंत्रणीय हैं तथा बेहतर प्रबंध के माध्यम से इसके परिचालनों के निष्पादन में सुधार की गुंजाइश है। इस समीक्षा में पांच अनुशंसाएं समाविष्ट हैं जिनमें उच्च लागतों के कारणों का विश्लेषण करना, लागतों को कम करने के उपाय ढूंढना तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का सुधार करना सम्मिलित है।

प्रस्तावना

2.2.1 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से पूर्णतया स्वामित्व रखने वाली सरकारी कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 1 मई 1974 को कम्पनी निगमित की गई थी। गठन के समय राज्य सरकार ने कम्पनी को 27 वाणिज्यिक (रेस्टोरेंट्स, बारज, पेट्रोल पम्प तथा शराब की दुकानें इत्यादि) तथा 13 गैर-वाणिज्यिक (विश्राम गृह, होटल तथा हट्स इत्यादि) इकाइयां हस्तांतरित की। कम्पनी ने महारौली में एक नर्सरी सहित 2004-09 के दौरान 43 से 47 कामप्लेक्सों का परिचालन किया। यह कम्पनी द्वारा परिचालित 14 पेट्रोल पम्पों के अतिरिक्त था। 25 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के विरुद्ध 31 मार्च 2009 को प्रदत्त पूंजी 20.19 करोड़ रूपए थी।

कम्पनी का प्रबंध एक अध्यक्ष तथा एक प्रबंध निदेशक (एम.डी.) सहित न्यूनतम दो तथा अधिकतम 11 निदेशकों, जो राज्य सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किए जाते हैं, से समाविष्ट निदेशक मण्डल (बी.ओ.डी.) में निहित है। 31 मार्च 2009 को अध्यक्ष तथा एम.डी. सहित सात निदेशक थे। एम.डी., कम्पनी का मुख्य कार्यकारी है तथा प्रधान कार्यालय में दिन-प्रतिदिन के कार्य में दो महाप्रबंधक, एक मुख्य लेखा अधिकारी, एक मुख्य अभियंता तथा एक कम्पनी सचिव उसकी सहायता करते हैं। कामप्लेक्सों का प्रबंध आवेष्टित कार्य की प्रमात्रा के अधीन महाप्रबंधक/उप-महाप्रबंधक/मण्डल प्रबंधक/अतिरिक्त मण्डल प्रबंधक द्वारा किया जाता है।

कम्पनी के कार्यचालन की अन्तिम समीक्षा 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)-हरियाणा सरकार में की गई थी। समीक्षा पर लोक उपक्रम समिति (कोपु) द्वारा विचार-विमर्श किया गया था तथा उनकी अनुशंसाएं 22 मार्च 2007 को राज्य विधान मण्डल को प्रस्तुत किए गए 53वें प्रतिवेदन में समाविष्ट हैं।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.2 मार्च से मई 2009 के दौरान संचालित की गई वर्तमान निष्पादन समीक्षा 2004-09 के दौरान नर्सरी सहित कम्पनी के विभिन्न कामप्लेक्सों का निष्पादन आवृत करती है। लेखापरीक्षा ने कम्पनी के प्रधान कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों की जांच के अतिरिक्त 43 कामप्लेक्सों में से 19 के अभिलेखों की नमूना-जांच की जैसा *अनुलग्नक 9* में दिया गया है। कामप्लेक्सों के कार्यों का निर्धारण करने के लिए भौगोलिक स्थिति तथा कार्य की प्रमात्रा (आवर्त का 48.26 प्रतिशत) के आधार पर चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य यह पता लगाने के लिए थे कि क्या:

- कम्पनी की गतिविधियों के परिणामस्वरूप इसके उद्देश्यों तथा राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुरूप पर्यटन का योजनाबद्ध विकास हुआ;

- कम्पनी ने पर्यटन के विकास हेतु समुचित योजना बनाई तथा कार्य योजना तैयार की और उसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया;
- सभी काम्पलेक्सों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य आधार पर परिचालित किया जा रहा था;
- प्रदान की गई सेवाओं का स्तर लक्ष्य के अनुरूप था;
- निधियों (अनुदानों के उपयोग सहित) का समुचित वित्तीय प्रबंध विद्यमान था; तथा
- कम्पनी ने प्रभावी मानीटरिंग तथा आन्तरिक नियंत्रण/लेखापरीक्षा प्रणाली की युक्ति निकाली।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.2.4 निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदण्ड अपनाए गए थे:

- भारत सरकार (जी.ओ.आई.) तथा राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा काम्पलेक्सों के विकास एवं परिचालन हेतु जारी किए गए दिशानिदेश;
- कम्पनी के बी.ओ.डी. तथा आहरण एवं सवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) की बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त;
- कम्पनी द्वारा नियत किए गए वेतन, भोजन एवं ईंधन मानक;
- पट्टा/क्रय अनुबंधों के निबन्धन एवं शर्तें;
- परियोजना रिपोर्टें, देनदारों के अभिलेख तथा प्रधान कार्यालय एवं काम्पलेक्सों में निधियों का निवेश; तथा
- प्रबंध द्वारा अपनाई गई आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा अन्य नियंत्रण प्रक्रियाएं।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.2.5 लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा मापदण्ड के संबंध में लेखापरीक्षा उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों का मिश्रण उपयोग किया:

- जी.ओ.आई./राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों की समीक्षा;
- कम्पनी के कार्मिकों के साथ अन्योन्यक्रिया/विचार-विमर्श तथा बी.ओ.डी. एवं डी.डी.ओ. की बैठकों की कार्यसूची टिप्पणियों एवं कार्यवृत्तों की समीक्षा;
- जी.ओ.आई./राज्य सरकार से प्राप्त अनुदानों तथा उनके उपयोग से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा;

- काम्पलेक्सों की आवधिक निष्पादन रिपोर्टों की समीक्षा;
- आवधिक आधार पर देनदारों तथा निधियों के निवेश की समीक्षा;
- कम्पनी द्वारा नियोजित विभिन्न नियंत्रण प्रक्रियाओं तथा एम.आई.एस. की समीक्षा; तथा
- दुकानों/स्थलों को लीज पर देने के लिए ठेकेदारों की चयन प्रक्रिया तथा उनके साथ निष्पादित अनुबंधों के निबंधन एवं शर्तों के कार्यान्वयन की समीक्षा।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.6 लेखापरीक्षा परिणाम जून 2009 में सरकार/प्रबंध को प्रतिवेदित किए गए थे तथा 7 सितम्बर 2009 को आयोजित निकास सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया जिसमें वित्तायुक्त एवं पर्यटन सचिव, हरियाणा सरकार तथा कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने भाग लिया था। समीक्षा का अन्तिमकरण करते समय प्रबंध के दृष्टिकोणों पर विचार किया गया है। लेखापरीक्षा परिणामों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में विचार-विमर्श किया गया है।

वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

2.2.7 कम्पनी ने अपनी गतिविधियों को आन्तरिक (आवास, खान-पान एवं शराब) तथा बाहरी (लीजिंग, पार्किंग, गेट-एण्ट्री, बोटिंग एवं पेट्रोल पम्पों) में बांटा है। आन्तरिक गतिविधियां पर्यटन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तथा बाहरी गतिविधियां सहायक हैं। वर्ष 2006-07 से कम्पनी के लेखे बकाया (अगस्त 2009) में थे। 31 मार्च 2008 तक गत चार वर्षों की कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम *अनुलग्नक 10* में दिए गए हैं। संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है।

(रूपे करोड़ में)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07*	2007-08*
पूँजी जमा आरक्षित एवं आधिक्य	26.09	30.59	35.99	40.65
देयताएं	67.65	82.08	104.95	134.34
परिसम्पत्तियां	93.74	112.67	140.94	174.99
आय	123.90	149.56	162.24	179.91
व्यय	122.49	146.39	159.02	175.67
लाभ	1.41	3.17	3.22	4.24

कम्पनी आन्तरिक एवं बाहरी गतिविधियों के आधार पर पृथक रूप से व्यय/लाभदायकता तैयार नहीं करती। 2004-08 के दौरान कम्पनी का राजस्व 615.61 करोड़ रूपए था जिसके विरुद्ध इसने 603.57 करोड़ रूपए का व्यय किया परिणामतः 12.04 करोड़ रूपए का कुल निवल लाभ हुआ। मुख्य राजस्व पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री (438.42 करोड़ रूपए) तथा भोजन, शराब एवं खनिजों की बिक्री (104.11 करोड़ रूपए) से था जबकि मुख्य व्यय पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद (428.07 करोड़ रूपए) तथा प्रशासनिक, विपणन एवं अन्य व्यय (118.80 करोड़ रूपए) पर था। कम्पनी ने 12.04 करोड़ रूपए का निवल लाभ अर्जित किया जिसने मुख्यतः भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों से सावधि जमाओं पर अर्जित 10.92 करोड़ रूपए का ब्याज भी शामिल किया।

* 2006-07 तथा 2007-08 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

कोपु ने मधुशालाओं में हैप्पी आवर्स जैसी स्कीमों को आरंभ करने तथा निजी होटलों एवं मोटलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कमरों की लचीली दरों के लिए काम्पलेक्सों के प्रभारी अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करके मोटलों के अधिभोग का सुधार करने की अनुशंसा की (मार्च 2007)। ये अनुशंसाएं, तथापि, कार्यान्वित नहीं की गई थी (अगस्त 2009)।

कम्पनी संबंधित प्रभारी की अनुशंसाओं पर आधारित संबंधित काम्पलेक्सों के स्थान एवं आवर्त को ध्यान में रखते हुए कमरों के किराए नियत कर रही थी। 2004-09 के दौरान कम्पनी ने अपने काम्पलेक्सों के किराए 1-3 बार संशोधित किए।

पर्यटक काम्पलेक्सों का निष्पादन

2.2.8 कम्पनी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक राज्य में तथा अन्यत्र, पर्यटकों के लिए रेस्टोरेंट, बारज, होटलों, हटज, मोटलों, अतिथि गृहों, पेट्रोल पम्पों तथा अन्य स्थानों के परिचालन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना है। कम्पनी ने 2004-09 के दौरान 43 से 47 पर्यटक काम्पलेक्सों का परिचालन किया जिनमें से 38 से 40 काम्पलेक्सों में वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक दोनों गतिविधियां थी। कम्पनी ने 2004-09 के दौरान चार पर्यटक काम्पलेक्सों (हरियाणा भवन कैटीन सहित) को बन्द कर दिया। कम्पनी के पर्यटक काम्पलेक्सों (बाहरी गतिविधियों सहित) का परिचालन निष्पादन निम्नानुसार था:

वर्ष	काक्सों कीया	निवल परिचालन आधिक्य # (पेट्रोल पंपों से मूल्यहास, बंधे खर्चों तथा लाभों को छोड़कर) (रूपए करोड़ में)	लाभ अर्जित करने वाले पर्यटक काम्पलेक्स			हानियां उठाने वाले पर्यटक काम्पलेक्स		
			संख्या	कुल काम्पलेक्सों की प्रतिशतता	लाभ (रूपए करोड़ में)	संख्या	कुल काम्पलेक्सों की प्रतिशतता	लाभ (रूपए करोड़ में)
2004-05	47	7.96	27	57.45	9.24	20	42.55	1.28
2005-06	45	10.07	24	53.33	11.55	21	46.67	1.48
2006-07	43	12.14	26	60.47	13.35	17	39.53	1.21
2007-08	43	15.11	26	60.47	16.45	17	39.53	1.34
2008-09	43	17.72	30	69.77	18.58	13	30.23	0.86
योग		63.00			69.17			6.17

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2004-09 के दौरान 24 तथा 30 के मध्य श्रृंखलित काम्पलेक्सों ने 69.17 करोड़ रूपए के लाभ अर्जित किए जबकि 13 तथा 21 के मध्य श्रृंखलित काम्पलेक्सों ने 6.17 करोड़ रूपए की हानियां उठाई। घाटा उठाने वाले काम्पलेक्सों की समीक्षा ने प्रकट किया कि 11* काम्पलेक्स निरन्तर घाटे में चल रहे थे जो मार्च 2009 तक गत पांच वर्षों के दौरान 4.01 करोड़ रूपए तक संचित हो गए। इनमें से केवल एक काम्पलेक्स मई 2008 में बन्द किया गया। ऊपर कथित लाभ/हानि वैयक्तिक काम्पलेक्स पर बंधे खर्चों तथा मूल्यहास को सविभाजित किए बिना हैं क्योंकि मूल्यहास तथा बंधे खर्चों के संबंध में वैयक्तिक काम्पलेक्स की ओर सविभाजित लागत से संबंधित आंकड़ा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया है। यदि मूल्यहास तथा बंधे खर्चों को भी लाभदायकता के परिकलन हेतु माना जाता है तो हानि उठाने वाले काम्पलेक्सों की संख्या भी बढ़ जाएगी।

अनुच्छेद 2.2.32 में चर्चा की गई।

* आसाखेड़ा, फतेहाबाद, हांसी, जींद, ज्योतिसर, मोरनी हिल्स एवं टिककर ताल, ओट्टू, पेहोवा, रेवाड़ी, समालखा तथा सिरसा। हानि में बागवानी तथा मूलभूत संरचना पर व्यय सम्मिलित है।

30 सितम्बर 2006 की समाप्ति छःमाही कार्यचालन परिणामों की समीक्षा करते समय बी.ओ.डी. ने इच्छा प्रकट की (नवंबर 2006) कि प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक-प्रशासन (जी.एम.ए.) तथा मुख्य वास्तुकार सेमी एक समिति यह देखने के लिए पर्यटक काम्पलेक्सों के आंकड़े/सांख्यिकी का अध्ययन करे कि क्या हानियों से बचाव के लिए हानि उठा रहे पर्यटक काम्पलेक्सों को बन्द किया सकता है। समिति ने अनुशंसा की (अप्रैल 2007) कि हांसी, फतेहाबाद तथा ओट्टू के कलेक्सों को तुरंत बन्द किया जाए क्योंकि ये आरंभ से घाटे में चल रहे थे तथा निकट भविष्य में पुनर्जीवित नहीं हो सकते। समिति की अनुशंसाएं बी.ओ.डी. के समक्ष रखी गई थी (जून 2007) जिसने हांसी तथा ओट्टू के पर्यटक काम्पलेक्सों को बन्द करने का निर्णय लिया कि कोई कारण बताए बिना आदेश दिया कि फतेहाबाद काम्पलेक्स को बन्द करना आसान नहीं है। हांसी का पर्यटक काम्पलेक्स अब तक (अगस्त 2009) बन्द नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार का औपचारिक अनुमोदन प्रतीक्षित था यद्यपि इसने मार्च 2009 तक 45 लाख रूपए की हानियां उठाई तथा ओट्टू का काम्पलेक्स मई 2008 में बन्द किया गया था तब तक इसने 48.12 लाख रूपए की हानियां उठाई थी। आगे, फतेहाबाद के काम्पलेक्स को बन्द न करने का बी.ओ.डी. का निर्णय तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह अ (1999-2000) से घाटे में चल रहा था तथा मार्च 2009 तक 92.97 लाख रूपए हानि संचित हो गई। उपर्युक्त हानियों के अतिरिक्त कम्पनी ने इन तीन काम्पलेक्सों में ओ.डी. के निर्णय के पश्चात् भी 51.43 लाख रूपए की हानि उठाई।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) हानियां उठाने वाली इकाइयों की संख्या घट रही है। तथापि, तथ्य शेष रहता है कि ग्यारह इकाइयां निरन्तर घाटे में हैं तथा केवल एक इकाई को बन्द किया गया है।

पर्यटन के योजनाबद्ध विकास हेतु विधियां

पर्यटक आगमन

2.2.9 हरियाणा सरकार ने 2008 पर्यटन नीति प्रतिपादित की। नीति के अनुसार कम्पनी से अपेक्षित था:

- कम्पनी द्वारा नियत क्षेत्रों क्षेत्रों में हेतु इवेंट मैनेजर्स की सेवाओं का उपयोग तथा राज्य की पर्यटन संभावना का अध्ययन;
- इसके होटलों में पंचकर्म तथा सुविधाओं को पर्यटकों के अधिक अनुकूल बनाने के लिए उनका आरंभ करना
- राज्य सरकार के प्रतिनिधि रूप में सार्वजनिक-निजी साझेदार परियोजनाओं की सहायता करना; तथा
- विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के टूर आपरेटर्स तथा निजी होटल मालिकों के साथ संयुक्त रूप में रोड शो आयोजित करना।

* पंचकर्म, शरीर कायाकल्प हेतु आदेक थेरेपी है।

यह अवलोकित किया गया था कि पर्यटकों के आगमन हेतु नीति में कोई प्रक्षेपण नहीं बनाए गए थे। आगे, कम्पनी ने केवल सूरजकुंड में होटल राजहंस में पंचकर्म एवं स्पा सुविधाएं आरंभ की किन्तु अब तक (जुलाई 2009) अन्य पहलुओं के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की। 2004-09 के दौरान कम्पनी के काम्पलेक्सों में आने वाले पर्यटकों का संक्षेपित विघटन नीचे दिया गया है:

वर्ष	कम्पनी के काम्पलेक्सों में आने वाले पर्यटकों की संख्या		
	घरेलू	विदेशी	योग
	(संख्या लाख में)		
2004-05	60.14	0.73	60.87
2005-06	65.20	0.73	65.93
2006-07	59.62	0.72	60.34
2007-08	57.69	0.63	58.32
2008-09	59.45	0.79	60.24

(स्रोत: पर्यटक आगमन के आंकड़े पर्यटन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए थे)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि 2004-09 के दौरान पर्यटकों का आगमन 58.32 लाख तथा 65.93 लाख के मध्य श्रृंखलित रहा। घरेलू पर्यटकों का अन्तर्वाह जो 2005-06 में 65.20 लाख था 2008-09 में 59.45 लाख तक घट गया। इसी प्रकार, विदेशी पर्यटकों का अन्तर्वाह जो 2004-05 में 0.73 लाख था 2006-07 से आगे घटना आरंभ हो गया। तथापि, यह 2008-09 के दौरान 0.79 लाख तक बढ़ गया। कम्पनी ने 2005-06 के पश्चात् पर्यटकों के अन्तर्वाह में घटती प्रवृत्ति हेतु उपचारात्मक कदम उठाने के लिए कारणों का विश्लेषण नहीं किया।

निकास सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान वित्तायुक्त (पर्यटन) ने सूचित किया कि पर्यटन विभाग द्वारा दिए गए आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे तथा सही आंकड़े प्राप्त करने के लिए यंत्रावली परिकल्पित की जाएगी।

कार्य योजना तथा इसका कार्यान्वयन

2.2.10 कम्पनी ने राज्य में पर्यटन के विकास हेतु कोई लघु अथवा दीर्घ अवधि कार्य योजना तैयार नहीं की। जिसके अभाव में कम्पनी के उद्देश्यों की उपलब्धि की पर्याप्तता का निर्धारण नहीं किया जा सका। आगे, वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले गतिविधि-वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तैयार नहीं किए गए थे। तथापि, केवल आन्तरिक गतिविधियों के संबंध में आवर्त लक्ष्य अगस्त 2006 से तिमाही आधार पर कम्पनी द्वारा नियत किए गए थे तथा वर्ष 2007-08 के दौरान 32 काम्पलेक्स आवर्त लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके।

कम्पनी के परिचालन

2.2.11 2004-08 के दौरान 615.61 करोड़ रूपए के कम्पनी के राजस्व में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री (438.42 करोड़ रूपए), भोजन सामग्री तथा शराब की बिक्री (104.11 करोड़ रूपए), कमरा किराया (35.17 करोड़ रूपए), पट्टा धन (10.40 करोड़ रूपए), ब्याज (10.93 करोड़ रूपए) तथा अन्य आय (16.58 करोड़ रूपए) समाविष्ट है। इसके विरुद्ध कम्पनी का व्यय 2004-08 के दौरान 603.57 करोड़ रूपए था जो पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद (428.07 करोड़ रूपए), केटरिंग एवं शराब के उपभोग तथा अन्य क्रय (48.72 करोड़ रूपए),

प्रशासनिक, विपणन तथा अन्य व्यय (118.80 करोड़ रूपए) तथा मूल्यहास (7.98 करोड़ रूपए) से बना है। कम्पनी ने इस प्रकार 12.04 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया जिसमें सावधि जमाओं पर अर्जित 10.92 करोड़ रूपए का ब्याज शामिल है। यद्यपि, कम्पनी ने अपनी परिचालनात्मक गतिविधियों से 2004-08 के दौरान 1.12 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया तथापि अनुवर्ती अनुच्छेदों में विश्लेषण से प्रमाण के रूप में कम्पनी की गतिविधियों में सुधार हेतु असीम संभावना है।

काम्पलेक्सों का अधिभोग

2.2.12 कम्पनी 768 कमरों की कुल क्षमता से 41 मोटलों का परिचालन कर रही (मार्च 2009) थी। कम्पनी ने न तो अधिभोग हेतु कोई लक्ष्य नियत किए और न ही इसके मोटलों को चलाने में स्तर के विचलन को ही परिकलित किया। होटल उद्योग के अनुसार 60 प्रतिशत का औसत अधिभोग वांछनीय माना गया था। 2004-09 के दौरान कम्पनी के औसत वार्षिक अधिभोग का संक्षिप्त विघटन नीचे दिया गया है:

वर्ष	अधिभोग		
	प्राप्य कमरा दिन	किराए पर कमरा दिन	प्रतिशतता
2004-05	259837	168921	65
2005-06	260221	184956	71
2006-07	262885	200281	76
2007-08	273782	212490	78
2008-09	280360	216097	77

कम्पनी 2004-05 के दौरान 65 प्रतिशत से 2008-09 के दौरान 77 प्रतिशत तक इसकी अधिभोग स्थिति में सुधार करने में सक्षम हो गई थी। औसत किराया भी 2004-05 के दौरान 971 रूपए प्रति कमरा दिन से 2007-08 के दौरान 1,299 रूपए प्रति कमरा दिन तक बढ़ गया। 2004-05 से 2007-08 के दौरान किराए में 33.78 प्रतिशत तक वृद्धि थी। तथापि, अधिभोग तथा किराए में वृद्धि कम्पनी की समग्र लाभदायता में पर्याप्त रूप से नहीं जोड़ी गई क्योंकि अवधि के दौरान प्रशासनिक, विपणन तथा अन्य व्यय* भी 51.93 प्रतिशत तक बढ़ गए। वैयक्तिक काम्पलेक्सों के अधिभोग के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 11 से 25 काम्पलेक्सों में अधिभोग निम्न विवरणानुसार 60 प्रतिशत के होटल उद्योग मानक से नीचे था:

क्र.सं.	अधिभोग प्रतिशतता	मोटलों की संख्या				
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	20 से कम	4	1	2	2	2
2	20 तथा 39 के मध्य	4	5	6	4	5
3	40 तथा 59 के मध्य	17	14	11	9	4
	योग (60 से नीचे)	25	20	19	15	11
4	60 तथा 79 के मध्य	10	12	10	12	15
5	80 तथा ऊपर	8	9	12	14	15
	योग (60 से अधिक)	18	21	22	26	30
	योग	43	41	41	41	41

* प्रशासनिक, विपणन तथा अन्य व्यय समग्र कम्पनी के संबंध में हैं क्योंकि मोटलों के संबंध में पृथक व्यय विवरण कम्पनी द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं।

इनमें से नौ* मोटलों का अधिभोग 31 मार्च 2009 को समाप्त सभी पांच वर्षों में 60 प्रतिशत के मानक से सुसंगत रूप से कम था। पर्याप्त प्रचार की कमी, पर्याप्त पर्यटक सुविधाओं की कमी, निजी होटलों एवं मोटलों के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु कमरों की लचीली दरों के लिए पर्यटक काम्पलेक्सों के अधिकारियों/प्रभारी को शक्तियां प्रदान न करने के कारण निम्न अधिभोग था। आगे, प्रबंध निदेशकों के निरंतर परिवर्तनों* के परिणामस्वरूप कम्पनी के कार्याचालन में सुधार हेतु दीर्घ अवधि कार्य योजना के प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तर पर निरन्तरता की कमी हुई। लेखापरीक्षा ने भी अवलोकित किया कि 4 से 9 मोटल, जहां अधिभोग 60 प्रतिशत के वांछनीय मानक से अधिक था, इन मोटलों के परिचालन में सुधार का असीम क्षेत्र इंगित करते हुए 2004-09 के दौरान हानियां उठा रहे थे।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि काम्पलेक्सों का अधिभोग उनके स्थान तथा ग्राहकता के प्रकार पर निर्भर करता है। तथापि, प्रत्येक इकाई हेतु अधिभोग के लक्ष्य जुलाई 2009 में नियत किए गए हैं।

भोजन लागत

2.2.13 कम्पनी ने स्थान एवं बिक्री को ध्यान में रखते हुए विभिन्न काम्पलेक्सों हेतु केटरिंग आवर्त के 25 तथा 35 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित काम्पलेक्स-वार भोजन लागत मानक नियत किए (अगस्त 2003)। अगस्त 2008 में ये केटरिंग आवर्त के 20 से 30 प्रतिशत तक संशोधित किए गए थे। नियत मानकों पर आधारित वास्तविक भोजन लागत 2004-05 में 13 काम्पलेक्सों, 2005-06 में 16 काम्पलेक्सों, 2006-07 में 18 काम्पलेक्सों, 2007-08 में 24 काम्पलेक्सों तथा 2008-09 में 36 काम्पलेक्सों में अधिक थी। 2004-09 के दौरान मानकों से अधिक वास्तविक लागत के परिणामस्वरूप 1.81 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। अतिरिक्त भोजन लागत मुख्यतः निम्न केटरिंग आवर्त तथा उच्चतर अतिरिक्त खर्चों के कारण थी।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि हानि उठा रही कम्पनियों की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है तथा सुधार हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। तथापि, लेखापरीक्षा अवलोकित करती है कि परिणामों में यह प्रतिबिंबित नहीं होता है।

मानकों के आधिक्य में भोजन एवं ईंधन लागत के परिणामस्वरूप 2.92 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ईंधन लागत

2.2.14 केटरिंग आवर्त के सम्बन्ध में ईंधन लागत की प्रतिशतता विभिन्न काम्पलेक्सों के लिए 4 तथा 14 प्रतिशत के मध्य नियत (अगस्त 2003) की गई थी जबकि उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा पंजाब पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (पी.टी.डी.सी.) में ईंधन लागत मानक क्रमशः तीन, तीन तथा छः प्रतिशत थे। कम्पनी ने मानक संशोधित किए (अगस्त 2008) जो 5 तथा 12 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रहे। वास्तविक ईंधन लागत 2004-05 में 29 काम्पलेक्सों, 2005-06 में 36 काम्पलेक्सों,

* डमडमा, फतेहाबाद, हांसी, मोरनी हिल्स एवं टिक्कर ताल, ओट्टू, पेहोवा, रेवाड़ी, सिरसा तथा यमुनानगर।

* एम.डी. का पद 4 से 33 माह तक श्रृंखलित अवधि सहित 2004-09 के दौरान चार पदधारियों द्वारा धारण किया गया था।

2006-07 में 36 काम्पलेक्सों, 2007-08 में 37 काम्पलेक्सों तथा 2008-09 में 21 काम्पलेक्सों में मानकों के आधिक्य में (4.01 से 33.33 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित) थी जो खराब निष्पादन इंगित करती है। 2004-09 के दौरान मानकों के आधिक्य में ईंधन लागत के परिणामस्वरूप 1.11 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि ईंधन के मूल्य में वृद्धि, भोजन दरों में असमानता तथा भोजन की कम बिक्री ने उच्चतर लागत हेतु योगदान दिया। इसे वांछित स्तरों पर रखने के प्रयास किए जा रहे थे।

बिजली की लागत

2.2.15 कम्पनी ने अपने पर्यटक काम्पलेक्सों में बिजली की खपत हेतु कोई मानक नियत नहीं किए थे जबकि पी.टी.डी.सी. ने अपने काम्पलेक्सों में आवर्त के पांच प्रतिशत का मानक नियत किया था। 168.84 करोड़ रूपए के आवर्त वाले काम्पलेक्सों ने 8.44 करोड़ रूपए के मानकों (पी.टी.डी.सी. मानक पर आधारित) के विरुद्ध 13.54 करोड़ रूपए का बिजली व्यय किया परिणामस्वरूप 2004-09 के दौरान 5.10 करोड़ रूपए की सीमा तक बिजली की अतिरिक्त खपत हुई।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि निकट भविष्य में मानक नियत करने का प्रयास किया जाएगा।

अलाभकर फास्ट फूड काउंटर्स

2.2.16 जी.ओ.आई. द्वारा जारी (जनवरी 1999) दिशानिदेशों के अनुसार सड़क द्वारा पर्यटक स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम्पनी के किसी भी पर्यटक केन्द्र/विद्यमान काम्पलेक्स से 50 के.एम. की दूरी पर फास्ट फूड काउंटर्स का निर्माण किया जाना चाहिए। दिशानिदेशों के उल्लंघन में कम्पनी ने अपने विद्यमान काम्पलेक्सों के इर्द-गिर्द औचित्य सर्वेक्षण के बिना सात[#] फास्ट फूड काउंटर्स का निर्माण किया। कम्पनी ने कम बिक्री के कारण निजी पार्टियों को 2004-09 के दौरान दो^{*} फास्ट फूड काउंटर्स को पट्टे पर दिया। तीन^{*} फास्ट फूड काउंटर्स में कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए जिनके अभाव में उनके कार्यचालन की समीक्षा नहीं की जा सकी। शेष दो^{*} फास्ट फूड काउंटर्स में, जहां पृथक लेखे अनुरक्षित किए गए थे, कम्पनी ने अतिरिक्त भोजन, ईंधन, बिजली तथा वेतन लागत के कारण 2004-09 के दौरान 83.03 लाख रूपए की हानि उठाई।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि हानियां अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चों के कारण थीं। तथापि, भोजन, ईंधन तथा वेतन लागत पर नियंत्रण से इन काउंटर्स को व्यवहार्य बनाया जा सकता है।

धारुहेड़ा, होडल, करनाल, पानीपत, पिंजौर, पिपली तथा रोहतक।

* धारुहेड़ा तथा होडल।

* करनाल, पानीपत तथा पिपली।

♦ पिंजौर तथा रोहतक।

दो फास्ट फूड काउंटर्स ने 83.03 लाख रूपए की हानि उठाई।

मद्य गतिविधियों का निष्पादन

2.2.17 कम्पनी ने 2004-09 के दौरान अपने विभिन्न काम्पलेक्सों में 36 से 39 मधुशालाओं का परिचालन किया। इन मधुशालाओं के लिए कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए थे। नमूना-जांच की गई 15 मधुशालाओं में से 8 से 10 मधुशालाएं निम्न विवरणानुसार 2004-09 के दौरान हानियां उठा रही थी:

वर्ष	हानि में चल रही मधुशालाएं (संख्या)	आय	व्यय (रूपए करोड़ में)	हानि
2004-05	10	1.11	1.38	0.27
2005-06	8	1.01	1.23	0.22
2006-07	8	0.84	1.20	0.36
2007-08	10	1.08	1.54	0.46
2008-09	8	0.76	0.88	0.12
योग		4.80	6.23	1.43

कम्पनी ने 2004-09 के दौरान 8 से 10 मधुशालाओं में 1.43* करोड़ रूपए की हानि उठाई। इस अवधि के दौरान चार^Y मधुशालाएं निरंतर घाटे में चल रही थी तथा 2004-09 के दौरान 81.51 लाख रूपए की हानि उठाई। प्रबंध ने निजी मधुशालाओं की तुलना में शराब की कम बिक्री; शराब/बीयर के लोकप्रिय ब्राण्डों की अप्राप्यता; पुरानी मूलभूत संरचना तथा उच्चतर दरों को हानियां आरोपित की। तथापि, बिक्री को बढ़ाने के लिए कोई सुधारात्मक उपाए नहीं किए गए थे।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि हानि के आंकड़े प्रामाणिक नहीं थे क्योंकि मधुशालाओं के कोई पृथक लेखे अनुरक्षित नहीं किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हानियों के आंकड़े काम्पलेक्सों द्वारा प्रदान किए गए थे।

अव्यवहार्य परियोजना का विकास

2.2.18 ओट्टू काम्पलेक्स के विकास हेतु संचालित औचित्य रिपोर्ट ने बताया (जुलाई 2001) कि स्थानिक प्रतिकूल परिस्थिति तथा निम्न अधिभोग दर के कारण प्रति वर्ष 8.74 लाख रूपए की हानि होगी। इन परिणामों के बावजूद तथा कोई कारण दर्ज किए बिना कम्पनी ने इस काम्पलेक्स के निर्माण हेतु जी.ओ.आई. से 1.48 करोड़ रूपए के अनुदान की संस्वीकृति प्राप्त की (दिसम्बर 2003)। जी.ओ.आई. ने 2003-05 के दौरान दो किस्तों में 1.15 करोड़ रूपए जारी किए। संस्वीकृति के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार अप्रयुक्त निधियां जी.ओ.आई. को अभ्यर्पित की जानी थी अथवा अन्य परियोजनाओं के विरुद्ध राशि हस्तांतरण/समायोजन करने के लिए औपचारिक अनुमोदन लिया जाना था। कम्पनी ने अक्टूबर 2005 तक 47.65 लाख रूपए का व्यय किया तथा मई 2008 से इस परियोजना को इसके समापन पर परित्यक्त किया। इस प्रकार, प्रतिकूल औचित्य रिपोर्ट के बावजूद इस परियोजना को हाथ में लेने के कम्पनी के निर्णय में औचित्य की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप 47.65 लाख रूपए का निष्फल व्यय हुआ।

प्रतिकूल रिपोर्ट के बावजूद ओट्टू काम्पलेक्स प्रारंभ किया गया तथा परिणामस्वरूप 47.65 लाख रूपए का निष्फल व्यय हुआ।

* बिक्रियों पर आय तथा प्रदत्त परमिट फीस, वेतन एवं बिजली पर व्यय के आधार पर परिकलित की गई।

^Y पेहोवा, जींद, मोरनी हिल्स तथा ओएसिस-करनाल।

कम्पनी ने 67.58 लाख रूपए की अप्रयुक्त राशि के हस्तांतरण/समायोजन हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि अप्रयुक्त अनुदान, राज्य सरकार से समापन का अनुमोदन प्राप्त करने पर प्रत्यर्पित किया जाएगा।

दिल्ली में हरियाणा भवन कैटीन को चलाने में हानि

2.2.19 निजी ठेकेदार द्वारा दिल्ली में चलाई जा रही हरियाणा भवन कैटीन जून 2002 में राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को हस्तांतरित की गई थी। हस्तांतरण की शर्तों के अनुसार कैटीन को लाभ-हानि रहित आधार पर चलाया जाना था तथा भोजन एवं पेय मदों, जो आर्थिक सहायता प्राप्त थी, की दरें राज्य सरकार द्वारा नियत की जानी थी तथा कम्पनी को उन्हें संशोधित करने का कोई प्राधिकार नहीं था। शर्तों के अनुसार कैटीन को चलाने में किसी भी प्रकार की हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी थी। कम्पनी ने 2002 से 2005 के दौरान कैटीन के परिचालन में 66.78 लाख रूपए की हानि उठाई तथा कैटीन को बाद में अक्टूबर 2005 में आर्थिक-सत्कार विभाग के सुपुर्द किया गया था। राज्य सरकार ने तथापि, जुलाई 2005 में केवल 10 लाख रूपए की प्रतिपूर्ति की। कम्पनी ने शेष राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार के साथ मामला नहीं उठाया जिसके परिणामस्वरूप 56.78 लाख रूपए की हानि हुई।

निर्माण गतिविधियां

2.2.20 57 कर्मचारियों सहित (मार्च 2009) मुख्य अभियंता की अध्यक्षता वाला कम्पनी का अपना निर्माण स्कंध है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त निधियों के विरुद्ध राज्य पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटक काम्प्लेक्सों के निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व लेता है।

भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने 2004-09 के दौरान 213 परियोजनाओं हेतु 111.97 करोड़ रूपए (भारत सरकार: 70.95 करोड़ रूपए तथा राज्य सरकार: 41.02 करोड़ रूपए) संस्वीकृत किए। इसके विरुद्ध कम्पनी ने 78.70 करोड़ रूपए (भारत सरकार: 37.68 करोड़ रूपए तथा राज्य सरकार: 41.02 करोड़ रूपए) प्राप्त किए तथा मार्च 2009 तक 48.44 करोड़ रूपए का व्यय किया।

केन्द्रीय सहायताप्राप्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.2.21 जी.ओ.आई., पर्यटक मूलभूत संरचना सुविधाओं, जैसे परिवर्धन, परिवर्तन तथा नवीकरण इत्यादि, के संवर्धन हेतु राज्य सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता अनुमत कर रही है। राज्य सरकार से विशिष्ट प्रस्तावों पर प्रत्येक वर्ष सहायता प्रदान की गई थी। राज्य सरकार को बिजली, जलापूर्ति, मलनिर्यास तथा अनुमोदित सड़कों जैसी सुविधाओं के साथ लागत-मुक्त विकसित भूमि उपलब्ध करवाना अपेक्षित था। कम्पनी ने 2004-09 के दौरान 16 परियोजनाओं के विकास हेतु 75.95 करोड़ रूपए की संस्वीकृत राशि के विरुद्ध जी.ओ.आई. से 37.68 करोड़ रूपए प्राप्त किए। कम्पनी ने मार्च 2009 तक 19.35 करोड़ रूपए का व्यय किया तथा 18.33 करोड़ रूपए का अप्रयुक्त अनुदान 31 मार्च 2009 को कम्पनी के पास पड़ा था।

जी.ओ.आई. से प्राप्त
18.33 करोड़ रूपए का
अनुदान अप्रयुक्त रहा।

निम्न तालिका मार्च 2009 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति इंगित करती है।

वर्ष	परियोजनाएं					रूप करोड़ में				
	संस्वीकृत	पूर्ण की गई	प्रगति में	छोड़ी गई	अभी आरंभ की जानी हैं	संस्वीकृत	प्राप्त	अभी प्राप्त किए जाने हैं	किया गया व्यय	गया
2004-05	3	1	1	1	-	6.32	5.05	1.27	2.82	
2005-06	2	1	1	-	-	6.00	4.80	1.20	5.39	
2006-07	3	-	3	-	-	21.78	10.64	11.14	10.16	
2007-08	4	-	4	-	-	12.35	9.95	2.40	0.98	
2008-09	4	-	-	-	4	24.50	7.24	17.26	-	
योग	16	2	9	1	4	70.95	37.68	33.27	19.35	
छोड़ी गई				1		1.46	1.17	-	0.03	

2004-09 के दौरान जी.ओ.आई. द्वारा संस्वीकृत 16 परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाएं* 30 तथा 6 माह की समय सूची के विरुद्ध क्रमशः 8 तथा 36 माह के विलम्ब के पश्चात् पूर्ण की गई थी। एक परियोजना* संभावना आधारों पर छोड़ी गई थी तथा इस परियोजना हेतु प्राप्त 1.17 करोड़ रूपए में से 1.14 करोड़ रूपए की अप्रयुक्त राशि सितम्बर 2008 के दौरान दूसरे कार्य के विरुद्ध कम्पनी द्वारा समायोजित की गई है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण कम्पनी को अभी जी.ओ.आई. से 32.98 करोड़ रूपए^Y प्राप्त करने थे। कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन/वृद्धि, आयोजना एवं अन्तिमकरण में विलम्ब, सीमेंट तथा स्टील की आपूर्ति में विलम्ब तथा कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब जैसे कारणों के कारण परियोजनाएं विलम्बित थी।

राज्य से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.2.22 राज्य सरकार ने काम्पलेक्सों की मरम्मत एवं अनुरक्षण, पुनरुद्धार, परिवर्धन तथा नवीकरण हेतु 2004-09 के दौरान 197 परियोजनाओं के लिए 41.02 करोड़ रूपए संस्वीकृत किए जिसके विरुद्ध कम्पनी 29.09 करोड़ रूपए खर्च करके मार्च 2009 तक 96 परियोजनाओं को पूर्ण कर सकी तथा 11.93 करोड़ रूपए की शेष राशि सावधि जमाओं में रखी गई थी। मार्च 2009 को 90 परियोजनाएं प्रगति में थी तथा नौ परियोजनाएं अभी आरंभ की जानी थी। कम्पनी ने अव्यवहार्यता के कारण दो परियोजनाएं* छोड़ दी। परियोजनाएं कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन/वृद्धि, योजना एवं अन्तिमकरण में विलम्ब, सीमेंट एवं स्टील की आपूर्ति में विलम्ब तथा काम्पलेक्सों की सुविधाओं के अनुवर्ती विलम्बित परिवर्धन सहित कार्यों के कार्यान्वयन में विलम्ब जैसे कारणों के कारण विलम्बित थी। कम्पनी इस प्रकार, राज्य में पर्यटन के उन्नयन हेतु निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकी।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि लेखापरीक्षा द्वारा तैयार की गई विवरणी उचित नहीं है तथा राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत निधियों का समुचित रूप से तथा समयबद्ध उपयोग किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंकड़ा स्वयं कम्पनी द्वारा प्रदान किया गया था तथा निधियों का

* इसमें छोड़ी गई परियोजना के 0.29 करोड़ रूपए शामिल है।

• सूरजकुंड, फरीदाबाद तथा तिलयार, रोहतक का विकास।

♦ बड़खल लेक, फरीदाबाद का विकास।

^Y छोड़ी गई परियोजनाओं के संबंध में 0.29 करोड़ रूपए छोड़कर।

♣ ज्योतिसर फास्ट फूड तथा ब्लू बर्ड, हिसार।

समयबद्ध उपयोग नहीं किया गया था चूँकि 2005-06 से 2008-09 तक से संबंधित 90 परियोजनाएं अभी प्रगति में है तथा नौ निर्माण कार्यों को अभी आरंभ किया जाना है।

सम्मेलन केन्द्र

2.2.23 जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार ने सूरजकुंड, फरीदाबाद में सम्मेलन कक्ष के निर्माण हेतु 4.22 करोड़ रूपए की राशि की निधियां संस्वीकृत की (मार्च 2004)। जुलाई 2005 की अनुसूचित पूर्णता तारीख के विरुद्ध ठेकेदार द्वारा कार्य जुलाई 2008 में पूर्ण किया गया था। ठेकेदार ने कार्य की पूर्णता में विलम्ब सीमेंट एवं स्टील की विलम्बित आपूर्ति, मूल ले-आउट प्लान में परिवर्तन तथा चालू बिलों का समय पर भुगतान न करने को आरोपित किया। कम्पनी ने जी.ओ.आई. से 1.16 करोड़ रूपए (अप्रैल 2004 तथा मई 2007) तथा राज्य सरकार से 3.83 करोड़ रूपए (मई 2004 से मार्च 2008) प्राप्त किए। केन्द्र पर 5.11 करोड़ रूपए की राशि का व्यय किया गया जो आकलित मूल लागत से 0.89 करोड़ रूपए (मूल ले-आउट प्लान में परिवर्तन के कारण 0.79 करोड़ रूपए तथा अतिरिक्त लागत के कारण 0.10 करोड़ रूपए) तक बढ़ गया।

कार्यालय भवन

2.2.24 कम्पनी ने 2.74 करोड़ रूपए की आकलित लागत पर पंचकूला में अपने कार्यालय भवन का निर्माण करने की योजना बनाई। कार्यालय भवन के निर्माण हेतु सिविल कार्य 15 माह अर्थात् जून 2006 तक की समय सीमा सहित दो करोड़ रूपए की लागत पर एक ठेकेदार को आबंटित किया गया था (मार्च 2005)। कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के साथ आकलन 4.20 करोड़ रूपए तक बढ़ गए थे (अक्टूबर 2007)। भवन तथापि, 4.66 करोड़ रूपए की कुल लागत पर (अन्तिम बिल छोड़कर) अप्रैल 2008 में पूरा किया गया था। सीमेंट, स्टील प्रदान करने में विलम्ब, मूल ले-आउट प्लान में निरंतर परिवर्तनों तथा कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के कारण निर्माण में विलम्ब हुआ। इस प्रकार, भवन का कार्य अनुचित आयोजना के कारण विलम्बित था जिससे लागत 0.46 करोड़ रूपए (4.66 करोड़ रूपए घटा 4.20 करोड़ रूपए) तक बढ़ गई।

कार्यालय भवन की विलम्बित पूर्णता के कारण लागत वृद्धि 0.46 करोड़ रूपए थी तथा किराए की ओर राजस्व की हानि 0.80 करोड़ रूपए थी।

जुलाई 2008 में कम्पनी ने सम्पूर्ण भवन को अपने अधिकार में रखने के बजाए किराए पर देने का निर्णय लिया। तदनुसार, मई 2009 से 8.93 लाख प्रति माह की दर पर भवन चार विभागों को किराए पर दिया गया था। योजना की कमी के कारण कम्पनी ने पूर्णता की तारीख से भवन को किराए पर देने के लिए एक वर्ष का समय लिया। यदि कम्पनी जुलाई 2008 में भवन को किराए पर देने का निर्णय लेने के पश्चात् अगस्त 2008 से इसे किराए पर देती तो यह अप्रैल 2009 तक प्रति माह 8.93 लाख रूपए की दर पर 80.37 लाख रूपए का राजस्व अर्जित करती।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि समायोजित किए जाने वाले विभागों के अन्तिमकरण में विलम्ब के कारण भवन को किराए पर देने में विलम्ब था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि मामला भवन को किराए पर देने के निर्णय (जुलाई 2008) के पश्चात् तुरंत सुलझाया जाना चाहिए था।

अपर्याप्त विपणन

विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय आवर्त का 0.14 तथा 0.24 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित नगण्य था।

2.2.25 उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए किसी भी व्यापार का विपणन आवश्यक है। पर्यटकों के निरंतर अन्तर्वाह को आकर्षित करने के लिए पर्यटन उद्योग उपभोक्ताओं के विभिन्न समूहों के लिए विभिन्न आकर्षक दृश्य-दर्शन पैकेजों का प्रस्ताव करता है जिसमें इसके साथ-साथ केटरिंग, परिवहन, पर्यटक गाइड इत्यादि शामिल हैं। ऐसे पैकेजों को प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि के माध्यम से व्यापक रूप से विज्ञापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कमीशन एजेंट भी और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए संलग्न हैं। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि कम्पनी ने ऐसी विपणन रीतियों का आश्रय नहीं लिया तथा 2004-09 के दौरान विज्ञापन/प्रचार पर व्यय 20.73 लाख रूपए तथा 50 लाख रूपए के मध्य श्रृंखलित रहा जो इन वर्षों के दौरान आवर्त का क्रमशः 0.14 तथा 0.24 प्रतिशत तक परिकलित किया गया।

कम्पनी, पर्यटन विभाग के माध्यम से इसके द्वारा प्रस्तुत मांगों के अनुसार विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राज्य सरकार से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्राप्त वित्तीय सहायता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर रही थी। 2004-09 के दौरान 2.40 करोड़ रूपए की मांग के विरुद्ध कम्पनी ने 1.65 करोड़ रूपए प्राप्त किए और 1.55 करोड़ रूपए उपयोग किए। वर्ष 2004-05 हेतु प्रचार एवं विज्ञापन के लिए राज्य सरकार को मांग प्रस्तुत करने (जुलाई 2004) में विलम्ब तथा मामले का अनुसरण न करने के कारण कम्पनी राज्य सरकार से 55.40 लाख रूपए की राशि प्राप्त नहीं कर सकी। राज्य सरकार ने उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त बर्लिन में मेले में भाग लेने के लिए (2006-07 में 23.20 लाख रूपए) तथा वर्ल्ड ट्रेड मार्ट, लंदन में भाग लेने के लिए (2007-08 में 23.69 लाख रूपए) 46.89 लाख रूपए भी जारी किए। कम्पनी ने 42.30 लाख रूपए का व्यय किया किन्तु 4.59 लाख रूपए की अप्रयुक्त राशि राज्य सरकार को प्रत्यर्पित नहीं की गई थी (अगस्त 2009)।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि प्रचार/विपणन पर व्यय आवश्यकता के संदर्भ में होना चाहिए न कि आवर्त की प्रतिशतता के संदर्भ में। तथापि, कम्पनी ने प्रतिवर्ष केवल 31 लाख रूपए की औसत पर व्यय किया तथा पर्यटन नीति में समाविष्ट अनुसार पर्यटन के उन्नयन हेतु कोई इवेंट मैनेजर भी नियुक्त नहीं किया।

सेवाओं की गुणवत्ता

अपर्याप्त आवश्यक सेवाएं

2.2.26 उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए सेवाएं प्रदान करना आतिथ्य-सत्कार व्यापार में सफलता का मानक है। तथापि, कम्पनी ने पर्यटकों को प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए कोई मानक नियत नहीं किए। लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए काम्पलेक्सों में उपलब्ध सेवाओं तथा अन्य सुख-सुविधाओं की समीक्षा ने प्रकट किया:

- काम्पलेक्सों में स्वास्थ्य-विज्ञान के अनुरक्षण के संबंध में जन-स्वास्थ्य प्राधिकारियों के निरीक्षणों तथा उनके परिणामों से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण न करना;
- कूकों एवं बैरों की आवधिक चिकित्सा जांच की किसी प्रणाली की अनुपस्थिति;

* टेलर राजहंस, सनबर्ड मॉडल, हरमिटेज इटिस, यमुनानगर, मोरनी हिल्स, पहेवा, जीए, तिलपार लेक, मीमाण्ड तला औरू।

2.2.28 कम्पनी सांख्यिक नीतियों/सूची निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी पार्टियों को इसके पर्यटक कामपलेक्सों के भीतर स्थित इसकी 190 टुकड़ों/स्थलों को परटे पर दे रही है। कम्पनी ने 2004-08 के दौरान परटे-विलेख से 10.44 करोड़ रूपए का परटे किया।

टुकड़ों/स्थलों को परटे पर देना

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि आगे ग्राहकों की संविष्टि में सुधार करने के लिए सुधारनात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

सका।

जिसके अभाव में ग्राहकों की संविष्टि की पर्याप्तता का लेखापरीक्षा में निरधारण नहीं किया जा पर्यटन शीट, आदर्श सेवा मानकों, पूर्व-प्रदान डाक-शुल्क फीड बैक फार्म इत्यादि की कमी थी एक मामले में वाजिश्रीट जारी की गई थी। समुचित फीड बैक प्रणाली अर्थात् ग्राहक संविष्टि 2004-05 के दौरान प्रधान कार्यालय में कामपलेक्सों से प्राप्त 50 शिकायतों के विरुद्ध केवल प्रधान कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के संबंध में कोई अनुरवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। कार्रवाई करने के लिए प्रधान कार्यालय को नियमित रूप से अर्थात् नहीं की जा रही थी। करवाई गई थी। अन्य कामपलेक्सों में ग्राहकों द्वारा दिए गए सुझाव/शिकायतें समय पर ग्राहकों से रिपॉरिया एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए उन्हें सुझाव प्रतिकार उपाय नहीं निरीक्षण किए गए 19 कामपलेक्सों में से 10* कामपलेक्सों में उपायनात्मक उपाय करने हेतु रखने के अनुरोध जारी किए (अगस्त 2004)। तथापि, यह अवलोकित किया गया कि अनुरोध करना अपेक्षित है। कम्पनी ने सभी फील्ड कार्यालयों को काउंटर पर सुझाव प्रतिकार का प्रमाण का निरधारण करने के दृष्टिकोण कामपलेक्सों को सुझाव/शिकायत रजिस्टर का 2.2.27 आवास सुविधाओं तथा आपूर्ति भोजन की गुणवत्ता के संबंध में ग्राहकों की संविष्टि

उपरोक्त संविष्टि का निरधारण

करना उठाए जा रहे हैं।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि कामपलेक्सों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए

करना।

- चिकित्सा सुविधाओं की प्राप्ति के बारे में स्वगत कक्षा में सूचना का प्रदर्शन न की प्राप्ति के बारे में सूचना का प्रदर्शन न करना; तथा
- यमुनानगर कामपलेक्स को छोड़कर कामपलेक्सों के कमरों में मर्दों (कमरा माल-सूची) अनुबन्ध नहीं किया;
- कम्पनी ने कामपलेक्सों में ऑन-डायन उपकरणों के अनुरोध हेतु किसी प्रकार का रिपोर्टों की अप्राप्ति।
- कामपलेक्सों में प्रदान किए गए भोजन की गुणवत्ता पर खाद्य निरीक्षकों की जांच

अर्जित किया। कम्पनी अपनी दुकानों/स्थलों को समय पर पट्टे पर दे रही है। तथापि, दुकानों/स्थलों की नीलामी में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई थी।

लाईसैंस फीस की अवसूली

2.2.29 कम्पनी ने धारूहेड़ा में 01 जुलाई 2006 से 30 जून 2009 तक 7.50 लाख रूपए की लाईसैंस फीस पर एक ठेकेदार[#] को एक फास्ट फूड काउंटर पट्टे पर आबंटित किया (जुलाई 2006)। ठेकेदार ने बोली छूटते ही प्रतिभूति के रूप में 1.12 लाख रूपए (बोली राशि का 15 प्रतिशत) तथा पहली किस्त के रूप में 0.75 लाख रूपए (बोली राशि का 1/10वां) जमा करवाए। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को अक्टूबर 2006 से अप्रैल 2009 तक बिजली प्रभारों, गृह कर, सेवा कर तथा सभी अन्य करों के साथ नौ समान किस्तों में लाईसैंस फीस की शेष राशि जमा करवानी अपेक्षित थी। चूक के प्रकरण में 15 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु चूक की राशि हेतु प्रतिदिन 12 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाना था। तत्पश्चात् कम्पनी को बकाया राशि वसूल करने के लिए लाईसैंसधारी, यदि कोई हो, के माल के साथ स्थल का स्वामित्व अपने अधिकार में लेना था। दूसरी किस्त के रूप में अक्टूबर 2006 में जारी 0.84 लाख रूपए का चैक अपर्याप्त निधियों के कारण अमान्य हो गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कम्पनी ने अनुबंध के निबन्धनों के अनुसार स्थल का स्वामित्व अपने अधिकार में नहीं लिया किन्तु वसूली हेतु न्यायालय में गई (अगस्त 2007)। निर्णय अब तक लम्बित था (जुलाई 2009)। स्थल अब तक लाईसैंसधारी के स्वामित्व में था (जुलाई 2009)। इस प्रकार, अनुबंध के निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार स्थल का स्वामित्व अपने अधिकार में लेने के लिए कम्पनी की ओर से कोई कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप पट्टा धन (6.75 लाख रूपए), बिजली प्रभार (0.73 लाख रूपए) एवं जल प्रभार (0.26 लाख रूपए) तथा ब्याज (1.86 लाख रूपए) के कारण मई 2009 तक 9.60 लाख रूपए के राजस्व की हानि हुई। चूक हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कम्पनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

गोल्फ कोर्स को चलाने में हानि

2.2.30 1966 में स्थापित किया गया आरवली गोल्फ कोर्स, फरीदाबाद 1988 में कम्पनी द्वारा अपने अधिकार में लिया गया था। क्लब के राजस्व में प्रवेश शुल्क, सदस्यों के मासिक अंशदान, गैर-सदस्यों से ग्रीन शुल्क तथा उपकरण किराया प्रभार इत्यादि शामिल हैं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 78 चूककर्ता सदस्यों, जिनकी चूक राशि 31 मार्च 2009 को 0.10 लाख रूपए से अधिक बढ़ गई तथा कम्पनी ने उन्हें अप्रैल 2008 से बिल भेजने बन्द कर दिए थे यद्यपि वे अभी भी क्लब के सदस्य हैं, से 13.40 लाख रूपए 31 मार्च 2009 को क्लब के 585 सदस्यों से 33.75 लाख रूपए की मासिक अंशदान फीस वसूलनीय थी। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 1997 से मार्च 2008 तक 268 सदस्यों से वसूलनीय 71.86 लाख रूपए का वार्षिक सदस्यता शुल्क वसूल नहीं किया गया था क्योंकि उनकी सदस्यता काम्पलेक्स के प्रभारी द्वारा निरस्त कर दी गई थी जो ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था। विनिर्दिष्ट नियमों एवं विनियमों के अभाव में चूककर्ता सदस्यों से बकाया देयों को वसूल करने के लिए कम्पनी द्वारा

#

श्री ओम प्रकाश शर्मा।

कोई कानूनी कार्रवाई/उपाय नहीं किए जा सके। इसके कारण 1.06 करोड़ रूपए की राशि 31 मार्च 2009 को वसूल किए बिना रही।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) सदस्यों, जिनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई है, द्वारा उनके निरस्तीकरण से पहले/बाद में अंशदान तथा बकाया का भुगतान करना अपेक्षित नहीं है। चूककर्ताओं की सदस्यता निरस्त की जाएगी तथा वसूलनीय राशि बट्टे खाते डाली जाएगी।

बागबानी नर्सरी को चलाने में हानि

2.2.31 कम्पनी 1975 से महारौली, दिल्ली में बागबानी नर्सरी चला रही थी। कम्पनी ने मुख्यतः बाहरी अभिकरणों से क्रय (88.59 लाख रूपए) किए तथा नर्सरी में केवल नगण्य पौधारोपण गतिविधि थी। 1.16 करोड़ रूपए की कुल बिक्री में से 2004-09 के दौरान इसके काम्पलेक्सों तथा बाहरी अभिकरणों को बिक्री क्रमशः 18.14 लाख रूपए तथा 98.22 लाख रूपए थी।

मुख्यबाह्य बागबानी नर्सरी को चलाने के कारण कम्पनी ने 42.83 लाख रूपए की हानि उठाई।

कम्पनी ने वेतन एवं मजदूरी पर उच्च लागत (बिक्री का 51.80 प्रतिशत) के कारण नर्सरी को चलाने पर 2004-09 के दौरान 42.83 लाख रूपए की हानि उठाई। आगे, कम्पनी ने 0.25 लाख रूपए से अधिक की सामग्री की खरीद हेतु प्रेस निविदाओं के आमन्त्रण की आवश्यकता वाली क्रय प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया तथा निविदाएं आमंत्रित किए बिना 2004-09 के दौरान 0.25 लाख से अधिक वाले 82.11 लाख रूपए की राशि के 96 आदेश प्रस्तुत किए। क्रय प्रक्रिया का अनुसरण न करने के कारण इस लेखे पर अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, के भुगतान का पता नहीं लगाया जा सका। कम्पनी ने नर्सरी के मितव्ययी परिचालन अथवा इसे बन्द करने के निर्णय हेतु इसके निष्पादन की समीक्षा नहीं की।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि मनोरंजन/मन-बहलाव केन्द्र स्थापित करने के लिए भूमि उपयोग का पविर्तन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पेट्रोल पम्पों का परिचालन

2.2.32 कम्पनी ने 2004-05 में 13 तथा 2005-06 से 2008-09 में 14 पेट्रोल पम्पों का परिचालन किया। कम्पनी द्वारा पेट्रोल पम्पों के कोई बिक्री लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे। इस गतिविधि से लाभदायकता निष्क्रिय रही जो 2004-09 के दौरान आवर्त के 0.66 से 1.27 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रही। दो पेट्रोल पम्पों (पेहोवा तथा नरवाना) ने कम बिक्री तथा स्टॉफ वेतन की उच्चतर लागत के कारण 2004-09 के दौरान 10.90 लाख रूपए की हानियां उठाई। रोहतक तथा नरवाना के पेट्रोल पम्पों में 7.14 लाख रूपए मूल्य के पेट्रोल एवं डीजल की हानि अनधिकृत रूप से वाष्पीकरण/संचालन हानियों के विरुद्ध समायोजित की गई थी। कम मार्जिन पर विचार करते हुए कम्पनी को इस गतिविधि को निकट से मानीटर करने की आवश्यकता है।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि चूककर्ताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

निष्फल निवेश

2.2.33 कम्पनी ने ओएसिस पर्यटक काम्पलेक्स, करनाल में अर्बन हॉट स्थापित किया (सितम्बर 2002)। अड़तालीस दुकानें (शिल्पकारों के लिए), दो प्रदर्शनी हाल, डोरमेट्री, एथनिक फास्ट फूड हेतु कीआस्क, सार्वजनिक शौचालय, कार्यालय तथा स्टोर 1.23 करोड़ रूपए की संस्वीकृत (मार्च 2000) 1.72 करोड़ रूपए तक संशोधित (जुलाई 2004) लागत के विरुद्ध 1.67 करोड़ रूपए की लागत पर बनाए गए थे। 1.72 करोड़ रूपए की राशि की निधियां जी.ओ. आई. (0.86 करोड़ रूपए) तथा राज्य सरकार (0.86 करोड़ रूपए) द्वारा अंशदान की गई थी। प्रत्येक 15 दिनों में शिल्पकारों एवं उत्सवों में परिवर्तन सहित सम्पूर्ण वर्ष में अर्बन हॉट का परिचालन करना था। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 16.50 लाख रूपए का वार्षिक आय एवं व्यय प्रक्षेपित था। यह कार्य/परियोजना पर्यटन विभाग की उन्नयन गतिविधि थी जिसके अन्तर्गत क्षेत्र के शिल्पकारों/बुनकरों को बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया जाना था तथा परियोजना को पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण का स्रोत होना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कम्पनी ने 2004-09 के दौरान वर्ष में 120 मेलों के प्रक्षेपण के विरुद्ध कुल 50 दिनों के लिए केवल पांच मेलों/त्योहारों का आयोजन किया तथा मेलों/त्योहारों के आयोजन पर और स्टॉफ के वेतन एवं मजदूरी पर कम आय एवं अधिक व्यय के कारण 40.04 लाख रूपए की हानि उठाई। इस प्रकार, अर्बन हॉट में दस्तकारों/बुनकरों को उनके उत्पाद बेचने के लिए प्लेटफार्म सृजित करके प्रत्यक्ष लाभ देने का उद्देश्य 1.72 करोड़ रूपए के निवेश के बावजूद विफल हुआ।

अर्बन हॉट पर किया गया 1.72 करोड़ रूपए का निवेश दस्तकारों/बुनकरों को लाभ प्रदान करने में आंशिक रूप से निष्फल हुआ।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि दुकानों/हट्स का अधिभोग वर्षभर में बनाए रखने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए/किए जा रहे हैं किन्तु दस्तकार/कलाकार लम्बी अवधि के ठहराव हेतु इच्छुक नहीं थे।

वित्तीय प्रबंध

क्रेडिट पर बिक्री की संदेहास्पद वसूली

2.2.34 कम्पनी ने बिक्री के लिए कोई क्रेडिट नीति निर्धारित नहीं की। अध्यक्ष/एम.डी. की अध्यक्षता के अधीन आयोजित आहरण एवं सवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओज) की विभिन्न बैठकों में डी.डी.ओज को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए थे कि देनदारों से बकाया देयों की वसूली तुरंत की जाए तथा यह स्पष्ट किया गया था कि राजभवन, अतिथि-सत्कार विभाग तथा संबंधित उपायुक्तों द्वारा आयोजित क्रिया-कलापों को छोड़कर किसी व्यक्ति, आयोग, संगठन, कार्यालय इत्यादि को कोई क्रेडिट सुविधा विस्तारित नहीं की जाएगी तथा इन मामलों में क्रेडिट बिल भी उनके प्रतिनिधियों से सत्यापित करवाए जाएं और डी.डी.ओ. शीघ्र वसूली हेतु इन प्रकरणों का अनुसरण करें।

मार्च 2009 तक पांच वर्षों के दौरान विविध देनदारों की स्थिति निम्नानुसार थी:

समाप्त वर्ष	सरकारी	अर्ध सरकारी	निजी पार्टियां	न्यायालय प्रकरण	पट्टा धन	योग
	(रूपए लाख में)					
मार्च 2005	24.15	32.68	27.21	7.38	18.00	109.42
मार्च 2006	20.53	26.97	42.71	22.83	24.55	137.59
मार्च 2007	24.82	10.62	83.70	23.50	22.29	164.93
मार्च 2008	22.82	14.72	60.23	23.24	8.95	129.96
मार्च 2009	27.23	10.80	121.94	17.75	26.76	204.48

बी.ओ.डी. के निदेशों के बावजूद निजी पार्टियों से बकाया 0.27 करोड़ रूपए से 1.22 करोड़ रूपए तक बढ़ गया

उपर्युक्त से यह देखा जाएगा कि आवास एवं क्रेडिटिंग हेतु अनुमत क्रेडिट सुविधाओं के कारण देनदार महत्वपूर्ण ढंग से मार्च 2005 में 1.09 करोड़ रूपए से मार्च 2009 में 2.04 करोड़ रूपए तक बढ़ गए। आगे, 31 मार्च 2008 को विविध देनदारों के 1.30 करोड़ रूपए में से 70.45 लाख रूपए तीन वर्षों से अधिक तथा 55.32 लाख रूपए पांच वर्षों से अधिक हेतु बकाया थे जिनकी वसूली सदेहास्पद थी। क्रेडिट सुविधा न बढ़ाने के बी.ओ.डी. के निदेशों के बावजूद निजी पार्टियों से बकाया 2004-05 के दौरान 27.21 लाख रूपए से मार्च 2009 तक 1.22 करोड़ रूपए तक बढ़ गया।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि कम्पनी द्वारा क्रेडिट बिक्रियां पूर्णतया बन्द कर दी गई हैं। संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के उत्तरदायित्व नियत करके बकायों को वसूल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

शीर्ष प्रबंध द्वारा मानीटरिंग

प्रबंध सूचना प्रणाली

परियोजना के धीमे कार्यान्वयन के कारण जी.ओ.आई./राज्य सरकार से 32.92 लाख रूपए प्राप्त नहीं किए जा सके।

2.2.35 सूचना प्रणाली को आधुनिक बनाने तथा विभिन्न काम्पलेक्सों का कम्प्यूटीकरण एवं नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने के लिए कम्पनी ने 96.22 लाख रूपए की लागत वाली एक परियोजना का प्रतिपादन किया (1999-2000)। जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा लागत को समान रूप से बांटा जाना था। जी.ओ.आई. तथा राज्य सरकार ने क्रमशः 43.30 लाख रूपए (2005 तक तीन किस्तों में) तथा 20 लाख रूपए (मार्च 2008) की राशि की निधियां जारी की। कम्पनी ने 48.29 लाख रूपए की निधियों का उपयोग किया तथा 15.01 लाख रूपए की शेष राशि अप्रयुक्त रही। कार्यान्वयन में धीमी गति के कारण कम्पनी 32.92 लाख रूपए (जी.ओ.आई.: 4.81 लाख रूपए, राज्य सरकार: 28.11 लाख रूपए) की शेष राशि प्राप्त नहीं कर सकी तथा प्रभावी एम.आई.एस. जैसे डाटा का संकलन, राजस्व की वसूली एवं स्वर्चों का मिलान सहित व्यापार गतिविधियों का विश्लेषण, वसूलनीय/देय निधियों पर नियंत्रण, व्यापार के मुख्य क्षेत्रों में प्रभावी प्रबंधकीय नियंत्रण इत्यादि के लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि भारत सरकार द्वारा 2006 में स्कीम के समापन के कारण शेष राशि जारी नहीं की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि स्कीम 1999-2000 में प्रतिपादित की गई थी तथा परियोजना के धीमे कार्यान्वयन के कारण कम्पनी स्कीम के लाभ प्राप्त नहीं कर सकी।

मानवशक्ति

2.2.36 31 मार्च 2008 को कम्पनी के पास 2,045 कर्मचारी थे। 2004-08 के दौरान काम्पलेक्सों (पेट्रोलियम उत्पादों से आवर्त छोड़कर) का कुल आवर्त 198.60 करोड़ रूपए था तथा काम्पलेक्सों में तैनात स्टॉफ के वेतन एवं भत्तों की ओर व्यय 53.33 करोड़ रूपए (आवर्त का 26.85 प्रतिशत) था। कम्पनी ने मार्च 1989 में निर्णय लिया कि वेतन लागत संबंधित काम्पलेक्सों के कुल आवर्त का 20 से 25 प्रतिशत तक से अधिक नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने सभी काम्पलेक्सों के लिए आवर्त के 10 प्रतिशत पर एक समान वेतन मानक नियत किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2004-05 में 35 काम्पलेक्सों, 2005-06 में 33 काम्पलेक्सों, 2006-07 में 31 काम्पलेक्सों तथा

मानकों के आधिक्य में वेतन लागत के परिणामस्वरूप 9.48 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

2007-08 में 32 काम्पलेक्सों में वास्तविक वेतन लागत मानक (25.48 तथा 111.94 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित) से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप सभी काम्पलेक्सों के लिए 25 प्रतिशत का उच्चतम मानक लेकर वेतन घटक पर 2004-08* के दौरान 9.48 करोड़ रूपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। चूंकि कम्पनी का समग्र अधिभोग वांछनीय 60 प्रतिशत मानक से काफी ऊपर है, मानशक्ति लागत विनिर्दिष्ट मानकों के भीतर अनुरक्षित की जानी चाहिए। प्रबंध द्वारा अतिरिक्त मानवशक्ति लागत का कोई विश्लेषण नहीं किया गया था। चूंकि यह लागत लाभदायकता को प्रभावित करती है, प्रबंधन को मानवशक्ति के वैज्ञानिक पुनर्गठन की जांच करने की आवश्यकता है।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि वेतन लागत कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आन्तरिक नियंत्रण

2.2.37 आन्तरिक नियंत्रण यह उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए कि प्रबंधन उद्देश्यों की दक्ष एवं प्रभावी ढंग से अनुपालना की जा रही है, उपयोग किया जाने वाला एक प्रबंध उपाय है। आन्तरिक नियंत्रण की समुचित प्रणाली के साथ-साथ संगठन के भीतर क्रियात्मक उत्तरदायित्वों का उचित आबंटन, परिशुद्धता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उचित परिचालन एवं लेखांकन प्रक्रिया एवं लेखांकन डाटा परिचालन में दक्षता तथा परिसम्पत्तियों की सुरक्षा समाविष्ट की जानी चाहिए। कम्पनी द्वारा अपनाई गई आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की समीक्षा ने निम्नलिखित कमियां प्रकट की:

कम्पनी के वार्षिक लेखे 2006-07 से अन्तिमकृत नहीं किए गए हैं।

- कम्पनी द्वारा वार्षिक लेखाओं को समय पर अन्तिमकृत नहीं किया गया था तथा 2006-07 से बकाया में थे। यह पता न लगाए गए गबन/दुर्विनियोजन, यदि कोई हो, के जोखिम से परिपूर्ण था।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि लेखाओं के संचय निपटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

- कम्पनी ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तथा गतिविधियों की प्रभावी ढंग से मानीटर करने हेतु वार्षिक बजट/कार्य योजना तैयार करने के लिए कोई प्रणाली आरंभ नहीं की। गतिविधि-वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य वित्तीय वर्ष के आरंभ से पहले नियत नहीं किए गए थे। केवल आन्तरिक गतिविधियों के संबंध में बिक्री लक्ष्य अगस्त 2006 से तिमाही आधार पर कम्पनी द्वारा नियत किए गए थे।
- पर्याप्त प्रबंध सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) नहीं थीं क्योंकि आय एवं व्यय की खण्ड-वार मैचिंग प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रबंध द्वारा संकलित नहीं की गई थी।
- प्रमात्रा, स्थान एवं लागत इत्यादि के पूर्ण विवरण दर्शानेवाले स्थाई परिसम्पत्तियों के रजिस्टर फील्ड कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

* वर्ष 2008-09 हेतु वेतन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

- राज्य सरकार/जी.ओ.आई. से प्राप्त अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों का स्थाई परिसम्पत्ति रजिस्टर कम्पनी के प्रधान कार्यालय में अनुरक्षित नहीं किया गया है। परियोजना-वार तथा ठेकेदार-वार रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किए गए थे।
- प्राप्त अनुदानों से संबंधित निर्माण स्कंध तथा प्रधान कार्यालय के मध्य लेखाओं का मिलान करने की कोई प्रणाली नहीं थी। कम्पनी ने 31 मार्च 2008* को 91.35 करोड़ रूपए के अप्रयुक्त अनुदान संचित किए किन्तु उनके वर्ष-वार विवरण उपलब्ध नहीं थे।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.2.3.8 कम्पनी ने आन्तरिक लेखापरीक्षा जांचों का क्षेत्र एवं सीमा निर्धारित करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा नियम-पुस्तिका तैयार नहीं की। 2003-04 से 2005-06 के दौरान कम्पनी की केवल सात से नौ फील्ड यूनिटों की आन्तरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों की फर्मों से संचालित करवाई गई थी। चार्टर्ड लेखाकारों की आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने नेमी प्रकृति के मुद्दे समाविष्ट किए तथा किसी प्रणाली चूक/त्रुटि को इंगित नहीं किया। वर्ष 2006-08 हेतु 13 यूनिटों की स्थानीय लेखापरीक्षा के लिए कम्पनी ने चार्टर्ड लेखाकारों की तीन फर्मों को नियुक्त किया (मार्च 2008) किन्तु उनकी रिपोर्टें अभी प्रतीक्षित थी (अगस्त 2009)। लेखापरीक्षा समिति ने अपर्याप्त आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के बारे में चिन्ता प्रकट की (सितम्बर 2008) क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालित करने की वर्तमान प्रणाली कम्पनी के व्यापार की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप नहीं थी। यह आगे देखा गया था कि प्रधान कार्यालय, जहां मुख्य व्यय/निर्णय लिए गए थे, की आन्तरिक लेखापरीक्षा आरंभ से ही संचालित नहीं की गई थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के दिशानिदेशों (नवम्बर 2002) के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बी.ओ.डी. को प्रस्तुत नहीं की गई थीं। निष्पादन की मानीटरिंग हेतु आन्तरिक लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के अभिलेख न तो प्रधान कार्यालय और न ही क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रखे गए।

प्रबंध ने बताया (सितम्बर 2009) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार फर्मों की नियुक्ति की जा रही है।

उपर्युक्त मामले जून 2009 में सरकार को संदर्भित किए गए थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2009)।

* 31 मार्च 2009 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

निष्कर्ष

- आंकड़े ने पर्यटकों के अन्तर्वाह में 2005-06 में 65.93 लाख से 2008-09 में 60.20 लाख तक की गिरावट दर्शाई। तथापि, यह आंकड़ा विश्वसनीय नहीं है तथा इसलिए 2004-09 के दौरान राज्य में पर्यटन के उन्नयन/विकास पर टिप्पणी करना संभव नहीं है।
- वार्षिक बजट तैयार करने की कोई प्रणाली नहीं थी तथा काम्पलेक्सों के निष्पादन का सुधार करने और उनके उन्नयन एवं पुनरूद्धार हेतु कोई लघु अवधि/दीर्घ अवधि कार्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थी।
- कम्पनी इसके काम्पलेक्सों में केटरिंग/बार में कम बिक्री तथा भोजन, ईंधन, बिजली एवं स्थापना की उच्च लागतों के कारण अधिभोग एवं टैरिफ में वृद्धि के बावजूद इसके परिचालनों से नगण्य लाभ अर्जित कर रही थी। इसका पेट्रोलियम व्यापार कम मार्जिन पर परिचालित किया गया।
- उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाएं अपर्याप्त पाई गई थी तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि की पर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए समुचित फीड बैक प्रणाली की कमी थी।
- केटरिंग/पर्यटन मूलभूत संरचना का विकास करने के लिए प्राप्त अनुदानों का उपयोग बहुत धीमा था जिसके कारण प्रक्षेपित सुविधाओं के सृजन में विलम्ब था तथा अप्रयुक्त राशियां सावधि जमाओं में पड़ी रही। आगे, निजी पार्टियों को क्रेडिट पर बिक्री अनुमत न करने के अनुदेशों का सरव्ती से अनुसरण नहीं किया गया।
- अप्रभावी एम.आई.एस., आन्तरिक नियंत्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षा, बी.ओ.डी. के अपर्याप्त आकार तथा प्रबंध निदेशकों के निरंतर परिवर्तनों के कारण कम्पनी का शासन कमजोर था।

कम्पनी के क्रियाकलापों में त्रुटियां नियंत्रणीय हैं तथा बेहतर प्रबंध के माध्यम से इसके परिचालनों का निष्पादन सुधारने का असीम क्षेत्र है।

अनुशंसाएं

- कम्पनी नियोजित ढंग से गतिविधियों को उन्नत एवं मानीटर करने के लिए वार्षिक बजट एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करे।
- कम्पनी उच्च लागतों के कारणों का विश्लेषण करे तथा मुख्य परिचालनों से इसकी लाभदायकता सुधारने के लिए विभिन्न ऊपरी खर्चों पर लागत कम करने के उपाय खोजे। प्रबंध कम्पनी के पेट्रोलियम व्यापार, जो कम मार्जिन पर परिचालित किया जाता है, को निकट से मानीटर करे।

- प्रबंधन आतिथ्य-सत्कार क्षेत्र में अपेक्षितानुसार सेवाओं का उच्च स्तर प्रदान करने के लिए स्टॉफ को समुचित रूप से सुग्राही बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता का सुधार तथा निर्धारण करने के लिए फीडबैक प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मानीटरिंग प्रणाली बनाई जानी चाहिए कि अनुदानों की निर्मुक्ति हेतु निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सरकारी अनुदान आहरित एवं उपयोग किए जाते हैं ताकि सम्पूर्ण पर्यटक संभावना को काम में लाने के उद्देश्य से निर्धारित समय के भीतर काम्पलेक्सों का उन्नयन एवं पुनरूद्धार किया जा सके।
- कम्पनी इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एम.आई.एस. तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित इसकी आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का सुधार करे।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

2.3 हारट्रान द्वारा यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के घरेलू आपूर्ति (डी.एस.) एवं गैर-घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस.) की कम्प्यूटरीकृत बिलिंग

कार्यकारी सार

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रॉन) द्वारा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) के अम्बाला (पंचकूला मण्डल को छोड़कर), पानीपत तथा सोनीपत तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) के फरीदाबाद तथा गुड़गांव नामक पांच परिचालन परिमण्डलों के कम्प्यूटरीकृत बिलिंग की निष्पादन आई.टी. समीक्षा कम्प्यूटरीकृत संरचना के अनुप्रयोग तथा सामान्य नियंत्रण के मूल्यांकन हेतु की गई थी।

इनपुट नियंत्रण

इनपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण था परिणामतः मीटर किराया की कम वसूली, विविध प्रभारों की अप्रविष्टि एवं अवसूली, उपभोक्ताओं को अधिक भत्ते संयोजन की तिथि की अनुपलब्धता जिसके अभाव में प्रथम बिल के समयपूर्व निर्गम को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा प्रतिभूति जमा की राशि की अनुपलब्धता हुई परिणामतः विद्युत आपूर्ति सहिता के प्रावधान की अनुपालना नहीं हुई।

आउटपुट नियंत्रण

आउटपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण था। या तो विभिन्न प्रबन्धन सूचना प्रणाली रिपोर्ट (एम.आई.एस.) प्राप्त नहीं की गई थी या वे वितरण कम्पनी स्टाफ (डिस्कामस) द्वारा,

चूककर्ता उपभोक्ताओं तथा राजस्व की हानि सम्बोधित करने हेतु विश्लेषित तथा अनुपालित नहीं किए गए थे। राजस्व की बृहद् राशि से आवेष्टित उपभोक्ताओं की बृहद् संख्या के प्रकरण में बिलों के निर्गम में असाधारण विलम्ब थे। अनेक प्रकरणों में चूककर्ता उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति वियोजित नहीं की गई जिसने चूक के कारण ब्याज की हानि के अतिरिक्त डिस्कॉमस की अथीपाय स्थिति बुरी तरह प्रभावित की।

उपभोक्ताओं के बृहद् संख्या के प्रकरण में बिजली की खपत, अधिकतम इकाइयों, जो वे उनके संस्वीकृत भार के आधार पर उपयोग कर सकते थे, से बहुत अधिक थी जिसने भार के अपाधिकृत प्रयोग को इंगित किया परिणामतः औसत प्रभारों के कारण आवर्ती हानि, खपत प्रतिभूति इत्यादि का कम उदग्रहण हुआ।

सामान्य नियंत्रण

सामान्य नियंत्रण बृहदतः अपर्याप्त थे क्योंकि कोई विलेखित प्रयोक्ता आवश्यकता विनिर्देशन (यू.आर.एस.), सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशन (एस.आर.एस.) तथा अन्य प्रणाली डिजाइन दस्तावेज विद्यमान नहीं पाए गए थे। परिवर्तन प्रबन्ध नीति, व्यवसाय निरन्तरता, विनाश वसूली तथा प्रतिभूति नीति परिवर्तन का कोई विलेख नहीं थी।

प्रस्तावना

2.3.1 पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड (बोर्ड) ने अपने घरेलू आपूर्ति (डी.एस-घरेलू प्रयोजन/प्रयोग हेतु आपूरित बिजली) तथा गैर घरेलू आपूर्ति (एन.डी.एस-वाणिज्यिक प्रयोग/प्रयोजन हेतु आपूरित बिजली) उपभोक्ताओं के कम्प्यूटरीकृत राजस्व बिलिंग का कार्य 1986-87 से बाह्य स्रोत से करवाया था। बोर्ड, अगस्त 1998 में, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल. विद्युत के संचारण एवं वितरण के लिए) तथा हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.वी.जी.सी.एल.- विद्युत उत्पादन के लिए) नामक दो कम्पनियों में बंट गया। विद्युत का वितरण, आगे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी. एन.एल.) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) नामक दो नव निगमित डिस्कॉमस को 1 जुलाई 1999 से स्थानान्तरित कर दिया गया। यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल., एच.वी.पी.एन.एल. की सहायिकाएं हैं तथा राज्य के क्रमशः उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिण क्षेत्र में बिजली के वितरण में संलग्न हैं। दो डिस्कॉमस में 16 परिचालन परिमण्डल हैं, (यू.एच.बी.वी.एन.एल. :10 डी.एच.बी.वी.एन.एल.: 6)। 31 मार्च 2006, को, राज्य में 76.32 लाख उपभोक्ताओं में से 37.89 लाख डी.एस. तथा एन.डी.एस. उपभोक्ता थे। इन्होंने वर्ष 2005-06 के दौरान 3,683.12 करोड़ रूपए के कुल राजस्व में से 1,352.86 करोड़ रूपए का राजस्व परिगणित किया।

डी.एस. एवं एन.डी.एस. उपभोक्ताओं का राजस्व बिलिंग बाहर से किया जाना जारी रहा तथा जून 2003 से हारट्रान एवं डॉयक्क (पूर्वतः क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र) नामक दो बिलिंग एजेंसियों ने, उनको जारी (जून 2003) कार्य आदेशों के अनुसार अपना कार्य निष्पादित किया। दोनो बिलिंग एजेंसिया 84 पैसे प्रति बिल के आवर्ती बिल तैयार करने के प्रभार पर बिल बना रही थी। बिल फार्मेट, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (ह.वि.वि.अ.) की विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार संशोधित किया गया तथा बिल तैयार करने के प्रभार 2.44 रूपए प्रति बिल तक संशोधित किए गए (अप्रैल 2007)। बिल तैयार करने के लिए प्रभार के अतिरिक्त एक बार मास्टर फाइल सृजन प्रभार 76 पैसे प्रति नए कनेक्शन निर्धारित किए गए। कार्य आदेशों की शर्तों के साथ बिलिंग की लागत, सम्बन्धित आउटपुटस* इनपुट डाटा की चैक लिस्टस बनाकर पंच किए गए डाटा की परिशुद्धता की जांच, स्टब लिस्टस, रीडिंग रिकार्ड तथा सॉफ्टवेयर में अपेक्षित परिवर्तन सम्मिलित किए गए थे।

16 परिचालन परिमण्डलों में से 10** में, समीक्षा की अवधि (2006-09) के दौरान, यू.एच.बी. वी.एन.एल. (चार परिमण्डल) तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. (छः परिमण्डल) की ओर से हारट्रान द्वारा मुख्यतः बिलिंग की जा रही थी। शेष छः परिमण्डलों में बिलिंग डायॉक द्वारा की जा रही थी। फरवरी 2008 में फरीदाबाद के शहरी क्षेत्रों के सम्बन्ध में बिलिंग हारट्रान से वापिस ले लिया गया तथा टेलीकम्प्यूनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.) को दे दिया गया।

* बिल, उपभोक्ता लैजर, विभिन्न अपवाद लिस्टस, कर निर्धारण सार, चूककर्ता उपभोक्ता विवरणी, स्टब चैकलिस्ट इत्यादि।

** अम्बाला (पंचकूला मण्डल को छोड़कर), भिवानी, फरीदाबाद (जनवरी 2008 तक) गुड़गांव, हिसार करनाल, नारनौल, पानीपत, सिरसा, सोनीपत (अप्रैल 2007 से)।

संगठनात्मक ढांचा

2.3.2 दो डिस्कामस के परिचालन कार्य की देखरेख प्रबन्ध निदेशकों द्वारा की जाती है जिनकी सहायता मुख्य अभियंता (परिचालन), अधीक्षण अभियंता (परिचालन), कार्यकारी अभियंता (परिचालन) तथा सहायक कार्यकारी अभियंताओं/उपमण्डल अधिकारी (परिचालन) द्वारा की जाती है। सहायक कार्यकारी अभियंता/उप मण्डल अधिकारी (परिचालन) कार्यकारी एजेंसियां हैं जो उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त करने, कनैक्शन जारी करने, बिलिंग तथा विद्युत के विक्रय हेतु राजस्व के संग्रहण में आवेष्टित है। शुल्क दर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (ह.वि.वि.आ.) द्वारा निर्धारित की जाती है जो दो वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व अपेक्षा रिपोर्ट (ए.आर.आर.) पर आधारित होती है। डी.एच.बी.वी.एन.एल. में उपमहाप्रबन्धक सूचना प्रौद्योगिकी (डी.जी.एम.आई.टी.) तथा यू.एच.बी.वी.एन.एल. में मुख्य अभियंता वाणिज्यिक कम्प्यूटरीकृत बिलिंग कार्य/प्रक्रिया की देखरेख करते हैं। इन्पुटस जैसे स्टेटिक सूचना के परिवर्तन से सम्बन्धित मास्टर डाटा, मीटर विवरण, संयोजित भार, औसत इकाइयां तथा सर्विस रेंटल्स, स्थायी वियोजन आदेश, पुनः संयोजन आदेश तथा अस्थायी वियोजन आदेश, मीटर के परिवर्तन हेतु अनुरोध, विविध प्रभार/विविध भत्ते, स्टब पैकेटस के विवरण सहित नकद प्राप्त स्टब, बिलिंग एजेंसियों को, पचिंग, प्रोसेसिंग तथा अन्ततः बिल तथा उपभोक्ता लेजर तैयार करने हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। मीटर रीडिंग विभागीय स्टाफ (मीटर रीडरज) तथा हरियाणा पूर्व सेवा लीग (एच.ई.एस.एल.) के कर्मचारियों द्वारा ली जाती है। आउटपुटस जैसे बिल, उपभोक्ता लेजर, कर निर्धारण सार तथा अपवाद सूचियां बिलिंग एजेंसियों द्वारा कम्पनियों के प्रबन्धन द्वारा निर्धारित बिलिंग की निर्धारित तिथियों के अनुसार बनाई जाती हैं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.3.3 निर्धारित करने हेतु कि

- डिस्कामस ने यह सुनिश्चित करने हेतु कारगर उपाय कि बिलिंग एजेंसी का आई.टी. अनुप्रयोग में यह सुनिश्चित करने हेतु आहारिक नियंत्रण था कि डाटा इनपुट सही, सवैध और पूर्ण था,
- डिस्कामस के पास यह सुनिश्चित करने हेतु कि बिलिंग एजेंसी द्वारा उत्पादित आउटपुट में त्रुटियों एवं अपवादों की सही ढंग से जांच तथा अनुपालना की गई थी ; तथा
- डिस्कामस के पास कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सामान्य आई.टी. नियंत्रण मौजूद था।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

2.3.4 10 परिचालन परिमण्डलों (यू.एच.बी.वी.एन.एल.; चार तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.; छः) जहां 2006-09 के दौरान बिलिंग हारटोन को दी गई थी, में से क्रमशः अम्बाला* (पंचकूला मण्डल को छोड़ कर), पानीपत, सोनीपत[&], फरीदाबाद[#] तथा गुड़गांव नामक पांच परिचालन परिमण्डल (यू.एच.बी.वी.एन.एल.; तीन तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.; दो) लेखापरीक्षा के लिए चयन किए गए। चयन किए गए परिमण्डलों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग सॉफ्टवेयर (फोक्सप्रो आधारित) द्वारा अप्रैल 2006 से मार्च 2009 तक की अवधि हेतु उत्पादित किया गया डाटा कम्प्यूटर सहायित लेखापरीक्षा तकनीक, जिसे आईडिया वर्सन 7 कहते हैं, प्रयोग करते हुए विश्लेषित किया गया (28 मई 2009 से 27 जुलाई 2009)। सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) नियंत्रण, विक्रय परिपत्रों के प्रावधानों, विक्रय निर्देशों, हेरक द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति संहिता तथा विद्युत अधिनियम, 2003 से सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकित किए गए थे।

दो वितरण कम्पनियों (डिस्कामस-यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा अनुसरित पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं के मूल्यांकन आई.टी. अभिशासन तथा विभिन्न नियमों की सर्वोत्तम प्रथाओं के विरुद्ध किए गए थे। दो डिस्कामस तथा चयन किए गए पांच परिचालन परिमण्डलों के मुख्यालयों पर अनुरक्षित अभिलेखों की जांच द्वारा मूल्यांकन किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.3.5 यद्यपि डिस्कामस ने, पांच लेखापरीक्षित परिचालन परिमण्डलों में अपने डी.एस. तथा एन.डी.एस उपभोक्ताओं का कम्प्यूटरीकृत बिलिंग का कार्य हारटोन को दिया हुआ था, यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेवारी थी कि इन उपभोक्ताओं के शुल्कदर से सम्बन्धित सभी व्यवसायिक नियमों को कम्प्यूटरीकृत संरचना में सही ढंग से अनुसरित किया गया था। आगे, कम्प्यूटरीकरण के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए, डिस्कामस की ओर से, अपनी रिपोर्टिंग आवश्यकताएं स्पष्टतः परिभाषित करना और फिर विश्लेषण करना तथा आई.टी. द्वारा उत्पादित विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्टों पर सही कार्रवाई करना, आसान था। लेखापरीक्षा ने बिलिंग सॉफ्टवेयर में कुछ निश्चित मूल वैधीकरण जांच का अभाव अवलोकित किया जिसका राजस्व वसूली पर बुरा प्रभाव पड़ा था। आगे, यह अवलोकित किया गया कि कुछ निश्चित रिपोर्टें या तो बिलिंग एजेंसी से मांगी नहीं गईं अथवा यदि उपलब्ध थी तो उन पर अम्ल नहीं किया गया जिससे राजस्व वसूलीकरण पर पुनः दुष्प्रभाव हुआ। अनुवर्ती अनुच्छेदों में लेखापरीक्षा परिणाम डिस्कामस/राज्य सरकार को अगस्त 2009 में भेज दिए गए थे। यू.एच.बी.वी.एन.एल. के उत्तर प्राप्त हो गए थे (3 सितम्बर 2009) परन्तु राज्य सरकार तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के उत्तर प्रतीक्षित थे। एक एक्जिट कान्फ्रेंस 3 सितम्बर 2009 को आयोजित की गई जिसमें विशेष

* पंचकूला मण्डल डायॉक को दिया गया था।

& केवल 2007-09 अवधि हेतु आंकड़े क्योंकि 2006-07 में कार्य डायॉक द्वारा किया गया।

अप्रैल 2006 से जनवरी 2008 तक की अवधि हेतु आंकड़े क्योंकि कार्य फरवरी 2008 से टी.सी.आई.एल. को दिया गया।

सचिव विद्युत, हरियाणा सरकार, यू.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबन्ध निदेशक तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के मुख्य लेखापरीक्षक द्वारा भाग लिया गया, जिसमें उनके द्वारा सभी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली गईं।

इनपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण

2.3.6 आई.टी. अनुप्रयोग में इनपुट नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं कि प्रोसेसिंग हेतु प्राप्त डाटा उचित, पूर्ण, वैध, परिशुद्ध तथा सही ढंग से प्राधिकृत है। यह सुनिश्चित करना डिस्कामस की प्रमुख जिम्मेवारी थी कि पर्याप्त इनपुट नियंत्रण विद्यमान थे तथा हार्ट्रान द्वारा प्रयुक्त आई.टी. अनुप्रयोग में इनबिल्ट नियंत्रण थे जो स्वतः जांच करता है कि डाटा इनपुट परिशुद्ध तथा वैध है। डाटा के विश्लेषण ने इनपुट नियंत्रण की अनुपस्थिति तथा बिलिंग सॉफ्टवेयर में वैधीकरण जांच की कमी के विभिन्न उदाहरण प्रकट किए जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में विवेचित किया गया है:

मीटर किराया की कम वसूली

2.3.7 यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के स्थायी निर्देशों के अनुसार एकाकी फेज मीटर प्रतिष्ठापित किए जाने थे जहां उपभोक्ता का संयोजित भार 5 के डब्ल्यू से कम था तथा तीन फेज मीटर उस सीमा से अधिक भार हेतु प्रतिष्ठापित किए जाने थे। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने निर्देश जारी किए (दिसम्बर 2005) कि 10 के डब्ल्यू तथा अधिक भार के साथ डी.एस. तथा एन.डी.एस. कनेक्शन तीन फेज मीटरों पर जारी किए जाने थे। एकाकी फेज मीटर तथा तीन फेज मीटर हेतु मासिक मीटर किराया क्रमशः 9 रूपए तथा 20 रूपए था।

यू.एच.बी.वी.एन.एल. के अम्बाला, पानीपत तथा सोनीपत परिमण्डलों के उपलब्ध बिलिंग डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 6.39 लाख उपभोक्ताओं में से 6,382 के प्रकरण में (अम्बाला: 2.19 लाख में से 3,886, पानीपत: 1.72 लाख में से 990 तथा सोनीपत: 2.48 लाख उपभोक्ताओं में से 1506) संयोजित प्रभार 5 के डब्ल्यू से अधिक थे परन्तु एकाकी फेज मीटर प्रतिष्ठापित दिखाए गए थे। यह या तो डाटाबेस में गलत प्रविष्टियों के कारण था या कम्पनी के परिचालन स्टाफ द्वारा तीन फेज मीटर प्रतिष्ठापित नहीं किए गए थे। इन प्रकरणों में मीटर किराया 20 रूपए प्रति माह की दर पर प्रभारित करने की बजाय नौ रूपए प्रति माह की दर पर प्रभारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मीटर किराया की कम वसूली के कारण यू.एच.बी.वी.एन.एल. को 15.85 लाख* रूपए की हानि हुई।

डी.एच.बी.वी.एन.एल. के फरीदाबाद तथा गुड़गांव परिमण्डलों के उपलब्ध डाटा के विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 4.19 लाख में से 3.20 लाख में तथा 3.23 लाख में से 2.38 लाख उपभोक्ताओं में कनेक्शन की तिथि डाटाबेस में अभिलिखित नहीं की गई थी। आगे, फरीदाबाद में 4.19 लाख उपभोक्ताओं में 322 में तथा गुड़गांव 3.23 लाख उपभोक्ताओं

सॉफ्टवेयर में वैधीकरण जांच ताकि जहां संयोजित भार 5 के डब्ल्यू (यू.एच.बी.वी.एन.एल. हेतु) तथा 10 के डब्ल्यू (डी.एच.बी.वी.एन.एल. हेतु) भार से अधिक है, एकाकी फेज मीटर अनुमत न किया जाए, की कमी के परिणामस्वरूप 17.16 लाख रूपए की कम वसूली हुई।

* अम्बाला: 10.63 लाख रूपए; पानीपत: 2.40 लाख रूपए तथा सोनीपत: 2.82 लाख रूपए।

में से 523 में संयोजित भार 10 के.डब्ल्यू* से अधिक था परन्तु एकाकी फेज मीटर प्रतिष्ठापित दर्शाए गए थे। यह या तो डाटाबेस में गलत प्रविष्टियों के कारण था या तीन फेज मीटर कम्पनी के परिचालन स्टाफ द्वारा परिचालित नहीं किए गए थे। इन प्रकरणों में मीटर किराया 20 रूपए प्रतिमाह की दर पर प्रभारित करने की बजाए नौ रूपए प्रतिमाह की दर पर प्रभारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप डी.एच.बी.वी.एन.एल. को कम से कम 1.31 लाख रूपए (फरीदाबाद: 0.55 लाख रूपए तथा गुड़गांव 0.76 लाख रूपए) की हानि हुई।

मीटर किराया की कम वसूली मुख्यतः अनिवार्य वैधीकरण जांच की कमी को आरोप्य थी, जो सॉफ्टवेयर में अन्तर्निर्मित की जानी चाहिए ताकि मामलों, जहां यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के क्रमशः 5 के डब्ल्यू तथा 10 के डब्ल्यू से अधिक संयोजन भार हो, में एक फेज मीटर स्थिति अनुमत न की जा सके यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने साथ में बताया (सितम्बर 2009) कि दोनों बिलिंग एजेंसियों के (डयॉक तथा हॉर्ट्रान) के सॉफ्टवेयर, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए वैधीकरण जांचों को सम्मिलित करने हेतु संशोधित कर दिए जाएंगे तथा राशि वसूल कर ली जाएगी।

विविध प्रभारों एवं भत्तों की गलत पोस्टिंग के कारण राजस्व की हानि

2.3.8 प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, बिजली की खपत के लिए बिल, मीटर द्वारा अभिलिखित खपत के आधार पर जारी किए जाते हैं। दोषपूर्ण मीटर, अथवा जहां बिल गलत ढंग से तैयार किया गया पाया जाता है, के प्रकरण में उपभोक्ता का लेखा, विविध प्रभार/विविध भत्ते जैसा भी प्रकरण हो तैयार करके पूर्ण जांच की जाती है जो विविध प्रभार एवं भत्ते रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं। विविध प्रभार एवं भत्ते डाटाबेस में उनको प्रविष्ट करने हेतु विभिन्न उपमण्डलों द्वारा एडवाईस सं.75 के माध्यम से बिलिंग एजेंसी को भेजे जाते हैं ताकि ये राशियां उपभोक्ताओं के बिलों एवं लेजरों में सम्मिलित की जा सके। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उनेक प्रकरणों में विविध प्रभार प्रविष्ट नहीं किए गए तथा डाटाबेस में विविध भत्ते एक से अधिक बार प्रविष्ट/अनुमत किए गए परिणामतः डिस्कामस को विविध प्रभारों की कम वसूली तथा विविध भत्तों के अधिक अनुमत करने के रूप में हानि हुई जैसा कि नीचे चर्चित किया गया है:

विविध प्रभारों की कम वसूली

2.3.9 डाटाबेस में आंकड़ों एवं एडवाईस सं. 75 में आंकड़ों की तुलना ने प्रकट किया कि सोनीपत (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) फरीदाबाद तथा गुड़गांव (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) में 17.52 लाख रूपए (सोनीपत: 1.18 लाख रूपए; फरीदाबाद : 11.47 लाख रूपए तथा गुड़गांव 4.87 लाख रूपए) से अवेष्टित क्रमशः 58 मदे, 104 मदे तथा 29 मदे हारट्रान स्टाफ द्वारा प्रविष्ट नहीं की गई परिणामस्वरूप मदे अप्रविष्ट रही तथा यू.एच.बी.वी.एन.एल. (1.18 लाख रूपए) तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. (16.34 लाख रूपए) को 17.52 लाख रूपए की हानि हुई।

विविध प्रभारों तथा भत्तों की गलत प्रविष्टि के कारण 92.51 लाख रूपए की कम वसूली हुई।

* अभिलेख के लिए जहां कनेक्शन की तिथि उपलब्ध नहीं थी, लेखापरीक्षा ने मीटर किराया की कम वसूली परिगणित करने के प्रयोजन हेतु 10 के.डब्ल्यू की परिरक्षण भार सीमा ली है।

उपभोक्ताओं को अधिक भत्ते

2.3.10 यू.एच.बी.वी.एन.एल. के अम्बाला, पानीपत तथा सोनीपत परिमण्डलों तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के गुड़गांव एवं फरीदाबाद के इलैक्ट्रॉनिक डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि भत्ते एकाकी मद के लिए दो या अधिक बार प्रविष्ट किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 822 प्रकरणों में (अम्बाला: 69, पानीपत: 85, सोनीपत: 241, गुड़गांव: 267 तथा फरीदाबाद: 160) 74.99 लाख रूपए (अम्बाला: 1.56 लाख रूपए; पानीपत: 6.48 लाख रूपए, सोनीपत: 26.56 लाख रूपए, गुड़गांव 25.51 लाख रूपए तथा फरीदाबाद: 14.88 लाख रूपए) के अधिक भत्ते दिए गए थे। इसके परिणामस्वरूप यू.एच.बी.वी.एन.एल. को 34.60 लाख रूपए तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. को 40.39 लाख रूपए की हानि हुई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त विसंगतियों के कारणों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि एडवाइस सं. 75 के माध्यम से विभिन्न प्रभागों एवं भत्तों की मदें भेजते समय, उपमण्डल स्टाफ ने एडवाइस में मदों की कुल संख्या तथा विविध प्रभागों तथा भत्तों के कुल राशि से सम्बन्धित सार तैयार नहीं किया। इन नियंत्रण योगों की अनुपस्थिति के कारण, बिलिंग एजेंसी, एडवाइस सं. 75 के माध्यम से उपमण्डलों द्वारा भेजी गई राशि तथा कम्प्यूटरीकृत लेजर में प्रविष्ट मदों में अन्तर, यदि, कोई है, परिकल्पित नहीं कर सकी। आगे, डिस्कामस के उपमण्डल स्टाफ ने हारट्रान के डाटा एन्ट्री आपरेटरज द्वारा प्रविष्ट किए गए विविध प्रभागों तथा भत्तों की राशि का मिलान भी उनके द्वारा भेजे गए डाटा के साथ नहीं किया था।

मुख्य लेखापरीक्षक, डी.एच.बी.वी.एन.एल. हिसार ने बताया (सितम्बर 2009) कि विविध प्रभागों की अप्रविष्टि के इन प्रकरणों में से कुछ, एडवाइस 75 में गलत खाता संख्या के उल्लेख के कारण हो सकता है। फिरभी, ये प्रकरण चैक करवाए जाएंगे तथा बकाया विविध प्रभाग एवं अनुमत अधिक भत्ते वसूल किए जाएंगे।

उपभोक्ताओं के 'कनैक्शन की तिथि' उपलब्ध न होना

2.3.11 मास्टर डाटा फाइल के सृजन/अद्यतन हेतु मूल डाटा, एडवाइस सं. 71 के माध्यम से प्रदान किया गया था जिसके साथ में नए उपभोक्ताओं के पता, कनैक्शन की तिथि, लेजर संख्या, लेखा संख्या, प्रतिभूति की राशि, संस्वीकृत प्रभाग इत्यादि सम्मिलित थे। कनैक्शन की तिथि, मूल क्षेत्र है तथा अनिवार्य प्रकृति की है। डाटा के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि सॉफ्टवेयर ने इस क्षेत्र में 'नल' मूल्य स्वीकार किया। वर्ष 2008-09 के डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया यू.एच.बी.वी.एन.एल. के तीन परिचालक परिमण्डलों के 5.57 लाख उपभोक्ताओं में से 1.23 लाख के प्रकरण में (अम्बाला: 1,71,285 में 11,543 पानीपत: 1,49,637 में से 1,10,718, सोनीपत : 2,36,272 उपभोक्ताओं में से 1,086) कनैक्शन की तिथि प्रविष्ट नहीं की गई थी। इसी प्रकार, डी.एच.बी.वी.एन.एल.के फरीदाबाद एवं गुड़गांव परिचालन परिमण्डलों में क्रमशः 4.19 लाख में से 3.20 लाख तथा 3.23 लाख में से 2.38 लाख में कनैक्शन की तिथि प्रविष्ट नहीं की गई। कनैक्शन की तिथि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपूर्ण डाटा की उपस्थिति कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की, विश्वसनीयता कम कर दी विशेषतः उन प्रकरणों में जहां यह क्षेत्र अपेक्षित है।

डी.एच.बी.वी.एन.एल. हिसार के मुख्य लेखापरीक्षक ने बताया (सितम्बर 2009) कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन से पूर्व के प्रकरणों के सम्बन्ध में कुछ प्रकरणों में कनैक्शन की तिथि उपलब्ध नहीं

थी तथा कुछ प्रकरणों में एक स्वामित्व से दूसरे में बिलिंग कार्य के अन्तरण के कारण हो सकता है। उसने सूचित किया कि अब कनेक्शन की तिथि प्रविष्ट किए बिना कोई कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं की 'प्रतिभूति जमा राशि' की अनुपलब्धता

2.3.12 10 अगस्त 2004 को अधिसूचित हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2004 (विद्युत आपूर्ति संहिता) के अनुसार, लाइसेंस कम्पनियों द्वारा बिलो पर प्रतिभूति जमा तथा उस पर ब्याज की राशि मुद्रित की जानी थी (वर्ष में एक बार अप्रैल माह में)। यू.एच.बी.वी.एन.एल. में अम्बाला, पानीपत तथा सोनीपत परिचालन परिमण्डलों के सम्बन्ध में 2008-09 हेतु, परिचालन परिमण्डल फरीदाबाद के सम्बन्ध में 2006-08 (जनवरी 2008 तक) हेतु तथा परिचालन परिमण्डल, गुड़गांव के सम्बन्ध में 2006-09 हेतु डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि यद्यपि जमा की गई प्रतिभूति की राशि की प्रविष्टि/अभिलेखन हेतु प्रावधान सॉफ्टवेयर में विद्यमान था, फिर भी, 12.99 लाख उपभोक्ताओं में से 10.64 लाख में जमा की गई प्रतिभूति की राशि प्रविष्ट नहीं की गई (यू.एच.बी.वी.एन.एल. में अम्बाला: 1.71 लाख में से 1.17 लाख, पानीपत: 1.50 लाख में से 1.27 लाख तथा सोनीपत: 2.36 लाख उपभोक्ताओं में से 2.08 लाख तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में फरीदाबाद: 4.19 लाख में से 3.12 लाख तथा गुड़गांव: 3.23 लाख उपभोक्ताओं में से 3.00 लाख)। अधूरा डाटा लेने के कारण डिस्कामस कम्पनियां विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों की अनुपालना हेतु ब्याज की राशि को इलैक्ट्रॉनिक परिगणित नहीं कर सकी। डिस्कामस, वर्ष की ब्याज की राशि को अप्रैल/मई 2008 एवं 2009 में जारी किए गए उपभोक्ताओं के बिलों में भी समायोजित नहीं कर सकी। यह विसंगति मुख्यतः, सॉफ्टवेयर में अनिवार्य वैधीकरण जांच की अनुपस्थिति को आरोप्य थी जो "प्रतिभूति जमा राशि" क्षेत्र में 'नल' प्रविष्टि अनुमत नहीं करती।

मुख्य लेखापरीक्षक, डी.एच.बी.वी.एन.एल., हिसार ने बताया (सितम्बर 2009) कि प्रतिभूति जमा क्षेत्र की डाटा प्रविष्टि का कार्य तीसरी पार्टी को आबटित किया गया था तथा पूर्ण करवा लिया जाएगा।

'मीटर रीडिंग' से सम्बन्धित डाटा अविश्वसनीय

2.3.13 डाटा विश्लेषण ने प्रकट किया कि 'वर्तमान रीडिंग' 'पिछली रीडिंग' तथा 'मीटर रीडिंग की तिथि' क्षेत्रों में डाटा, निश्चित मूल वैधीकरण जांचों को संतुष्ट करने में विफल रहा, अतः इसकी परिशुद्धता, वैधता एवं विश्वसनीयता पर संशय उत्पन्न करने वाला है जैसा कि नीचे चर्चित किया गया है।

पिछली रीडिंग से कम वर्तमान रीडिंग की स्वीकृति

2.3.14 मीटर की वर्तमान रीडिंग, इसकी पिछली रीडिंग से तब तक कम नहीं होनी चाहिए जब तक की मीटर द्वारा चक्र पूरा न कर लिया जाए। यह सुनिश्चित करने हेतु कि वर्तमान रीडिंग, पिछली रीडिंग से कम नहीं है, एक वैधीकरण जांच होनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सॉफ्टवेयर में यह वैधीकरण जांच नहीं था। परिणामस्वरूप, सॉफ्टवेयर ने वर्तमान रीडिंग को पिछली रीडिंग से कम स्वीकार कर लिया। यू.एच.बी.वी.एन.एल. में वर्ष 2008-09 हेतु अम्बाला, पानीपत एवं सोनीपत परिचालन परिमण्डलों के आंकड़ों के विश्लेषण ने प्रकट

1.51 लाख उपभोक्ताओं की वर्तमान रीडिंग, वैधीकरण जांच की अनुपस्थिति के कारण पिछली रीडिंग से कम थी।

किया कि 5.57 लाख उपभोक्ताओं में से 0.16 लाख में वर्तमान रीडिंग, पिछली रीडिंग से कम थी (अम्बाला: 1.71 लाख में से 0.06 लाख, पानीपत: 1.50 लाख में से 0.05 लाख, सोनीपत: 2.36 लाख उपभोक्ताओं में से 0.05 लाख)। इसी प्रकार, डी.एच.बी.वी.एन.एल. में, फरीदाबाद तथा गुड़गांव परिचालन, परिमण्डलों में क्रमशः 2006-08 (जनवरी 2008 तक) तथा 2006-09 वर्षों हेतु डाटा ने प्रकट किया कि 7.42 लाख उपभोक्ताओं में से 1.35 लाख में वर्तमान रीडिंग, पिछली रीडिंग से कम थी (फरीदाबाद: 4.19 लाख में से 0.65 लाख तथा गुड़गांव: 3.23 लाख उपभोक्ताओं में से 0.70 लाख) अवैध डाटा की उपस्थिति ने कम्प्यूटर प्रणाली की सत्यता को कम कर दिया।

मुख्य लेखापरीक्षक, डी.एच.बी.वी.एन.एल., हिसार ने बताया (सितम्बर 2009) कि ये प्रकरण मीटरों के छेड़छाड़ के कारण हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन कर दिए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को सही बिल जारी किए जा सकें।

पिछली मीटर रीडिंग की तिथि प्रणाली तिथि से अधिक

2.3.15 बिलिंग सॉफ्टवेयर को पिछली रीडिंग अथवा वर्तमान रीडिंग की तिथि, जो प्रणाली तिथि से अधिक हो, को स्वीकार नहीं करना चाहिए, नमूना-जांच के दौरान यह अवलोकित किया गया कि, पिछली रीडिंग की तिथि अथवा वर्तमान रीडिंग की तिथि प्रणाली तिथि से बाद नहीं होनी चाहिए, से सम्बन्धित क्षेत्र में, इनपुट वैधीकरण जांच का प्रावधान बिलिंग सॉफ्टवेयर में नहीं किया गया। सॉफ्टवेयर में इस वैधीकरण जांच की अनुपस्थिति के कारण, डाटाबेस में वर्तमान रीडिंग/पिछली रीडिंग की तिथि जुलाई 2009 के बाद भी स्वीकार की गई है। यू.एच.बी.वी.एन.एल. में अम्बाला, पानीपत तथा सोनीपत परिचालन परिमण्डलों के वर्ष 2008-09 के डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 7, 1 और 11 उपभोक्ताओं के प्रकरण में गत रीडिंग्स की तिथियां प्रणाली तिथि (जुलाई 2009) के बाद थी। इसी प्रकार, डी.एच.बी.वी.एन.एल. में, वर्ष 2006-08 हेतु गुड़गांव परिचालन परिमण्डलों में प्रकट किया कि 3 और 49 उपभोक्ताओं के प्रकरण में गत रीडिंग्स की तिथियां, प्रणाली तिथि (जुलाई 2009) के बाद थी।

प्रणाली तिथि के बाद, रीडिंग्स की तिथि के सम्बन्ध में, प्रबन्ध निदेशक यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने सूचित किया (सितम्बर 2009) कि यह बायस वैंटरीज में दोष के कारण हो सकता है तथा ये वैंटरीज परिवर्तित की जा रही है।

एच.ई.एस.एल. द्वारा ली गई मीटर रीडिंग क्रास चैक नहीं की गई

2.3.16 कम्पनी ने मीटर रीडिंग, बिल वितरण तथा रोकड़ संग्रहण के कार्य एच.ई.एस.एल. से करवाए थे। अनुबन्ध के अनुसार, एच.ई.एस.एल. स्टाफ द्वारा ली गई मीटर रीडिंग के 10 प्रतिशत की क्रास जांच कम्पनियों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जानी अपेक्षित थी यह सुनिश्चित करने हेतु कि एच.ई.एस.एल. के प्राधिकारियों द्वारा मीटर रीडिंग सही ढंग से ली गई थी तथा चूक, यदि कोई है, तो मुख्य अभियंता परिचालन समिति तथा अध्यक्ष, एच.ई.एस.एल. या उसके नॉमिनी को सूचित की जाएगी।

चयन किए गए परिचालन परिमण्डलों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 28 उपमण्डलों* में (सोनीपत: 7; फरीदाबाद /11 तथा गुड़गांव/10) परिचालन स्टाफ ने, एच.ई.एस.एल. के कर्मचारियों द्वारा ली गई मीटर रीडिंग के 10 प्रतिशत की क्रास जांच नहीं की। अनुबंधीय प्रावधान की अवहेलना के कारण, एच.ई.एस.एल. के कर्मचारियों द्वारा ली गई रीडिंग्स की परिशुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इस प्रकार, बिजली के बिलों को गलत बनाने की संभावना का पता नहीं लगाया जा सका। यू.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबन्ध निदेशक ने बताया (सितम्बर 2009) कि रीडिंग्स की अनिवार्य क्रास चैकिंग सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली आरंभ की जाएगी।

आऊटपुट पर अपर्याप्त नियंत्रण

2.3.17 आउटपुट नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं कि आउटपुट में त्रुटियों एवं अपवादों की सही ढंग से जांच कर ली गई है तथा अनुपालना कर दी गई है। यह सुनिश्चित करना डिस्कामस की मुख्य जिम्मेवारी थी कि बिलिंग ऐजेंसी ऐसी एम.आई.एस. रिपोर्टें बनाती हैं ताकि चूककर्ता उपभोक्ताओं के कारण राजस्व की हानि तथा राजस्व के वसूलीकरण में प्रणालीबद्ध विलम्ब जैसे मामले बताए जा सकें। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि डाटाबेस में पर्याप्त डाटा उपलब्ध था, या तो ऐसी रिपोर्टें मांगी नहीं गई या यदि उपलब्ध थी तो डिस्कायस द्वारा अनुपालन नहीं की गई जैसाकि निम्न अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है।

उपभोक्ताओं को बिलों के निर्गम में विलम्ब

2.3.18 डिस्कामस के निर्देशों के अनुसार, डी.एस. तथा एन.डी.एस. आपूर्ति उपभोक्ताओं के बिजली के बिल द्वि-मासिक जारी किए जाने थे। आगे, 10 अगस्त 2004 को अधिसूचित हेरक (विद्युत आपूर्ति सहिता) विनियम 2004 के अनुच्छेद 4(4) ने प्रावधान किया कि डिस्कामस द्वारा सभी विद्युतकृत सेवाओं हेतु प्रथम बिल, अगले बिलिंग चक्र की समाप्ति से पूर्व बिलिंग चक्र के दौरान, जारी किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि प्रथम बिल तथा अनुवर्ती बिलों के जारी करने में असामान्य विलम्ब थे जिससे राजस्व की वसूली में विलम्ब हुआ।

प्रथम बिल

33.47 करोड़ रूपए से आवेष्टित प्रथम बिल के निर्गम में विलम्ब 3 से 186 माह के मध्य श्रृंखलित थे।

2.3.19 यू.एच.बी.वी.एन.एल. के अम्बाला, पानीपत तथा सोनीपत परिमण्डलों तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के फरीदाबाद तथा गुड़गांव परिमण्डलों के इलैक्ट्रॉनिक डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि अभिलेख के लिए जहां कनेक्शन की तिथि उपलब्ध थी, 33.47 करोड़ रूपए से आवेष्टित 1.31 लाख उपभोक्ताओं के प्रथम बिलों के जारी करने में विलम्ब था। नीचे दिए

* परिचालन परिमण्डल, सोनीपत के परिचालन उपमण्डल राई, गनौर, कथूरा, कुण्डली, सीटी सोनीपत, इंडस्ट्रियल एरिया सोनीपत तथा माडल टाऊन सोनीपत, परिचालन परिमण्डल, फरीदाबाद के परिचालन उपमण्डल, खेड़ी कलां, उप-शहरी बल्लभगढ़ बडरोला, पाली, छैनसा, सीटी-2 बल्लभगढ़, उप-शहरी पलवल, होडल, दीघोट, हथीन तथा हसनपुर तथा परिचालन परिमण्डल गुड़गांव के परिचालन उपमण्डल पटौदी, फरूखनगर, भोड़ाकलां, बादशाहपुर, सोहना, तावडू, नूह, फीरोजपुर झिरका, पुनहना तथा नगीना।

गए विवरण के अनुसार विलम्ब, कम्पनी तथा हेरक द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति सहिता के निर्देशों के विरुद्ध, कनैक्शन की तिथि से 3 से 186 माह के मध्य श्रृंखलित थे।

परिचालन परिमण्डल	अवधि	अभिलेखों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	राजस्व (रूपए करोड़ में)	प्रथम बिल जारी किया गया वाद (अवधि माहों में)
अम्बाला	2006-09	16,078	14,656	3.06	3-86
पानीपत	2006-09	18,648	18,328	4.59	3-77
सोनीपत	2007-09	17,273	16,663	3.10	3-108
फरीदाबाद	2006-08 (से जनवरी 2008 तक)	37,031	34,973	8.34	3-186
गुडगांव	2006-09	47,854	45,930	14.38	3-149
योग		1,36,884	1,30,550	33.47	

उपभोक्ताओं की संख्या पर अभिलेखों में अन्तर हेतु कारण, जैसे कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किये गये थे कि उपभोक्ताओं को एक से अधिक प्रथम बिल जारी किए गए थे तथा कुछ-प्रकरणों में डाटाबेस में प्रथम बिल के लिए एक से अधिक अभिलेख विद्यमान थे आगे, उपभोक्ताओं की संख्या में अन्तर 5,580 उपभोक्ताओं के विरुद्ध दो या अधिक अभिलेखों की विद्यमानता के कारण था जैसा कि निम्न तालिका में वर्णित किया गया है:

अभिलेखों की आवधिकता	परिचालन मण्डल					उपभोक्ताओं की कुल संख्या	अधिक अभिलेख
	अम्बाला	पानीपत	सोनीपत	फरीदाबाद	गुडगांव		
दो बार	1,290	179	492	1,639	1,341	4,941	4,941
तीन बार	52	66	49	95	275	537	1,074
चार बार	8	3	4	67	11	93	279
पांच बार	1	0	2	2	0	5	20
छः वाद	0	0	0	4	0	4	20
कुल	1,351	248	547	1,807	1,627	5,580	6,334

अनुवर्ती बिल

2.3.20 लेखापरीक्षा ने आगे वलोकित किया कि कुछ प्रकरणों में उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिल नहीं दिए गए तथा प्रथम बिल के पश्चात् बिल 3 माह या अधि के विलम्ब से जारी किए गए थे। उपर्युक्त परिमण्डलों के उसी अवधि हेतु डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 3.74 लाख उपभोक्ताओं के प्रकरण में 126.80 करोड़ रूपए के राजस्व से आवेष्टित बिल 3 से 204 माह के मध्य श्रृंखलित विलम्ब से जारी किए गए थे जैसा कि निम्न वर्णित है:

126.80 करोड़ रूपए से आवेष्टित प्रथम बिल से अन्य बिलों के निर्गम में 3 से 204 माहों के मध्य विलम्ब श्रृंखलित थे।

परिचालन मण्डल	अवधि	अभिलेखों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	राजस्व (रूपए करोड़ में)	अनुवर्ती बिल से जारी किए गए (अवधि माह में)
अम्बाला	2006-09	60,733	40,618	9.24	3-101
पानीपत	2006-09	82,855	57,072	16.16	3-153
सोनीपत	2007-09	65,879	52,254	9.84	3-197
फरीदाबाद	2006-08 (से 1/08 तक)	1,42,044	1,13,227	36.27	3-186
गुडगांव	2006-09	1,53,263	1,10,809	55.29	3-204
योग		5,04,774	3,73,980	126.80	

उपभोक्ताओं की संख्या के अभिलेखों में अन्तर के लिए कारण, जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया, थे कि उपभोक्ताओं को एक से अधिक अनुवर्ती बिल जारी किए गए तथा कुछ प्रकरणों में डाटाबेस में अनुवर्ती बिल हेतु एक से अधिक अभिलेख विद्यमान थे। अनेक उपभोक्ताओं की संख्या में 1,30,794 अभिलेखों का अन्तर 96,610 उपभोक्ताओं के

विरुद्ध दो या अधिक अभिलेखों की विद्यमानता के कारण था जैसा कि निम्न तालिका बद्ध है:

अभिलेखों की अवधि	परिचालन परिमण्डल					उपभोक्ताओं का कुल संख्या	अधिक अभिलेख
	अम्बाला	पानीपत	सोनीपत	फरीदाबाद	गुड़गांव		
दो बार	8,388	12,464	8,024	18,361	22,916	70,153	70,153
तीन बार	3,308	4,119	2,181	3,735	6,873	20,216	40,432
चार बार	1,084	1,185	367	817	1,582	5,035	15,105
पांच बार	342	293	32	63	233	963	3,852
छः बार	85	60	2	47	18	212	1,060
सात बार	11	9	0	2	4	26	156
आठ बार	-	-	-	4	-	4	28
नौ बार	-	-	-	1	-	1	8
योग	13,218	18,130	10,606	23,030	31,626	96,610	1,30,794

इस प्रकार, प्रथम बिलों के जारी करने में विलम्ब तथा अनुवर्ती बिलों को 2 माह की निर्धारित बिलिंग अवधि के भीतर जारी न करने के परिणामस्वरूप राजस्व के संग्रहण में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि हुई थी। डिस्कामस द्वारा डाटाबेस से बिलों के विलम्बित निर्गम के सम्बन्ध में डाटा निकालने तथा स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। आगे, ऐसे प्रकरण, जहां बिल दुबारा जारी किए गए जाते हैं, सॉफ्टवेयर, मौजूदा अभिलेख को अद्यतन करने की बजाए उसी उपभोक्ता हेतु नया अभिलेख सृजित करता है जिससे डुप्लीकेसी हुई तथा डाटाबेस विस्तृत बना।

मुख्य लेखापरीक्षक ने बताया (सितम्बर 2009) कि ये प्रकरण उस अवधि से सम्बन्धित हो सकते हैं जब आन्तरिक लेखापरीक्षा बकाया में थी। इन प्रकरणों की जांच करवाई जाएगी तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

विद्युत प्रभारों की अवसूली

2.3.21 आपूर्ति एवं हेरक (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2004 की शर्तों के अनुसार, प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत बिल का अन्य देयों के साथ, बिल में उल्लिखित देय तिथि तक भुगतान किया जाना अपेक्षित है। जहां उपभोक्ता, विद्युत हेतु किसी विद्युत प्रभार या डिस्कामस को देय किसी अन्य राशि का देय तिथि तक भुगतान करने में उपेक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति को लिखित में 15 दिन का नोटिस देने के पश्चात् तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के मुकदमे द्वारा ऐसे प्रभार या अन्य राशि वसूल करने के अधिकार से, डिस्कामस आपूर्ति लाइन से विद्युत की आपूर्ति काट सकती है तथा आपूर्ति तब तक रोक सकती है जब तक ऐसे प्रभार अथवा अन्य राशि, डिस्काम द्वारा आपूर्ति के करने अथवा पुनः जोड़ने में किए गए व्ययों सहित उपभोक्ता द्वारा भुगतान नहीं किए जाते।

डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि अनेक प्रकरणों में, चूककर्ता उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति, जहां भुगतान में चूक छः बिलिंग चक्रों से अधिक थी, वियोजित नहीं की गई थी। चूकि डी.एस. एवं एन.डी.एस. उपभोक्ताओं के बिलिंग चक्र द्वि-मासिक है, लेखापरीक्षा ने सजीव उपभोक्ताओं, जो फरवरी तथा मार्च 2009 के माह में भी चूककर्ता थे, को परिगणना में लिया था। अम्बाला, पानीपत, सोनीपत तथा गुड़गांव परिमण्डलों के सम्बन्ध में वर्ष 2008-09 हेतु डाटा तथा फरीदाबाद परिमण्डल हेतु वर्ष 2006-08 (जनवरी 2008 तक) हेतु डाटा ने प्रकट किया कि 15261 चूककर्ता उपभोक्ताओं (यू.एच.बी.वी.एन.एल. में अम्बाला: 449;

पानीपत: 3,178; सोनीपत: 2,703 उपभोक्ता, तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. में गुड़गांव: 2,606 तथा फरीदाबाद: 6,325 उपभोक्ता) के प्रकरण में जहां चूक 25,000 रूपए से अधिक थी, बिल नियमित रूप से जारी किए जा रहे थे तथा इन उपभोक्ताओं से कम्पनियों द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं किए जा रहे थे। विद्युत की आपूर्ति उनके परिसरों को वियोजित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 99.00 करोड़ रूपए (अम्बाला: 1.85 करोड़ रूपए; पानीपत: 19.34 करोड़ रूपए; सोनीपत: 14.33 करोड़ रूपए, फरीदाबाद: 49.02 करोड़ रूपए तथा गुड़गांव 14.46 करोड़ रूपए) के राजस्व अवरूद्ध हुए।

डिस्कामस द्वारा, कम्पनी को आवर्ती हानि के परिहार हेतु इन प्रकरणों की समीक्षा हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

प्रबन्ध निदेशक यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि ऐसे प्रकरण विद्यमान हैं। शहरी कनेक्शनों के प्रकरण में उसने आश्वासन दिया कि चूककर्ता उपभोक्ताओं को वियोजित करने हेतु कार्रवाई 4 माह के भीतर कर ली जाएगी।

संस्वीकृत भार से अधिक विद्युत की खपत

2.3.22 बिल में दर्शायी गई इकाइयों की खपत वर्तमान तथा गत रीडिंग्स के मध्य अन्तर को प्रकट करती है। उपभुक्त इकाइयां, संस्वीकृत भार द्वारा गुणा की गई बिलिंग अवधि में घंटों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सीमा के आधिक्य में उपभुक्त इकाइयां उपभोक्ताओं द्वारा भार के अप्राधिकृत प्रयोग को सूचित करती है।

यू.एच.बी.वी.एन.एल. के परिचालन परिमण्डल, अम्बाला तथा पानीपत के सम्बन्ध में वर्ष 2006-09 हेतु तथा परिचालन परिमण्डल सोनीपत के सम्बन्ध में वर्ष 2007-09 हेतु तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के फरीदाबाद परिचालन परिमण्डल के सम्बन्ध में वर्ष 2006-08 (जनवरी 2008) हेतु तथा परिचालन, परिमण्डल गुड़गांव के सम्बन्ध में वर्ष 2006-09 हेतु इलैक्ट्रिक डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 13.81 लाख उपभोक्ताओं में से 43,840 के प्रकरण में उपभुक्त विद्युत की इकाइयों (अम्बाला: 2.19 लाख में से 10,823; पानीपत: 1.72 लाख में से 3,740, सोनीपत : 2.48 लाख में से 5,497; फरीदाबाद: 4.19 लाख में से 9,542 तथा गुड़गांव: 3.23 लाख में से 14,238) की संख्या, अधिकतम इकाइयों*, जो वे, उनके स्वीकृत भार के आधार पर उपभुक्त कर सकते थे, से अधिक थी। इन उपभोक्ताओं ने, उनको स्वीकृत भार के लिए अधिकतम इकाइयों, जो वे उपभुक्त कर सकते थे, से अधिक 37.27 करोड़ रूपए मूल्य की (अम्बाला: 4.35 करोड़ रूपए, पानीपत: 3.89 करोड़ रूपए, सोनीपत: 4.18 करोड़ रूपए, फरीदाबाद: 9.21 करोड़ रूपए तथा गुड़गांव: 15.64 करोड़ रूपए) 8.74 करोड़ अधिक इकाइयां (अम्बाला: 1.02 करोड़ पानीपत: 0.91 करोड़, सोनीपत: 0.98 करोड़, फरीदाबाद: 2.16 करोड़ तथा गुड़गांव: 3.67 करोड़) उपभुक्त की। डिस्कामस ने, डाटाबेस में डाटा की उपलब्धता के बावजूद आवर्ती हानियों के परिहार हेतु इन प्रकरणों की समीक्षा नहीं की। ट्रांसफार्मर क्षति पर भार के अधिक प्रयोग, खपत प्रतिभूति के कम उद्ग्रहण, औसत प्रभार इत्यादि के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

* यह मानते हुए कि उन्होंने समग्र बिलिंग चक्र (दो माह) के दौरान दिन में 24 घण्टे विद्युत उपभुक्त की।

प्रबन्ध निदेशक, यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया (सितम्बर 2009) कि संयोजित भार में वृद्धि की उपभोक्ताओं द्वारा घोषित नहीं की जा रही थी। उसने आगे बताया कि भार का अप्राधिकृत वृद्धि पता लगाने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी लागू करने के विकल्प की खोज की जा रही है।

सामान्य नियंत्रण

2.3.23 सामान्य नियंत्रण, नीतियां, प्रक्रियाएं तथा कार्यचालन प्रथाएं पर्यावरण सृजित करते हैं, जिसमें आई.टी. अनुप्रयोग कार्य करता है। यह सुनिश्चित करना प्रबन्धन का अन्तिम दायित्व है कि सामान्य नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है। डिस्कामस के अभिलेखों की जांच ने, कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के विकास, परिचालन तथा अनुरक्षण में प्रबन्धन के आवेष्टन की कमी को प्रकट किया जैसा कि निम्न अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है। डिस्कामस के अभिलेखों की जांच ने, कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के विकास, परिचालन एवं अनुरक्षण में प्रबन्धन के आवेष्टन की कमी को प्रकट किया जैसा कि निम्न अनुच्छेदों में दर्शाया गया है:

2.3.24 सही विलेखीकरण की कमी

- कोई कम्प्यूटर प्रणाली विकसित करने से पूर्व, यू.आर.एस. एवं एस.आर.एस., जो विकसित की जाने वाली प्रणाली के पूर्ण विवरण को बताता है, उच्चतर प्रबन्धन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि विक्रेता, संगठन की आवश्यकता को समझ सके। विलेखीकरण भी, जैसे यू.आर.एस., एस.आर.एस, विस्तृत संरचना डाटा प्रवाह ड्रॉयाग्राम डाटा शब्द कोश, तालिकाओं के मध्य सम्बन्धता इत्यादि, कम्प्यूटरीकरण परियोजना की निरन्तरता हेतु आवश्यक है क्योंकि डी.एस. एवं एन.डी.एस. उपभोक्ताओं का बिलिंग कार्य पूर्णतः बाह्यस्रोत से था। यदि बिलिंग एजेंसी में परिवर्तन है तो अनुवर्ती विक्रेता, जिसे अनुबंध दिया जाता है, को मौजूदा अनुप्रयोग को समझने तथा कारगरता से कार्य करने हेतु सही विलेखीकरण की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि डिस्कामस के पास उपर्युक्त कोई विलेख नहीं थे।
- डिस्कामस में परीक्षण करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी तथा औपचारिक रूप से विक्रेता द्वारा विकसित आई.टी. अनुप्रयोग, उनके कार्यान्वयन से पूर्व स्वीकार किए जाते हैं। वहां, कोई परिवर्तन प्रबन्धन नीति अथवा सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने हेतु स्वीकार्य औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी। डिस्कामस ने औपचारिक रूप से परिवर्तन प्राधिकृत नहीं किए जो विक्रेता द्वारा सॉफ्टवेयर में किए जाने थे। परिवर्तनों हेतु कारणों को सूचित करते हुए किए गए संशोधनों के विवरण, परिवर्तनों की प्रकृति, किए गए परीक्षण के विवरण, संसाधनों, सॉफ्टवेयर का वर्सन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तिथि के विवरण विलेखित तथा सुरक्षित नहीं किए गए।
- डिस्कामस तथा बिलिंग एजेंसियों द्वारा किसी अस्थायी अथवा स्थायी डिजास्टर, जिससे डाटा की हानि हो, की घटना में व्यवसाय की निर्बाध निरन्तरता सुनिश्चित करने हेतु व्यवसाय निरन्तरता तथा डिजास्टर रिकवरी प्लान* रखी जानी अपेक्षित थी। इससे

* संगठन की एक योजना जो डिजास्टर घटना के पश्चात् भी कार्य करना जारी रखे।

सम्बन्धित प्रावधान, बिलिंग एजेसियों के साथ अनुबन्ध में आसानी से विनिर्दिष्ट की जा सकती थी। डाटा बैंक अप भी, निश्चित अन्तरालों के पश्चात् नियमित रूप से चैक किए जाने अपेक्षित थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि डाटा बैंकअपस, बिलिंग एजेसियों द्वारा नियमित रूप से लिए जा रहे थे तथा जहां वे अनुरक्षित किए जा रहे थे उससे अन्य स्थान पर रखे जा रहे थे फिर भी ये किसी डिजास्टर की घटना में व्यवसाय की निर्बाध निरन्तरता सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अन्तरालों के पश्चात् चैक नहीं किए गए। डिस्कामस द्वारा बिलिंग एजेसियों को दिए गए कार्य आदेश इन प्रकरणों के विषय में साइलेंट थे। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि परिचालन परिमण्डल गुड़गांव में बिलिंग एजेसी (हारट्रान) द्वारा पूर्ण डाटा नहीं दिया जा सका क्योंकि परिचालन उप-मण्डल कादीपुर (जी-14) मारूती (जी-24) तथा उद्योग विहार (जी-25) के सम्बन्ध में जनवरी 2008 माह के विभिन्न वर्गों/चक्रों से सम्बन्धित डाटा फाइलें दूषित पाई गईं जैसा कि प्रणाली विश्लेषक, हारट्रान, गुड़गांव द्वारा पुष्ट किया गया है।

प्रबन्ध निदेशक यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने बताया कि अपेक्षित दस्तावेज अब तैयार करवा लिए जाएंगे जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था।

निष्कर्ष

डी.एच.बी.वी.एन.एल. तथा यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने डी.एस. एवं एन.डी.एस. उपभोक्ताओं की कम्प्यूटरीकृत बिलिंग बाहर से करवाई थी। फिर भी, यह सुनिश्चित करना कि इन कम्पनियों के प्रबन्धन की प्रमुख जिम्मेदारी थी कि कम्पनियों एवं उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त आई.टी. अनुप्रयोग तथा सामान्य नियंत्रण विद्यमान थे। लेखापरीक्षा ने इनपुट नियंत्रणों, वैधीकरण जांचों तथा आउटपुट नियंत्रणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में डिस्कामस के आवेष्टन की कमी अवलोकित की जिसने डाटा अविश्वसनीय बना दिया तथा मीटर किराया की कम वसूली के कारण राजस्व की हानि, विविध प्रभारों एवं भत्तों की गलत पोस्टिंग, बिलों के निर्गम में विलम्ब, चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध निष्क्रियता तथा संस्वीकृत भार से अधिक खपत के उदाहरण बने। लेखापरीक्षा ने सुविलेखित प्रणाली दस्तावेजों, व्यवसाय निरन्तरता तथा डिजास्टर वसूली योजनाओं तथा परिवर्तन प्रबन्ध नीति की अनुपस्थिति प्रकट की जिसने पर्यावरण, जिसमें कम्प्यूटरीकृत प्रणाली प्रचालित की गई थी, को बुरी तरह प्रभावित किया।

अनुशंसाएं

यू.एच.बी.वी.एन.एल. तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के प्रबन्धन को चाहिए:

- आई.टी. अनुप्रयोग में इनपुट नियंत्रण तथा मूल वैधीकरण जांच सम्मिलित करना ताकि मीटर किराया की कम वसूली, विविध प्रभारों तथा भत्तों की गलत पोस्टिंग तथा 'कनैक्शन की तिथि' तथा "प्रतिभूति जमा" जैसे अनिवार्य क्षेत्रों में शून्य मूल्य के उदाहरण दूर किए जा सकें।
- एच.ई.एस.एल. की पर्याप्त मानीटरिंग सुनिश्चित करना तथा मीटर रीडिंग से सम्बन्धित क्षेत्रों पर वैधीकरण जांच आरंभ करना ताकि उपभोक्ताओं को सही बिल जारी किए जा सकें।
- उपभोक्ताओं को बिलों के समय पूर्व/नियमित निर्गम, उपभोक्ताओं, जो भुगतान में चूक करते हैं, के समयपूर्व वियोजन तथा प्रकरणों, जहां खपत संस्वीकृत भार से अधिक है, की आवधिक समीक्षा सुनिश्चित करना।
- प्रतिभूति नीति, परिवर्तन प्रबन्ध नीति, व्यवसाय निरन्तरता तथा डिजास्टर वसूली योजना इत्यादि वर्णित करते हुए बृहत आई.टी. नीति बनाना, विलेखित करना तथा कार्यान्वित करना तथा उसे बिलिंग एजेंसी के साथ अपने अनुबंध में सम्मिलित करना ताकि कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का सुचारू परिचालन सुनिश्चित किया जा सके।

उपर्युक्त विषय सरकार तथा कम्पनियों को अगस्त 2009 में प्रतिवेदित किए गए थे; सरकार तथा डी.एच.बी.वी.एन.एल. के उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2009)।

अध्याय 3

3 सरकारी कम्पनियों से संबंधित सम्पादन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा किये गये संपादनों की नमूना-जांच से प्रकट महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

सरकारी कम्पनियाँ

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

3.1 राजस्व की हानि

हस्तांतरण एवं विस्तार शुल्क के त्याग के कारण कंपनी को 1.16 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हुई।

प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु, जनवरी 1999 में भारतीय आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन (ए.आर.ए.आई.) को औद्योगिक माडल टाऊन मानेसर में 31,249.57 वर्ग मीटर के एक प्लाट के आबंटन का नियमित पत्र जारी किया गया। प्लाट का वास्तविक कब्जा 26 अक्टूबर 1999 को दिया गया। कंपनी ने संपदा प्रबंध प्रक्रिया (ई.एम.पी.) नवम्बर 1999 में तैयार किये। ई.एम.पी. के प्रावधानानुसार, आबंटिती को कब्जे के प्रस्ताव के तीन वर्ष के भीतर अर्थात् 25 अक्टूबर 2002 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करना जरूरी था। आबंटिती के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पाने की स्थिति में तीन वर्ष से आगे एक वर्ष तक की अवधि की छूट केवल 50 रूपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से विस्तार शुल्क की उगाही किये जाने पर ही प्रदान की जा सकती थी। इसके बाद ई.एम.पी. 2005 के परन्तुकों के अनुसार आबंटित प्लाट/शैड के हस्तांतरण पर निर्धारित दर से हस्तांतरण फीस ली जानी थी। यद्यपि (क) ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जो कि 5 वर्ष से अधिक समय से वाणिज्यिक उत्पादन कर रही थी तथा ऋणभार से मुक्त थी तथा (ख) उत्तराधिकार, पारिवारिक हस्तांतरण अथवा वित्तीय संस्थान के द्वारा अधिगृहीत किये जाने के कारण आवश्यक हो गये हस्तांतरण के प्रकरण में कोई हस्तांतरण फीस नहीं लगाई जानी थी।

ए.आर.ए.आई. समय पर अर्थात् अक्टूबर 2002 तक प्रोजेक्ट को चालू नहीं कर पाई तथा उसने और मोहलत दिये जाने की प्रार्थना की। निदेशक मण्डल (बी.ओ.डी) ने मोहलत दे दी (अक्टूबर 2002) तथा ए.आर.ए.आई. से 25 अक्टूबर तक 15.62 लाख रूपये (50 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से) बिना ब्याज के एवं तत्पश्चात् 18 प्रतिशत ब्याज की दर से विस्तारण शुल्क जमा कराने के लिये कहा। विस्तार शुल्क से छूट देने की आबंटिती की प्रार्थना तथा भारी उद्योग विभाग भारत सरकार की इस दलील पर की गई सिफारिश (कि ए.आर.ए.आई. को सहायतार्थ अनुदान के रूप में धन दे कर क्षेत्रीय केंद्र (उत्तर) (आर.सी.एन) प्रोजेक्ट को निधि उपलब्ध कराई गई थी तथा विलम्ब मुख्यतः प्रोजेक्ट के कार्यक्षेत्र में बदलाव एवं फलस्वरूप निधि उपलब्ध कराने में देरी के कारण हुआ था) को अस्वीकार कर दिया गया (जून 2003 तथा अगस्त 2003) क्योंकि ई.एम.पी. में इस तरह की छूट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं

था। आर्बिटी ने ओर अतिरिक्त समय दिये जाने की प्रार्थना की (सितम्बर 2003) जो कि पूर्वोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मई 2004 तक बिना विस्तारण शुल्क के प्रदान कर दी गई। विस्तारण शुल्क को त्याग देना न्यायसंगत नहीं था क्योंकि ई.एम.पी. के अनुसार वांछित विस्तारण शुल्क ले कर ही मोहलत दी जानी चाहिये थी। आर्बिटी अक्टूबर 2004 में ही प्रोजेक्ट पूर्ण कर पाया। कंपनी ने अक्टूबर 2004 तक बढ़ोतरी प्रदान की (जुलाई 2005)। इस प्रकार कंपनी ने 50 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर से विस्तारण शुल्क के त्याग के कारण (6.13 लाख रूपए के ब्याज सहित) 21.75 लाख रूपये के राजस्व की हानि उठाई।

ए.आर.ए.आई. ने उपर्युक्त भू-खण्ड को (इस दलील के साथ कि यह मूल विभाग को हस्तांतरित किया जा रहा है) भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के पक्ष में बिना हस्तांतरण शुल्क लिये हस्तांतरित करने की प्रार्थना की (जनवरी 2007)। कंपनी ने आर्बिटी की प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा 300 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 93.75 लाख रूपये का हस्तांतरण शुल्क बिना लिये हस्तांतरण का अनुमोदन कर दिया (फरवरी 2007) जो कि न्याय संगत नहीं था क्योंकि ऐसे प्रकरणों में बिना हस्तांतरण शुल्क लिये (प्लेट) हस्तांतरित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं था।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2009) कि 2005 की ई.एम.पी. के अनुसार मूल आर्बिटी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य परियोजना/कंपनी/फर्म में 51 प्रतिशत अंश को रखे रखता है, ऐसे मामले को सविधान में बदलाव का मामला माना जायेगा न कि हस्तान्तरण का मामला। आगे, ई.एम.पी. 2005 में दिये गये प्रावधानों को संशोधित करने में निदेशक मंडल सक्षम है तथा ई.एम.पी. 2005 दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत न लिये गये किसी मुद्दे पर भी विचार कर सकते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अंशधारकता में बदलाव का मामला नहीं था (जैसे कि आर.सी.एन. परियोजना भारत सरकार को सौंप दी गई थी तथा ए.आर.ए.आई. द्वारा अपने कोरपस में से स्वर्च किये गये धन की इसको प्रतिपूर्ति की गई थी। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने ई.एम.पी. 2005 के प्रावधानों को नीतिगत निर्णय के रूप में संशोधित नहीं किया था।

इस प्रकार 'समयावधि बढ़ाने एवं हस्तांतरण शुल्क' के अन्यायसंगत त्याग के फलस्वरूप बिना ब्याज के ही 115.50 लाख (93.75 लाख रूपये+21.75 लाख रूपये) के राजस्व की हानि हुई।

कंपनी को इस राशि को वसूल करना चाहिये एवं भविष्य में अपने नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करना चाहिये।

मई 2009 में सरकार को मामला संदर्भित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2009)।

3.2 प्राप्य राशि की अवसूली

प्राथमिक प्रतिभूति का निपटान न करने के फलस्वरूप 5.66 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हुई।

कंपनी चूककर्ता इकाइयों को अपने कब्जे में लेकर तथा उगाही योग्य कीमत का मूल्यांकन कर अपनी प्राप्य राशि की वसूली के लिए बेच देती है। निदेशक मण्डल ने अक्टूबर 2006 में दो असफल प्रयासों के पश्चात् 20 प्रतिशत अथवा इससे ज्यादा आरक्षित मूल्य में कमी करने के

लिये तथा यदि इस प्रकरण के गुणावगुण ऐसी इजाजत देते हैं तो इकाई को आरक्षित मूल्य के कम कीमत पर भी निपटाने के लिए प्रबन्ध निदेशक को प्राधिकृत किया।

पवार स्टील्ज लिमिटेड को भिवानी में कोल्ड रोलड क्लोज़ अनील्ड (सी.आर.सी.ए) स्टील स्ट्रिप्स बनाने के लिये 7.40 करोड़ रुपये का आवधिक ऋण (जुलाई 2000 में 5 करोड़ रुपये तथा जून 2002 में 2.40 करोड़ रुपये) संस्वीकृत किया तथा इसके लिये जुलाई 2001 से जुलाई 2002 के बीच 7.34 करोड़ रुपये वितरित किये। लगातार चूक के कारण अंततः कंपनी ने राज्य विन्तीय निगम (रा.वि.नि.) अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 29 के तहत अगस्त 2007 में संबद्ध इकाई का भौतिक अधिग्रहण अर्थात् प्राथमिक प्रतिभूति जिसमें कि भूमि, भवन तथा मशीनरी सम्मिलित है कर लिया। मूल्य निर्धारक (निटकॉन) ने प्राथमिक प्रतिभूति की कीमत का मूल्यांकन 5.85 करोड़ रुपये किया। कंपनी ने अपने प्राप्यों की वसूली के लिये (अक्टूबर 2007 से फरवरी 2009 के बीच) 6 बार प्राथमिक प्रतिभूति को बेचने के प्रयास किये परन्तु इसे अब तक निपटाया नहीं जा सका (जून 2009)।

लेखापरीक्षा ने अभ्युक्ति दी कि पहले 3 बिक्री प्रयासों में कम्पनी को 3.10 करोड़ रुपये 2.10 करोड़ रुपये एवं 3.51 करोड़ रुपये के जो कि इसके आरक्षित मूल्य से काफी कम होने के कारण अस्वीकार कर दिये गये अधिकतम प्रस्ताव (बिड) प्राप्त हुए। चौथे बिक्री प्रयास (जुलाई 2008) में, कम्पनी को 5.66 करोड़ रुपये का प्रस्ताव (बिड) आया जोकि आरक्षित मूल्य का 97 प्रतिशत था। कंपनी की संपत्ति में आरक्षित मूल्य का वर्णन था तथा यह प्रस्ताव (बिड) आरक्षित मूल्य का वर्णन था यह प्रस्ताव (बिड) को अस्वीकार कर देने की सिफारिश की। कमेटी की इस सिफारिश का प्रबन्ध निदेशक ने अनुमोदन कर दिया। पांचवे बिक्री प्रयास (अक्टूबर 2008) में कोई भी प्रस्ताव (बिड) प्राप्त नहीं हुआ। प्राथमिक प्रतिभूति का निटकॉन से फिर से मूल्यांकन कराया गया जिसने कि इससे उगाही की कीमत 5.31 करोड़ रुपये तय की (दिसम्बर 2008) जोकि इस मूल्यांकनकर्ता द्वारा (भवन एवं मशीनरी) की कीमत में आई गिरावट के कारण पहले तय की गई कीमत से 0.54 करोड़ रुपये कम तय की गई। कंपनी ने फरवरी 2009 में छठा बिक्री प्रयास किया जिसके लिये कोई भी प्रस्ताव/बिड प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि निदेश मंडल ने प्रबंध निदेश को इस इकाई को आरक्षित मूल्य से 20 प्रतिशत कम मूल्य तक निपटाने हेतु प्राधिकृत किया था, कंपनी को वर्तमान मंदा के परिदृश्य मध्यनजर पिछले तीन प्रस्ताव (बिड) जो कि जुलाई 2008 में 5.66 करोड़ रुपये के प्राप्त हुये थे जोकि आरक्षित मूल्य से मात्र 3 प्रतिशत कम के थे, स्वीकार कर लेने चाहिये थे। इस प्रकार कंपनी कुल बकाया राशि 14.11 करोड़ रुपये (मूलधन: 7.27 करोड़ रुपये ब्याज: 6.84 करोड़ रुपये) में से 5.66 करोड़ रुपये वसूल नहीं कर पाई। उपर्युक्त प्रस्ताव (बिड) को यदि स्वीकार कर लिया जाता तो उसके परिणामस्वरूप न केवल 5.66 करोड़ रुपये की वसूली होती बल्कि प्राथमिक प्रतिभूति के उगाही मूल्य से 0.54 करोड़ रुपये की कमी से भी बचा जा सकता था।

कंपनी ने बताया (जून 2009) कि आरक्षित मूल्य से 5.66 करोड़ रुपये कम होने के कारण ही प्रस्ताव (बिड) को कानूनन स्वीकार नहीं किया जा सका तथा यह पूर्वकाल्पिक था कि बाद में अधिक बड़ा प्रस्ताव (बिड) आयेगा। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रस्ताव (बिड) राशि 5.66 करोड़ रुपये (जो कि आरक्षित मूल्य से 3 प्रतिशत कम था) को मंजूर करना, न केवल निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुरूप था बल्कि मंदा के रुख को देखते हुये व्यावसायिक तौर

पर भी विवेकपूर्ण था। इसके कारण यह होता कि इसके अपने स्रोत वैकल्पिक उपयोग हेतु बचे रहते।

यह सिफारिश की जाती है कि निदेशक मण्डल के आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिये तथा आदेशों के अनुपालन को आगामी बैठकों में सूचित किया जाये।

मामला राज्य सरकार को तथा कंपनी को जुलाई 2009 में संदर्भित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (सितम्बर 2009)।

3.3 बोनस/निष्पादन पुरस्कार का अधिक भुगतान

वित्त विभाग के बिना अनुमोदन के सांविधिक दर से अधिक बोनस प्रदान करने के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये की हानि हुई।

राज्य सरकार ने संबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मण्डल (बी.ओ.डी) को जहां कहीं लागू हो 8.33 प्रतिशत की सांविधिक दर से बोनस संस्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत करते हुये आदेश जारी किये (नवम्बर 2002)। बोनस के भुगतान अधिनियम 1965 के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो 3500 रुपये प्रति माह वेतन ले रहे हों। बोनस प्राप्ति के पात्र थे। इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मण्डल पात्र कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत की सांविधिक दर पर बोनस देने के लिये सक्षम थे। आदेशों में यह भी उल्लेख था कि यदि सांविधिक दर से अधिक बोनस दिये जाने पर विचार किया जाता है तो संबद्ध उपक्रम प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग (एफ.डी) को पूर्व अनुमोदन हेतु मामला भेजेगा।

कंपनी ने वित्त विभाग के बिना अनुमोदन के सभी कर्मचारियों को वर्ष 2005-06 के वार्षिक वेतन का 15 प्रतिशत की दर से बोनस/निष्पादन पुरस्कार देने का निर्णय लिया (नवम्बर 2006) तदनुसार, अधिनियम/सरकारी अनुदेशों के अनुसार 12 पात्र कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत की दर से देय बने मात्र 42000 रुपये के भुगतान की बजाय 1.02 करोड़ रुपये (नवम्बर 2006 से मार्च 2007 के बीच) का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप न केवल बोनस का 1.01 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ अपितु राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन भी नहीं हुआ।

कंपनी ने कहा (अप्रैल 2008) कि कर्मचारियों को वर्ष 2005-06 के लिये बोनस/निष्पादन प्रोत्साहन कंपनी के वास्तविक निष्पादन तथा अर्जित लाभ के आधार पर निदेशक मण्डल के अनुमोदन से प्रदान किया गया था।

उक्त जवाब लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दे को संप्रेषित नहीं करता। निदेशक मण्डल ऐसा निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं था तथा सांविधिक दर 8.33 प्रतिशत से अधिक एवं अपात्र कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के लिये राज्य सरकार के वित्त विभाग से पूर्व अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य था। कंपनी द्वारा वांछित अनुमोदन नहीं कराया गया। इसके अलावा, कंपनी द्वारा लाभ अर्जित करने के बावजूद, कंपनी के सभी कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस/निष्पादन पुरस्कार देने के 'प्रस्ताव' को भी सरकार द्वारा (मार्च 2005) अस्वीकार कर दिया गया था। आश्चर्यजनक बात ये है कि निदेशक मण्डल की बैठक जिसमें बोनस देने का निर्णय लिया गया, वित्त विभाग का नुमायंदा भी उपस्थित था। वित्त विभाग के नुमायंदा को इस

निर्णय का विरोध करना चाहिये था। यह उदाहरण उक्त नुमायंदे द्वारा अपनी ड्यूटी पालन में दृढ़ संकल्प होने की जरूरत की ओर संकेत करता है।

इस प्रकार, सरकार के आदेशों के उल्लंघन में विन्तीय सिद्धांत की (समझौता करते हुये) अवहेलना में था तथा इसके परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ। 1.01 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान के लिए जिम्मेवारी तय की जानी जरूरी है तथा कंपनी को भविष्य में राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

मामला जनवरी 2009 में राज्य सरकार को तथा कंपनी को संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितम्बर 2009)।

3.4 अपात्र प्रस्तावकर्ता को भूमि का आबंटन

कंपनी ने एक अपात्र प्रस्तावकर्ता (बिड्डर) को अस्पताल के लिये भूमि का आबंटन किया।

कंपनी ने आई.एम.टी. मानेसर में अस्पताल के लिये स्थान के आबंटन के लिये आवेदन आमंत्रित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया (अगस्त 2006)। पात्रता शर्त के अनुसार कोई भी व्यक्ति/समिति/न्यास/संस्थान आवेदन करने का पात्र था। विज्ञापन के जवाब में (फरवरी 2007) पांच प्रस्तावकर्ता (बिड्डर) से आवेदन प्राप्त हुये। प्रस्ताव 10.10 करोड़ रुपये से 27.70 करोड़ रुपये के बीच में थे। आवेदनों की जांच के लिये बनाई गई कमेटी ने पाया (अप्रैल 2007) कि सबसे बड़ा प्रस्तावकर्ता (बिड्डर) 2006 में ही स्थापित किया गया न्यास है और वह सिरसा में डाक्टरों की एक पैनल के साथ एक अस्पताल चला रहा है। अस्पताल नया था तथा उसका कार्य प्रदर्शन का कोई ट्रैक रिकार्ड नहीं था। आगे, यह कि मानेसर को प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड वाले चिकित्सा संस्थान की आवश्यकता थी जोकि व्यावसायिक ढंग से विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाये दे सके। अतः कंपनी द्वारा प्रवर्तित स्कीम को वापस लिये जाने की सिफारिश की तथा इच्छा जाहिर की कि पात्रता मापदण्ड का फिर से आकलन किया जाये। तदनुसार कंपनी ने (यह कहते हुए कि अपर्याप्त प्रस्ताव प्राप्ति के कारण संबद्ध स्थान को बोली प्रक्रिया (बिडिंग प्रोसेस) से अलग कर दिया गया है) 2.77 करोड़ रुपये लौटा दिये (अप्रैल 2007) जो कि सबसे बड़े प्रस्तावकर्ता द्वारा बोली राशि (बिडमनी) का 10 प्रतिशत थी।

कंपनी ने मापदण्ड का पुनर्आकलन किया (मई 2007) जिसके अनुसार संस्थागत स्वास्थ्य सेवाये देने के क्षेत्र में 10 वर्ष के प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड सहित कम से कम 50 करोड़ रुपये की निवल पूंजी दक्षता वाला कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ/समिति/न्यास/संस्थान/कंपनी आवेदन करने के लिये पात्र था। आमंत्रित प्रस्तावों (बिडस) के जवाब में (जून 2007) केवल रोकलैंड हास्पिटल्स लिमिटेड नाम के एक प्रस्तावकर्ता (बिड्डर) ने ही 25.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। कंपनी ने उपर्युक्त अकेले प्रस्ताव (बिड) को स्वीकार कर लिया (सितम्बर 2007) तथा संबद्ध स्थान उस प्रस्तावकर्ता को आबंटित कर दिया (सितम्बर 2007)।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण में पाया कि रोकलैंड होस्पिटल्स लिमिटेड एक ऐसे ग्रुप द्वारा प्रवर्तित की गई थी जो कि प्रारम्भिक तौर पर रोकलैंड होटल एवं रोकलैंड इन का संचालन कर सत्कार उद्योग में व्यवसाय करता था। उपर्युक्त ग्रुप ने एक बहु विशेषज्ञता वाला अस्पताल स्थापित किया जोकि (11 मई 2007 को निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किये गये तथ्यों के अनुसार) दो वर्ष पूर्व ही

पूरी तरह से चालू हो पाया था तथा इसकी निवल पूंजी मात्र 7.24 करोड़ रुपये थी। ऐसे में यह 10 वर्ष के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा के प्रमाणित व्यावसायिक ट्रैक रिकार्ड के मापदण्ड को तथा 50 करोड़ रुपये की निवल पूंजी के मापदण्ड को पूरा नहीं करता था। इसके अतिरिक्त 25.20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव (बिड) पूर्व में प्राप्त 27.7 करोड़ रुपये के प्रस्ताव (बिड) से कम का था। इस प्रकार आबंटन न केवल अकेले प्रस्ताव (बिड) के आधार पर एक अपात्र प्रस्तावकर्ता (बिड्डर) को किया गया बल्कि पूर्व प्राप्त सबसे बड़े 27.70 करोड़ रुपये (बिड) की तुलना में 2.50 करोड़ रुपये कम दर पर हुआ। अकेले प्रस्ताव (बिड्डर) तथा पूर्व के 27.70 करोड़ रुपये के प्रस्ताव (बिड) के दृष्टिगत, कंपनी को पात्रता के मापदण्ड पर खरे उतरने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों की प्राप्ति हेतु दोबारा निविदायें मंगानी चाहिये थी।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2009) कि संबद्ध न्यास ने प्रारम्भ में नई दिल्ली में एक क्लिनिक आरम्भ किया था तथा क्लिनिक का 130 बिस्तर वाले अस्पताल को स्थापित करने तक का सिलसिला जारी रहा था जिसे कि बाद में न्यास द्वारा रौकलैंड हास्पिटल लिमिटेड का नया नाम दिया गया। उपर्युक्त जवाब में 10 साल के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा के प्रमाणित व्यावसायिक ट्रैक रिकार्ड के तथा 50 करोड़ रुपये की निवल पूंजी के पात्रता मापदण्ड को न पूरा करने वाले आवेदक के चुनाव का संप्रेषण नहीं था। कंपनी ने प्रस्ताव (बिड) को स्वीकार करते समय पात्रता मानदण्ड पर गलत समझौता किया। इस प्रकार प्रस्ताव (बिड) का दोषपूर्ण आंकलन हुआ। प्रस्ताव (बिड) का मूल्यांकन करने एवं स्वीकार करने में संलिप्त कार्मिकों की जिम्मेवारी तय की जानी चाहिये।

ऐसे वाक्या पुनः न हों इसके लिए कंपनी को परियोजनाओं को आबंटित करते समय पात्रता मापदण्ड पर स्थिर रहना चाहिये।

मामला जुलाई 2009 में सरकार को संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.5 अतिरिक्त व्यय

करार में दोषपूर्ण उपबन्ध करने के कारण कंपनी ने 1.02 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन किया।

कंपनी के क्रय नियम पुस्तक में क्रय आदेश/कार्य आदेश दिये जाने हेतु तुलनात्मक दरों की प्राप्ति के लिये प्रस्ताव (बिड) आमंत्रित करने का प्रावधान है। कम्पनी ने मीटर रीडिंग, बिल बांटने तथा राजस्व एकत्रित करने के कार्यों को बाहरी तौर पर करवाने के लिये निर्णय लिया (सितम्बर 2005)। तुलनात्मक दरों की प्राप्ति के लिए बिना निविदायें आमंत्रित किये (जिसके कि कारणों का उल्लेख नहीं किया गया) कंपनी ने हरियाणा एक्स-सर्विसिज लीग (एच.ई.एस.एल.) से (अक्टूबर 2006) दो वर्ष के लिये (जिसे कि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता था) करार किया। अन्य बातों के साथ-साथ करार की शर्तों में, प्रति मीटर रीडिंग के 4 रुपये की दर से, प्रति बिल वितरित करने के 2 रुपये तथा प्रत्येक बिल की राशि (एकत्र करने की कार्यकुशलता के अनुरूप) एकत्रित करने के 6 रुपये से 8 रुपये की दर से एच.ई.एस.एल. को भुगतान करने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त करार में प्रावधान था कि

(मीटर रीडिंग, बिल वितरित करने तथा भुगतान एकत्रित करने पर, प्रति कनेक्शन 12 रुपये अथवा 14 रुपये की दर से भुगतान की गणना (एक समान दर वाले एवं घर न मिले उपभोक्ताओं जहां कि कोई मीटर रीडिंग अन्तर्गस्त नहीं थी, ऐसे मामलों सहित) रीडिंग नोट किये गये मीटरों की औसत संख्या तथा माह में वितरित किये गये बिलों के हिसाब से की जानी थी तथा यह दर किसी भी हालत में प्रत्येक कनेक्शन के 12 रुपये से कम नहीं होनी चाहिये थी। करार में इस दोषपूर्ण उपबन्ध की वजह से एच.ए.एस.एल. को (जहां कहीं कोई भी भुगतान वास्तव में एकत्र नहीं किया गया था के मामलों में भी) प्रत्येक कनेक्शन के भुगतान एकत्रित करने के प्रभार के रूप में 6 रुपये प्राप्त करने का हकदार बना दिया।

फरीदाबाद एवं गुड़गांव प्रचालन सर्कल की लेखापरीक्षा (मार्च 2008/मार्च2009) के दौरान यह पाया गया कि सितम्बर 2006 से जनवरी 2009 के लिये रीड किये गये मीटरों की औसत एवं वितरित बिलों के आधार पर 25,23,888 मामलों के लिये 12 रुपये प्रति कनेक्शन की समेकित दर से एच.ई.एस.एल. को 3.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। जबकि रीडिंग लिये गये मीटरों, वितरित किये गये बिलों तथा भुगतान एकत्रित किये मामलों की वास्तविक गणना के आधार पर (जो कि प्रत्येक कार्य के लिये आपस में सहमति व्यक्ति की गई थी) 2.38 करोड़ रुपये की राशि दी जानी थी। करार में दोषपूर्ण उपबन्ध के परिणामस्वरूप 94.06 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। प्रचालन मण्डल, बल्लभगढ़ ने भी निर्दिष्ट किया (नवम्बर 2006) कि भुगतान एकत्र करने का भुगतान (बिना वास्तविक भुगतान करने के) न्यायसंगत नहीं था। इसके साथ-साथ, कम्पनी ने नवम्बर 2006 से जुलाई 2008 के बीच बिना मीटर वाले/एक समान दर पर ही बिल देने वाले उपभोक्ताओं जहां कि कोई मीटर रीडिंग अंतर्गस्त नहीं थी प्रचालन सर्कल, सिरसा में मीटर रीडिंग के 1,79,812 मामलों के लिये 8.07 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यू.एच.बी.वी.एन.एल. जो कि उक्त कंपनी का सहोदर प्रतिष्ठान है, ने इन कार्यों के लिये, इस तरह की औसत उपबन्ध को अपने करार में शामिल नहीं किया था तथा वह प्रत्येक कार्य के लिये वास्तविक आधार पर भुगतान कर रही थी।

इस प्रकार, रीडिंग लिये गये मीटरों एवं वितरित किये गये बिलों की औसत के हिसाब से भुगतान करने के दोषपूर्ण उपबन्ध को शामिल करने के कारण कंपनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही तथा कार्यवार वास्तविक किये गये कार्य की प्रमात्रा की तुलना में 1.02 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन किया। यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह वास्तविक प्राप्त कि सेवाओं के लिये ही केवल भुगतान कर रही है कंपनी को इस दोषपूर्ण उपबन्ध को निकाल देना चाहिये।

मामला सरकार को तथा संबद्ध कंपनी को फरवरी 2009 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

3.6 मासिक समान्तर प्रचालन प्रभार की अवसूली

कैप्टिव पावर प्लान्ट्स से मासिक समान्तर प्रचालन प्रभार की अवसूली से कंपनी को 3.81 करोड़ रुपये की हानि हुई।

कंपनी के विक्रय अनुदेशों (जनवरी 2006) में प्रावधान है कि कैप्टिव पावर प्लांट (सी.पी.पी) मालिक जो कि उपभोक्ता भी हैं और कंपनी की प्रणाली से स्वरू होना चाहते हैं, अपने स्वयं

के उपयोग हेतु ऊर्जा का उपभोग करने के पात्र होंगे तथा उनके पास विकल्प होगा कि वे कंपनी के तंत्र के साथ ही साथ अपना संयंत्र (प्लांट) चला सकें। इसके लिये संयंत्र (प्लांट) मालिकों को एक ही बार के अनुमति शुल्क के अतिरिक्त डी.जी. सैटस की स्थापित क्षमता के 10 प्रतिशत पर 600 रुपये प्रति के. वी.ए. की दर से मासिक समान्तर प्रचालन प्रभार देना होगा।

स्टारवायर (इण्डिया) लिमिटेड, बल्लभगढ़ तथा जिंदल स्टेनलैस हिसार ने जनवरी 1997 एवं अक्टूबर 1990 में क्रमशः 2 x 2,745 के.वी.ए. सी.पी.पी.जी. तथा 2 x 5,400 के.वी.ए. सी.पी.पी.जी. स्थापित किये जो कि कंपनी के 11 के.वी. सिस्टम के रूबरू समान्तर चल रहे थे। जनवरी, 2006 के विक्रय अनुदेशों के मद्देनजर, स्टारवायर (इण्डिया) लिमिटेड, बल्लभगढ़ तथा जिंदल स्टेनलैस, हिसार पर क्रमशः 549 के.वी.ए. पर प्रतिमाह 3.29 लाख रुपये एवं 1,080 के.वी.ए. पर प्रतिमाह समान्तर प्रचालन प्रभार का बिल दिया जाना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2007 तथा फरवरी 2009) कि अनुदेशों के उल्लंघन में मासिक बिल देते समय इन उपभोक्ताओं से समान्तर प्रचालन प्रभार नहीं लिये जा रहे थे। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2006 से मार्च 2009 के बीच इन दो उपभोक्ताओं से ही 3.81 करोड़ रुपये (इस राशि पर जमा धनराशि की 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आकलित 66.36 लाख रुपये ब्याज की हानि को छोड़कर) की अवसूली हुई। कंपनी को इन प्रभारों को इन उपभोक्ताओं से वसूल करना चाहिये तथा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिये ताकि इसके अनुदेशों का निरपवाद रूप से अनुपालन हो।

मामला सरकार एवं कंपनी को जनवरी 2009 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2009)।

3.7 अतिरिक्त व्यय

विलम्ब से ट्रांसफारमर के प्रापण तथा परिणामस्वरूप अधिक दर से क्रय किये जाने के कारण कंपनी ने 1.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

पारस्परिक क्रय प्रबंधन के अनुसार, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) के लिये भी वितरण ट्रांसफारमर का प्रापण करती है। यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने डी.एच.बी.वी.एन.एल. (कंपनी) को (अगस्त 2005) प्रार्थना की, कि वह इसके उपयोग हेतु अन्य के साथ-साथ 4,000,25 के.वी.ए. ट्रांसफारमर का प्रापण करे। जबकि कंपनी ने सितम्बर 2005 में विविध किस्म के ट्रांसफारमरों के लिये निविदायें मंगाते समय इस 'मांग' को बिना किन्हीं कारणों के उल्लेख किये सम्मिलित ही नहीं किया। जैसे कि यू.एच.बी.वी.एन.एल. में ट्रांसफारमरों की अति कमी थी इसलिये कंपनी ने वित्त आयुक्त (ऊर्जा) को (फरवरी 2006) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड से क्रय की गई कीमत के आधार पर ही ट्रांसफारमरों के प्रापण का प्रस्ताव किया जिसके लिये वित्त आयुक्त (ऊर्जा) ने (23 फरवरी 2006) अपना अनुमोदन कर दिया। इस तथ्य की अनदेखी की कि यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने पी.एस.ई.बी. से उनके द्वारा क्रय के समय दी गई कीमत 44,991 रुपये प्रति ट्रांसफारमर बिना वारंटी के 63,272 रुपये प्रति ट्रांसफारमर के हिसाब से 1500 ट्रांसफारमर (मार्च 2006 से सितम्बर 2006 के बीच) खरीदे थे। कीमत के साथ-साथ पी.एस.ई.बी. ने प्रासंगिक प्रभार, अतिरिक्त कीमत, चुगी, पर्यवेक्षण, भंडारण तथा वैट प्रभार भी लिये।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया (दिसम्बर 2006) कि अप्रैल 2006 में कंपनी द्वारा बाद की निविदा पूछताछ को अंतिम रूप दिया गया तथा न्यूकान पावर कंट्रोल (प्रा.) लिमिटेड लुधियाना को 49,500 रुपये (फरवरी 2006 की आधार तिथि से परिवर्ती) प्रति ट्रांसफारमर 25 के.वी.ए. के 3,000 ट्रांसफारमरों का क्रय आदेश दे दिया। ट्रांसफारमर जुलाई से दिसम्बर 2006 के बीच उतरने तक की लागत 52,289 रुपये प्रति ट्रांसफारमर की दर से प्राप्त कर लिये। इस दर की तुलना में यू.एच.बी.वी.एन.एल. को पी.एस.ई.वी. से 1500 ट्रांसफारमरों के क्रय के लिये 1.65 करोड़ रुपये* अतिरिक्त व्यय करने पड़े।

इस प्रकार, निविदित मात्रा में यू.एच.बी.वी.एन.एल. की 25 के.वी.ए. ट्रांसफारमरों की मांग को शामिल न करने के परिणामस्वरूप 1.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

डी.एच.बी.वी.एन.एल. प्रबन्धन ने जवाब में कहा (मई 2007) कि अति कमी होने के कारण, राज्य सरकार के अनुमोदन से वैकल्पिक प्रबंध करना पड़ा। जवाब इस तथ्य को संप्रेषित नहीं करता कि यह आकस्मिक स्थिति कंपनी के समय पर ट्रांसफारमरों के अप्रापण के कारण उत्पन्न हुई। कंपनी को यू.एच.बी.वी.एन.एल. से प्राप्त मांगपत्र तथा कमी को तथा आकस्मिक स्थिति में उच्च दर से क्रय को रोकने के लिये समय पर अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं के प्रापण का ठीक से मानीटर करने की जरूरत है।

मामला सरकार एवं कंपनी को मार्च 2009 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (सितम्बर 2009)।

3.8 राजस्व की हानि

चरम भार (पीक लॉड) छूट प्रभार लगाये जाने हेतु संदिग्धार्थी अनुदेशों के जारी करने के कारण कंपनी को 47.06 लाख की हानि हुई।

वितरण तथा खुदरा एवं आपूर्ति 2000 हेतु अनुसूचित प्रशुल्क के प्रावधानानुसार-कंपनी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार चरम भार वाले घण्टों में विशेष छूट की अनुमति का लाभ प्राप्त कर, बिजली का उपयोग करने वाले ट्राई-वेक्टर बिजली मीटरों वाले एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ताओं पर साधारण प्रशुल्क के अतिरिक्त 2 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त प्रभार एवं यदि उपयोग किसी माह के दौरान निर्दिष्ट सीमा से अधिक होता है तो साधारण प्रशुल्क से 4 रुपये प्रति यूनिट अधिक (चरम भार छूट प्रभार (पी.एल.इ.सी) के रूप में) प्रभार लगाया जायेगा। ऐसे सभी इलैक्ट्रॉनिक ट्राई वेक्टर मीटर वाले एच.टी. उपभोक्ता जिन्होंने विशेष छूट की मांग नहीं की है अथवा उन्हें प्रदान नहीं की गई है वे उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार चरम भार घण्टों में अतिरिक्त प्रभार देने की शर्त पर संविदा मांग का 10 प्रतिशत फायदा ले सकते हैं।

कंपनी ने 18.00 बजे से 22.00 बजे तक के घण्टों को 16 फरवरी 2007 से चरम भार घण्टे घोषित कर दिया (फरवरी 2007) तथा तदनुसार पी.एल.इ.सी. लगाने का निर्णय लिया। कंपनी ने उपर्युक्त अनुदेशों को अगस्त 2007 में संशोधित किया जिसमें कि अन्य के अलावा कहा गया कि एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ता जिन्होंने कि चरम भार घण्टों के दौरान विशेष छूट के लिये मांग नहीं की थी वे उक्त सुविधा के हकदार नहीं थे तथा यदि वे चरम भार घण्टों के दौरान

* (63,272 रूपए - 52,289 रूपए) X 1,500.

बिजली का उपभोग करते हैं तो उनका कनेक्शन काट दिया जायेगा। यदि ऐसे उपभोक्ता पुराने परिपत्र (फरवरी 2007) के अनुरूप चरमभार घण्टों के लिये प्रभारित किये जाते तो प्रभार वापस ले लिये जाते। ये अनुदेश दोषपूर्ण थे क्योंकि कंपनी ने उन उपभोक्ताओं का पक्ष लिया था जिन्होंने वांछित अनुमति नहीं ली यद्यपि चरम भार घण्टों में उन्होंने बिजली का उपयोग किया। कंपनी ने उपर्युक्त अनुदेशों की समीक्षा की तथा फरवरी 2007 एवं अगस्त 2007 में जारी किये गये अनुदेश तुरंत प्रभाव से तथा बाद में जारी करने की तिथि से वापस (सितम्बर 2007) ले लिये। तदनुसार कम्पनी ने परिचालन परिमण्डल, हिसार के तीन उपमण्डलों में पी.एल.ई.सी. के रूप में प्रभारित 47.06 लाख रूपए सितम्बर 2007 से जून 2008 के दौरान लौटाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (अगस्त 2007 में) जारी अनुदेशों में इस सीमा तक कमी थी कि इसमें कंपनी ने उन उपभोक्ताओं का पक्ष लिया था जिन्होंने पी.एल.ई.सी. के दौरान बिना इसके लिये अपना विकल्प दिये उपभोग का लाभ उठाया था, जबकि उसी स्थिति में, जिन उपभोक्ताओं ने वांछित अनुमति ली थी, उन्हें प्रभार देना पड़ा। इसके अतिरिक्त, फरवरी एवं अगस्त 2007 दोनों के ही अनुदेशों को वापस लेने पर, इसे पी.एल.ई.सी. वापस करना पड़ा जबकि चरम भार घण्टों में बिजली का लाभ लिया गया था। यदि कंपनी ने केवल अगस्त 2007 के ही अनुदेशों को वापस लिया होता, तो भी यह 47.06 करोड़ रूपये की वापसी को बचा सकती थी। यू.एच.बी.वी.एन.एल. (सहयोगी प्रतिष्ठान) ने अप्रैल 2007 में पी.एल.ई.सी. की उगाही के लिये जारी अनुदेशों को सफलतापूर्वक लागू किया क्योंकि इनमें किसी तरह का संदिग्ध अर्थ नहीं था।

इस प्रकार, अगस्त 2007 में जारी संदिग्धार्थी अनुदेशों तथा बाद में दोनों अनुदेशों की वापसी के कारण कंपनी को पी.एल.ई.सी. की वापसी करनी पड़ी यद्यपि उपभोक्ताओं द्वारा चरमभार घण्टों में बिजली का उपभोग किया गया। परिणामस्वरूप 47.06 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई। कंपनी को संदिग्धार्थी अनुदेशों को जारी करने और बाद में वापस लिये जाने के लिये जिम्मेवारी निश्चित करनी चाहिये तथा अनुदेशों का आवश्यक विचार-विमर्श के पश्चात् लागू होना सुनिश्चित करना चाहिये।

मामला सरकार तथा कंपनी को जून 2009 को संदर्भित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.9 निष्फल व्यय

अग्निशमन तंत्र जो कि पूर्णतः प्रचालन नहीं है पर कंपनी ने 9.98 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय किया।

कंपनी ने डिजाईन, अभियांत्रिकी, निर्माण, उपकरणों की आपूर्ति तथा स्टीम जनरेटर हेतु सामग्री, सहायकों सहित स्टीम टरबाइन जनरेटर (मुख्य संयंत्र) तथा यांत्रिक का शेष, बिजली एवं नियंत्रण एवं यांत्रिक तंत्र (शेष संयंत्र) पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की 7 एवं 8 इकाइयों के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल) को एक क्रय आदेश (जून 2002) दिया।

इस कार्य में अग्निशमन तंत्र (एफ.एफ.एस) की स्थापना, जांच तथा चालू करना शामिल था। अंतिम बिल का ब्यौरा (बी.बी.यू.) बाद में दिया जाना था। कंपनी के मुख्य अभियंता/थर्मल डिजाईन ने आपूर्तिकर्ता को बी.बी.यू. भेजा (मार्च 2004)।

बी.एच.ई.एल. ने अग्नि से बचाव के सिस्टम की कार्य प्रणाली इकाई-7 के नियंत्रण कक्ष एवं केबल गैलरी में प्रदर्शन किया। मुख्य अभियंता (ओ. एण्ड एम) ने केबल गैलरी के अग्नि का पता लगाने तथा बचाव सिस्टम की गंभीर खामियों के बारे में सूचित किया (फरवरी 2005) तथा संबद्ध फर्म को सिस्टम में सुधार करने के लिये मौखिक तौर पर कहा गया। अप्रैल 2005 में, एम.एफ.एस. की जांच पड़ताल एवं पूर्वाभ्यास किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा बताई गई सिस्टमवार खामियों की अनदेखी करते हुये, बी.एच.ई.एल. तथा कंपनी के बीच (सिस्टम) लेने हेतु प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर (अप्रैल 2005) कर दिये गये। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने सितम्बर 2005 में पुनः दोहराया कि गंभीर खामियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तथा कई जगहों पर एफ.एफ.एस. उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके कारण इकाई-7 एवं 8 का केवल एक सिस्टम भी कार्य करने योग्य एवं पूर्ण नहीं था। कंपनी ने बी.एच.ई.एल. से सिस्टम को कार्य करने योग्य बनाने हेतु इन कमियों को दूर करने को कहा (अक्टूबर 2005)। 4 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर भी सिस्टम को स्वचालित नहीं बनाया गया। एफ.एफ.एस. की वारंटी/गारंटी की अवधि अप्रैल 2006 में समाप्त हो गई।

इस प्रकार एफ.एफ.एस. को बिना खामियां दूर किये लेने से 9.98 करोड़ रुपये का व्यय वांछित परिणाम लाने में असफल रहा।

कंपनी ने बताया (मार्च 2009) कि किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिये सिस्टम को मानवचालित स्थिति में रखने की कोशिश की जा रही थी तथा बाकी के स्वचालित सिस्टम के लिये बी.एच.ई.एल. से ध्यान देने के लिये कहा जा रहा था इसके अतिरिक्त बकाया रह गये कार्य के कारण बी.एच.ई.एल. को देय पर्याप्त राशि को रोक लिया गया था ताकि ये कार्य बी.एच.ई.एल. के अपने जोखिम एवं खर्च पर पूरे हों। यह तथ्य, तथ्य ही रहा कि बिना खामियां दूर किये एफ.एफ.एस. को लेने/लगाये जाने का प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किये जाने के परिणामस्वरूप सविदा की जरूरत के अनुरूप एफ.एफ.एस. स्वचालित स्थिति में चालू नहीं हो पाया।

कंपनी को बिना खामियों को दूर कराये, प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करनी चाहिये तथा बिना और देरी किये बी.एच.ई.एल. से उन्हीं के जोखिम एवं खर्च पर कार्य को पूर्ण करवाना चाहिये।

मामला सरकार एवं कंपनी को मई 2009 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

3.10 राजस्व की हानि

समझौते के ज्ञापन को समाप्त न करने के कारण कंपनी ने 3.84 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

कंपनी ने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की 7 और 8 इकाई से उत्पन्न फ्लाई राख को मुफ्त में 1.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष 25 वर्ष तक उठाने के लिये गुजरात अम्बूजा सीमेंट लिमिटेड

(जी.ए.सी.एल.) के साथ एक समझौते के ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि 10 वर्ष के लिये इन्हीं इकाइयों से 2.11 लाख मीट्रिक टन फ्लाई राख बिना कुछ भी लिये उठाने के लिये जी.ए.सी.एल. से एक अन्य (दूसरा) एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर (अगस्त 2005) किये जिसके पश्चात् दरें पारस्परिक स्तर पर तय की जानी थी। एम.ओ.यू. के अनुसार सूखी राख सिस्टम को पूरा करने के लिये कंपनी द्वारा तथा सूखी राख उठाने का कार्य जी.ए.सी.एल. द्वारा किये जाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध 24 माह में पूर्ण किया जाना था।

कंपनी ने अतिरिक्त सूखी फ्लाई राख को पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया द्वारा संभावित उपयोगकर्ताओं को आबंटित करने का निर्णय (अप्रैल 2006) लिया। तदनु रूप, सितम्बर 2009 तक फ्लाई राख बिना कुछ भी लिये एवं बाद में प्रभार लेने के आधार पर आपूर्ति करने के लिये अपने मंतव्य को जाहिर करने हेतु एन.आइ.टी. जारी किया गया (जून 2006)। जवाब में 7 प्रस्ताव आये जिनमें से दो ने 25 रुपये से 27 रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रशासकीय प्रभार के रूप में भुगतान करने का प्रस्ताव किया। इस विकसित परिस्थिति के दृष्टिगत कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा इन सात फर्मों से प्रशासकीय प्रभार के साथ प्रस्ताव (बिडस) मंगाने तथा वर्तमान एम.ओ.यू. को समाप्त करने के लिये हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.) के विधिकक्ष का विचार जानने का निर्णय (अप्रैल 2006) लिया गया। तदनु रूप, इन सातों फर्मों से प्रशासकीय प्रभार के साथ प्रस्ताव आमंत्रित किये गये (जनवरी 2007) तथा वर्तमान एम.ओ.यू. समाप्त करने हेतु एच.वी.पी.एन.एल. के विधिकक्ष का विचार जानने का प्रयास किया गया। प्राप्त प्रस्तावों (बिडस) के आधार पर यह निर्णय लिया गया (अप्रैल 2007) इकाई 7 एवं 8 के एक लाख मीट्रिक टन फ्लाई राख को ग्रासिम इण्डस्ट्रीज को 312 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से आबंटित किया जाये। एच.वी.पी.एन.एल. के विधिकक्ष के (सितम्बर 2006) के विचारानुसार एम.ओ.यू. का कानूनन प्रवर्तन नहीं किया जा सकता था जब तक कि उन्हें करार में नहीं बदल दिया जाता और इस प्रकार जी.सी.एल. के साथ एम.ओ.यू. को एक माह का नोटिस देकर ही समाप्त किया जा सकता था। यद्यपि कंपनी ने जनवरी 2007 में केवल एक एम.ओ.यू. को ही समाप्त किया जिसमें कि एक माह का नोटिस देकर समाप्त किये जाने का प्रावधान था। द्वितीय एम.ओ.यू. को अगस्त 2007 इसके कार्यकाल तक पूर्ण होने दिया गया जबकि यह भी विधिक मत के दृष्टिगत समाप्त किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण में पाया कि कंपनी ने जे.के. सीमेंट के साथ वर्तमान एम.ओ.यू. (अप्रैल 2004) को अप्रैल 2006 में समाप्त किया तथा जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड के साथ किये एम.ओ.यू. (अगस्त 2004) को प्रशासकीय प्रभार के भुगतान हेतु जून 2007 में संशोधित किया जबकि जी.ए.सी.एल. के साथ किये एम.ओ.यू. को इसकी समाप्ति अगस्त 2007 तक जारी रहने दिया गया। द्वितीय एम.ओ.यू. के रद्द न होने का फायदा उठाते हुये तथा भविष्य के प्रशासकीय प्रभारों को सन्निकट पाते हुये उक्त फर्म ने फरवरी से अगस्त 2007 के मध्य 19,780 मासिक औसत के हिसाब से 1,38,110 मीट्रिक टन फ्लाई राख उठाई जबकि अप्रैल से दिसम्बर 2006 की पूर्व अवधि में दो एम.ओ.यू. के विरुद्ध मात्र 914 मीट्रिक टन मासिक औसत के हिसाब से ही फ्लाई राख उठाया था।

इस प्रकार, कंपनी के जी.ए.सी.एल. को बिना कोई प्रभार दिये 1,38,110 मीट्रिक टन फ्लाई राख उठाने देने के परिणामस्वरूप द्वितीय एम.ओ.यू. को प्रथम एम.ओ.यू. के साथ ही जनवरी 2007

में समाप्त न करने के कारण (सितम्बर 2008 से इस फर्म के साथ स्वीकृत) 278 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से 3.84 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

कंपनी को द्वितीय एम.ओ.यू. को समाप्त न किये जाने के कारणों का पता लगाना चाहिये तथा भविष्य में निर्णय लेते समय कंपनी के वित्तीय हितों को ध्यान में रखने को सुनिश्चित करना चाहिये।

मामला सरकार तथा कंपनी को जून 2009 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

3.11 परिहार्य व्यय

संविदा को परामर्श प्राप्त हेतु अंतिम रूप देने में किये गये विलम्ब एवं इसके साथ-साथ विलम्ब की अवधि में संयंत्र प्रबंधन सिस्टम से विचारित (अपेक्षित) लाभ न उपलब्ध होने की वजह से कंपनी ने 21.42 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

प्रचालन तथा अनुरक्षण समूहों तथा अन्य विभागों की सहायता हेतु पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस) में कम्प्यूटरीकृत एकीकृत संयंत्र प्रबंधन सिस्टम को विकसित किये जाने हेतु कंपनी ने (मई 2005) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड (एन.टी.पी.सी) को परामर्श सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कहा ताकि उत्पादन की कीमत को ईष्टतम किया जाये। एन.टी.पी.सी. ने अपना प्रस्ताव (दिसम्बर 2005) 7.39 करोड़ रुपये के लिये प्रस्तुत किया जिसमें अन्य के अतिरिक्त सिस्टम के कार्यान्वयन के लिये 31 मार्च 2006 तक 1.98 लाख रुपये प्रति विशेषज्ञ की दर से 11 विशेषज्ञों/संस्थावसायिकों की तैनाती सम्मिलित थी बशर्ते कि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर स्वतः वृद्धि की जाये। अगले मजदूरी संशोधन को हिसाब में लेने पर दिसम्बर 2006 तक लागू दरों को (अप्रैल 2007 से 10 प्रतिशत वार्षिक की सामान्य वृद्धि के साथ ही) 1 जनवरी 2007 से 40 प्रतिशत और बढ़ाया जाना था। कार्य 18 माह में पूरा किया जाना था। यद्यपि कंपनी ने एन.टी.पी.सी. को 7.35 करोड़ रुपये का आदेश-पत्र मार्च 2007 में दिया तथा करार पर मई 2007 में हस्ताक्षर किये।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया (मार्च 2008) कि कंपनी ने निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने में 8 माह (दिसम्बर 2005 से अगस्त 2006) कार्य के लिये आदेश देने में 7 माह (अगस्त 2006 से मार्च 2007) तथा करार पर हस्ताक्षर करने में अगले दो माह (मार्च से मई 2007) लगा दिये। उसके बाद जुलाई 2007 से एन.टी.पी.सी. विशेषज्ञों की तैनाती आरम्भ हुई। कंपनी मार्च 2006 में ठेका कर अप्रैल 2006 से कार्य प्रारम्भ करा सकती थी। करार को अंतिम रूप देने में 17 माह का समय लेने के कारण न केवल परियोजना के पूरा होने में देरी हुई बल्कि अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 तक लागू 2.18 लाख रुपये की दर के विरुद्ध 2.77 लाख रुपये प्रति विशेषज्ञ की स्वतः वृद्धित दर से विशेषज्ञों की तैनाती के लिये भुगतान करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप कार्य को पूर्ण करने हेतु 18 माह की अवधि को विचार में लेते हुये (जुलाई 2007 से दिसम्बर 2008 तक) 21.42 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस प्रकार, कंपनी ने संविदा को परामर्श प्राप्त हेतु अंतिम रूप देने में किये गये विलम्ब एवं इसके साथ-साथ विलम्ब की अवधि में संयंत्र प्रबंधन सिस्टम से अपेक्षित लाभ न उपलब्ध होने की वजह से कंपनी ने 21.42 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

कंपनी ने उत्तर में कहा (जुलाई 2009) कि संविदा के लिये गहन अध्ययन तथा विस्तृत चर्चायें की जानी जरूरी थी। इसकी गतिविधियां बहुत समय लेने वाली थीं एवं वांछित अनुमोदन प्राप्त हेतु विशिष्ट कार्यविधियां अपनायी जानी थीं। यह तथ्य, यद्यपि तथ्य ही रहा कि संविदा को अंतिम रूप देने में 17 माह का असाधारण समय लिया गया तथा जिसे साधारण बात नहीं माना जा सकता। कंपनी को संविदाओं को अंतिम रूप देने में यथोचित कार्यकुशलता सुनिश्चित करनी चाहिये।

मामला सरकार को मई 2009 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड

3.12 राजस्व की हानि

नयी निविदायें मंगाने में देरी के कारण कंपनी को 66.55 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

कंपनी ने 16 सितम्बर 2005 से 15 सितम्बर 2007 तक दो वर्ष के लिये टॉल स्थल 30 (कोटपुतली-बुधवाल-नांगल चौधरी-नारनौल सड़क पर)। टॉल एकत्रित करने के अधिकार श्री राजीव सिंगला को 7.65 करोड़ रुपये में दिये। करार के प्रावधानानुसार कंपनी ठेकेदार की सहमति से ठेके की अवधि को तीन माह तक बढ़ा सकती थी।

जुलाई 2007 में, अर्थात् ठेके के समाप्ति से दो माह पूर्व ठेकेदार ने 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ तीन माह तक के लिये (ठेके की) और आगे बढ़ौतरी की प्रार्थना की। कंपनी ने वर्तमान टॉल की प्राप्ति की प्रमात्रा के निर्धारण के लिये ट्रैफिक सर्वेक्षण कराये बिना उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और 11 जुलाई 2007 को तीन माह 16 सितम्बर 2007 से 15 दिसम्बर 2007 तक के लिये विस्तार प्रदान कर दिया। इस प्रकार, कंपनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही क्योंकि ठेके (की अवधि) बढ़ाने का इसका निर्णय, पर्याप्त तथा विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं था।

बाद में, कंपनी ने निविदायें मंगाने (24 अक्टूबर 2007) के बाद 12.22 करोड़ रुपये की दर से 25 जनवरी 2008 से 24 जनवरी 2010 तक दो वर्ष के लिये (टॉल एकत्रीकरण) अधिकार उमराव सिंह हर प्रसाद को आर्बिट्रि कर दिये। 16 दिसम्बर 2007 से 24 जनवरी 2008 के बीच टॉल एकत्रीकरण विभागीय स्तर पर किया गया तथा 48.91 लाख रुपये एकत्रित हुये। लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2008) कि नयी दर पुरानी दर से 59.74 प्रतिशत अधिक थी जबकि कंपनी केवल 10 प्रतिशत बढ़ौतरी के साथ ही 3 माह के अतिरिक्त विस्तार के लिये सहमत हो चुकी थी।

प्रबन्धन ने प्रति उत्तर में कहा (जनवरी 2009) कि ठेकावधि का विस्तार, करार में दिये प्रावधानों के दृष्टिगत किया गया था। प्रबन्धन के बढ़ौतरी प्रदान करने से पूर्व न्याय संगतता आंकने के कार्य में कमी थी। कंपनी को चालू टॉल एकत्रीकरण का आकलन करना चाहिये था तथा वर्तमान ठेके की समाप्ति से यथोचित पूर्व नई निविदायें मंगानी चाहिये थी।

इस प्रकार, प्रबंधन के बिना यथा समय नई निविदायें मंगाये, बढ़ौतरी प्रदान करने की अन्यायसंगत कार्रवाई के परिणामस्वरूप 66.55 लाख रुपये (47.57 लाख रुपये ठेके की बढ़ौतरी के लिये एवं 18.98 लाख रुपये विभागीय स्तर पर एकत्रीकरण करने के) राजस्व की हानि हुई।

मामला सरकार एवं कंपनी को फरवरी 2009 को संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.13 अधिक व्यय

मीटर रीडिंग एवं बिल बांटने के कार्य को उच्च दरों पर आबंटित किये जाने के कारण कंपनी ने 24.37 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

कंपनी की क्रय नियमों की पुस्तक में प्रतियोगी दरों पर क्रय आदेश/कार्य आदेश देने के लिये प्रस्ताव/(बिड्स) मांगे जाने का प्रावधान है। कंपनी ने मीटर रीडिंग, बिल वितरण, भुगतान एकत्रित करने तथा संबद्ध कार्यों/सेवाओं को बाहर से करवाने का निर्णय लिया (नवम्बर 2005) बिना निविदायें आमंत्रित किये जिसके कारणों का उल्लेख नहीं किया गया, इन सेवाओं के लिये हरियाणा एक्स-सर्विसमैन लीग (एच.ई.एस.एल.) को लगाये जाने के लिये समझौते की बातचीत कर ली गई। समझौते के बाद प्रचालन सर्कल अंबाला अर्थात् अम्बाला कन्टोनमेंट, अंबाला शहर तथा पंचकूला तीन प्रचालन मण्डलों का कार्य मई 2006 से अप्रैल 2007 तक की अवधि के लिये एच.ई.एस.एल. को सौंप दिया (1 मई 2006)। करार (मई 2006) की शर्तों के अनुसार एच.ई.एस.एल. को प्रत्येक मीटर रीडिंग के लिये 4 रुपये तथा प्रति बिल वितरित करने के 2 रुपये दिये जाने थे। इसके अतिरिक्त मार्ग योजना को अंतिम रूप देने के लिये पूर्व तैयारी के कार्य को हाथ में लेने के लिये एच.ई.एस.एल. को 75,000 रुपये प्रति मण्डल (डिवीजन) एक ही बार के भुगतान के रूप में दिया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन में पाया (अक्टूबर 2007) कि उसी अवधि के दौरान कंपनी ने निविदायें आमंत्रित करने के पश्चात् (प्रचालन सर्कल अंबाला के अधीन) शहरी उप-मण्डल तथा उप शहरी (अरबन) उप-मण्डल पंचकूला का मीटर रीडिंग तथा बिल वितरित करने का कार्य (मई 2006) से अप्रैल 2007 तक के लिये प्रति मीटर रीडिंग के 2 रुपये तथा प्रति बिल वितरित करने के 1.20 रुपये के हिसाब से शर्मा एण्ड कंपनी को आबंटित (मई 2006) कर दिया।

इस प्रकार, बिना निविदायें मंगाये कार्य सौंपे जाने के परिणामस्वरूप प्रचालन सर्कल अंबाला में उसी अवधि एवं उसी कार्य के लिये मीटर रीडिंग एवं बिल वितरित करने के दूसरे ठेकेदार की तुलना में मार्च 2007 तक 24.37 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय किया। पारदर्शिता बनाये रखने एवं प्रतियोगी दरों की प्राप्ति के लिये कंपनी को अपनी क्रय नियम पुस्तक का अनुपालन करना चाहिये।

मामला सरकार को एवं कंपनी को फरवरी 2009 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

3.14 राजस्व की हानि

दो उपभोक्ताओं के वैध अधिकार के त्याग के कारण कंपनी को 65.85 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

कंपनी ने जुलाई 1993 से नवम्बर 1999 के बीच अधिकतम मांग को पार करने के लिये जीन्द प्रचालन सर्कल के अधीन अत्यधिक आपूर्तिकर उपभोक्ता जीन्द को - आपरेटिव शुगर मिल्स पर 25.81 लाख रुपये का अर्थ दण्ड लगाया (दिसम्बर 1999)। जुर्मने के 50 प्रतिशत जमा कराने के बाद, उपभोक्ता ने सिविल जज, सीनियर डिवीजन जीन्द की कोर्ट में जुर्माना (अर्थदण्ड) लगाये जाने के विरुद्ध केस फाईल (फरवरी 2001) किया जो कि मार्च 2004 में खारिज हो गया। कंपनी ने 90.05 लाख रुपये (शेष जुर्माना: 12.90 लाख रुपये तथा अधिभार 77.15 लाख रुपये*) जमा कराने के लिये नोटिस जारी किया (सितम्बर 2007)। उपभोक्ता ने यद्यपि केवल शेष जुर्माना 12.90 लाख रुपये ही जमा करवाया (सितम्बर 2007) तथा कंपनी से अधिभार को त्याग/छोड़ देने की सिफारिश (सितम्बर 2007) की। कंपनी के निदेशक मण्डल ने देय तिथि से भुगतान की तिथि तक (इस आधार पर कि कोर्ट केस लम्बा चलने की वजह से देय राशि बढ़ती गई) मनमाने ढंग से 15 प्रतिशत साधारण ब्याज लिये जाने का निर्णय कर लिया। तदनुसार, कंपनी ने 16.61 लाख रुपये वसूल किये तथा शेष बचे 60.54 लाख रुपये का त्याग कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2008) कि अधिभार का त्याग करना न्यायोचित नहीं था क्योंकि कंपनी के वैध बकायों को न देने के लिये कोर्ट केस उपभोक्ता द्वारा ही किया गया था।

कंपनी ने अक्टूबर 1998 से फरवरी 2001 तक कंपनी द्वारा बढ़ाने के घटक (1.5 के स्थान पर) वाली गलत प्रार्थना के लिये प्रचालन सर्कल, करनाल के अन्तर्गत बड़ी आपूर्तिकर उपभोक्ता प्रकाश एग्रो इण्डस्ट्रीज़ समालखा से 7.61 लाख रुपये की राशि वसूली (फरवरी 2001)। उपभोक्ता ने प्रभारित राशि को चुनौती देते हुए कोर्ट में केस फाईल किया। उपभोक्ता ने, निर्णय के लम्बित रहने तक कोर्ट के आदेशानुसार 3.04 लाख रुपये (40 प्रतिशत) का भुगतान किया। निचली अदालत में केस हारने के बाद जुलाई 2003 में उपभोक्ता ने अतिरिक्त जिला जज, पानीपत की अदालत में एक अपील फाईल की जो कि फरवरी 2005 में खारिज हो गई। उपभोक्ता ने (अप्रैल 2005) कंपनी से अधिभार का त्याग कर देने की प्रार्थना की। निदेशक मण्डल सहमत नहीं हुआ और अधिभार की सारी राशि 7.68 लाख रुपये वसूल करने का निर्णय (जुलाई 2005) लिया। उपभोक्ता के अन्य अभ्यावेदन (अगस्त 2005) पर उक्त बोर्ड ने मनमाने ढंग से 13 प्रतिशत के साधारण ब्याज वसूल करने का निर्णय ले लिया एवं 7.68 लाख रुपये के विरुद्ध 2.37 लाख रुपये वसूल किये परिणामस्वरूप 5.31 लाख रुपये का त्याग किया।

* बिक्री नियम-पुस्तिका के अनुसार अप्रदत्त मासिक शेषों पर दो प्रतिशत पर।

इस प्रकार, कंपनी ने उपर्युक्त उपभोक्ताओं से वैध अधिभार का त्याग कर 65.85 लाख रुपये के राजस्व की हानि उठाई। कंपनी को बिना किसी स्वेच्छा निर्णय के अपने नियमों एवं विनियमों को सरस्ती से लागू करते हुये अपने हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

मामला सरकार तथा कंपनी को अप्रैल 2009 में संदर्भित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

3.15 राजस्व की हानि

कंपनी ने चरम भार छूट प्रभार (पीक लॉड एगजेंशन चार्जिज़) के न वसूल करने के कारण 10.18 लाख रुपये की हानि उठाई।

कंपनी के (11 जनवरी 2001) के अनुदेशों के अनुसार चरम भार घण्टों में विशेष दी जा सकने वाली छूट का लाभ ले रहे बिजली का उपयोग करने वाले उच्च दाब (हाइटेंशन) (एच.टी.) औद्योगिक उपभोक्ता पर सामान्य प्रशुल्क (टैरिफ) से प्रति यूनिट 2 रुपये अधिक अतिरिक्त प्रभार का बिल लगाया जायेगा जो चरम भार छूट प्रभार (पी.एल.इ.सी.) कहलाता है। यदि किसी माह में चरम भार घण्टों में किसी उपभोक्ता का (बिजली) उपभोग अनुमित सीमा से बढ़ जाता है तो ऐसे उपभोग पर सामान्य प्रभार से 4 रुपये प्रति यूनिट अतिरिक्त प्रभार लगेगा। कंपनी ने अन्य बातों के अतिरिक्त अप्रैल 2007 में यह निर्देश दिये कि स्वतन्त्र फीडर वाले तथा तीन पारियों में लगातार काम कर रहे औद्योगिक उपभोक्ताओं को चरम भार घण्टों के दौरान विशेष छूट दी जानी है बशर्ते कि प्रत्येक मामले में कुल छूट 100 एम.वी.ए. से बढ़ने न पाये। यद्यपि ऐसे उपभोक्ताओं से (पी.एल.इ.सी.) की वसूली का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन में पाया (जनवरी 2009) कि प्रचालन सब डिवीजन-I अंबाला के अन्तर्गत एक एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ता (इ.पी.आर.सी.) फूड प्रोडक्ट्स प्रा0 लिमिटेड, मोहरा ने मई 2007 से फरवरी 2008 तक चरम भार घण्टों में 2,64,290 यूनिट उपभोग किये। इन महीनों के लिये पी.एल.इ.सी. 10.18 लाख रुपये निकाली गई। अप्रैल 2007 के आदेशों में संदिग्धार्थ होने के कारण संबद्ध सब डिवीजन ने फरवरी 2008 के लिये केवल 0.28 लाख रुपये वसूल किये तथा उसके बाद वसूली को बंद कर दिया। पूर्णकालिक निदेशकों ने मार्च 2008 में इस मुद्दे में पर विचार किया तथा जहां ये प्रभार वसूल नहीं किये गये (अप्रैल 2008 से प्रारम्भ कर 9 समान किशतों में) इन्हें वसूल करने का निर्णय किया। इन निर्देशों के दृष्टिगत अप्रैल-दिसम्बर 2008 के दौरान 1.10 लाख रुपये प्रति किशत की दर से 9 मासिक किशतों में 9.90 लाख रुपये पी.एल.इ.सी. वसूल की जानी थी। 4 अगस्त 2008 को उपर्युक्त उपभोक्ता ने स्थानीय सब डिवीजन के कार्यालय से पी.एल.इ.सी. का (इस आधार पर कि उनके पास एक स्वतंत्र फीडर है तथा वे तीन पारियों में निरंतर प्रचालन पर कार्य कर रहे हैं तथा अप्रैल 2007 में जारी आदेशों में पी.एल.इ.सी. वसूल किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था) त्याग करने के लिये प्रार्थना की। जबकि कंपनी के (मार्च 2008) स्पष्टीकरण अनुसार पी.एल.इ.सी. के भुगतान किये जाने पर विशेष छूट दी जानी थी, सब डिवीजन ने शेष बकाया को 1.10 लाख रुपये प्रति किशत की दर से 5 किशतें वसूल करने की बजाय जुलाई 2008 तक वसूल किये गये 4.68 लाख रुपये की राशि वापस कर दी (सितम्बर 2008)।

इस प्रकार, प्रारम्भ में सदिग्धार्थी आदेश जारी करने तथा मार्च 2008 में स्पष्टीकरण दिये जाने के बावजूद भी चरम भार छूट प्रभार न वसूल करने/वापस कर देने के परिणामस्वरूप कंपनी को 10.18 लाख रुपये की हानि हुई। कंपनी को स्पष्ट अनुदेश जारी करने की तथा अपने अनुदेशों के अनुपालन पर निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता से पी.एल.इ.सी. वसूल की जानी चाहिये तथा पी.एल.इ.सी. की अवसूली के लिये सम्बद्ध अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करनी चाहिये।

मामला सरकार एवं कंपनी को मार्च 2009 में संदर्भित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

3.16 राजस्व की हानि

विलम्ब से धन (फण्ड्स) हस्तांतरित करने के कारण कंपनी को 12.87 लाख रुपये की हानि हुई।

बैंकिंग करार के अन्तर्गत बैंक खातों के रख-रखाव के लिये कंपनी जिन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के पिछले अनुदेशों का अनुपालन करती है, में प्रावधान है कि विभिन्न बैंक शाखाओं में बोर्ड के कार्यालयों द्वारा जमा कराया गया धन, उस शाखा में जहां बोर्ड के खाते का अनुक्षण होता है को बोर्ड के खाते में बिना कोई प्रभार/शुल्क लिये जमा करने हेतु हस्तांतरित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के विभिन्न कार्यकर्ताओं के "कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों" की नियम पुस्तक" उपभोक्ताओं के खातों की संभाल एवं रख-रखाव के लिये जरूरत को बताती है कि उप-मण्डल अधिकारी (एस.डी.ओ.) को स्थानीय बैंक की शाखा से यह सत्यापित करना चाहिये कि उसके कार्यालय द्वारा धन एकत्रित करने वाली शाखा में भेजी गई राशि कंपनी के खाते में जमा हो गयी है तथा मुख्य कार्यालय में कंपनी के मुख्य खाते में हस्तांतरित हो चुकी है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन में पाया (नवम्बर 2008) कि 1 नवम्बर 2007 से 23 जनवरी 2008 तक की अवधि में वसूलियों से संबद्ध कुल मिलाकर 12.30 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां एस. डी.ओ. माडल टाऊन उप-मण्डल, पानीपत द्वारा क्रमशः उन्हीं तिथियों को पंजाब नेशनल बैंक की स्थानीय शाखा में जमा कराई गई यद्यपि उपर्युक्त बैंक द्वारा पूर्व उक्त प्राप्तियों को कंपनी के मुख्य खाते वाले बैंक में 2 एवं 79 दिनों तक की देरी से 24 जनवरी 2008 को जमा कराये गये। इस विलम्बित हस्तांतरण के परिणामस्वरूप तीन से अधिक दिनों की देरी पर की गणना अनुसार 12.87* लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई। कंपनी ने इसके मुख्य खाते में इस राशि के देरी से जमा कराने पर बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा, अपने संहिता प्रावधानों तथा शाखा बैंकों द्वारा इसके मुख्य खाते में राजस्व प्राप्तियों के दैनिक हस्तांतरण के लिये अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कार्रवाई न किये जाने के परिणामस्वरूप 12.87 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

* देरी से जमा कराये गये धन पर ब्याज 1। प्रतिशत प्रतिवर्ष जो कि कौश जमा दर है के हिसाब से लगाया गया है।

कंपनी को इस विफलता के लिये अपने संबद्ध अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करनी चाहिये तथा ब्याज की इस हानि को संबंधित बैंक से वसूल करना चाहिये।

मामला सरकार एवं कंपनी को मई 2009 में संदर्भित किया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

3.17 अतिरिक्त व्यय

प्रचलित निम्न बाजारी दरों पर बिना विचार किये ए.सी.एस.आर. पैथर कंडक्टर की देरी से की गई आपूर्ति को स्वीकार कर लेने के कारण कंपनी को 17.73 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

66 के.वी.डी/सी. तेपला-सेना (एम.इ.एस)- वायु सेना ट्रांसमिशन लाईन के आद्योपान्त निर्माण हेतु उपस्कर की आपूर्ति के लिये कंपनी ने प्रेम पावर कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को एक आदेश दिया (फरवरी 2006)। क्रय आदेश अनुसार उत्पाद शुल्क, सी.एस.टी. तथा अन्य सभी करों एवं शुल्कों सहित 1,09,264 प्रति किलोमीटर भूतपूर्व-निर्माण मूल्य पर 212 कि.मी. ए.सी. एस.आर. पैथर कण्डक्टर की आपूर्ति की जानी थी। क्रय आदेशानुसार प्रस्तावों (बिड) को खोलने से 30 दिन पूर्व के आधार मूल्य के साथ तथा निरीक्षण हेतु सामग्री के प्रस्ताव से 30 दिन पूर्व लागू दरों पर भारतीय केबल एण्ड कंडक्टर निर्माताओं के संघ (सी.ए.सी.एम.ए.आई) परिपत्रों के अनुसार मूल्य परिवर्ती थी। डिजाईन का पूरा कार्य, प्रापण, निर्माण एवं उपस्कर की आपूर्ति करार के हस्ताक्षर होने के 12 माह के भीतर अर्थात् फरवरी 2007 तक पूरा किया जाना आवश्यक था। कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों ने निर्णय किया (अक्टूबर 1994) कि विलम्बित आपूर्ति को स्वीकार करते समय सामग्री के वर्तमान बाजारी मूल्य को अभिनिश्चित किया जाना चाहिये तथा इसकी देरी से की गई आपूर्तियों के मूल्यों से तुलना की जानी चाहिये।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन में पाया (नवम्बर 2008) कि (स्वतः वृद्धि पश्चात्) 1,23,699 रुपये प्रति के.एम. के अंतिम मूल्य पर प्रेम पावर कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से देरी से की गई 108.036 के.एम. ए.सी.एस.आर. पैथर कण्डक्टर की आपूर्ति को स्वीकार करते (1 मार्च 2008) समय, कंपनी आपूर्तिकर्ता को विद्यमान बाजारी मूल्य 1,04,990* रुपये प्रति के.एम. पर कण्डक्टर की आपूर्ति के लिये नहीं मना पाई, परिणामस्वरूप 17.73 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय हुये।

इस प्रकार, कंपनी ने प्रचलित बाजारी दरों से अधिक दर पर ए.सी.एस.आर. पैथर कंडक्टर की देरी से की गई आपूर्ति को स्वीकार कर लेने के कारण 17.73 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

* कम्पनी ने उत्पाद शुल्क, सी.एस.टी. तथा भाड़ा एवं बीमा प्रभारों सहित 1,04,990 रुपए प्रति के.एम. की फर्म दर पर डायनामिक केबलस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर को 309 के.एम. ए.सी.एस.आर. पैन्थर कन्डक्टर के प्रापण हेतु आदेश दिया (दिसम्बर 2007)।

कंपनी ने प्रति उत्तर में कहा (अगस्त 2009) कि डब्ल्यू.टी.डी.जी का निर्णय 1994 से संबद्ध था जब आद्योपान्त परियोजनाओं की संकल्पना अस्तित्व में नहीं थी तथा यह एक आद्योपान्त परियोजना होने के कारण इसकी दरों की पृथक-पृथक मदों के मूल्यों से तुलना नहीं की जा सकती थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय औचित्य के लिये विलम्ब से प्राप्त आपूर्ति को स्वीकार करने के मामले में चालू बाजारी प्रवृत्तियों के साथ मूल्यों की तुलना करना जरूरी है। यह दावा कि आद्योपान्त ठेकों की पृथक-पृथक मदों से तुलना नहीं की जा सकती, भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि आद्योपान्त ठेकों में आद्योपान्त दरें दी होती हैं तथा तदनुसार ही कर एवं शुल्कों सहित भुगतान किये जाते हैं, जो कि पूर्णतः तुलना योग्य होते हैं।

कंपनी को इसके नियमों एवं विनियमों के अननुपालन कर अतिरिक्त व्यय करने वालों की जिम्मेवारी तय करनी चाहिये तथा वित्तीय हितों की रक्षा के लिये भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

मामला सरकार को मई 2009 में संदर्भित किया गया था। उनके प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

3.18 अनुचित लाभ

साफ औसत गुणवत्ता वाले धान पर चावल के कम उत्पादन के अनुपात की अनुमति देने के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप मिल-मालिकों को 19.29 लाख रूपये का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

निगम, केन्द्रीय पूल हेतु धान का प्रापण, भारत सरकार (भा.स.) की विशिष्टियों के अनुसार करता है एवं इसे मिल-मालिकों को देता है, जो धान की नियत उत्पादन अनुपात^π पर भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को चावल वितरित करता है। भा.स. ने स्वरीफ विपणन सीजन (के.एम.एस) 2005-06 के लिये धान एवं चावल की समान विशिष्टियां सम्प्रेषित की (1 सितम्बर 2008) जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रापण एजेसियों को भेजी गई (9 सितम्बर 2005)। सितम्बर 2005 के दौरान अप्रत्याशित एवं बेमौसमी बरसात के कारण किसानों को धान की कष्टपूर्ण बिक्री से बचाने के लिये, प्रापण के प्रारम्भ (1 अक्टूबर 2005) से पूर्व राज्य सरकार ने भा.स. से धान/चावल की विशिष्टियों में छूट देने का प्रस्ताव किया (26 सितम्बर 2005)।

विशिष्टियों में छूट (मिलना) लम्बित रहते हुये, निगम ने विशिष्टियों के अनुसार 1 अक्टूबर 2005 से साफ औसत गुणवत्ता* (एफ.ए.क्यू.) के धान का प्रापण आरम्भ कर दिया। भा.स. ने धान के प्रापण हेतु 6 से 24 अक्टूबर 2005 तक विशिष्टियों में छूट दे दी (6 अक्टूबर 2005) तथा प्रापण एजेसियों को 5 अक्टूबर 2005 तक, 24 अक्टूबर 2005 तक तथा तत्पश्चात प्राप्त किये गये स्टॉक को अलग-अलग स्टॉक एवं लेखे में रखने के

^π कस्टम मिल चावल की प्रमात्रा से मिल मालिक को वितरित तदनु रूप धान की प्रमात्रा का अनुपात।

* एफ.ए.क्यू. का अर्थ है भारत सरकार द्वारा नियत विशिष्टियों के भीतर।

निर्देश दिये। राज्य सरकार ने, के.एम.एस. 2005 की समस्त अवधि को आवेष्टित करने के लिये, उत्पादन अनुपात की निम्नतर प्रतिशतता तथा 24 अक्टूबर 2005 के बाद की अवधि में बढ़ौतरी के लिये चावल की विशिष्टियों में छूट देने का भा.स. से फिर से प्रस्ताव किया (14 तथा 24 अक्टूबर 2005)। भा.स. ने विशिष्टियों में छूट को 15 नवम्बर 2005 तक बढ़ाने का निर्णय लिया (28 अक्टूबर 2005)। राज्य सरकार ने धान/चावल की विशिष्टियों में 1 अक्टूबर 2005 से के.एम.एस. के अंत तक अर्थात् 31 दिसम्बर 2005 तक छूट देने की भा.स. से फिर से प्रार्थना की (28 नवम्बर 2005)। तथापि भा.स. 1 अक्टूबर से 05 अक्टूबर तक छूट देने को राजी हो गई। (5 दिसम्बर 2005) तथा अवधि 30 नवम्बर, 2005 तक बढ़ा दी। इसके अतिरिक्त, विशिष्टियों में छूट प्राप्त धान हेतु उत्पादन अनुपात में 67 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक कमी कर दी। छूट के अनुसार, उत्पादन अनुपात में कमी किये जाने के कारण वित्तीय भार को राज्य सरकार एवं भा.स. द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाना था। कंपनी ने एफ.ए.क्यू. के 17,171 मीट्रिक टन (1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के दौरान 14,160 एम.टी. एवं 16 नवम्बर से 30 नवम्बर 2005 के दौरान 3,011 एम.टी.) तथा 6 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक छूट प्राप्त विशिष्टियों सहित 2,02,509 एम.टी. धान का प्रापण किया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन में पाया कि छूट प्राप्त विशिष्टियों सहित प्राप्त धान के साथ-साथ मिल मालिकों को कम उत्पादन अनुपात का लाभ एफ.ए.क्यू. धान (17,171 एम.टी.) पर भी इस आधार पर दिया गया कि पंजाब ने भी यह लाभ दिया था। इस निर्णय में कोई औचित्य नहीं था क्योंकि कंपनी ने भा.स. द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तथा 16 नवम्बर से 30 नवम्बर 2005 के दौरान धान का प्रापण किया जिसका उत्पादन अनुपात 67 प्रतिशत था।

इस प्रकार कम उत्पादन अनुपात का लाभ देने के निर्णय के परिणामस्वरूप मिल मालिकों को 19.29 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाने के परिणामस्वरूप कंपनी को हानि हुई।

मामला सरकार एवं कंपनी को मार्च 2009 में संदर्भित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

हरियाणा रोड़वेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड

3.19 अतिरिक्त व्यय

जोखिम एवं लागत उपबन्ध के शामिल न किये जाने के कारण कंपनी ने 11.50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

कंपनी ने विभिन्न, भिन्न आकार वाले सी.एफ.जी.आई. पाइपों की खरीद के लिये कंपनी ने निविदायें आमंत्रित की (अक्टूबर 2007)। निविदा प्रपत्र में अन्य के अतिरिक्त शर्त थी कि प्रस्तावित दरें एक वर्ष तक के लिये लागू रहेंगी तथा सफल प्रस्तावकर्ता (बिडडर) को आदेश के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी। इसके अतिरिक्त, आपूर्ति में विलम्ब/न आपूर्ति किये जाने पर, सामग्री चूककर्ता फर्म के जोखिम एवं लागत पर क्रय की जायेगी। निविदा सूचना के जवाब में तीन फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुये (नवम्बर 2007)। क्योंकि स्वास्तिक पाईप लिमिटेड (फर्म) द्वारा दिये गये 113.22 रुपये प्रति मीटर (40 x 40 x-2 एम.एम. आकार में), 144.85 रुपये प्रति मीटर (60 x 40 x 2 एम.एम. आकार

में), तथा 91.90 रुपये प्रति मीटर (40 x 40 x 2 एम.एम. आकार में), रेट सबसे कम थे। कंपनी ने इसी फर्म को फरवरी-अप्रैल 2008 के दौरान क्रमशः 65,00 मीटर, 50,000 मीटर तथा 30,000 मीटर के आपूर्ति आदेश दे दिये। स्टील के बढ़ रहे मूल्यों के कारण उक्त फर्म ने दरों में संशोधन किये जाने अथवा आदेश को रद्द किये जाने की प्रार्थना की (फरवरी 2008)। कंपनी ने फर्म को विधिवत स्वीकृत निविदा की शर्तों के अनुसार आपूर्ति करने निर्देश (मार्च-अप्रैल) दिये और कहा कि अन्यथा सामग्री किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से उस (फर्म) के जोखिम एवं लागत पर खरीदी जायेगी। फर्म ने न तो बैंक गारण्टी ही दी और न ही कोई सामग्री की आपूर्ति की। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये कंपनी ने नई निविदायें/प्रस्ताव आमंत्रित करने के (मई 2008) पश्चात 38.40 लाख रुपये मूल्य के 20,616 मीटर पाईप अन्य स्रोतों से खरीदे। यद्यपि चूककर्ता फर्म के खिलाफ जोखिम एवं लागत के उपबन्ध का आह्वान नहीं किया गया परिणामस्वरूप 11.50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय (90,000 रुपये की अग्रिम राशि जमा के समायोजन के पश्चात) वसूल नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, जोखिम एवं लागत उपबन्ध का आह्वान न करने के कारण कंपनी ने 11.50 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया। कंपनी को जोखिम एवं लागत उपबन्ध के मद्देनजर संबद्ध फर्म के विरुद्ध दावा प्रस्तुत करना चाहिये तथा निविदा उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु मानीटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिये।

मामला सरकार एवं कंपनी को जून 2009 में संदर्भित किया गया था; उनके प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009)।

हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड

3.20 राजस्व की हानि

अधिशेष निधियों को चालू/बचत खातों में रखे रखने के कारण कंपनी ने 16.81 लाख रुपये की हानि उठाई।

जुलाई 2002 में कंपनी के बंद हो जाने पर छंटनी का मुआवजा एवं अन्य देयताओं के लिए, हरियाणा सरकार ने कंपनी को 76.65 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया (जून 2002)। क्योंकि भुगतान किये जाने की प्रक्रिया काफी धीमी थी अतः कंपनी विभिन्न बैंकों में आवधि जमा/बचत एवं चालू खातों में धन को रख रही थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन में पाया कि अप्रैल 2007 से जून 2008 के दौरान 16.36 लाख रुपये से 99.53 लाख रुपये तक की रेंज में धन को प्रति माह चालू खातों में एवं 72.60 रुपये से 1,040.67 लाख रुपये प्रति माह बचत खातों में रखा। कंपनी इस धन को एफ.डी.आर. में त्रिमासिक तौर पर निवेश कर अधिक ब्याज कमा सकती थी।

प्रबन्धन ने प्रति उत्तर में कहा (जून 2009) कि बैंक खातों में उपलब्ध धन से अधिक संस्वीकृतियां जारी की जा चुकी थी जिनके लिये चैक तैयार किये जाने थे। इसके अतिरिक्त, काफी धन राशि बचत खातों में पड़ी रही। प्रबन्धन का जवाब उचित नहीं था क्योंकि ब्याज की हानि को सभी जारी चैकस पर 10 लाख रुपये कुशन देने के बाद एवं बचत खातों पर

कमाये ब्याज को हिसाब में लेने के बाद ही संगणित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जैसे कि जमायें (क्रेडिटस) जरूरत पड़ने पर समयपूर्व ही भुनायी जा सकती थी, धन को तिमाही आवधिक जमा में रखने से कंपनी के भुगतान दायित्वों पर कोई फर्क नहीं पड़ना था।

इस प्रकार, अधिशेष धन को लघु आवधिक निक्षेप में न रखने के कारण कंपनी को 10 लाख रूपये का कुशन देने के बाद एवं (अप्रैल 2007 से जून 2008 के दौरान) बचत खातों पर कमाये गये ब्याज को छोड़कर भी, प्रत्येक तिमाही के दौरान चालू/बचत बैंक खातों पर निम्नतम औसत मासिक शेष पर ही (8 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर से कम से कम तिमाही पर ही संगणित) 16.81 लाख रूपये के ब्याज की हानि हुई।

अधिशेष निधियों का पता लगाने एवं उन्हें लघु समयावधि जमाओं में रखे जाने हेतु एक सिस्टम विकसित करना चाहिये ताकि कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा की जा सके।

मामला सरकार को अप्रैल 2009 में संदर्भित किया गया था; इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2009)।

सामान्य

3.21 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

उत्तर बकाया

3.21.1 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य) सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अनुरक्षित लेखाओं एवं अभिलेखों के प्रारम्भिक निरीक्षण के साथ आरम्भिक संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ये कार्यकारी से उपयुक्त एवं सामयिक प्रतिउत्तर प्राप्त करें। हरियाणा सरकार वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बिना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर निर्धारित प्रपत्र में विधान सभा को उनकी प्रस्तुति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करने के लिये निर्देश जारी किये (जुलाई 1996)।

यद्यपि वर्ष 2005-06 एवं 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रमशः मार्च 2007 एवं फरवरी 2009 में राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किये गये थे फिर भी आठ विभागों में से दो विभागों, जिनपर टिप्पणी की गई थी, ने 30 सितम्बर 2009 को 50 में से 14 अनुच्छेदों/समीक्षाओं के उत्तर प्रस्तुत नहीं किये थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक)	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या		समीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये	
	समीक्षायें	अनुच्छेद	समीक्षायें	अनुच्छेद
2005-06	2	22	-	3
2007-08	4	22	3	8
योग	6	44	3	11

विभागवार विश्लेषण अनुलग्नक 11 में दिया गया है। उत्तर प्रस्तुत करने में विद्युत विभाग मुख्य चूककर्ता था। सरकार ने विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में तंत्र विफलता, गलत

प्रबन्धन एवं कमियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रदर्शित करने वाली समीक्षाओं पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

लोक उपक्रमों पर समिति (सी.ओ.पी.यू.) के प्रतिवेदन पर बकाया कृत कार्यवाई टिप्पणियां

3.21.2 मार्च 2001 और मार्च 2009 के बीच राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किये गये सी.ओ.पी.यू. के 8 प्रतिवेदनों से संबंधित 13 अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (सितम्बर 2009) जैसा कि नीचे दिया गया है:-

सी.ओ.पी.यू. प्रतिवेदन का वर्ष	अन्तर्गत प्रतिवेदनों की कुल संख्या	अनुच्छेदों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये
2000-01	1	1
2002-03	2	2
2003-04	2	2
2005-06	1	1
2006-07	1	3
2008-09	1	4
योग	8	13

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1995-96 से 2005-06 के प्रतिवेदनों में दशान्वे सी.ओ.पी.यू. के इन प्रतिवेदनों में चार[®] विभागों से संबंधित अनुच्छेदों की अनुशंसायें सम्मिलित थीं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों एवं समीक्षाओं पर अनुक्रिया

3.21.3 लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित एवं स्थल पर असमायोजित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राज्य सरकार से संबंधित विभागों एवं पी.एस.यू.ज. के अध्यक्षों को सूचित की जाती है। पी.एस.यू.ज. के अध्यक्षों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, संबंधित विभागाध्यक्षों के माध्यम से छः सप्ताह की अवधि के भीतर भेजे जाने अपेक्षित हैं। मार्च 2009 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ने प्रकट किया कि हरियाणा बिजली विनियामक आयोग सहित 22 पी.एस.यू.ज. से संबंधित 194 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 530 अनुच्छेद 30 सितम्बर 2009 तक अशोधित रहे। 30 सितम्बर 2009 को अशोधित रही लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभाग-वार विघटन, अनुलग्नक 12 में दिया गया है।

इसी प्रकार, पी.एस.यू.ज. के कार्यचालन पर प्रारूप अनुच्छेद एवं समीक्षा में संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव को अर्ध-शासकीय रूप से छः सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि एवं उनकी टिप्पणी प्राप्त करने हेतु अग्रेषित की जाती है। तथापि जनवरी से जुलाई 2009 के दौरान अनुलग्नक 13 में दिये विवरणानुसार विभिन्न विभागों को अग्रेषित 20 प्रारूप अनुच्छेद एवं 3 समीक्षाओं के उत्तर अभी तक नहीं दिये गये थे (30 सितम्बर 2009)।

[®] बिजली (आठ), पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) (एक), खदान एवं भू-विज्ञान (तीन), वन (एक)।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) जो अधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप अनुच्छेदों/समीक्षाओं तथा सी.ओ.पी.यू. को अनुशंसाओं पर कृत कार्रवाई टिप्पणियों के उत्तर निर्धारित समय सूची के अनुसार भेजने में विफल हो गये हों, उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्रक्रिया विद्यमान है; (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतान वसूल करने के लिये निर्धारित अवधि के भीतर कार्रवाई की जाती है; तथा (ग) लेखापरीक्षा अभ्यक्तियों पर प्रतिक्रिया की प्रणाली पुनः तैयार की जाती है।

सुषमा दाबक

चण्डीगढ़

दिनांक :

(सुषमा वि. दाबक)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली

दिनांक :

(विनोद राय)

भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक



अनुलग्नक

अनुलग्नक-1
सांविधिक निगमों एवं सरकारी कम्पनियों के संबंध में 31 मार्च 2009 को अद्यतन प्रदत्त-पूंजी, बकाया ऋणों तथा मानव शक्ति के
विवरण दर्शाने वाली विवरणी।
(अनुच्छेद 1.7 में संदर्भित)

(कालम 5 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	प्रारम्भ होने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ^१				2008-09 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2008-09 के लिए ऋण साम्या का अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
क. कार्यचालन सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं सहायक													
1.	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.एल.)	कृषि	30 मार्च 1967	2.54	1.60	-	4.14	-	-	0.82	0.82	0.20:1 (0.20:1)	251
2.	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड (एच.एल.आर.डी.सी.एल.)	-सम-	27 मार्च 1974	1.37	-	0.19	1.56	-	-	-	-	-	196
3.	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.डी.सी.एल.)	-सम-	12 सितम्बर 1974	2.76	1.11	1.08 (0.10)	4.95 (0.10)	-	-	-	-	-	388
4.	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड (एच.एफ.डी.सी.एल.)	वन	7 दिसम्बर 1989	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	-	112
क्षेत्रवार योग				6.87	2.71	1.27 (0.10)	10.85 (0.10)			0.82	0.82	0.08:1 (0.08:1)	947
बिन													
5.	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.सी.एफ.डी.सी.एल.)	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	2 जनवरी 1971	21.69	18.30	-	39.99	-	-	10.89	10.89	0.27:1 (0.27:1)	201
6.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड (एच.बी.सी.ई.डब्ल्यू.एस.के.एन.एल.)	-सम-	10 दिसम्बर 1980	16.07 (6.12)	-	-	16.07 (6.12)	-	-	50.52	50.52	3.14:1 (3.30:1)	58
7.	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड (एच.डब्ल्यू.सी.डी.एल.)	महिला एवं बाल विकास	31 मार्च 1982	15.51 (7.11)	1.10	-	16.61 (7.11)	-	-	-	-	-	69
क्षेत्रवार योग				53.27 (13.23)	19.40	-	72.67 (13.23)	-	-	61.41	61.41	0.85:1 (0.81:1)	328
मूलभूत संरचना													
8.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.एल.)	उद्योग	8 मार्च 1967	70.69 (21.90)	-	-	70.69 (21.90)	-	-	156.02	156.02	2.21:1 (2.90:1)	611

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	प्रारम्भ होने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ⁵				2008-09 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2008-09 के लिए ऋण साम्या का अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
9.	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड (एच.पी.एच.सी.एल.)	गृह	29 दिसम्बर 1989	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-	-	172
10.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आर.डी.सी.एल.)	पीडब्ल्यू.डी (बी. एण्ड आर)	13 मई 1999	122.04	-	-	122.04	-	-	154.34	154.34	1.26:1 (3.58:1)	3
क्षेत्रवार योग				217.73 (21.90)	-	-	217.73 (21.90)	-	-	310.36	310.36	1.43:1 (2.92:1)	786
विद्युत													
11.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एच.पी.जी.सी.एल.)	विद्युत	17 मार्च 1997	2258.97 (2190.52)	-	145.00	2403.97 (2190.52)	-	20.56	4584.61	4605.17	1.92 : 1 (1.70 : 1)	4579
12.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एच.वी.पी.एन.एल.)	- सम -	19 अगस्त 1997	1011.78 (135.27)	-	-	1011.78 (135.27)	15.34	-	2685.30	2700.64	2.67:1 (2.73:1)	4704
13.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ⁶ (यू.एच.डी.वी.एन.एल.)	- सम -	15 मार्च 1999	499.34 (109.63)	-	546.99	1046.33 (109.63)	56.34	-	4229.88	4286.22	4.10:1 (3.01:1)	11824
14.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड ⁶ (डी.एच.डी.वी.एन.एल.)	- सम -	15 मार्च 1999	509.14 (140.00)	-	437.27	946.42 (140.00)	56.88	-	2124.85	2181.73	2.31:1 (1.47:1)	11625
15.	यमुना कोयला कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड (वाई.सी.सी.पी.एल.) ⁷	- सम -	15 जनवरी 2009	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				4279.23 (2575.42)	-	1129.36	5408.60 (2575.42)	128.56	20.56	13624.64	13773.76	2.55:1 (2.13:1)	32732
सेवाएं													
16.	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (एच.टी.सी.एल.)	पर्यटन एवं जन सम्पर्क	1 मई 1974	20.19	-	-	20.19	-	-	-	-	-	2025
17.	हरियाणा रोडवेज अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड (एच.आर.ई.सी.एल.)	परिवहन	27 नवम्बर 1987	6.20 (0.20)	-	-	6.20 (0.20)	-	-	28.42	28.42	4.58:1 (10.48:1)	144
18.	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.ई.डी.सी.एल.)	इलेक्ट्रॉनिक्स	15 मई 1982	9.83 (0.30)	-	-	9.83 (0.30)	-	-	-	-	-	265
19.	हारटोन इन्फोमेटिक्स लिमिटेड ⁸ (एच.आई.एल.)	- सम -	8 मार्च 1995	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				36.22 (0.50)	-	0.50	36.72 (0.50)	-	-	28.42	28.42	0.77:1 (1.52:1)	2434

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	प्रारम्भ होने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ^१				2008-09 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2008-09 के लिए ऋण साम्या का अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)		
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल				
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)		
विविध															
20.	हरियाणा खनिज लिमिटेड ^१ (एच.एम.एल.)	खदान एवं भू-विज्ञान	2 दिसम्बर 1972	-	-	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-		
क्षेत्रवार योग						0.24	0.24	-	-	-	-	-	-		
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सरकारी कम्पनियों)						4593.32 (2611.05)	22.11 (0.10)	1131.38 (0.10)	5746.81 (2611.15)	128.56	20.56	14025.65	14174.77	2.47:1 (2.14:1)	37227
ख. कार्यचालन सांविधिक निगम															
कृषि एवं सहायक															
1.	हरियाणा भाण्डागार निगम (एच.डब्ल्यू.सी.)	कृषि	1 नवम्बर 1967	2.92	-	2.92	5.84	-	-	5.85	5.85	1:1 (0.97:1)	850		
क्षेत्रवार योग				2.92	-	2.92	5.84	-	-	5.85	5.85	1:1 (0.97:1)	850		
वित्त															
2.	हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.)	उद्योग	1 अप्रैल 1967	179.90	-	5.65	185.55	-	-	249.33	249.33	1.34:1 (2.60:1)	254		
क्षेत्रवार योग				179.90	-	5.65	185.55	-	-	249.33	249.33	1.34:1 (2.60:1)	254		
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सांविधिक निगम)				182.82	-	8.57	191.39	-	-	255.18	255.18	1.33:1 (2.51:1)	1104		
सकल योग (क+ख)				4776.14 (2611.05)	22.11	1139.95 (0.10)	5938.19 (2611.15)	128.56	20.56	14280.83	14429.95	2.43:1 (2.15:1)	38331		
ग. गैर - कार्यचालन सरकारी कम्पनियां															
कृषि एवं सहायक															
1.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (एच.एस.एम.आई.टी.सी.एल.)	कृषि	9 जनवरी 1970	10.89	-	-	10.89	-	-	-	-	-	3		
क्षेत्रवार योग				10.89	-	-	10.89	-	-	-	-	-	3		
वित्त															
2.	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (एच.एस.एच.एफ.सी.एल.)	उद्योग	19 जून 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	विभाग का नाम	प्रारम्भ होने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी [§]				2008-09 की समाप्ति पर बकाया ऋण**				2008-09 के लिए ऋण साम्या का अनुपात (गत वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)	(7)	(8)
मूलभूत संरचना													
3.	हरियाणा कंक्रीट लिमिटेड [@] (एच.सी.एल.)	- सम -	29 नवम्बर 1973	2.90	-	3.95	6.85	1.39	-	2.30	3.69	0.54:1 (0.54:1)	-
क्षेत्रवार योग				2.90	-	3.95	6.85	1.39	-	2.30	3.69	0.54:1 (0.54:1)	-
विनिर्माण													
4.	हरियाणा टैन्रीज लिमिटेड (एच.टी.एल.)	उद्योग	12 सितम्बर 1972	1.17	-	0.18	1.35	2.53	-	1.05	3.58	2.65:1 (2.65:1)	-
क्षेत्रवार योग				1.17	-	0.18	1.35	2.53	-	1.05	3.58	2.65:1 (2.65:1)	-
सेवाएं													
5.	हरियाणा राज्य हथवरपा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड (एच.एस.एच.एच.सी.एल.)	उद्योग	20 फरवरी 1976	2.65	0.30	-	2.95	-	-	-	-	-	-
6.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटेड (एच.एस.एस.आई.ई.सी.एल.)	- सम -	19 जुलाई 1967	1.81	0.10	-	1.91	8.91	-	-	8.91	4.66:1 (4.81:1)	7
क्षेत्रवार योग				4.46	0.40	-	4.86	8.91	-	-	8.91	1.83:1 (1.90:1)	7
योग ग. (सभी क्षेत्रवार गैर - कार्यचालन सरकारी कम्पनियां)				19.42	0.40	4.13	23.95	12.83	-	3.35	16.18	0.68:1 (4.76:1)	10
सकल योग (क+ख+ग)				4795.56	22.51	1144.08 (0.10)	5962.15 (2611.15)	141.39	20.56	14284.18	14446.13	2.42:1 (2.16:1)	38341

टिप्पणी: चूंकि किसी भी कम्पनी ने 2008-09 हेतु अपने लेखे अन्तिम नहीं किए हैं, आंकड़े अनन्तिम हैं तथा जैसा कम्पनियों तथा निगमों द्वारा दिए गए हैं।

कालम 5 (क) से 5(घ.) में कोष्ठकों में आंकड़े जोयर आवेदन धन इंगित करते हैं।

§ प्रदत्त पूंजी में जोयर आवेदन धन शामिल है।

@ सहायक कम्पनियां।

** 2008-09 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋणों को निरूपित करते हैं।

Y क्रम संख्या का 15 वाली कम्पनी 619 ख कम्पनी है।

अनुलग्नक-2

अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखे अन्तिम किए गए थे, हेतु सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम

(अनुच्छेद: 1.15 तथा 1.50 में संदर्भित)

(कालम 5(क) से 6 और 8 से 10 तक के आंकड़े रूपए लाख में)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(-)				आवृत्ति	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/हानि(-)	नियोजित पूंजी [®]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता
				व्याज एवं मूल्यहास से पहले निवल लाभ/हानि	व्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यचालन सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं सहायक														
1.	एच.ए.आई.सी.एल.	2007-08	2008-09	(+) 17.63	15.35	0.31	(+) 1.97	606.84	-	4.14	(+) 33.00	(+) 220.97	(+) 17.32	7.84
2.	एच.एल.आर.डी.सी.एल.	2007-08	2008-09	(+) 0.70	0.17	0.26	(+) 0.27	60.85	शून्य	1.56	(+) 7.76	(+) 12.50	(+) 0.44	3.52
		2008-09	2009-10	(+) 0.91	0.16	0.32	(+) 0.43	76.14	(-) 2.16	1.56	(+) 8.23	(+) 13.65	(+) 0.59	4.32
3.	एच.एस.डी.सी.एल.	2008-09	2009-10	(+) 2.06	1.06	0.73	(+) 0.27	57.55	अन्तिमकरण अधीन	4.95	(+) 5.85	(+) 21.40	(+) 1.33	6.21
4.	एच.एफ.डी.सी.एल.	2003-04	2008-09	(+) 1.35	-	0.05	(+) 1.30	12.05	-	0.20	(+) 10.53	(+) 10.74	(+) 1.30	12.10
		2004-05	2009-10	(+) 0.87	-	0.05	(+) 0.82	11.57	शून्य	0.20	(+) 11.31	(+) 11.52	(+) 0.82	7.12
क्षेत्रवार योग				(+) 21.47	16.57	1.41	(+) 3.49	752.10	(-) 2.16	10.85	(+) 58.39	(+) 267.54	(+) 20.06	7.50
विन्														
5.	एच.एस.सी.एफ.डी.सी.एल.	2004-05	2008-09	(-) 0.23	0.23	0.05	(-) 0.51	3.68	शून्य	29.82	(-) 3.03	(+) 56.46	(-) 0.28	-
6.	एच.बी.सी.ई.डब्ल्यू.एस.के.एन.एल.	2003-04	2008-09	(-) 0.04	0.85	0.01	(-) 0.90	0.69	(-) 2.79	9.46	(-) 5.99	(+) 26.91	(-) 0.05	-
7.	एच.डब्ल्यू.सी.डी.एल.	2006-07	2008-09	(+) 0.10	-	0.02	(+) 0.08	0.27	-	13.58	(+) 0.15	(+) 14.65	(+) 0.08	0.55
क्षेत्रवार योग				(-) 0.17	1.08	0.08	(-) 1.33	4.64	(-) 2.79	52.86	(-) 8.87	(+) 98.02	(-) 0.25	-
मूलभूत संरचना														
8.	एच.एन.आई.आई.डी.सी.एल.	2007-08	2008-09	(+) 51.56	6.62	1.16	(+) 43.78	90.25	(-) 14.96	70.69	(+) 77.28	(+) 962.22	(+) 50.40	5.24
		2008-09	2009-10	(+) 68.24	6.33	1.21	(+) 60.70	78.47	अन्तिमकरण अधीन	70.69	(+) 121.05	(+) 1000.31	(+) 67.03	6.70
9.	एच.पी.एच.सी.एल.	2007-08	2008-09	(+) 0.48	0.05	0.22	(+) 0.21	67.95	शून्य	25.00	(+) 0.16	(+) 39.91	(+) 0.26	0.53
10.	एच.एस.आर.बी.डी.सी.एल.	2006-07	2008-09	(+) 46.19	28.43	42.79	(-) 25.03	46.49	(-) 11.22	113.70	(-) 66.64	(+) 382.18	(+) 3.40	0.89
क्षेत्रवार योग				(+) 114.91	34.81	44.22	(+) 35.88	192.91	(-) 26.18	209.39	(+) 54.57	(+) 1422.40	(+) 70.69	4.97
विद्युत														
11.	एच.पी.डी.सी.एल.	2007-08	2008-09	(+) 664.03	380.86	277.47	(+) 5.70	7040.04	(-) 83.08	1853.17	(-) 168.26	(+) 6522.19	(+) 386.56	5.93
12.	एच.पी.पी.एन.एल.	2008-09	2008-09	(+) 322.27	199.81	61.95	(+) 60.51	867.48	अन्तिमकरण अधीन	1011.78	(-) 22.09	(+) 2439.49	(+) 260.32	10.67
13.	यू.एच.बी.पी.एन.एल.	2007-08	2008-09	(-) 282.36	140.95	108.13	(-) 531.44	3545.26	(-) 100.62	936.70	(-) 1559.95	(+) 2399.35	(-) 390.49	-
		2008-09	2008-09	(-) 687.50	342.38	77.66	(-) 1107.54	4779.09	अन्तिमकरण अधीन	1046.33	(-) 2778.32	(+) 2785.55	(-) 765.16	-

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि(-)				आवले	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/हानि(-)	नियोजित पूंजी [®]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ प्रतिशतता
				ब्याज एवं मूल्यहास से पहले निवल लाभ/हानि	5(ख)	5(ग)	5(घ)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14.	डी.एच.बी.वी.एन.एल.	2008-09	2008-09	(+) 11.06	179.74	97.01	(-) 265.69	4513.13	अन्तिमकरण अधीन	946.42	(-) 1260.98	(+) 2109.24	(-) 85.95	-
15.	वाई.सी.सी.पी.एल.			लेख अभी अन्तिमकृत नहीं किए गए										
क्षेत्रवार योग				(+) 309.86	1102.79	514.09	(-) 1307.02	17199.74	(-) 183.70	4857.70	(-) 4229.65	(+) 13856.47	(+) 204.23	-
सेवाएं														
16	एच.टी.सी.एल.	2005-06	2008-09	(+) 5.17	-	1.95	(+) 3.22	133.88	शून्य	19.86	(+) 8.40	(+) 32.59	(+) 3.22	9.88
17	एच.आर.ई.सी.एल.	2007-08	2009-10	(+) 6.30	5.62	0.46	(+) 0.22	19.20	अन्तिमकरण अधीन	5.00	(+) 2.13	(+) 60.41	(+) 5.84	9.67
18	एच.एस.ई.सी.एल.	2006-07	2008-09	(+) 4.57	-	0.40	(+) 4.17	29.28	शून्य	8.82	(+) 10.71	(+) 22.23	(+) 4.17	18.76
		2007-08	2009-10	(+) 8.66	-	0.55	(+) 8.11	31.07	शून्य	8.83	(+) 18.82	(+) 30.43	(+) 8.11	26.65
		2008-09	2009-10	(+) 9.63	-	0.47	(+) 9.16	42.97	लेखापरीक्षा अधीन	9.83	(+) 27.98	(+) 39.34	(+) 9.16	23.28
19	एच.आई.एल.	2007-08	2008-09	(+) 0.71	-	0.01	(+) 0.70	7.93	शून्य	0.50	(+) 1.47	(+) 1.93	(+) 0.70	36.27
		2008-09	2009-10	(+) 0.85	-	-	(+) 0.85	9.59	असमोक्षा प्रमाणपत्र	0.50	(+) 2.32	(+) 2.79	(+) 0.85	30.47
क्षेत्रवार योग				(+) 21.95	5.62	2.88	(+) 13.45	205.64		35.19	(+) 40.83	(+) 135.13	(+) 19.07	14.11
विविध														
20	एच.एम.एल.	2006-07	2007-08	(-) 0.10	0.10	-	(-) 0.20	-	असमोक्षा प्रमाणपत्र	0.24	(-) 10.01	(-) 2.18	(-) 0.10	-
क्षेत्रवार योग				(-) 0.10	0.10	-	(-) 0.20	-		0.24	(-) 10.01	(-) 2.18	(-) 0.10	-
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सरकारी कम्पनियों)				(+) 467.92	1160.97	562.68	(-) 1255.73	18355.03	(-) 214.83	5166.23	(-) 4094.74	(+) 15777.38	(-) 94.76	-
ख. कार्यचालन सांविधिक निगम														
कृषि एवं सहायक														
1	एच.डब्ल्यू.सी.	2007-08	2009-10	(+) 10.89	0.32	2.34	(+) 8.23	40.46	(-) 2.77	5.84	-	(+) 331.82	(+) 8.55	2.58
क्षेत्रवार योग				(+) 10.89	0.32	2.34	(+) 8.23	40.46	(-) 2.77	5.84	-	(+) 331.82	(+) 8.55	2.58
वित्त														
2	एच.एफ.सी.	2008-09	2009-10	(+) 24.09	23.14	0.84	(+) 0.11	28.55	अन्तिमकरण अधीन	185.55	(-) 130.81	(+) 424.16	(+) 23.25	5.48
क्षेत्रवार योग				(+) 24.09	23.14	0.84	(+) 0.11	28.55	-	185.55	(-) 130.81	(+) 424.16	(+) 23.25	5.48
योग ख. (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सांविधिक निगम)				(+) 34.98	23.46	3.18	(+) 8.34	69.01		191.39	(-) 130.81	(+) 755.98	(+) 31.80	4.21
सकल योग (क+ख)				(+) 502.90	1184.43	565.86	(-) 1247.39	18424.04	(-) 217.60	5357.62	(-) 4225.55	(+) 16533.36	(+) 62.96	

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किये गये	निवल लाभ (+)/हानि (-)				आवत	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ का निवल प्रभाव	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/हानि(-)	नियोजित पूंजी [@]	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता
				व्याज एवं मूल्यहास से पहले निवल लाभ/हानि	व्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
ग. गैर - कार्यचालन सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं सहायक														
1	एच.एस.एम.आई.टी.सी.एल.	2004-05	2008-09	(-) 1.36	10.16	0.12	(-) 11.64	-	(-) 10.37	10.89	(-) 219.20	(-) 74.43	(-) 1.48	-
		2005-06	2008-09	(+) 0.85	10.16	0.09	(-) 9.40	-	-	10.89	(-) 228.59	(-) 73.67	(+) 0.76	-
		2006-07	2009-10	(-) 13.00	10.16	0.07	(-) 23.23	-	-	10.89	(-) 251.82	(-) 86.73	(-) 13.07	-
क्षेत्रवार योग				(-) 13.00	10.16	0.07	(-) 23.23		(-) 10.37	10.89	(-) 251.82	(-) 86.73	(-) 13.07	-
वित्त														
2	एच.एस.एच.एफ.सी.एल.	31 अगस्त 2001 को समाप्त	2003-04	-	-	-	-	-	समीक्षा नहीं की गई	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग														
मूलभूत संरचना														
3	एच.सी.एल.	1997-98	1998-99	(-) 2.85	4.40	0.72	(-) 7.97	-	-	6.85	(-) 27.18	(+) 9.40	(-) 3.57	-
क्षेत्रवार योग				(-) 2.85	4.40	0.72	(-) 7.97			6.85	(-) 27.18	(+) 9.40	(-) 3.57	-
विनिर्माण														
4	एच.टी.एल.	2007-08	2008-09	-	-	-	-	-	शून्य	1.35	(-) 10.57	(-) 0.40	-	-
		2008-09	2009-10	-	-	-	-	-	समीक्षा नहीं की गई	1.35	(-) 10.57	(-) 0.40	-	-
क्षेत्रवार योग										1.35	(-) 10.57	(-) 0.40	-	-
सेवाएं														
5	एच.एस.एच.एच.सी.एल.	2006-07	2009-10	(+) 0.02	0.14	-	(-) 0.16	0.08	शून्य	2.95	(-) 5.84	(+) 0.88	(-) 0.02	-
6	एच.एस.एम.आई.ई.सी.एल.	2007-08	2009-10	(-) 0.20	1.06	-	(-) 0.86	-	शून्य	1.91	(-) 22.75	(-) 10.01	(+) 0.20	-
क्षेत्रवार योग				(-) 0.18	1.20	-	(-) 1.02	-	-	4.86	(-) 28.59	(-) 9.13	(+) 0.18	-
योग ग. (सभी क्षेत्रवार गैर-कार्यचालन सरकारी कम्पनियाँ)				(-) 15.67	15.76	0.79	(-) 32.22	0.08	(-) 10.37	23.95	(-) 318.16	(-) 86.86	(-) 16.46	-
सकल योग (क+ख+ग)				(+) 487.23	1200.19	566.65	(-) 1279.61	18424.12	(-) 227.97	5381.57	(-) 4543.71	(+) 16446.50	(-) 79.42	-

@ नियोजित पूंजी, वित्त कम्पनियों/निगमों जहाँ नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी, मुक्त रिजर्व, बाण्ड, निक्षेप तथा उधारों (पुनर्वित्त सहित) के आरम्भ तथा अन्त शेषों के जोड़ के माध्यम के रूप में परिकलित की जाती है, के मामले में छोड़कर के, निवल स्थाई परिसम्पत्तियों (प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य सहित) जमा कार्यचालन पूंजी की घटक है।

\$ नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ, लाभ तथा हानि लेखा को प्रभारित व्याज जमा लाभ को जोड़कर, परिकलित किया गया है।

अनुलग्नक-3

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदानों एवं परिदानों, प्राप्त गारंटियों, देयों का अधित्याग, बट्टे खाते डाले गए ऋणों तथा साम्या में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2009 के समापन पर दी गई गारंटियों को दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 1.10 में संदर्भित)

(कालम 3 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े रूपए करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त साम्या / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं परिदान				वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में वचनबद्ध गारंटियां @		वर्ष के दौरान देयों का अधित्याग			
		साम्या	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	साम्या में परिवर्तित ऋण	अधित्याग ब्याज / शास्ति ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क. कार्यचालन सरकारी कम्पनियां													
भूषि एवं सहायक													
1.	एच.ए.आई.सी.एल.	-	-	-	0.90	-	0.90	-	15.00	-	-	-	-
2.	एच.एल.आर.डी.सी.एल.	-	-	9.28	2.50	-	11.78	-	-	-	-	-	-
3.	एच.एस.डी.सी.एल.	-	-	0.67	5.38	-	6.05	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				9.95	8.78		18.73		15.00				
विन													
4.	एच.एस.सी.एफ.डी.सी.एल.	1.40	-	10.46	3.85	-	14.31	2.91	10.89	-	-	-	-
5.	एच.बी.सी.ई.डब्ल्यू.एस.के.एन.एल.	2.42	-	-	1.10	-	1.10	10.00	60.00	-	-	-	-
					0.03 ₹		0.03 ₹						
6.	एच.डब्ल्यू.सी.सी.एल.	0.70	-	-	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		4.52		10.46	5.95		16.41	12.91	70.89				
					0.03 ₹		0.03 ₹						
संगठनात्मक इकाया													
7.	एच.एस.आई.आई.डी.सी.एल.	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-
					35.07 ₹		35.07 ₹						
8.	एच.पी.एच.सी.एल.	-	-	-	4.85 ₹	-	4.85 ₹	-	6.52	-	-	-	-
9.	एच.एस.आर.बी.डी.सी.एल.	8.34	-	-	-	-	-	-	560.78	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		8.34							617.30				
					39.92 ₹		39.92 ₹						
विद्युत													
10.	एच.पी.जी.सी.एल.	470.80	-	-	-	-	-	-	382.62	-	-	-	-
11.	एच.बी.पी.एन.एल.	109.63	-	-	-	-	-	7.92	1244.16	-	-	-	-
12.	यू.एच.बी.वी.एन.एल.	135.27	-	2.95	1715.93	-	1718.88	-	38.96	-	-	-	-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम तथा क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त साम्या / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं परिदान				वर्ष के दौरान प्राप्त एवं वर्ष के अन्त में वचनबद्ध गारंटियां @		वर्ष के दौरान देयों का अधित्याग			
		रकम	ऋण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्ध	बट्टे खाते डाले गए पुनर्भुगतान ऋण	साम्या में परिवर्तित ऋण	अधित्याग ब्याज / शास्ति ब्याज	कुल
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	5(क)	5(ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
13.	डी.एच.बी.पी.एन.एल.	140.00	-	-	1192.37	-	1192.37.	-	31.13	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		855.70	-	2.95	2908.30	-	2911.25	7.92	1696.87				
सेवाएं													
14.	एच.टी.सी.एल.	-	-	-	6.62 ₹	8.31 ₹	0.34 ₹	15.27 ₹	-	-	-	-	-
15.	एच.आर.ई.सी.एल.	1.20	-	-	-	-	-	-	30.84	-	-	-	-
16.	एच.एस.ई.सी.सी.एल.	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		2.20		-	6.62 ₹	9.71 ₹	0.34 ₹	16.67 ₹	30.84				
कुल क (सभी क्षेत्रवार कार्यचालन सरकारी कम्पनियों)		870.76	-	23.36	2923.03	-	2946.39	20.83	2430.90	-	-	-	-
				6.62 ₹	49.66 ₹	0.34 ₹	56.62 ₹						
ख. सांविधिक निगम													
कृषि तथा सहायक													
1.	एच.डब्ल्यू.सी.	-	-	-	3.00	-	3.00	503.68	224.64	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग					3.00	-	3.00	503.68	224.64				
वित्त													
2.	एच.एफ.सी.	80.88	-	-	-	0.67	0.67	-	123.82	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		80.88	-	-	-	0.67	0.67	-	123.82	-	-	-	-
योग ख		80.88	-	-	3.00	0.67	3.67	503.68	348.46	-	-	-	-
सकल योग (क+ख)		951.64	-	23.36	2926.03	0.67	2950.06	524.51	2779.36				
				6.62 ₹	49.66 ₹	0.34 ₹	56.62 ₹						

टिप्पणी: कम्पनियों/निगमों, जिन्होंने अपने लेखे 2008-09 के लिए अन्तिमकृत किए, को छोड़कर, आंकड़े अनन्तिम हैं तथा जैसा कि कम्पनियों/निगमों के द्वारा दिए गए हैं।

@ आंकड़े वर्ष के अन्त में बकाया गारंटियों को इंगित करते हैं।

₹ प्राप्त अनुदानों का द्योतक है।

अनुलग्नक - 4

सा.क्षे.उ. जिनके लेखे बकाया में हैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों को दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 1.38 में संदर्भित)

(रूपए करोड़ में)

सा.क्षे.उ. का नाम	वर्ष, जहां तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया में हैं, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश				
			वर्ष	साम्या	ऋण	अनुदान	विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य (परिदान)
कार्यचालन कम्पनियां							
हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2007-08	4.14	2008-09	-	-	-	0.90
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2004-05	0.20	2005-06	-	-	-	-
			2006-07	-	-	-	-
			2007-08	-	-	-	-
			2008-09	-	-	-	-
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2004-05	29.82	2005-06	1.20	-	-	5.92
			2006-07	1.50	-	-	3.39
			2007-08	1.65	-	-	3.38
			2008-09	1.40	-	-	3.85
हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2003-04	9.46	2004-05	0.50	-	-	0.36
			2005-06	1.20	-	-	1.00
			2006-07	1.50	-	-	1.16
			2007-08	1.00	-	2.86	1.00
			2008-09	2.42	-	0.03	1.10
हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2006-07	13.58	2007-08	2.33	-	-	1.94
			2008-09	0.70	-	-	1.00
हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2007-08	25.00	2008-09	-	-	4.85	-
हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2006-07	113.70	2007-08	-	-	-	-
			2008-09	8.34	-	-	-
हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2007-08	25.00	2008-09	470.80	-	-	-
हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2005-06	19.86	2006-07	-	-	7.28	-
			2007-08	0.33	-	13.83	-
			2008-09	-	-	8.31	-
हरियाणा रोड़वेज़ अभियांत्रिकी निगम	2007-08	5.00	2008-09	1.20	-	-	-
हरियाणा मिनरलज लिमिटेड	2006-07	0.24	2007-08	-	-	-	-
			2008-09	-	-	-	-
कार्यचालन सांवाधिक निगम							
हरियाणा भाण्डागार निगम	2007-08	5.84	2008-09	-	-	-	3.00

सा.क्षे.उ. का नाम	वर्ष, जहां तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्ततम अन्तिमकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	वर्ष, जिनके लिए लेखे बकाया में है, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश				
			वर्ष	साम्या	ऋण	अनुदान	विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य (परिदान)
गैर - कार्यचालन कम्पनियां							
हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम लिमिटेड	2006-07	10.89	2007-08	-	-	-	-
			2008-09	-	-	-	-
हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड	1997-98	6.85	1998-99 से आगे	समापन अधीन	-	-	-
हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	2006-07	2.95	2007-08	-	-	-	-
			2008-09	-	-	-	-
हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लिमिटेड	2007-08	1.91	2008-09	-	-	-	-
योग		274.44		496.07	-	37.16	28.00

अनुलग्नक - 6

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 1.15 में संदर्भित)

1. हरियाणा वित्तीय निगम

	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09
		(रूपए करोड़ में)		
1.	आय			
(क)	ऋणों पर ब्याज	33.79	27.75	28.55
(ख)	अन्य आय	3.02	1.24	6.06
	योग -1	36.81	28.99	34.61
2.	व्यय			
(क)	दीर्घावधि एवं अल्पावधि ऋणों पर ब्याज	21.50	25.81	23.14
(ख)	अन्य व्यय	8.94	106.03	11.36
	योग -2	30.44	131.84	34.50
3.	लाभ (+)/हानि(-) कर से पहले (1-2)	(+) 6.37	(-) 102.85	(+) 0.11
4.	कर हेतु प्रावधान	-	118.47	
5.	अन्य विनियोजन	-	-	-
6.	गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	-	-	-
7.	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	-	-	-
8.	भुगताना गया/भुगतान योग्य लाभांश	-	-	-
9.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	27.86	(-) 77.04	(+) 23.25
10.	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता	9.32		5.48

2. हरियाणा भाण्डागार निगम

	विवरण	2005-06	2006-07	2007-08
		(रूपए करोड़ में)		
1.	आय			
(क)	भाण्डागार प्रभार	29.94	36.08	40.46
(ख)	अन्य आय	35.72	23.28	22.09
	योग -1	65.66	59.36	62.55
2.	व्यय			
(क)	स्थापना प्रभार	10.03	10.35	11.54
(ख)	अन्य व्यय	15.86	17.56	42.78
	योग -2	25.89	27.91	54.32
3.	लाभ (+)/हानि(-) कर से पहले (1-2)	39.77	31.45	8.23
4.	पूर्व अवाधि समायोजन	-	-	--
5.	अन्य विनियोजन	38.44	31.45	8.23
6.	लाभांश के लिए उपलब्ध राशि	1.33	-	
7.	वर्ष के लिए लाभांश	1.33	-	
8.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	39.77	31.45	8.55*
9.	नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की प्रतिशतता	13.33	9.57	2.58

* इसमें 0.32 करोड़ रूपए की राशी का प्रदत्त ब्याज शामिल है।

अनुलग्नक - 7
लम्बित कार्यों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी
 (अनुच्छेद 2.1.23 में संदर्भित)

क्र.सं.	कार्य का नाम	आरम्भ करने की अनुसूची तारीख	पूर्ण करने की अनुसूचित तारीख	31 मार्च 2009 की स्थिति
1	इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ रेलवे साईडिंग	04.10.2004	28.08.2007	कार्य को आर.ई.एल. के जोखिम एवं लागत पर निक्षेप कार्य के रूप में रेलवे से निष्पादित करवाया जाना है। 7.79 करोड़ रूपए की राशि 12.09.2008 को रेलवे के पास जमा करवाई गई थी तथा आर.ई.एल. से वसूली गई। सब-स्टेशन तथा ट्रेक्शन आपूर्ति का कार्य मण्डलीय रेलवे प्रबंधक, अंबाला द्वारा प्रदान किया गया है। ओवरहेड इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन से संबंधित कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया था।
2	इल्यूमिनेशन ऑफ मार्शलिंग यार्ड लाईटिंग	04.10.2004	28.08.2007	कार्य को आर.ई.एल. के जोखिम एवं लागत पर निष्पादित किया जाना है। एन.आई.टी. जारी किया गया था (29.12.2008) तथा कार्य प्रदान नहीं किया गया था।
3	कमिशनिंग ऑफ फ्लाई ऐश सिस्टम	01.12.2004	19.09.2007	सिलो 1 एवं 2 का सिविल कार्य पूर्ण कर लिया गया है किन्तु इलेक्ट्रीकल एवं मकैनिकल कार्य पूर्ण नहीं किया गया था।
4	कोल हैण्डलिंग प्लॉट	01.11.2004	05.10.2007	कोल एनालाइजर तथा सी.एच.पी. के अन्य लम्बित कार्य 31.03.2009 तक पूर्ण नहीं किए गए थे।
5	कमिशनिंग ऑफ एलीवेटरज फॉर ब्यालर एरिया	05.05.2005	30.01.2007	ब्यालर एवं क्रशर हाउस के एलिवेटर्स अभी तक आरंभ नहीं किए गए हैं।
6	ऐश ड्राईक - 2	01.03.2005	20.08.2007	ऐश ड्राईक - 2 का कार्य भू-जल स्तर में उत्थान के कारण धीमा हो गया। 265.5 मीटर की बजाय ई.एल. - 266 मीटर पर ऐश ड्राईक - 2 का बेड लेवल रखते हुए शेष कार्य को करने के लिए आर.ई.एल. से आग्रह किया गया था तथा यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था।
7	रोड्स एण्ड ड्रेनज	19.08.2005	30.09.2007	कार्य प्रगति में था
8	लैण्डस्केपिंग	29.07.2005	31.12.2007	कार्य प्रगति में था

अनुलग्नक - 8

पी.जी. टैस्ट के लम्बित अन्तिमकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 2.1.23 में संदर्भित)

क्र.सं.	टैस्टस	रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तारीख	परामर्शकों/समीक्षा परामर्शकों के साथ समीक्षा अधीन
क	बी.टी.जी.* पैकेज		
1.	पी.जी. टैस्ट ऑफ स्टीम जनरेटर	06.03.2009 को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	परामर्शकों
2.	पी.जी. टैस्ट ऑफ टरबाईन		
3.	पी.जी. टैस्ट ऑफ एक्स पावर कंजमेशन	पूर्ण रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है	
4.	पी.जी. टैस्ट फार ई.एस.पी.#	यूनिट -I 07.03.2009 यूनिट -II 06.03.2009	परामर्शकों
ख	बी.ओ.पी.** पैकेज		
1.	पी.जी. टैस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम	05.11.2008	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
2.	पी.जी. टैस्ट ऑफ वैन्टीलेशन सिस्टम	05.11.2008	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
3.	डेमो टैस्ट ऑफ कम्प्रेस्ड एयर सिस्टम	23.02.2009	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
4.	पी.जी. टैस्ट ऑफ कोल हेण्डलिंग प्लॉट	09.03.2009	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
5.	डेमो टैस्ट ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम	25.09.2009	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
6.	पी.जी. टैस्ट ऑफ प्री ट्रीटमेंट प्लॉट	06.09.2008 (सी.ई./डी.सी.आर.टी.पी. पी. को प्रस्तुत की गई)	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
7.	पी.जी. टैस्ट ऑफ डी.एम प्लॉट	06.09.2008 (सी.ई./डी.सी.आर.टी.पी. पी. को प्रस्तुत की गई)	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
8.	पी.जी. टैस्ट ऑफ वरटीकल पम्पस	26.11.2008	सी.ई./आर.जी.टी.पी.पी.
9.	डेमो टैस्ट ऑफ कलोरीनेशन सिस्टम	18.06.2008 (सी.ई./प्राजैक्टस को अशेषित)	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
10.	पी.जी. टैस्ट ऑफ मिसलेनियस होरीजोन्टल पम्पस	19.02.2009	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
11.	डेमो टैस्ट ऑफ कलोरीनेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लॉट	16.02.2009	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
12.	पी.जी. टैस्ट ऑफ फ्यूल ऑयल हेण्डलिंग प्लॉट	17.06.2008	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
13.	पी.जी. टैस्ट ऑफ ऐश हेण्डलिंग प्लॉट (वेट सिस्टम)	16.02.2009	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
14.	पी.जी./डेमो टैस्ट फार वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लॉट	19.02.2009	परामर्शकों एवं समीक्षा परामर्शकों
15.	पी.जी. टैस्ट ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स	17.02.2009	रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है

* ब्यालर टरबाईन जनरेटर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर।
** बेलेन्स ऑफ प्लॉट।

अनुलग्नक-9

लेखापरीक्षा में नमूना - जांच किए गए काम्पलेक्सों के विवरण दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 2.2.2 में संदर्भित)

क्र. सं.	काम्पलेक्स का नाम	प्रारंभ की गई गतिविधियां
1	बडखल लेक, फरीदाबाद	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार तथा सम्मेलन कक्ष
2	हरमिटेज हट्स, सूरजकुंड	मोटल, रेस्टोरेन्ट तथा सम्मेलन कक्ष
3	होटल राजहंस, सूरजकुंड	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार, सम्मेलन कक्ष तथा हैलथ क्लब
4	कर्ण लेक, करनाल	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार, गोल्फ कोर्स, बोटिंग तथा सम्मेलन कक्ष
5	रेड बिसप, पंचकूला	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार तथा सम्मेलन कक्ष
6	सनबर्ड मोटलस + लेकव्यू हट्स, सूरजकुंड	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार तथा सम्मेलन कक्ष
7	अरावली गोल्फ कोर्स, फरीदाबाद	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार, गोल्फ कोर्स तथा सम्मेलन कक्ष
8	गे पेलिकन, यमूनानगर	मोटल, रेस्टोरेन्ट तथा बार,
9	पपीहा, फतेहाबाद	मोटल, रेस्टोरेन्ट तथा बार,
10	सुरखाव, सिरसा	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार तथा सम्मेलन कक्ष
11	यादविन्द्रा गार्डनस, पिंजौर	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार, लीज सॉफ्स तथा सम्मेलन कक्ष
12	ओएसिस, करनाल	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार, लीज सॉफ्स, अर्बन हॉट, एल-1 तथा पेट्रोल पम्प
13	तिलयार लेक, रोहतक	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार, फास्ट फूड सेंटर, पेट्रोल पम्प, लीजिंग सॉफ्स तथा सम्मेलन कक्ष
14	माऊटेन क्वेल मोरनी हिल्स, पंचकूला	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार, बोटिंग, कैंपिंग साइट्स तथा सम्मेलन कक्ष
15	अंजन यात्रिका, पेहोवा	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार तथा पेट्रोल पम्प
16	बुलबुल, जींद	मोटल, रेस्टोरेन्ट, बार तथा सम्मेलन कक्ष
17	ओट्टू, सिरसा	आवास एवं पार्टी
18	जटायू यात्रिका माता मन्सा देवी, पंचकूला	मोटल तथा रेस्टोरेन्ट
19	महरौली नर्सरी, दिल्ली	नर्सरी

अनुलग्नक-10

2007-08 तक चार वर्षों हेतु हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड के कार्यचालन परिणाम तथा वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 2.2.7 में संदर्भित)

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07*	2007-08*
क. देयताएं	(रूपए लाख में)			
प्रदत्त पूंजी	1,858.43	1,985.61	1,985.61	2,018.86
आरक्षण एवं आधिक्य	750.17	1,073.41	1,612.94	2,046.63
आस्थगित कर देयताएं	215.55	199.87	--	--
व्यापार देय तथा अन्य चालू देयताएं	6,549.42	8,007.86	10,495.06	13,433.79
योग	9,373.57	11,266.75	14,093.61	17,499.28
ख. परिसम्पत्तियां				
सकल ब्लॉक	3,740.67	3,988.57	4,063.17	4,241.64
घाटा - ह्रास	1,991.29	2,155.28	2,462.15	2,641.83
निवल स्थायी परिसम्पत्तियां	1,749.38	1,833.29	1,601.02	1,599.81
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	7,624.19	9,433.46	12,492.59	15,899.47
योग	9,373.57	11,266.75	14,093.61	17,499.28
नियोजित पूंजी*	2,824.15	3,258.89	3,598.55	4,065.49
निवल मूल्य [#]	2,608.60	3,059.02	3,598.55	4,065.49

विवरण	2004-05	2005-06	2006-07*	2007-08*
क. आय	(रूपए लाख में)			
मद्य एवं खनिज बिक्री	699.84	887.84	823.04	903.79
फूड स्टाफ बिक्री	1,564.41	1,693.47	1,810.01	2,027.75
पेट्रोल, डीजल तथा लूब्रिकेन्ट्स की बिक्री	8,751.18	10,797.08	11,708.73	12,585.70
अन्य बिक्री	49.39	10.07	12.48	31.05
पट्टा धन	233.20	254.26	247.64	304.47
परामर्श शुल्क	86.71	68.74	83.55	144.99
कमरे के किराए से आय	619.66	790.36	977.31	1,129.99
अन्य आय तथा व्याज	385.70	453.69	561.70	863.94
कुल आय	12,390.09	14,955.51	16,224.46	17,991.68
ख. व्यय				
मद्य एवं खनिज	397.79	518.13	443.75	536.30
फूड स्टाफ	534.23	596.15	643.01	702.98
पेट्रोल, डीजल तथा लूब्रिकेन्ट्स की खरीद	8,542.01	10,537.59	11,464.92	12,262.76
अन्य क्रय	35.57	10.32	9.66	26.30
कोयला, गैस एवं फ्यूल	83.91	98.39	110.14	125.87
प्रशासनिक एवं बिक्री व्यय	2,288.56	2,486.99	2,612.48	3,252.20
ह्रास	190.98	194.70	200.09	211.76
अन्य व्यय	175.83	196.71	417.83	449.04
कुल व्यय	12,248.88	14,638.98	15,901.98	17,567.21
लाभ/हानि (क - ख)	141.21	316.53	322.48	424.47

* 2006-08 के आंकड़े अनंतिम हैं, जबकि 2008-09 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

* नियोजित पूंजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियां जमा कार्यचालन पूंजी को निरूपित करती है।

निवल मूल्य, निवल प्रदत्त पूंजी जमा फ्री आरक्षण तथा आधिक्य जमा अप्रतिभूत ऋणों को निरूपित करती है।

अनुलग्नक-11

समीक्षाएं/अनुच्छेद, जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे, को दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 3.21.1 में संदर्भित)

क्र. सं.	विभाग का नाम	2005-06		2007-08		योग	
		समीक्षाएं	अनुच्छेद	समीक्षाएं	अनुच्छेद	समीक्षाएं	अनुच्छेद
1.	विद्युत	-	3	2	8	2	11
2.	वन	-	-	1	-	1	-
	योग	-	3	3	8	3	11

अनुलग्नक-12

30 सितम्बर 2009 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विश्लेषण
दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 3.21.3 में संदर्भित)

क्र.सं.	विभाग का नाम	पी.एस.यूज की संख्या	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया अनुच्छेदों की संख्या	वर्ष, जिससे अभ्युक्तियां बकाया है
1.	कृषि	4	13	54	2005-06
2.	उद्योग	2	5	10	2005-06
3.	परिवहन	1	3	6	2005-06
4.	इलेक्ट्रॉनिक्स	2	6	13	2002-03
5.	वन	1	4	10	2005-06
6.	स्वदान एवं भू-विज्ञान	1	2	4	2008-09
7.	गृह	1	3	9	2005-06
8.	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	2	6	21	2005-06
9.	महिला एवं बाल विकास	1	2	7	2007-08
10.	पर्यटन एवं जन सम्पर्क	1	5	14	2004-05
11.	लोक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.)	1	2	4	2007-08
12.	विद्युत	5*	143	378	2003-04
	योग	22	194	530	

* हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को मिला कर।

अनुलग्नक-13
विभागवार प्रारूप अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे,
की संख्या दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 3.21.3 में संदर्भित)

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रारूप अनुच्छेदों की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	प्रारूप अनुच्छेदों/समीक्षाओं के निर्गम की अवधि
1.	विद्युत	12	2	जनवरी - जून 2009
2.	उद्योग	4	-	जनवरी - जुलाई 2009
3.	कृषि	2	-	मार्च - अप्रैल 2009
4.	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.)	1	-	फरवरी 2009
5.	पर्यटन	-	1	जून 2009
6.	परिवहन	1	-	जून 2009
	योग	20	3	

